

वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007

भविष्य के लिए क्षमता और दक्षता निर्माण करते हुए



जीवन को दीप्तिमान करते हुए... विकास को शक्ति देते हुए.



दृष्टि

पणधारी (स्टेकहोल्डर) मूल्य वृद्धि के लिए
प्रतिबद्ध विश्व-स्तरीय इंजीनियरी उद्यम

लक्ष्य

ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, आधारभूत और अन्य
संभावित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों और
सेवाओं के माध्यम से समग्र व्यावसायिक समाधान प्रदान करने वाला
भारतीय बहुराष्ट्रीय इंजीनियरी उद्यम बनना



विषय-सूची

| | |
|---|-----|
| 1. शेयरधारकों को पत्र | 2 |
| 2. निदेशक मंडल | 3 |
| 3. प्रबंध समिति | 4 |
| 4. कारपोरेट कार्यात्मक संरचना | 6 |
| 5. कारपोरेट रूपरेखा | 8 |
| 6. वर्ष एक नजर में | 12 |
| 7. पुरस्कार | 14 |
| 8. निदेशकों की रिपोर्ट | 15 |
| – प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण | 19 |
| – निदेशकों का संक्षिप्त परिचय | 39 |
| – कारपोरेट अभिशासन | 42 |
| – ऊर्जा का संरक्षण आदि | 63 |
| – लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 65 |
| – भारत के नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां | 72 |
| 9. वार्षिक लेखा | 73 |
| – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां | 75 |
| – नकद प्रवाह विवरण और अनुसूचियों के साथ लेखापरीक्षित लेखे | 78 |
| 10. शेयरधारकों के लिए अतिरिक्त सूचना | 117 |
| – दस वर्षों का सारांश | 119 |
| – अमरीकी जीएएपी के अधीन निवल आय | 121 |
| – आर्थिक मूल्य वर्धन (ईवीए) | 123 |
| – मूल्य वर्धन विवरण | 124 |
| – वार्षिक योजना की तुलना में कार्यनिष्पादन | 125 |
| – राजकोष को अंशदान | 125 |
| – उत्पाद रूपरेखा | 126 |
| – भारत में बीएचईएल | 131 |
| – बीएचईएल की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति | 132 |
| 11. नोटिस | 134 |

शेयरधारकों को पत्र



प्रिय शेयरधारकों,

मुझे वर्ष 2006-07, के दौरान आपकी कंपनी द्वारा की गई प्रगति की भागीदारी करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, जो बीएचईएल के लगभग सभी व्यवसाय में ठोस निष्पादन और विकास का वर्ष था। हमने पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित गति को बनाए रखा है।

मैं आपके साथ हाल में गुजरे वर्ष में कंपनी की वित्तीय उपलब्धियों की संक्षिप्त चर्चा करना चाहूंगा।

वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी का कार्यनिष्पादन

बीएचईएल का 18739 करोड़ रूपए का कुल कारोबार एक वर्ष पूर्व तुलनीय आंकड़े से 29% से भी अधिक था। इस वृद्धि के मुख्य पहलू निम्नलिखित थे :

- 2415 करोड़ रूपए का निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 44% अधिक था।
- कुल कारोबार और आर्डर प्राप्त तीन वर्षों में दुगुनी हो गई है, जबकि कर-पूर्व लाभ और निवल लाभ मात्र दो वर्षों में दुगुना हो गया है।
- कंपनी ने 35643 करोड़ रूपए के आर्डर प्राप्त किए और वर्ष की समाप्ति पर 55,000 करोड़ रूपए के बकाया आर्डर थे।
- हमने नए बाजारों में प्रवेश करके तथा मौजूद बाजारों की सुदृढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय पदचिन्हों पर विस्तार करना जारी रखा। वास्तविक निर्यात 1071 करोड़ रूपए तक पहुंच गया।
- अनुसंधान और विकास पर व्यय 253 करोड़ रूपए का था, जो पिछले वर्ष से 66% अधिक था।
- आर्थिक मूल्य वर्धन (ईवीए) पिछले एक वर्ष के 1079 करोड़ रूपए से बढ़कर 1657 करोड़ रूपए तक पहुंच गया।
- घरेलू संगठनों, उद्योग के लिए कैपिटल विद्युत संयंत्रों और समुदपारीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हुए 7863 मेगावाट के विद्युत संयंत्रों को स्थापित किया।

वर्ष 2006-07 के लिए 1:1 बोनस इशू के फलस्वरूप बोनस-पूर्व इक्विटी शेयर पूंजी पर 120% के समतुल्य वर्धित चुकता शेयर पूंजी पर 60% अर्थात 293.71 करोड़ रूपए का अंतिम लाभांश एक और विशिष्टता है। वर्ष 2006-07 के लिए 244.76 करोड़ रूपए की शेयर पूंजी पर 125% अर्थात 305.95 करोड़ रूपए का अंतरिम लाभांश अदा किया जा चुका है। इस प्रकार, वर्ष-2006-07 के लिए लाभांश का कुल भुगतान पिछले राजकोषीय वर्षों में अदा किए गए 354.90 करोड़ रूपए की तुलना में 599.66 करोड़ रूपए (लाभांश कर छोड़कर) है।

भविष्य भयभीत करने वाला और साथ ही चुनौतीपूर्ण दोनों है। आपकी कंपनी भविष्य की आशावादिता के साथ सामना करने की तैयारी कर रही है और मैं आपके साथ चुनौतियों और भविष्य में हमारी लाभदायी विकास को बनाए रखने के लिए विकसित रूपरेखा की चर्चा करना चाहूंगा।

चुनौतियों का सामना करना

देश ग्यारहवीं योजना में 78,000 मेगावाट और बारहवीं योजनावधि में 85,000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि करने की योजना बना रहा है। इसका अर्थ इन दो योजनावधियों के दौरान प्रति वर्ष लगभग 15,000 से 17,000 मेगावाट की औसत क्षमता वृद्धि है। ग्यारहवीं योजना बारहवीं योजना और उसके बाद के दौरान सुपर क्रिटिकल पैरामीटर के साथ उच्चतर रेटिंग वाले थर्मल सेट, उन्नत श्रेणी के गैस टर्बाइनों और उच्चतर रेटिंग के न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र को प्रारंभ किए जाने की योजना है। इन सभी का अर्थ आपकी कंपनी के लिए मुख्य व्यवसाय में अत्यधिक अवसर हैं।

भविष्य के लिए क्षमता और दक्षता निर्माण

जिन बाजार खण्डों, में हम प्रचालन करते हैं, उनमें हमारे कार्यकलापों का विस्तार मुख्य अवयव है, जो भविष्य में हमारी विकास कार्यनीति को चालित करेगा। इसके अनुरूप, कंपनी ने वर्ष 2011-12 तक 10 बिलियन अमरीकी डालर के कुल कारोबार स्तर तक पहुंचने के उद्देश्य से अगले पांच वर्षों में सतत लाभदायी विकास सुनिश्चित करने के लिए "स्ट्रेटिजिक प्लान", 2012 तैयार की है। इस योजना का कार्यान्वयन पूर्ण जोश के साथ किया जा रहा है।

वर्ष 2007 के अंत तक 10,000 मेगावाट प्रतिवर्ष की विनिर्माण क्षमता स्थापित करने से बीएचईएल दिसम्बर, 2009 तक इसे और 15,000 मेगावाट प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के मार्ग पर है। विनिर्माण क्षमता की यह वृद्धि केवल बुनियादी अवसंरचना और बीएचईएल में योग्य तथा प्रशिक्षित तकनीकी मानवशक्ति की उपलब्धता के कारण ही संभव है। उच्चतर रेटिंग वाले सुपर क्रिटिकल थर्मल सेटों का उत्पादन करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ वर्धित विनिर्माण क्षमता और कुशल कार्यबल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कंपनी की स्थिति और सुदृढ़ करेगा।

अगले पांच वर्षों की अवधि में, आपकी कंपनी की वैश्वीकरण आकांक्षाएं प्राप्त करने के प्रयास में हमारा लक्ष्य वर्तमान आकार में वास्तविक निर्यात को छः गुना बढ़ाना है। अतिरिक्त पुर्जों और सेवा व्यवसाय कंपनी की आगामी विकास योजना के रूप में प्रत्याशित है, जहां राजस्व के वर्तमान स्तरों से चार गुना बढ़ने की आशा है। अनुसंधान और विकास व्यय में वर्ष 2006-07 के आकार का कम से कम चार गुना वृद्धि की जाएगी।

निष्कर्ष

सभी स्तरों पर कंपनी के कर्मचारियों का समर्पण और उनकी प्रतिबद्धता हमारी मुख्य शक्ति बनी रहेगी। मैं अपने सहयोगी निदेशकों को उनके समर्थन और बहुमूल्य जानकारी, जिसे उन्हें पूर्व वर्षों में प्रदान किया है, के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने सभी ग्राहकों, शेयर स्वामियों, व्यावसायिक सहयोगियों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए गए सहयोग की हार्दिक सराहना करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि अपनी सुदृढ़ता, स्थायित्व और फोकस बनाए रखकर हम अपने व्यवसाय का विकास करने में समर्थ होंगे और एक सुव्यवस्थित कंपनी बने रहेंगे।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

नई दिल्ली

30 जुलाई, 2007

अशोक के. पुरी

(अशोक के. पुरी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल

दिनांक 30.07.2007 की यथास्थिति



श्री अशोक के. पुरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री एन. गोकुलराम
निदेशक



डा. सुरजीत मित्रा
निदेशक



श्री संजय एम. दादलिका
निदेशक



श्री अशोक के. अग्रवाल
निदेशक



श्री मनीष गुप्ता
निदेशक



श्री शेखर दत्ता
निदेशक



श्री मधुकर
निदेशक



श्री एस.के.जैन
निदेशक



श्री ए. के. माथुर
निदेशक (आईएसएण्डपी)



श्री के. रवि कुमार
निदेशक (पावर)



श्री सी. एस. वर्मा
निदेशक (वित्त)



श्री सी. पी. सिंह
निदेशक (ई,आरएण्डपी)



श्री एन. के सिन्हा
कंपनी सचिव

प्रबंध समिति

दिनांक 24.07.2007 की यथास्थिति



| | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--|
| अशोक के. पुरी | - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | ई. मीनाक्षी सुन्दरम | - पावर सेक्टर-दक्षिणी क्षेत्र |
| एस. के. जैन | - मानव संसाधन मानव संसाधन विकास संस्थान कार्पोरेट सूचना प्रौद्योगिकी | एस. के. गोयल | - कार्पोरेट अनुसंधान और विकास |
| के. रवि कुमार | - विद्युत व्यवसाय पावर सेक्टर क्षेत्र - उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम अतिरिक्त पुर्जे और सेवा व्यवसाय | के. वी. मुथुकृष्णन | - पावर सेक्टर तकनीकी सेवाएं और परियोजना प्रबंध समूह |
| ए. के. माथुर | - औद्योगिक प्रणालियां एवं उत्पाद व्यवसाय ट्रंसमिशन व्यवसाय परिवहन व्यवसाय सिरामिक्स व्यवसाय यूनिट संघटक निर्माण संयंत्र | जी.वी. रामी रेड्डी | - भारी विद्युत उपस्कर संयंत्र |
| सी.एस. वर्मा | - वित्त आंतरिक लेखापरीक्षा और कराधान वित्तीय सेवाएं | आर. एन. मिश्रा | - उच्च दाब बॉयलर संयंत्र सीमलेस स्टील ट्यूब संयंत्र औद्योगिक वाल्व संयंत्र पाइपिंग केन्द्र वैल्विंग अनुसंधान संस्थान |
| सी.पी. सिंह | - इंजीनियरी अनुसंधान और विकास कार्पोरेट अनुसंधान और विकास कार्पोरेट मानीटरिंग, सामग्री प्रबंध निवेश आयोजना विनिर्माण प्रौद्योगिकी | आर. सारस्वतन | - कार्पोरेट वित्त |
| आर. के. बेलापुरकर | - कार्पोरेट योजना एवं विकास | के. के. मेहरोत्रा | - पावर सेक्टर-पश्चिमी क्षेत्र |
| आर. के. भट्टाचार्य | - कार्पोरेट इंजीनियरी और उत्पाद विकास उन्नत अनुसंधान परियोजना प्रौद्योगिकी लाइसेंसकरण और संयुक्त उपक्रम | आर. एस. वी. प्रसाद | - पावर सेक्टर-मानव संसाधन |
| वी. विश्वनाथन | - इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली प्रभाग औद्योगिक प्रणाली समूह | एस. एन. डागा | - कार्पोरेट विनिर्माण प्रौद्योगिकी और निवेश आयोजना कार्पोरेट मानीटरिंग |
| आर. के. सिंह | - भारी विद्युत संयंत्र विद्युत मशीन मरम्मत संयंत्र | एस. एम. महाजन | - केन्द्रीय फाउन्ड्री फोर्ज संयंत्र |
| एम. एल. साह | - पावर सेक्टर-पूर्वी क्षेत्र | एस. टी. एच. रिजवी | - परियोजना इंजीनियरी प्रबंध |
| जी. अरूणगिरी | - बॉयलर सहायक उपकरण संयंत्र | आर. के. श्रीवास्तव | - क्षेत्रीय प्रचालन, सिरामिक व्यवसाय यूनिट, संघटक निर्माण संयंत्र और केन्द्रीय विपणन समूह |
| एम. आर. गणेशन | - पावर सेक्टर-विपणन अतिरिक्त पुर्जे और सेवा व्यवसाय | अनिल सचदेव | - कार्पोरेट मानव संसाधन कार्पोरेट संचार कार्पोरेट उत्पादकता स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण |
| वी. के. जैन | - ट्रांसफॉर्मर संयंत्र | ओ. पी. भूटानी | - अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन |
| पंकज शर्मा | - पावर सेक्टर - उत्तरी क्षेत्र | बी. पी. राव | - उद्योग क्षेत्र व्यवसाय सहित कैप्टिव विद्युत संयंत्र व्यवसाय परिवहन व्यवसाय परियोजना प्रबंध |
| | | डी. के. मोदी | - भारी विद्युतीय उपस्कर संयंत्र प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान |
| | | डब्ल्यू. वी. के. कृष्णशंकर | - सचिव, प्रबंध समिति |

कारपोरेट स्तर पर कार्यात्मक रूपरेखा

दिनांक 30.07.2007 को

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कारपोरेट कार्य

निदेशक
आर एंड डी

- कारपोरेट इंजीनियरी और उत्पाद विकास
- उन्नत अनुसंधान परियोजनाएं
- प्रौद्योगिकी लाइसेंसिकरण और संयुक्त उद्यम
- कारपोरेट अनुसंधान और विकास, हैदराबाद
- सिरामिक प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर
- एएसएससीपी, गुडगांव
- कारपोरेट मानीटरिंग
- कारपोरेट सामग्री प्रबंध
- कारपोरेट विनिर्माण प्रौद्योगिकी और निवेश योजना
- केंद्रीकृत स्टम्पिंग यूनिट

निदेशक
मानव संसाधन

- मानव संसाधन
- कारपोरेट संचार
- कारपोरेट सूचना प्रौद्योगिकी
- कारपोरेट स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण
- मानव संसाधन विकास संस्थान
- कारपोरेट उत्पादकता समूह
- चिकित्सा सेवाएं
- केंद्रीय सार्वजनिक सूचना कार्यालय

निदेशक
वित्त

- कारपोरेट वित्त
- वित्तीय सेवाएं
- आंतरिक लेखापरीक्षा और करान

कारपोरेट आयोजना
और विकास

- कार्यानीतिक आयोजना
- विलय और अधिग्रहण
- निवेशक संबंध
- प्रबंध समिति
- परिवर्तन कार्यक्रम
- सरकार के साथ समझौता ज्ञापन
- संसद के मामले

मुख्य सतर्कता अधिकारी

- सतर्कता

कारपोरेट गुणवत्ता

कंपनी सचिव और
विधिक

व्यवसाय क्षेत्र

निदेशक
पावर

निदेशक
आई एस एंड पी

अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन

प्रबंध समिति

- पावर क्षेत्र - मार्केटिंग
- पावर सेक्टर - क्षेत्र (उ.क्षे., पू.क्षे., प.क्षे., द.क्षे.)
- परियोजना इंजीनियरी प्रबंध (पी ई एम)
- परियोजना प्रबंध
- तकनीकी सेवाएं
- एस एस बी जी
- एच ई आर पी, वाराणसी
- मानव संसाधन

- कैप्टिव विद्युत संयंत्र व्यवसाय
- औद्योगिक उत्पाद व्यवसाय (विद्युत और यांत्रिक)
- पारिषण व्यवसाय
- परिवहन व्यवसाय
- रक्षा व्यवसाय
- एनसीईएस के लिए केंद्रीय विपणन समूह
- सिरामिक व्यवसाय यूनिट, बंगलौर
- - इलेक्ट्रोपोर्सिलीन प्रभाग, बंगलौर*
- - इंसुलेटर प्लान्ट, जगदीशपुर*
- कम्पोनेन्ट फेब्रिकेशन प्लान्ट, रूद्रपुर*
- क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग
- परियोजना प्रबंध और ग्राहक प्रतिक्रिया

- विपणन
- परियोजनाएं

प्रचालन

- हेवी इलेक्ट्रिकल प्लान्ट, भोपाल
- सेन्टर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, भोपाल
- ईएमआरपी, मुंबई

- ट्रांसफॉर्मर संयंत्र, झांसी

- हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट प्लान्ट, हरिद्वार
- प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार

- सेंट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लान्ट, हरिद्वार

- हेवी पावर इक्विपमेन्ट प्लान्ट, हैदराबाद

- हाईप्रेशर बॉयलर प्लान्ट, त्रिची
- सीमलेस स्टील ट्यूब प्लान्ट, त्रिची
- वेल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, त्रिची

- इंडस्ट्रियल वॉल्व प्लान्ट, गोइंदवाल

- पाइपिंग सेन्टर, चेन्नई

- बॉयलर ऑगजीलरीज प्लान्ट, रानीपेट

- इलेक्ट्रॉनिक्स डिबीजन, बंगलौर
- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिबीजन, बंगलौर
- इंडस्ट्रियल सिस्टम्स ग्रुप, बंगलौर

*ऑपरेटिंग यूनिट

कारपोरेट रूपरेखा

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) भारत में अपने किस्म का सबसे बड़ा इंजीनियरी और विनिर्माण उद्यम है और विद्युत उपस्कर विनिर्माण के क्षेत्र में शीर्षस्थ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में से एक है। वर्ष 1956 में भोपाल में स्थापित बीएचईएल के पहले संयंत्र ने भारत में भारी विद्युत उद्योग के उदय का संकेत दिया। साठ के दशक में हरिद्वार, हैदराबाद और तिरुचिरापल्ली में तीन और बड़े संयंत्र स्थापित किए गये, जो उन विविधकृत उत्पादों की सीमा, प्रणालियों और सेवाओं के मुख्य स्रोत हैं, जिसे आज बीएचईएल प्रदान करता है। बीएचईएल की सेवाओं की सीमा में परियोजना संभाव्यता अध्ययन से लेकर बिक्री पश्चात सेवा, टर्नकी क्षमता के माध्यम से विविध आवश्यकताओं की सफलतापूर्वक पूर्ति तक विस्तारित है। कंपनी की संपूर्ण भारत और विदेश में फैले परियोजना कार्यस्थलों के अतिरिक्त 14 विनिर्माण यूनिटें, 4 पावर सेक्टर क्षेत्र, 8 सेवा केन्द्र और 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बीएचईएल का कार्यनिष्पादन मान्यता प्राप्त रिकार्ड रहा है, जिसने वर्ष 1971-72 से लगातार लाभ अर्जित किया है और 1976-77 से लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है।

बीएचईएल 30 मुख्य उत्पाद समूहों के अधीन 180 से अधिक उत्पादों का विनिर्माण करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था यथा, विद्युत उत्पादन और पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा आदि मुख्य क्षेत्रों की मांग पूरी करता है। इसके उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता स्वयं अपने अनुसंधान और विकास केन्द्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों के साथ विश्व की शीर्षस्थ कंपनियों से कुछ सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियां लेकर और अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक डिजाइन इंजीनियरी और विनिर्माण पर बल देने का कारण है। कंपनी नए व्यवसायिक वातावरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को सतत रूप से अनुकूल बनाती रही है।

बीएचईएल गुणवत्ता प्रबन्ध के लिए आईएसओ : 9000 प्रमाणीकरण प्राप्त कर चुका है और सभी विनिर्माण यूनिटों/प्रभागों का आईएसओ 9001-2000 अद्यतन संस्करण तक उन्नयन किया गया है। बीएचईएल ने पर्यावरणीय प्रबंध प्रणालियों के लिए आईएसओ-14001 प्रमाणीकरण तथा इसके सभी यूनिटों/प्रभागों के लिए व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों के लिए ओएचएसएस-18001 प्रमाणीकरण भी प्राप्त कर लिया है। बीएचईएल ने व्यावसायिक उत्कृष्टता की ओर अपनी यात्रा जारी रखी हुई है।

बीएचईएल ग्लोबल कम्पैक्ट और मानवाधिकार, श्रम मानकों और पर्यावरण के क्षेत्रों में अपने दस सिद्धांतों में सम्मिलित निर्धारित मूल मान्यताओं को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बीएचईएल का विज़न

बीएचईएल का विज़न "हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध विश्व-स्तरीय इंजीनियरी उद्यम" बनना है।

व्यावसायिक क्षेत्र

बीएचईएल का प्रचालन तीन व्यावसायिक क्षेत्रों नामतः पारेषण, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विद्युत, उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के क्षेत्र में किया जाता है। यह बीएचईएल को एक सुदृढ़ ग्राहक उन्मुखीकरण तथा बाजार में परिवर्तनों के प्रति शीघ्रतापूर्वक व्यवहार में समर्थ बनाता है।

विद्युत क्षेत्र

विद्युत बीएचईएल का मुख्य क्षेत्र है और इसमें थर्मल, न्यूक्लियर, गैस, डीजल और हाइड्रो-व्यवसाय शामिल है। बीएचईएल भारत को विद्युत संयंत्र उपस्कर में विदेशी स्रोतों पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति से पूर्ण आत्मनिर्भरता की स्थिति तक ले आया है। आज बीएचईएल के सेट देश में कुल संस्थापित क्षमता में लगभग 65% के हिस्से का योगदान करते हैं। ये सेट महत्वपूर्ण रूप से देश में उत्पादित कुल विद्युत के 73% का योगदान करते हैं।

बीएचईएल ने 500 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक के बॉयलरों और सहायक उपकरणों, टर्बो जेनरेटर सेट और संबद्ध कंट्रोल, पाइपिंग और स्टेशन



टर्नकी आधार पर बीएचईएल द्वारा 15 माह में स्थापित 1000 मेगावाट सिम्हाद्री एसटीपीएस

कंट्रोल और इन्सट्रुमेंटेशन के लिए सविदा की है और इसके पास 1000 मेगावाट सहित उच्चतर यूनिट रेटिंग तक के थर्मल सेट का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी और दक्षता है।

बीएचईएल के पास उच्चतर आकार वाले गैस टर्बाइनों के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और यह 279 मेगावाट यूनिट आकार तक की गैस टर्बाइनों की आपूर्ति कर सकता है। यह कस्टम निर्मित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्रों, फ्रांसिस, पेल्टन, केप्लान और विभिन्न शीर्ष-डिस्चार्ज संयोजन के मैचिंग जेनरेटरों के साथ बल्ब किस्म के हाइड्रो सेटों की इंजीनियरिंग और निर्माण करता है।

पुराने जीवाश्म ईंधन के विद्युत संयंत्र के कार्यनिष्पादन सुधार के लिए पुनमार्जन और आधुनिकीकरण, और जीई डिजाइन के गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सेवा पर बल देते हेतु दो संयुक्त उपक्रम कंपनियों क्रमशः सीमेन्स और जीई के साथ गठित की गई है, जिन्होंने सफल वाणिज्यिक प्रचालन के पूरे नौ वित्तीय वर्ष पूरे किए हैं।

विद्युत उत्पादन उपस्करों की सेवा और अतिरिक्त पुर्जों के लिए ग्राहकों को एकल स्थल सुविधा प्रदान करने सहित एक 'अतिरिक्त पुर्जे एवं सेवा व्यवसाय समूह' सृजित किया गया है।



एशिया में अपने किस्म का एकमात्र बीएचईएल, भोपाल में अल्ट्रा हाई वोल्टेज प्रयोगशाला

उद्योग क्षेत्र

उद्योग

बीएचईएल बड़े पूंजीगत उपकरणों और कैप्टिव विद्युत संयंत्र सेन्ट्रीफ्यूगल कम्प्रेसर, ड्राइव टर्बाइन, औद्योगिक बॉयलर और सहायक उपकरणों, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, गैस टर्बाइन, पम्प, हीट एक्सचेंजर, विद्युत मशीन, वाल्व, हैवी कास्टिंग और फोर्जिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, आईडी/एफडी पंखे, सीमलेस ट्यूब आदि जैसी प्रणालियों का विनिर्माण और उसकी आपूर्ति करता है। ये धातुकर्मीय खनन, सीमेंट, कागज, उर्वरक, रिफाइनरी और पेट्रो-रसायन आदि जैसे कई उद्योगों की जरूरत पूरी करते हैं। विद्युत संगठन के अतिरिक्त, बीएचईएल विभिन्न विद्युत संयंत्रों और उद्योगों के लिए कंट्रोल और इंस्ट्रुमेंटेशन प्रणालियों विशेषकर वितरित डिजिटल कंट्रोल प्रणालियों के बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभरा है।

तेल और गैस

बीएचईएल तटीय ड्रिलिंग रिगों, सुपर डीप ड्रिलिंग रिग, डेजर्ट रिग, मोबाइल रिग, वर्कओवर रिगों और सब-सी वेल हेड्स की पूर्ण आपूर्ति करने में दक्ष है। यह तटीय ड्रिलिंग रिगों के लिए उपस्कर/सब-एसेम्बली यथा, ड्रावर्स, रोटरी टेबल, ट्रेवलिंग ब्लॉक, स्विवेल, मास्ट और सब-स्ट्रक्चर मड सिस्टम और रिग इलेक्ट्रिक्स की आपूर्ति करता है। बीएचईएल तटीय/अपतटीय सेवा के लिए 10000 पीएसआई की रेटिंग तक के क्रिस्मस ट्री वाल्व और वेल हेड्स और कास्टिंग सपोर्ट सिस्टम मडलाइन

सस्पेंशन सिस्टम और अपतटीय अनुप्रयोगों के लिए ब्लॉक वाल्व की भी आपूर्ति करता है।

ट्रांसमिशन

बीएचईएल ट्रांसमिशन और वितरण अनुप्रयोगों के लिए उत्पादों और प्रणालियों के व्यापक रेंज की आपूर्ति करता है। बीएचईएल द्वारा विनिर्मित उत्पादों में पावर ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर, शंट रिपेक्टर, कैपेसिटर्स, वैक्यूम और एसएफ 6 स्विचगियर, गैस इंसुलेटेड स्विचगियर, सिरामिक इन्सुलेटर्स आदि शामिल है। बीएचईएल ने देश में निर्मित देश



क्रिस्मस ट्री वाल्वस

के पहले 36 केवी गैस इंसुलेटिड सब-स्टेशन (जीआईएस) को विकसित और वाणिज्यिक किया है और इसने देश में विकसित अपने 145 केवी जीआईएस के लिए पहला ऑर्डर प्राप्त किया है।

विद्युत अंतरण दक्षता बढ़ाने और 400 केवी लाइनों में ट्रांसमिशन हानियां कम करने के लिए बीएचईएल ने देश में नियत सीरीज कम्पनसेंशन स्कीम विकसित और निष्पादित की है और थाइरिस्टर नियंत्रित रिएक्टर को शामिल करते हुए थाइरिस्टर नियंत्रित सीरीज कम्पनसेंशन स्कीम विकसित की है जो लोकप्रिय रूप से फलेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन प्रणाली (फैक्स) के रूप में ज्ञात है। बीएचईएल ने देश में लंबी ट्रांसमिशन लाइनों के रिएक्टिव पावर प्रबंध के लिए अत्याधुनिक नियंत्रित शंट रिएक्टर विकसित किए हैं। सुदृढ़ इंजीनियरिंग आधार के साथ कंपनी 400 केवी तक के सब-स्टेशनों का टर्नकी निष्पादन करती है और इसके पास 765 केवी सब-स्टेशन निष्पादित करने की दक्षता है। लंबी दूरियों तक थोक विद्युत के मितव्ययी ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टता दिष्ट धारा (एचवीडीसी) प्रणालियों की आपूर्ति की गई है। वर्ष के दौरान बीएचईएल ने 2500 मेगावाट क्षमता की बलिया-भिवानी एचवीडीसी लिंक की संस्थापना के लिए सफलतापूर्वक एक और ऑर्डर प्राप्त किया।

परिवहन

भारतीय रेलवे में अधिकांश रेलगाड़ियां, चाहे वे विद्युत अथवा डीजल चालित हों, उनमें बीएचईएल के ट्रैक्शन प्रॉपल्शन प्रणालियाँ और कंट्रोल्स लगे हुए हैं। आपूरित प्रणालियां पारम्परिक डीसी ड्राइव और अत्याधुनिक एसी ड्राइव दोनों से सज्जित हैं। कोलकाता में भारत का पहला भूमिगत मेट्रो बीएचईएल द्वारा आपूरित ड्राइव और कंट्रोल्स से चलता है। कंपनी पूर्ण रोलिंग स्टॉक अर्थात् 5000 अश्वशक्ति के इलेक्ट्रिक इंजन, मेन लाइन और शंटिंग कार्य के प्रयोग दोनों के लिए 350 अश्वशक्ति से 3100 अश्वशक्ति तक के डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का विनिर्माण भी करती है। इसके अतिरिक्त बीएचईएल रोलिंग स्टॉक के रिट्रोफिटिंग और पूर्ण मरम्मत का कार्य भी करता है। शहरी परिवहन के क्षेत्र में बीएचईएल इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस प्रणाली, लाइट रेल प्रणाली और मेट्रो प्रणाली के टर्नकी निष्पादन के लिए तैयार है। बीएचईएल, भारतीय रेलवे को 1500 वो. डीसी और 25 केवी एसी के लिए ईएमयू हेतु इलेक्ट्रिक्स की आपूर्ति में योगदान कर रहा है। लगभग सभी ईएमयू में कार्यरत इलेक्ट्रिक्स बीएचईएल ने बनाए हैं और उनकी आपूर्ति की है। कंपनी ने भारतीय रेल के लिए ट्रैक अनुसंधान मशीनों के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। बीएचईएल माल और यात्री अनुप्रयोगों के लिए उच्चतर



सीएसईबी, छतीसगढ़ के लिए बोडोनाला गाँव में चालू किया गया 5 कंडक्ट्यूपी एसपीवी संयंत्र

अश्वशक्ति वाले इंजनों हेतु भारतीय रेलवे की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भली प्रकार तैयार है।

नवीकरणीय ऊर्जा

बीएचईएल विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और उत्पादों का विनिर्माण करता रहा है। इसमें सौर ऊर्जा प्रणालियों नामतः पीवी मॉड्यूल्स, पीवी विद्युत संयंत्र सौर लालटेन, सड़क की प्रकाश-व्यवस्था, सौर पम्प और सौर जल उष्मन प्रणाली शामिल है। बड़ी संख्या में लघु हाइड्रो सेटों की आपूर्ति की गई है। उच्चतर रेटिंग वाले डब्ल्यूईजी पर आधारित पवन विद्युत उत्पादन व्यवसाय की खोज की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन

बीएचईएल ने कई वर्षों से छः महादेशों में फैले विश्व के 68 से अधिक देशों में अपना अस्तित्व स्थापित किया है। इनमें ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर, कम्प्रेसर, वाल्व्स, ऑयल फील्ड उपस्कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटरस, फोटोवोल्टेइक उपस्कर, इन्सुलेटर, स्विचगियर, हीट एक्सचेंजर, कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स जैसे व्यापक किस्म के उत्पादों के अतिरिक्त थर्मल, हाइड्रो और गैस आधारित टर्नकी विद्युत परियोजनाओं, ट्रांसमिशन सब-स्टेशन परियोजनाओं, बॉयलर, विद्युत स्टेशनों की पुनर्स्थापन परियोजनाओं आदि सहित बीएचईएल के उत्पादों और सेवाओं की लगभग संपूर्ण सीमा शामिल हैं। बीएचईएल द्वारा प्राप्त कुछ मुख्य सफलताओं में ओमान, सऊदी अरब, इराक, लीबिया, बंगलादेश, मलेशिया, श्रीलंका, चीन, कजाकिस्तान में गैस-आधारित विद्युत परियोजनाएं, साइप्रस, माल्टा, मिश्र, मलेशिया, सूडान, इंडोनेशिया, थाइलैंड में थर्मल विद्युत परियोजनाएं, न्यूजीलैंड, अजरबैजान, भूटान, नेपाल, ताईवान, मलेशिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान में हाइड्रो विद्युत संयंत्र और अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में सब-स्टेशन परियोजनाएं और उपस्कर हैं।

कंपनी समुद्रपारीय व्यवसाय में विकास को और बढ़ावा देने के लिए कई कार्यनीतिक व्यावसायिक पहल कर रही है। इसमें लक्षित निर्यात बजारों में स्वयं को सुदृढ़तापूर्वक स्थापित करना, वैश्विक बाजार में एक नियमित ईपीसी सविदाकार के रूप में बीएचईएल को स्थापित करना और समुद्रपारीय संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए विभिन्न अवसरों की खोज करना शामिल है।



बीएचईएल के झांसी संयंत्र में इंजनों का निर्माण और परीक्षण



कारपोरेट अ. और वि. में बीएचईएल द्वारा विकसित 38 कंडब्ल्यू स्थायी चुम्बक जेनरेटर

अनुसंधान और विकास

हैदराबाद में कारपोरेट अनुसंधान और विकास प्रभाग बीएचईएल के अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों का नेतृत्व करता है जिसकी उपयुक्त रूप से विनिर्माण प्रभागों में इंजीनियरी और अनुसंधान एवं विकास समूहों द्वारा सहायता की जाती है। बीएचईएल की प्रौद्योगिकी नीति देशी प्रयास और अनिवार्य क्षेत्रों में चयनात्मक सहयोग के विवेकपूर्ण मिश्रण को बढ़ावा देती है। इस प्रकार, कंपनी समकालीन मानकों पर अपनी प्रौद्योगिकी और उत्पाद का निरंतर उन्नयन करती है।

बीएचईएल विश्वभर में एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र (आईजीसीसी) प्रौद्योगिकी के विकास में शामिल कुछ कंपनियों में से एक है, जो स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी में इसका प्रवेश कराएगी। बीएचईएल ने देश में डिजाइन किए गए प्रेशराइज्ड फ्लूडाइज्ड बेड गैसीफायर से एशिया का पहला 6.2 मेगावाट आईजीसीसी विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। इस समय एक 125 मेगावाट आईजीसीसी विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए विकास के प्रयास चल रहे हैं।

संगठनात्मक द्रव्य गतिकी, सिमुलेटर और स्थायी चुम्बक मशीनों के लिए चार उत्कृष्टता केंद्र बीएचईएल के कारपोरेट अनुसंधान और विकास केन्द्र में स्थापित किए हैं, जिन्होंने बीएचईएल की डिजाइन और विश्लेषण दक्षता में वृद्धि की है और उनसे नए और सुधरे हुए उत्पादों को विकास समर्थ बनाया है।

बीएचईएल के अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों ने कई नए उत्पादों का उत्पादन किया है। हाल के कुछ सफल अनुसंधान और विकास उत्पाद हैं: विभिन्न प्रचालन दशाओं में विद्युत संयंत्र परिचालनों के इष्टतमीकरण के लिए विद्युत संयंत्रों के निष्पादन विश्लेषण, नैदानिक एवं इष्टतमीकरण (पीएडीओ) के लिए उभत सॉफ्टवेयर पैकेज; हाइड्रो टर्बाइन संघटकों और क्षरण से प्रभावित होने वाले अन्य औद्योगिक उत्पादों की अवधि बढ़ाने के लिए उच्च गति ऑक्सी ईंधन विलेपन प्रक्रिया; ताप विद्युत स्टेशनों में कोयले को चूरा करने के लिए 91 टन प्रतिघंटा क्षमता का देश में डिजाइन किया गया बाउल मिल; विद्युत उत्पादन के लिए सबसे बड़े आकार वाला 60 एमडब्ल्यूई बबलिंग फ्लूडाइज्ड बेड बॉयलर; कार्बनिक रसायन “इथीमिलन डायामाइन टेड्रा एसीटिक एसिड का प्रयोग करके बॉयलरों के लिए एक नया पारिस्थितिकी-अनुकूल, लागत प्रभावी और कम खतरनाक रासायनिक सफाई प्रणाली प्रक्रिया; 4x200 पार्वती हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 789 मीटर शीर्ष सहित छः जेट का पेल्टन हाइड्रो टर्बाइन;” एक 250 मेगावाट टर्बो जेनरेटर के लिए पहला पूर्ण इम्प्रेगनेटेड टर्बो जेनरेटर स्टेटर; संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र अनुप्रयोग के उपयुक्त डिजाइन किया गया 260 मेगावाट स्टीम टर्बाइन प्रचालन के दौरान बॉयलर ट्यूबों की सफाई करने के लिए स्मार्ट वाल ब्लोइंग प्रणाली; बॉयलरों में ट्यूब के रिसाव का पता लगाने के लिए ध्वनिक प्रणाली; एक बाई-पास ओवर फायर एयर (बीओएफए) प्रणाली, जो कोयला-चालित विद्युत स्टेशनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 50 प्रतिशत तक कम कर देता है।

मानव संसाधन विकास

बीएचईएल की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अत्यधिक कुशल और प्रतिबद्ध मानवशक्ति है। प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं को विकसित करने और अपनी स्थिति सुधारने का समान अवसर दिया जाता है। निरंतर प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, कैरियर नियोजन, सकारात्मक कार्य संस्कृति और प्रबन्धन की सहभागितापूर्ण शैली ने बीएचईएल को एक प्रतिस्पर्धी और विश्व स्तरीय संगठन बनाने की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार एक प्रतिबद्ध और प्रेरित कार्य बल का विकास किया है।

मानव संसाधन प्रबन्धन को बाजार की शक्तियों / स्टेकहोल्डरों द्वारा चालित नीतियों से जोड़ने की प्रक्रिया के रूप में कार्यपालकों के लिए एक ई-समर्थ कार्यनिष्पादन प्रबन्ध प्रणाली लागू की गई है, जो कार्यनिष्पादन चालित विकास के संवर्धन में एक बेंचमार्क है। कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और कार्यकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मक और अभिनव परिवर्तन के माध्यम से निरंतर सुधार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक ई-नेटवर्क आधारित “सुधार परियोजना पुरस्कार योजना” (इम्प्रेस) संपूर्ण कंपनी में प्रारंभ की गई है।


वर्ष एक नजर में

| (रुपये करोड़ में) | 2006-07 | 2005-06 | परिवर्तन (%) |
|--------------------------|----------|----------|--------------|
| प्राप्त ऑर्डर | 35643 | 18938 | 88.21 |
| बकाया ऑर्डर | 55000 | 37600 | 46.28 |
| कुल कारोबार | 18738.95 | 14525.49 | 29.01 |
| मूल्य वर्धन | 7182.27 | 5682.80 | 26.39 |
| कर्मचारी (संख्या) | 42124 | 42601 | -1.12 |
| कर-पूर्व लाभ | 3736.07 | 2564.35 | 45.69 |
| कर-पश्चात लाभ | 2414.70 | 1679.16 | 43.80 |
| लाभांश | 599.66 | 354.90 | 68.97 |
| लाभांश कर | 92.83 | 49.78 | 86.48 |
| प्रतिधारित अर्जन | 1722.21 | 1274.49 | 35.13 |
| कुल परिसंपत्तियां | 22362.54 | 17505.92 | 27.74 |
| निवल मूल्य | 8788.26 | 7301.38 | 20.36 |
| कुल उधार | 89.33 | 558.24 | -84.00 |
| ऋण: इक्विटी | 0.01 | 0.08 | -87.50 |
| प्रतिशेयर (रुपए में) : | | | |
| - निवल मूल्य | 359.06 | 298.31 | 20.36 |
| - अर्जन | 98.66 | 68.60 | 43.80 |
| आर्थिक मूल्य वर्धन | 1657 | 1079 | 53.51 |
| (मिलियन अमरीकी डॉलर में) | | | |
| कुल कारोबार | 4344 | 3270 | 32.84 |
| कर-पूर्व लाभ | 866 | 577 | 50.01 |
| कर-पश्चात लाभ | 560 | 378 | 48.15 |


विनिमय दरें (दिनांक 31 मार्च की यथास्थिति दर पर)

- 1 अमरीकी डॉलर = वर्ष 2006-07 के लिए 43.14 रुपए
- 1 अमरीकी डॉलर = वर्ष 2005-06 के लिए 44.42 रुपए

कुल कारोबार (रुपए करोड़ में)




कर-पूर्व लाभ / कर-पश्चात लाभ (रुपए करोड़ में)




वित्तीय चार्ट


प्राप्त ऑर्डर (रुपए करोड़ में)




प्रति शेयर निवल मूल्य (रुपए में)




लाभांश अनुपात




प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)



कर्मचारी (संख्या में)



प्रति कर्मचारी कुल कारोबार (रुपए करोड़ में)



पुरस्कार



श्री सी.एस. वर्मा, निदेशक (वित्त) लागत प्रबन्ध, 2006 में उत्कृष्टता के लिए माननीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से आईसीडब्ल्यूआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए



श्री एस.के. जैन, निदेशक (मा.सं.) सीआईआई एक्जिम पुरस्कार योजना के अधीन उद्योग मंत्री, कर्नाटक सरकार से "पुरस्कार" प्राप्त करते हुए। बीएचईएल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला सरकारी क्षेत्र का पहला उपक्रम है।



बीएचईएल के श्रम पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री अशोक के. पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बीएचईएल के साथ दिखाई दे रहे हैं। 14 कर्मचारियों ने माननीय प्रधानमंत्री से वर्ष के लिए दिए गए एकमात्र श्रम भूषण पुरस्कार सहित 8 श्रम पुरस्कार प्राप्त किए।



श्री अशोक के. पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बीएचईएल वर्ष 2004-05 के लिए "कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता" के लिए माननीय प्रधानमंत्री से दिनांक 8 मार्च, 2007 को "समझौता ज्ञापन" पुरस्कार प्राप्त करते हुए



श्री अशोक के. पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बीएचईएल उपाध्यक्ष, योजना आयोग से "बिजनेस स्टैंडर्ड स्टार पब्लिक सेक्टर कंपनी पुरस्कार-2006" प्राप्त करते हुए

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का व्यवसाय और प्रचालन पर 43वाँ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हम अत्यंत प्रसन्न हैं।


वित्तीय परिणाम

| (रुपये करोड़ में) | 2006-07 | 2005-06 |
|--|----------|----------|
| (क) कुल कारोबार | 18738.95 | 14525.49 |
| (ख) मूल्यहास, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ | 4052.37 | 2869.03 |
| (ग) घटाएं: मूल्यहास | 272.97 | 245.93 |
| (घ) घटाएं: ब्याज एवं वित्तीय प्रभार | 43.33 | 58.75 |
| (ङ) कर-पूर्व लाभ | 3736.07 | 2564.35 |
| (च) घटाएं: करो के लिए प्रावधान (आस्थगित कर एवं अनुषंगी हितलाभ कर सहित) | 1321.37 | 885.19 |
| (छ) कर पश्चात निवल लाभ | 2414.70 | 1679.16 |
| (ज) जोड़ें: / (घटाएं) सांविधिक विनियोजन | 1.45 | 6.93 |
| (झ) वितरणयोग्य लाभ | 2416.15 | 1686.09 |
| (ञ) जोड़ें : विगत वर्ष से अग्रणीत शेष | 219.06 | 237.64 |
| (ट) विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष | 2635.21 | 1923.73 |
| क) बाण्ड परिशोधन प्रारक्षित निधि | - | 100.00 |
| ख) लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) | 599.66 | 354.90 |
| ग) कॉर्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश में शामिल) | 92.83 | 49.77 |
| घ) सामान्य प्रारक्षित निधि का अंतरण | 1500.00 | 1200.00 |
| (ठ) शेष को पी एवं एल खाते में अग्रणीत किया जाना है। | 442.72 | 219.06 |
| (ड) प्रति शेयर अर्जन (रु.) | 98.66 | 68.60 |
| (ढ) प्रति शेयर एनएवी (रु.) | 359.06 | 298.31 |
| (च) आर्थिक मूल्यवर्धन (रु. करोड़ में) | 1657 | 1079 |

वित्तीय विशेषताएं

चालू वर्ष के दौरान कुल कारोबार विगत वर्ष के 14525.49 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 18738.95 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् 29.01 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इसी प्रकार कर-पश्चात लाभ विगत वर्ष के 1679.16 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 2414.70 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् 43.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। लाभ में वृद्धि अधिकतम प्रचालन के कारण हुआ। कंपनी की निवल राशि वर्ष 2005-06 के 7301.38 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 8788.26 करोड़ रुपये हो गई अर्थात् 20.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एनएवी प्रतिशेयर वर्ष 2005-06 के 298.31 रुपये की तुलना में वर्ष 2006-07 में 359.06 रुपये हो गई। कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान परिपक्वता पर 500 करोड़ रुपये का बाण्ड भी छुड़ाया।

उत्पादकता अनुपात



बोनस शेयर एवं लाभांश इश्यु

निदेशक मंडल ने जनवरी, 2007 में कंपनी के शेयर होल्डरों के लिए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने हेतु सिफारिश की है। तदनुसार दिनांक 30 अप्रैल, 2007 को कंपनी के शेयर होल्डरों की एक विशेष सभा आयोजित की गई। शेयरहोल्डर्स प्राधिकृत शेयर पूंजी 325 करोड़ रुपये को 32.50 करोड़ रुपये 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर में बांटा गया, 2,000 करोड़ रुपये की राशि को 200 करोड़ रुपये 10 रुपये दर से प्रति इक्विटी शेयर में बढ़ोत्तरी को अनुमोदित किया तथा 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर अर्थात् प्रत्येक के लिए 10 रुपये की दर से एक बोनस शेयर, जो उनके द्वारा रिकॉर्ड तारीख को प्रत्येक के द्वारा 10 रुपये इक्विटी शेयर का अनुमोदन चुकाया गया। लिस्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के मौजूदा शेयर पूंजी सहित लाभांश के भुगतान के साथ-साथ बोनस शेयर रैंक होगी। रिकॉर्ड तिथि उन शेयर होल्डरों के नामों को सुनिश्चित करती है जो बोनस शेयर के लिए पात्र थे, वास्तविक रूप के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप दोनों 1 जून, 2007 को निर्धारित किया गया था। कंपनी के निदेशक मण्डल समिति ने उन सभी शेयर होल्डरों को 6 जून, 2007 को बोनस शेयर आवंटित किया है, जिनका नाम 1 जून, 2007 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर अथवा उनके डिपोजिटरी भागीदार सहित संबंधित लाभार्थी लेखों में थे।

बोर्ड ने वर्ष 2006-07 के लिए अंतिम लाभांश 60 रुपये की दर से 293.71 करोड़ रुपये, बढ़ी हुई दर पर चुकाई गई शेयर पूंजी के आधार पर, तदनुसार 1:1 बोनस मामले, जो पूर्व-बोनस इक्विटी शेयर पूंजी के 120 प्रतिशत के समकक्ष है, की सिफारिश की। शेयर पूंजी 244.76 करोड़ रुपये पर 305.95 करोड़ रुपये 125 प्रतिशत का अंतरिम लाभांश वर्ष 2006-07 के लिए पहले ही चुकाया जा चुका है। इस प्रकार वर्ष 2006-07 के लिए भुगतान किया गया कुल लाभांश विगत वर्ष में चुकाए गए 354.90 करोड़ रुपये की तुलना में 599.66 करोड़ रुपये है (लाभांश कर को छोड़कर)।

प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर के लिए 49.92 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 42.91 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान पहले ही अंतरिम लाभांश के रूप में किया गया है।

प्राप्त ऑर्डर

वर्ष के दौरान प्राप्त ऑर्डर वर्ष 2005-06 में 18938 करोड़ रुपये से 88.21% बढ़कर वर्ष 2006-07 में 35643 करोड़ रुपये के हो गए। बुक किए गए क्षेत्र-वार ऑर्डर निम्नानुसार हैं:

| (रुपये करोड़ में) | 2006-07 | 2005-06 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| विद्युत क्षेत्र | 27730 | 10862 |
| उद्योग क्षेत्र | 6010 | 4728 |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन | 1903 | 3348 |
| बुक किए गए कुल ऑर्डर | 35643 | 18938 |
| वर्ष के अंत में शेष ऑर्डर बुक | 55000 | 37600 |

समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों की तुलना में बीएचईएल का दर्जा निर्धारण

वर्ष 2005-2006 में बीएचईएल का निष्पादन भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में “उत्कृष्ट” आंका गया है। 2006-2007 के लिए दर्जा निर्धारण को सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण

प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण की रिपोर्ट अनुबंध-1 में दी गयी है।

निदेशक मंडल

नियुक्ति

श्री एन. गोकुलराम को दिनांक 25 जनवरी, 2007 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री बी.पी. राव को दिनांक 01 सितम्बर, 2007 से अपर निदेशक के रूप में निदेशक (आईएस एवं पी) का पद भार-ग्रहण करने हेतु नियुक्त किया गया।

श्री अनिल सचदेव को निदेशक (मानव संसाधन) का पद-भार ग्रहण करने के लिए दिनांक 1 सितम्बर, 2007 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

सेवा समाप्ति

श्री रामजी राय ने दिनांक 31 अगस्त, 2006 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर निदेशक (ईआरएण्डडी) का पदभार छोड़ा।

श्री रमन सिंह सिद्धू, जो दिनांक 4 जनवरी, 2006 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त थे, उन्होंने दिनांक 12 सितम्बर, 2006 से बीएचईएल के निदेशक मंडल से त्याग पत्र दिया।

श्री नरेश चतुर्वेदी दिनांक 25 जनवरी, 2007 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

श्री विनीत नैय्यर, जो दिनांक 1.3.2004 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त थे, 28 फरवरी, 2007 को कार्यकाल समाप्त होने के कारण कंपनी के निदेशक का पद छोड़ दिया।

श्री एस.के. जैन दिनांक 31 अगस्त, 2007 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर निदेशक (मानव संसाधन) का पद-भार छोड़ देंगे।

श्री ए.के. माथुर दिनांक 31 अगस्त, 2007 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर निदेशक (आईएस एवं पी) का कार्यालय छोड़ देंगे।

निदेशक मंडल सर्व/श्री रामजी राय, रमन सिंह सिद्धू, नरेश चतुर्वेदी और विनीत नैय्यर द्वारा उनके कार्यकाल में प्रदान की गई मूल्यांकन सेवाएं/परामर्श एवं दिशानिर्देशों की प्रशंसा करता है।

कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 67(iv) के अनुसरण में सर्व/श्री के. रविकुमार, निदेशक (पावर) सी.एस. वर्मा, निदेशक (वित्त) और संजय एम. दादलिका आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने पर पुनः नियुक्ति के लिए अपना नाम प्रस्तावित करेंगे।

सूचीकरण करार के खण्ड 49iv(छ)(i) के अनुपालन में नियुक्ति और पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, विशिष्ट कार्यालय क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति और उन कंपनियों, जिनमें वे निदेशक मंडल के निदेशक और सदस्य रहे हैं, के नाम निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुबंध-2 में दिए गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

- कंपनी के उपरोक्त विषय पर भारत सरकारी की नीतियों के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन पर बल देना जारी रखा है।
- वर्ष के दौरान संचालित कतिपय कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) ग क्षेत्र में कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, भारत सरकार के सहयोग से अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(ग) हिन्दी कार्यशाला आयोजित करना।

(घ) अंतर इकाई प्रतिस्पर्धा आदि आयोजित करना। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रति रूचि बढ़ाने तथा पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चालू वर्ष के दौरान हिन्दी पुस्तकों की खरीद में 4,85,000/- रुपये खर्च किया गया।

- भारी उद्योग मंत्रालय एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति ने 28 एवं 29 दिसम्बर, 2006 को हरिद्वार स्थित हमारे इकाई का निरीक्षण किया और राजभाषा कार्यान्वयन में इकाई द्वारा की जा रही प्रयासों की सराहना की।

- इसके अतिरिक्त हमारी विभिन्न इकाइयों द्वारा हिन्दी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। इडीपी बेंगलूर द्वारा ‘भेल दर्पण’ और पावर सेक्टर-पूर्वी क्षेत्र द्वारा प्रकाशित ‘पूर्वाभा’ को नगर रा.का.स. ने माया राम सुर्जन फाउंडेशन से पुरस्कार प्राप्त किये हैं। पूर्वाभा को भी टीओएलआईसी, कोलकाता से पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

- विभिन्न इकाइयों द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए।

क्षेत्र ‘ग’ में स्थिति तिरुची इकाई ने प्रथम पुरस्कार जीता। पावर सेक्टर-पूर्व क्षेत्र को ‘राजभाषा रत्न’ मिला। इडीएन, बेंगलूर ने सर्वाधिक पुरस्कार विजेता सम्मान जीता और आर.सी. पुरम हैदराबाद को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजभाषा ट्रॉफी से सम्मानित किया है।

कॉर्पोरेट कार्यालय सहित कंपनी की सभी इकाइयों में 14 सितम्बर, 2006 को हिन्दी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेता कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए। हमारी नोएडा टाउनशिप में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह हिन्दी में संचालित किए गए।

संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भागीदारी

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक की तरह बीएचईएल संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कॉम्पैक्ट कार्यक्रम पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई तथा कंपनी के अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर मानवधिकारों, श्रम मानकों, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांतों के लिए समर्थन देने और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा आरंभ ग्लोबल कॉम्पैक्ट कार्यक्रम में भाग लेने के कंपनी के निर्णय का अनुसरण करते हुए ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिद्धांतों से संबद्ध कार्यक्रमों पर अनेक पहल की जा चुकी है तथा वह अब कंपनी के कार्यनीति एवं प्रचालन स्तरीय कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बन चुका है।

चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्लोबल कॉम्पैक्ट कार्यक्रम की सहायता में किए गए योगदान के लिए विशिष्ट उपाधि प्राप्त की है, जब यूएनजीसी ने कंपनी के कार्यानिष्ठादन रिपोर्ट अर्थात्, उल्लेखनीय सूचना श्रेणी के अन्तर्गत प्रगति पर सूचना आदि प्रस्तुत की, तो पता चला कि 117 भारतीय संगठनों में से केवल 13 संगठन यूएनजीसी कार्यक्रम के प्रतिबद्ध पाए गए और विशिष्ट उपाधि के लिए पात्र बने।

पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए यूएनडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत बीएचईएल ने हरिद्वार संयंत्र में प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई) की स्थापना की है तथा तिरुची स्थित ओएचएस के लिए एक मॉडल केन्द्र है, जो कार्य वातावरण की मॉनिटरिंग, टॉक्सोलोजी, इगोबोमिक्स में विशेषज्ञता के साथ-साथ व्यापक स्तर पर व्यावसायिक सुविधाएं तथा भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकाधिक संख्या में उद्योगों हेतु ओएचएस का संगठन भी प्रदान करता है।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तिरुची स्थित बीएचईएल में व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं (ओएचएस) के लिए मॉडल केन्द्र ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया जब केन्द्रीय श्रम मंत्री ने अवसरंचना, सुविधाएं और संकाय का निरीक्षण करने के पश्चात संकटमय उद्योगों के साथ जुड़े चिकित्सकों के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य पर पी.जी. प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता दी।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए बीएचईएल ने व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली पर ओएचएसएस-18001 सहित पर्यावरण पर आईएसओ-14001 के लिए शेष अपने सभी इकाइयों को पुनः प्रमाणीकृत करने का कार्य पूरा किया।

बीएचईएल ने सतत् आधार पर दूर दराज/दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयासों हेतु योगदान दिया है। वर्ष के दौरान, 55 क्रेडब्ल्यूपी स्टेण्ड एलोन सोलर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत पश्चिम बंगाल नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी (डब्ल्यूबीआरईडीए) के लिए पठानकली में की गई। इसके साथ ही, बीएचईएल दूरस्थ गांवों में रहने वाले समुदाय को बिजली प्रदान करने के लिए सुन्दरवन/सागर द्वीप में विभिन्न रेटिंग के ऐसे छः संयंत्रों की आपूर्ति कर उन्हें स्थापित किया है।

समाज के वंचित और असुरक्षित वर्गों के कल्याण के लिए किए गए अनवरत प्रयासों को मान्यता देते हुए बीएचईएल के कर्मचारी श्री खालीद जहीर को महामहिम राष्ट्रपति ने देश के सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।

कंपनी को सामाजिक चेतना संगठन के रूप में पहचाना जाता है और अपने संयंत्रों एवं अगल-बगल क्षेत्रों में सामुदायिक विकास और अन्य उपायों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा है। इसके एक भाग के रूप में, कंपनी द्वारा अपनाई गई 56 गांवों में विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाएं संचालित की गई हैं। इन गांवों में 80,000 निवासी रहते हैं। इन गांवों में अवसरंचना सहायता प्रदान करने के साथ-साथ रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच जैसे कार्यक्रमों का भी संचालित किए जाते हैं।

सतर्कता

कंपनी के सतर्कता ढांचे के प्रमुख सतर्कता अधिकारी है। बीएचईएल के प्रत्येक इकाई/क्षेत्र में सतर्कता विभागों के प्रमुख वरिष्ठ सतर्कता कार्यकारी होते हैं जो मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं।

पूर्व वर्षों की तरह 2006-07 के दौरान बीएचईएल की सतर्कता का ध्यान निवारक सतर्कता पर केंद्रित क्षेत्र था। इसके लिए संगठन के कर्मचारियों में नियमों और कार्यविधियों की ओर जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों, क्षेत्र और कार्यालयों में वर्ष 2006-07 के दौरान ऐसे 46 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष 2006-07 के दौरान सभी यूनिटों/क्षेत्रों के सतर्कता प्रमुखों ने प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए प्रणाली अध्ययन किया है। सतर्कता जागरूकता बढ़ाने और कंपनी के नियमों, कार्यविधियों तथा नीतियों की जानकारी देने के लिए विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालकों के साथ सहक्रियात्मक सत्र भी आयोजित किए गए।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुरूप कंपनी के प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ परस्पर कार्य की अपेक्षा वाले क्षेत्रों में पारदर्शिता के उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। इन उपायों में से कुछ में कंपनी की वेबसाइट पर निविदा के व्यौरे रखना, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वैयक्तिक और विक्रेताओं का भुगतान करना तथा संपत्ति विवरणी का कम्प्यूटरीकरण शामिल है।

सतर्कता पहलों में एक वेब आधारित प्रोपर्टी रिटर्न प्रणाली विकसित की गई है जो कॉर्पोरेट एचआर और पासवर्ड द्वारा होस्टेड है, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए इकाई के मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता प्रमुख को जारी किया गया।

सुरक्षा

कंपनी, उसके संयंत्रों, संस्थापनाओं और कार्यालयों की सुरक्षा का प्रबन्ध केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), कंपनी की स्वयं अपनी सुरक्षा और निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किया जाता है जबकि अन्य इकाइयों, कॉर्पोरेट कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी डीजीआर द्वारा प्रयोजित इटीएस जैसे निजी एजेंसियों को सौंपी गई है।

बड़े संयंत्रों की सुरक्षा लेखापरीक्षा समय-समय पर आसूचना ब्यूरो द्वारा की जा रही है। अतिरिक्त अपेक्षाएँ, जब कभी उनके द्वारा पहचान की जाती हैं, तब संबंधित इकाई द्वारा तत्काल अनुपालन किया जाता है। सुरक्षा की समीक्षा की समय-समय पर आंतरिक रूप से की जाती है।

प्रबन्धन, सुरक्षा कर्मचारी और कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के प्रति सुग्राही है।

निदेशकों के दायित्व पूर्ण अभिकथन

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क क) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:

- (i) 31 मार्च, 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय वास्तविक विचलन से संबंधित समुचित व्याख्या के साथ-साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया।
- (ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियाँ तैयार की हैं और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं, जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 के अंत में कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ और हानि का सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर सकें।
- (iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखा का समुचित रिकॉर्ड रखे जाने पर उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया।
- (iv) निदेशकों ने “गोइंग कन्सर्न” आधार पर 31 मार्च, 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किया है।

कॉर्पोरेट अभिशासन

सूचीकरण करार के खंड 49 की अपेक्षा अनुसार निम्नलिखित के साथ कॉर्पोरेट अभिशासन की विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध-4 में दिया गया है।

- (i) सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र [खण्ड 49(V) के अनुसार] और
- (ii) कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र [खण्ड 49(VII) के अनुसार]

अन्य सूचनाएँ

ऊर्जा के संरक्षण प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय से संबंधित कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्यौरो का प्रकटन) नियम, 1998 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ड.) के उपबंधों के अनुसार सूचना अनुबंध-4 में दी गयी है।

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरो) नियम, 1975 के साथ पठित अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अधीन विहित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है।

लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। वर्ष 2006-2007 के लिए नियुक्त लेखापरीक्षकों के नाम वार्षिक रिपोर्ट में अलग से मुद्रित हैं।


लेखापरीक्षक रिपोर्ट में उल्लिखित मुद्दों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर अनुबंध-3 में दिए गए हैं।

आभार

निदेशक मंडल कंपनी के बहुमूल्य भारतीय और विदेशी ग्राहकों को संगठन के प्रति उनके सहयोग एवं विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है और भविष्य में आपस में सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने की आशा करता है।

निदेशक मंडल कंपनी के प्रचालन और विकास संबंधी योजनाओं में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषतः भारी उद्योग विभाग से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रकट करता है। निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और शाखा लेखापरीक्षकों को भी हार्दिक धन्यवाद देता है। कंपनी सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निरंतर सहयोग और वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करती है। निदेशक मंडल बीएचईएल परिवार के सभी सदस्यों को भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता है, जिनके उत्साह, समर्पण और सहयोग से उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन संभव हो सका।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से



अशोक के. पुरी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई, 2007

प्रबन्धन चर्चा और विश्लेषण

क. वित्तीय प्रचालन

कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का विश्लेषण

1. शेयर पूंजी

| | आंकड़े रुपए करोड़ में | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| प्राधिकृत शेयर पूंजी | 325.00 | 325.00 |
| जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी | 244.76 | 244.76 |

हमारी प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रत्येक 10/- रुपए के 32.50 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर में विभाजित 325 करोड़ रुपए है। जारी, अभिदत्त और चुकता शेयरपूंजी पूर्णतः चुकता प्रत्येक 10/- रुपए के 24.47 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों में विभाजित 244.76 करोड़ रुपए है, जिसमें से 7.41 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर नकद के अतिरिक्त अन्य विचारार्थ आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।


जनवरी, 2007 में निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिशों की दिनांक 30 अप्रैल, 2007 को आयोजित कंपनी के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों ने प्रति इक्विटी शेयर 10/- रुपए के अंकित मूल्य की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 325 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करने और शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का अनुमोदन किया। उन शेयरधारकों, जिनका नाम दिनांक 1 जून, 2007 की यथास्थिति सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज था, उन्हें दिनांक 6 जून, 2007 को बोनस शेयर आवंटित किए गए। उपरोक्त के फलस्वरूप, चुकता शेयर पूंजी दिनांक 1 जून, 2007 को 489.52 करोड़ रुपए है।

2. प्रारक्षित निधि और अधिशेष

| | आंकड़े रुपए करोड़ में | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| पूंजी प्रारक्षित निधि | 2.75 | 2.75 |
| विदेशी परियोजना प्रारक्षित निधि | 3.57 | 5.02 |
| बाण्ड परिशोधन प्रारक्षित निधि | 0.00 | 500.00 |
| सामान्य प्रारक्षित निधि | 8094.46 | 6329.79 |
| लाभ और हानि लेखा | 442.72 | 219.06 |
| | 8543.50 | 7056.62 |

दिनांक 31.03.2007 की यथास्थिति प्रारक्षित निधि और अधिशेष में परिवर्तन (i) विदेशी परियोजना प्रारक्षित निधि से 1.45 करोड़ रुपए के लाभ और हानि लेखे में अंतरण (ii) बाण्ड परिशोधन प्रारक्षित निधि के 500 करोड़ रुपए का बाण्ड की परिपक्वता पर बाण्ड के परिशोधन पर सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरण (iii) लेखाकरण मानक-15 (संशोधित) कर्मचारी लाभ) के परिवर्ती प्रावधानों के फलस्वरूप 235.33 करोड़ रुपए का सामान्य प्रारक्षित निधि में समायोजन और (iv) 1500 करोड़ रुपए की राशि लाभ और हानि लेखे से सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित किए जाने के कारण था।

ऋण इक्विटी अनुपात



3. ऋण निधियां

| | आंकड़े रुपए करोड़ में | |
|------------|-----------------------|---------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| रक्षित ऋण | 0.00 | 500.00 |
| अरक्षित ऋण | 89.33 | 58.24 |

वर्ष के दौरान बांड के रूप में 500 करोड़ के रक्षित ऋण चुकाए गए और परिपक्वता पर उनकी अदायगी की गई। अरक्षित ऋण लीज पर ली गई परिसम्पत्तियों को दर्शाता है।

4. स्थायी परिसंपत्तियां

| | आंकड़े रुपए करोड़ में | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| सकल ब्लॉक | 4135.05 | 3822.06 |
| घटाएं: मूल्यह्रास / परिशोधन | 3117.05 | 2852.76 |
| जोड़ें/(घटाएं): पट्टा समायोजना लेखा | -29.26 | 12.98 |
| निवल ब्लॉक | 988.74 | 982.28 |
| चालू पूंजीगत निर्माण कार्य | 302.54 | 184.57 |

वर्ष के दौरान विभिन्न विनिर्माण यूनिटों में चालू क्षमता वृद्धि कार्यक्रम और परियोजना कार्यस्थलों में इरेक्शन और चालू करने की सुविधाओं पर किए गए पूंजीगत व्यय के कारण सकल ब्लॉक और चालू पूंजीगत निर्माण कार्य में क्रमशः 312.99 करोड़ रुपए और 117.97 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

5. निवेश

| | आंकड़े रुपए करोड़ में | |
|--------------------------|-----------------------|---------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| दीर्घावधिक व्यापार निवेश | 8.29 | 8.29 |

वर्ष के दौरान निवेशों में कोई परिवर्तन नहीं था।

6. आस्थगित कर आस्तियां

आंकड़े करोड़ रुपए में

| | 2006-07 | 2005-06 |
|---------------------|---------|---------|
| आस्थगित कर आस्तियां | 935.16 | 673.72 |

दिनांक 31.03.2007 की यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियां 261.44 करोड़ रुपए से बढ़कर 935.16 करोड़ रुपए हो गई हैं। यह वृद्धि मुख्यतः लेखाकरण मानक-15 (संशोधित) कर्मचारी लाभ के कारण अतिरिक्त प्रावधान सहित व्यय की कतिपय श्रेणियों के लिए समय भिन्नता के कारण है।

7. मालसूचियां

आंकड़े करोड़ रुपए में

| | 2006-07 | 2005-06 |
|------------|---------|---------|
| मालसूचियां | 4217.67 | 3744.37 |

प्रचालनों की मात्रा में वृद्धि के अनुरूप मालसूची पिछले वर्ष की तुलना में 473.30 करोड़ रुपए अथवा 12.64% बढ़ गई। कुल कारोबार के दिनों के रूप में यह वर्ष 2005-06 में 94 दिनों से घटकर 2006-07 में 82 दिन हो गई है।

8. विविध देनदार

आंकड़े करोड़ रुपए में

| | 2006-07 | 2005-06 |
|--------------|---------|---------|
| विविध देनदार | 9695.82 | 7168.07 |

संपूर्ण रूप में देनदार में मुख्यतः कुल कारोबार में वृद्धि के कारण 2527.25 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। कुल कारोबार के दिन के रूप में यह वर्ष 2005-06 में 180 दिनों से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 189 दिन हो गए हैं।

9. नकद और बैंक शेष

आंकड़े करोड़ रुपए में

| | 2006-07 | 2005-06 |
|-----------------|---------|---------|
| नकद और बैंक शेष | 5808.91 | 4133.97 |

नकद और नकद समतुल्य वर्ष 2005-06 में 4133.97 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 5808.91 करोड़ रुपए हो गए, जो कंपनी की सुदृढ़ नकदी स्थिति प्रदर्शित करता है।

10. ऋण और अग्रिम तथा अन्य चालू परिसंपत्तियां

आंकड़े करोड़ रुपए में


| | 2006-07 | 2005-06 |
|-------------------------|---------|---------|
| ऋण और अग्रिम | 1140.87 | 1199.87 |
| अन्य चालू परिसंपत्तियां | 199.70 | 84.50 |

ऋण और अग्रिमों में 59 करोड़ रुपए की कमी हो गई है। अन्य चालू परिसंपत्तियां बैंक जमाओं और निवेशों पर उपार्जित ब्याज प्रदर्शित करती हैं।

11. चालू देयताएं और प्रावधान

आंकड़े करोड़ रुपए में

| | 2006-07 | 2005-06 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| चालू देयताएं | 11897.87 | 8807.74 |
| प्रावधान | 2522.24 | 1512.28 |
| | 14420.11 | 10320.02 |



चालू देयताओं में वृद्धि ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों में 2096.38 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण है।

प्रावधान में वृद्धि मुख्यतः सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभों में वृद्धि और एएस-15(सं.) के परिवर्ती प्रावधानों के कारण भी है।

12. कुल कारोबार

आंकड़े करोड़ रुपए में

| | 2006-07 | 2005-06 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| सकल कुल कारोबार | 18738.95 | 14525.49 |
| घटाएं : उत्पाद शुल्क और सेवाकर | 1501.42 | 1151.46 |
| | 17237.53 | 13374.03 |

कुल कारोबार वर्ष के दौरान 29.01% बढ़ गया। कंपनी के कुल राजस्व में विद्युत क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र ने क्रमशः 73.56% और 26.44% का अंशदान किया।

13. अन्य आय

आंकड़े करोड़ रुपए में

| | 2006-07 | 2005-06 |
|----------------------|---------------|---------------|
| अन्य प्रचालनात्मक आय | 376.80 | 276.90 |
| विविध/अन्य आय | 128.59 | 109.77 |
| ब्याज आय | 318.17 | 160.25 |
| | 823.56 | 546.92 |

वृद्धि अतिरिक्त ब्याज आय और निर्यात प्रोत्साहन स्क्रेप आदि जैसी अन्य प्रचालनात्मक आय के कारण है।

14. सामग्री की खपत, इरेक्शन और इंजीनियरी व्यय

आंकड़े करोड़ रुपए में

| | 2006-07 | 2005-06 |
|----------------|----------|---------|
| सामग्री की खपत | | |
| इरेक्शन और | | |
| इंजीनियरी व्यय | 10181.86 | 8146.52 |

सामग्री की खपत, इरेक्शन और इंजीनियरी व्यय में 2035.34 करोड़ रुपए अथवा 24.98% की वृद्धि कुल कारोबार/प्रचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण हुई थी।

15. कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ

| | आंकड़े करोड़ रुपए में | |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ | 2368.95 | 1878.51 |

कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान 490.44 करोड़ रुपए अथवा 26.11% की वृद्धि हुई। सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त, एएस-15 (सं.) के कार्यान्वयन के कारण कर्मचारियों के कतिपय लाभों के लेखाकरण की विधि में परिवर्तन ने भी वृद्धि में योगदान दिया। इसमें हमारी भोपाल यूनिट की स्वर्ण जयंती उत्सव मनाने के लिए कर्मचारियों को स्मृति चिह्न के वितरण पर हुआ व्यय भी शामिल है।

16. विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण के अन्य व्यय

| | आंकड़े करोड़ रुपए में | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण | 1496.11 | 1170.05 |

वृद्धि प्रचालन की मात्रा में वृद्धि के अनुरूप है।

17. प्रावधान

| | आंकड़े रुपए करोड़ में | |
|-----------------|-----------------------|---------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| प्रावधान (निवल) | 171.86 | 282.75 |

वर्ष 2006-07 में प्रावधान (निवल) में कमी विवादों के समाधान, बट्टे खाते डालने आदि के कारण प्रावधानों की वापसी का उच्चतर स्तर प्रदर्शित करती है।

18. ब्याज और अन्य उधार लेने की लागत

| | आंकड़े करोड़ रुपए में | |
|---------------------------------|-----------------------|---------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| ब्याज और अन्य उधार लेने की लागत | 43.33 | 58.75 |

ब्याज लागत में कमी नवम्बर, 2006 में परिपक्वता पर बाण्डों की वापसी-अदायगी की कारण थी।

19. मूल्यह्रास

| | आंकड़े करोड़ रुपए में | |
|------------|-----------------------|---------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| मूल्यह्रास | 272.97 | 245.93 |

मूल्यह्रास में 27.04 करोड़ रुपए की वृद्धि पूंजीगत निवेशों में हुई वृद्धि के कारण थी।

20. कराधान के लिए प्रावधान

| | आंकड़े करोड़ रुपए में | |
|---------------|-----------------------|---------------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| आय कर | 1421.00 | 1019.05 |
| - चालू वर्ष | | |
| - पूर्व वर्ष | 14.30 | 3.58 |
| आस्थगित कर | (-)162.93 | (-)155.44 |
| सीमांत लाभ कर | 49.00 | 18.00 |
| | 1321.37 | 885.19 |

कर देयता आय कर के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है। आयकर में वृद्धि के लिए कर योग्य लाभ में वृद्धि के कारण थी। वर्ष 2006-07 में प्रभावी कर दर वर्ष 2005-06 में 39.74% की तुलना में 38.03% थी।

सीमांत लाभ कर में वृद्धि कतिपय कर्मचारी लाभों में वृद्धि के कारण हुई थी।

21. कर-पश्चात निवल लाभ

| | आंकड़े रुपए करोड़ में | |
|---------------|-----------------------|---------|
| | 2006-07 | 2005-06 |
| कर-पश्चात लाभ | 2414.70 | 1679.16 |

वर्ष के लिए निवल लाभ में 735.54 करोड़ रुपए अथवा 43.80% की वृद्धि हुई।

22. लाभांश

कंपनी ने वर्ष 2006-07 के दौरान 244.76 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी पर 125%, 305.95 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश अदा किया है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2006-07 के लिए 120% के समतुल्य बोनस-पूर्व इक्विटी शेयर पूंजी पर 1:1 बोनस निर्गम के फलस्वरूप वर्धित चुकता शेयर पूंजी पर 60% अर्थात् 293.71 करोड़ रुपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

वर्ष 2006-07 के लिए लाभांश का कुल भुगतान पिछले वर्ष में 354.90 करोड़ रुपए की तुलना में 599.66 करोड़ रुपए (लाभांश कर को छोड़कर) है।

प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर के लिए 49.92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अंतरिम लाभांश पर 42.91 करोड़ रुपए का कारपोरेट लाभांश कर अदा किया जा चुका है।

23. सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरण

वर्ष 2005-06 में 1200 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2006-07 के लिए सामान्य प्रारक्षित निधि को 1500 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं।

विद्युत क्षेत्र



बीएचईएल के देश में निर्मित पहले 500 मेगावाट के थर्मल सेट ने एनटीपीसी के सिंगरौली एसटीपीएस में सफल प्रचालन के 20 वर्ष पूरे किए

ख. व्यवसाय खण्ड का कार्यनिष्पादन

पावर सेक्टर

पावर सेक्टर ने 9724 मेगावाट के विद्युत उत्पादन उपस्करों की आपूर्ति और संस्थापना तथा साथ ही अतिरिक्त पुर्जों और सेवाओं की आपूर्ति के लिए 27730 करोड़ रुपए मूल्य के ऑर्डर बुक किए। यह किसी वित्तीय वर्ष में वित्तीय और वास्तविक रूप में विद्युत क्षेत्र द्वारा बुक किया गया अब तक का अधिकतम ऑर्डर है।

उपर्युक्त में 500 मेगावाट के 12 सेट और 195/250 मेगावाट के 12 सेट की आपूर्ति और संस्थापना तथा अतिरिक्त पुर्जों और सेवा व्यवसाय के लिए 3218 करोड़ रुपए के ऑर्डर शामिल हैं, जो वित्तीय और वास्तविक रूप में किसी वित्तीय वर्ष में अब तक का अधिकतम है।

मुख्य उपस्करों के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर निम्नलिखित हैं:

कोयला (8925 मेगावाट)

(क) टर्नकी ऑर्डर

- दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) 2x500 मेगावाट मेजिया चरण-II
- कोलकाता विद्युत आपूर्ति कंपनी (सीईएससी) का 1x500 मेगावाट बज-बज यूनिट-3 (चिमनी और स्विचयार्ड रहित सिविल)
- पश्चिम बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीएसएल) का 1x250 मेगावाट संधालडीह

(ख) ईपीसी ऑर्डर

- कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) का 1x500 मेगावाट बेल्लारी यूनिट-2

(ग) विद्युत संयंत्र पैकेज

- एनटीपीसी लिमिटेड का 2x490 मेगावाट एनटीपीसी चरण-II 1x500 मेगावाट फरक्का, चरण-III और 2x500 मेगावाट सिम्हाद्रि
- महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एमएसपी जीएसएल) के प्रत्येक 250 मेगावाट के न्यूरली और पारस विस्तार (इलेक्ट्रिकल्स के साथ बीटीजी)
- एमसीपीजीसीएल का 1x500 मेगावाट खापरखेड़ा विस्तार और 2x500 मेगावाट भुसावल विस्तार (इलेक्ट्रिकल्स के साथ बीटीजी)
- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम (यूपीआरवीयूएन) का 2x500 मेगावाट परीछा विस्तार और 2x500 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार (सिविल सहित)
- केपीसीएल का 1x250 मेगावाट रायचूर

- टाटा पावर कंपनी का 1x250 मेगावाट ट्रॉम्बे
- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) का 1x250 मेगावाट सूरतगढ़ और 1x195 मेगावाट कोटा
- आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन (एपीजेनको) का 1x500 मेगावाट कोटगुंडम चरण-VI

अन्य थर्मल ऑर्डर :

उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष के दौरान रत्नागिरी गैस खण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीसीएल) के ब्लॉक-II (740 मेगावाट) को पुनः प्रारंभ करने के लिए ऑर्डर प्राप्त किया गया था।

हाइड्रो (189 मेगावाट के पम्प मोटर सेट को छोड़कर 799 मेगावाट)

- नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) का 4x130 मेगावाट पर्वती-III
- एपीजेनको का 2x25 मेगावाट नागार्जुनसागर टीपी बांध, 1x9 मेगावाट पोचमपेड और 4x30 मेगावाट पुली चिंताला।
- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईवी) का 3x33.3 मेगावाट यूएचएल-III

अन्य हाइड्रो ऑर्डर: (सिंचाई नहर लिफ्ट प्रणाली के लिए पम्प मोटर सेट)

- गेमन इंडिया से 5x30 मेगावाट कलवाकुर्थी चरण-III पम्प-मोटर सेट
- आंध्र प्रदेश सिंचाई विभाग की सिंचाई योजनाओं के लिए आईवीआर सीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से 4x7.5 मेगावाट कोयल सागर चरण-I और II के लिए पम्प-मोटर सेट

स्पेर्स एण्ड सर्विसेज बिजनेस ग्रुप (एसएसबीजी)

प्रचालन और अनुरक्षण के अतिरिक्त पुर्जों तथा नवीकरण और आधुनिकीकरण के उपस्करों की आपूर्ति के लिए 2834 करोड़ रुपए मूल्य के ऑर्डर तथा साथ ही पीपीआईबी सहित सेवा निर्माणकार्यों के लिए 384 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त किए गए हैं। यह एसएसएस क्षेत्र में किसी एक वर्ष में प्राप्त अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है।

संयंत्र कार्यनिष्पादन सुधार और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण ऑर्डर

वर्ष के दौरान प्रत्येक 200 मेगावाट से 216 मेगावाट वाले ओबरा की 5 यूनिटों की रेटिंग बढ़ाने, प्रत्येक 110 मेगावाट से 120 मेगावाट तक के भंदिडा टीपीएस की 2 यूनिटों, प्रत्येक 50 मेगावाट से 55 मेगावाट तक की रिहंद एचईपी की 5 यूनिटों के लिए संयंत्र कार्यनिष्पादन सुधार (पीपीआई) के ऑर्डर प्राप्त किए गए।

प्रत्येक 200 मेगावाट से 216 मेगावाट तक के ओबरा की 5 यूनिटों की रेटिंग बढ़ाने के लिए ऑर्डर ने केवल देश में नवीकरण और आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा बल्कि 200 मेगावाट के सेटों की रेटिंग बढ़ाने के लिए पहला ऑर्डर था।

वर्ष के दौरान गांधीनगर टीपीएस में 2x120 मेगावाट की यूनिटों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ऑर्डर भी प्राप्त किया गया।



भारत का सबसे बड़ा विद्युत स्टेशन 3,200 मेगावाट विंध्याचल एसटीपीएस बीएचईएल के प्रत्येक 500 मेगावाट के 4 सेटों से सज्जित है।

कमीशनिंग

पावर सेक्टर ने देश और विदेश में वर्ष के दौरान कुल 7593 मेगावाट के रिकॉर्ड 49 सेट चालू किए। इसमें कुल 4041 मेगावाट के 20 घरेलू बीएचईएल के यूटीलिटी सेट शामिल हैं। इसके साथ ही, बीएचईएल निर्मित सेटों का हिस्सा 80781 मेगावाट हो गया, जो देश की कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 65% है। वर्ष के दौरान चालू किए गए थर्मल सेट उत्तर प्रदेश में परीछा-4 (210 मेगावाट) और ऊँचाहार-5 (210 मेगावाट), मध्यप्रदेश में विंध्याचल-9 और 10 (2x500 मेगावाट), छत्तीसगढ़ में कोरबा (पूर्व)-1 (250 मेगावाट), आंध्र प्रदेश में रायल सीमा-3 (210 मेगावाट), महाराष्ट्र में परली-1 (250 मेगावाट) और एक न्यूक्लियर सेट टीएपीपी-3 (540 मेगावाट), राजस्थान में गिराल (125 मेगावाट) और धौलपुर जीटी-1 (110 मेगावाट), पश्चिम बंगाल में मेजिया-5 (250 मेगावाट) और बिहार में कहलगांव-5 (500 मेगावाट) थे। हाइड्रो सेट नामतः हिमाचल प्रदेश में लरजी एचईपी (3x42 मेगावाट), मध्यप्रदेश में बानसागर एचईपी (2x10 मेगावाट) और माधीखोड़ा एचईपी (2x20 मेगावाट) और गुजरात में सरदार सरोवर-6 एचईपी (200 मेगावाट) भी चालू किए गए थे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बीएचईएल ने विदेश में लीबिया में वेस्टर्न माउन्टेन में गैस आधारित (2x156 मेगावाट) के सेट और भूटान में ताला में प्रत्येक 170 मेगावाट के 6 हाइड्रो सेट अर्थात् कुल 1332 मेगावाट के 8 सेट चालू किए। वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र द्वारा 480 मेगावाट के 14 औद्योगिक सेट चालू किए गए। बीएचईएल ने गैर-बीएचईएल निर्मित 7 सेट अर्थात् रत्नागिरी ब्लॉक-II (740 मेगावाट) और टिहरी हाइड्रो संयंत्र में प्रत्येक 250 मेगावाट के 4 सेट भी उत्थापित और चालू किए हैं।

बीएचईएल के यूटीलिटी सेटों का कार्यनिष्पादन

वर्ष के दौरान बीएचईएल के थर्मल सेटों का कार्यनिष्पादन अब तक का सर्वोत्तम और राष्ट्रीय औसत से बेहतर था:

- बीएचईएल के थर्मल सेटों ने अब तक का उच्चतम 78.3% का संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) प्राप्त किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.4% और 76.8% के राष्ट्रीय औसत से 1.5% अधिक था।




पिछले 6 वर्षों से अप्रचालनीय, 740 मेगावाट रत्नागिरी ब्लॉक-II (दाभोल) बीएचईएल द्वारा चालू किया गया।

- बीएचईएल के 195/200/210/250 और 500 मेगावाट के थर्मल सेटों, जो देश के ताप विद्युत उत्पादन का संयुक्त रूप से मेरूदंड निर्मित करते हैं, ने शीर्ष कार्यनिष्पादन के साथ 33635 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया और अब तक का उच्चतम 83.5% पीएलएफ प्राप्त किया। इन सेटों की 88.7% की प्रचालन उपलब्धता भी अब तक का उच्चतम थी।
- बीएचईएल के 500 मेगावाट और 250 मेगावाट के थर्मल सेटों ने वर्ष के दौरान अब तक के उच्चतम 83.9% और 92% का पीएलएफ दर्ज किया।
- बीएचईएल द्वारा आपूरित 184 थर्मल सेटों (बीएचईएल द्वारा देश में आपूरित कुल सेटों का 65%) ने 70% से अधिक पीएलएफ प्राप्त किया। इनमें से 77 सेटों ने 90% से अधिक, 62 सेटों ने 80% से 90% के बीच और 45 सेटों ने 70% से 80% के बीच का पीएलएफ दर्ज किया।
- 6 थर्मल सेटों ने 100% से अधिक का पीएलएफ प्राप्त किया; दहानु-2, विंध्याचल-8, साबरमती विस्तार-1, कोरबा एसटीपीएस-4, ऊँचाहार-2, दादरी-4
- बीएचईएल के कोयला सेटों ने 84.7% की प्रचालन उपलब्धता दर्ज की।
- बीएचईएल निर्मित 124 थर्मल सेटों ने 90% से अधिक अथवा इसके बराबर प्रचालन उपलब्धता प्राप्त की। 4 सेटों की प्रचालन उपलब्धता 100% थी।
- बीएचईएल के 151 थर्मल सेटों ने वर्ष के दौरान 90 दिनों से अधिक का अबाधित प्रचालन किया, जिनमें से:
 - 44 सेट दो बार लगातार 90 दिनों से अधिक चले
 - 30 सेट लगातार 200 दिनों से अधिक चले
 - तालचर 3 (500 मेगावाट) और विंध्याचल 8 (500 मेगावाट) बिना रूके लगातार एक वर्ष चले।


स्थापित उत्पादन क्षमता

अखिल भारतीय की तुलना में बीएचईएल (मेगावाट)



उत्पादन कोयला सेट (यूटिलिटी)



मिलियन यूनिटों में



बीएचईएल ने अबाधित विद्युत आपूर्ति और विद्युत संयंत्रों को अच्छी चालन दिशा में रखना सुविधाजनक बनाने के लिए लक्षित सक्षम ग्राहक सेवा प्रदान करने का प्रयास जारी रखा। वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र ने विभिन्न उत्पादों अर्थात् बॉयलर, टीजी और सहायक उपकरणों को

शामिल करते हुए 3 गैर-बीएचईएल सेटों सहित 126 थर्मल यूटिलिटी और औद्योगिकी सेटों की पूर्ण मरम्मत की। वर्ष के दौरान 29 हाइड्रो सेटों की भी पूर्ण मरम्मत की गई।

उद्योग क्षेत्र



उद्योग क्षेत्र ने पिछले वर्ष दर्ज किए 4728 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2006-07 में अब तक का सर्वाधिक 6010 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक किया।

■ **कैपिटल विद्युत संयंत्रों के लिए मुख्य ऑर्डरों में निम्नलिखित शामिल है:**

- भारत ओमान रिफाइनरी, बीना (मध्य प्रदेश) से एलएसटी के आधार पर 99 मेगावाट सीपीपी, जो सीपीपी समूह द्वारा प्राप्त एकल सबसे बड़ा ऑर्डर है। भारत में यह पहली बार है कि 100% पेटकोक पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। बीएचईएल अब इस प्रतिष्ठित ऑर्डर को प्राप्त करके 100% पेटकोक प्रज्वलित सीएफबीसी बॉयलरों की इंजीनियरी और आपूर्ति की दक्षता से दो अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ एक गौरवान्वित सदस्य बन गया है।
- बोंगाईगांव रिफाइनरी के लिए एफआर 5 गैस टर्बाइन और 80 टीपीएच एचआरएसजी वाला 21 मेगावाट सह-उत्पादन संयंत्र
- पश्चिम बंगाल में आईओसीएल के हल्दिया रिफाइनरी फेज-III के लिए एलएसटीके के आधार पर 1xएफआर 5 जीटीजी आधारित सह-उत्पादन संयंत्र
- राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से 1x80 मेगावाट बीटीजी पैकेज
- हजीरा, गुजरात में एस्सार ग्रुप से एफआर 9ई जीटीजी सेट
- आईओसीएल, पानीपत में एलएण्डटी के लिए सीपीपी हेतु 3x36.8 मेगावाट एसटीजी
- टाटा पावर कंपनी लिमिटेड से टाटा जोजोबेड़ा यूनिट 5 के लिए 1x120 मेगावाट बीटीजी सेट और जमशेदपुर में टिस्को के फेज 5 विस्तार के लिए 1x120 मेगावाट एसटीजी
- जयप्रकाश इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए उनके उत्तर प्रदेश में चुनार संयंत्र हेतु 1x150 टीपीएच एएफबीसी बॉयलर
- गुजरात में श्रीराम एल्कलीज एण्ड केमिकल्स के लिए 1x48 मेगावाट एसटीजी सेट
- उड़ीसा में एसीसी लिमिटेड, बारगढ़ के लिए 2x15 मेगावाट एसटीजी सेट
- गुजरात में गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड, अम्बुजानगर के लिए 135 टीपीएच सीएफबीसी बॉयलर
- उत्तर प्रदेश में अपने डल्ला सीमेंट संयंत्र के लिए जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड के लिए 1x125 टीपीएच एएफबीसी बॉयलर
- कर्नाटक में एसीसी लिमिटेड, वाडी के लिए 1x25 मेगावाट एसटीजी सेट
- क्रिसेट पावर लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के लिए थर्मैक्स लिमिटेड हेतु 1x40 मेगावाट एसटीजी सेट

■ **परिवहन व्यवसाय**

प्राप्त मुख्य ऑर्डर निम्नानुसार हैं:

- 3-फेज 6000 एचपी इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक्स
- ईएमयू/एमईएमयू के लिए ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक्स के 91 सेट
- डीजल-इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक्स
- 17 शॉटिंग इंजन

■ **औद्योगिक उत्पाद व्यवसाय**

प्राप्त मुख्य ऑर्डर निम्नानुसार हैं:

- औद्योगिक उत्पाद (विद्युतीय)

- अब तक के सबसे बड़े 1301 मोटरों का ऑर्डर बुक किया गया। इसमें ग्रासिम, जेपी, एसीसी, जीएसीएल आदि जैसे प्रमुख सीमेंट विनिर्माताओं से एचटी मोटरों और रिफाइनरियों के लिए विशेष बड़े आकार के धीमी गति वाले दाबकृत तुल्यकालिक मोटर (3450 केडब्ल्यू/1.8पी) शामिल हैं।
- नया एच कपैक्ट सीरीज ऊर्जा सक्षम एचटी मोटर प्रारंभ किए गए। 25 ऑर्डर प्राप्त किए गए और भोपाल द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया।
- औद्योगिक उत्पाद (यांत्रिक)
- मध्य प्रदेश में बीना में भारत-ओमान रिफाइनरी से पुनः चक्रण गैस कंप्रेसर के लिए ऑर्डर
- मैसर्स पुंज लॉयड के माध्यम से आईओसीएल, हल्दिया से बीसीएल 406बी+एसटी पुनः चक्रण गैस कंप्रेसर के लिए ऑर्डर
- वेल हेड्स और क्रिस्मस ट्री वाल्व के लिए अब तक का सर्वाधिक ऑर्डर

■ **ट्रांसमिशन व्यवसाय**

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रतिस्पर्धा के समक्ष प्राप्त किए गए मुख्य ऑर्डर निम्नलिखित हैं:

- पावरग्रिड से +/-500 केवी 2500 मेगावाट बलिया-भिवाडी एचवीडीसी परियोजना के लिए ऑर्डर प्राप्त किया।
- ईएचवी सब-स्टेशनों/स्विचयार्ड के लिए मुख्य ऑर्डर:
 - पीजीसीआईएल से 400/220 केवी वर्धा सब-स्टेशन (नया) और सीपत चरण-II पूरक ट्रांसमिशन प्रणाली के अधीन सिडनी, अकोला और औरंगाबाद में 400 केवी सब-स्टेशनों के विस्तार के लिए ऑर्डर प्राप्त किया।
 - दुर्गापुर में 400केवी सब-स्टेशन के विस्तार/पुनः मार्जन के लिए डब्ल्यूबीएसई से ऑर्डर
 - उ.क्षे. प्रणाली सुदृढीकरण योजना-V के साथ संबद्ध शंट रिएक्टरों के साथ 400 केवी आगरा, भिवाडी और मोगा सब-स्टेशन के विस्तार के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ऑर्डर प्राप्त किया।
 - यूपीपीसीएल : रामपुर और गजरौला में 220 केवी सब-स्टेशन स्थापित करने का ऑर्डर

ट्रांसमिशन में नई देशी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में निम्नलिखित ऑर्डर प्राप्त किए गए:

- एपीट्रांसको से 145 केवी जीआईएस के लिए पहला वाणिज्यिक ऑर्डर
- महाट्रांसको से कराड में 1x80 एमवीएआर नियंत्रित शंट रिएक्टर के लिए पहला वाणिज्यिक ऑर्डर

ट्रांसफॉर्मरों के लिए प्राप्त मुख्य ऑर्डर निम्नानुसार हैं:

- केपीटीसीएल को पंद्रह 100 एमवीए, 220 केवी ऑटो ट्रांसफॉर्मर
- आरआरवीयूएनएल, छाबरा परियोजना के लिए पुंज लॉयड्स से दो 315 एमवीए जेनरेटर ट्रांसफॉर्मर, एक 315 एमवीए ऑटो ट्रांसफॉर्मर, दो 50 एमवीएआर शंट रिएक्टर, दो 50 एमवीए स्टेशन ट्रांसफॉर्मर और चार 20 एमवीए यूनिट सहायक ट्रांसफॉर्मर
- पीजीसीआईएल को 12 पावर ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर
- एनटीपीसी को 3 पावर ट्रांसफॉर्मर
- राजस्थान सरकार की विभिन्न वितरण कंपनियों को 1070 11 केवी वीसीवी कियोस्क

■ **पीएमएण्डसीआर : सीपीपी परियोजना चालू करने की विशिष्टताएं**

- पिछले वर्ष 523 मेगावाट की तुलना में वर्ष 2006-07 में 750 मेगावाट के सीपीपी चालू किए गए, जो 43% की वृद्धि है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय



बीएचईएल द्वारा टर्नकी आधार पर लीबिया में स्थापित 600 मेगावाट गैस-टर्बाइन आधारित वेस्टर्न माउंटैन विद्युत परियोजना

- अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में बीएचईएल ने पिछले पांच वर्षों के 1275 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक ऑर्डर बुकिंग की तुलना में वर्ष के दौरान 1903 करोड़ रुपए का वास्तविक निर्यात ऑर्डर प्राप्त किया।
- ◆ इस वर्ष में कई नए बाजार खण्डों में प्रवेश के अतिरिक्त विद्युत परियोजनाओं के 900 मेगावाट से अधिक विद्युत उपस्कर और समुद्रपारीय पारेषण क्षेत्र में अब तक के सर्वाधिक 5600 एमवीए की ट्रांसफॉर्मर क्षमता के लिए दस से अधिक देशों में फैले वैश्वीकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।
- वर्ष 2006-07 के दौरान मुख्य उपलब्धियां:
 - वर्ष के दौरान बीएचईएल ने निम्नलिखित प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त किए:
 - ◆ ईपीसी आधार पर बंगलादेश की विद्युत उत्पादन कंपनी से सिधौरगंज, बंगलादेश में 240 मेगावाट गैस टर्बाइन विद्युत संयंत्र के लिए प्राप्त गैस टर्बाइन आधारित विद्युत संयंत्र हेतु दूसरा निर्यात ऑर्डर। इस परियोजना का निधिपोषण एशियाई विकास बैंक द्वारा किया गया है। बाघाबाड़ी में 120 मेगावाट गैस टर्बाइन विद्युत संयंत्र के लिए पूर्व ऑर्डर बीएचईएल द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया और संयंत्र पिछले पांच वर्षों से उत्कृष्ट निष्पादन कर रहा है।
 - ◆ आईपीसी खण्ड में एक मुख्य उपलब्धि ईपीसी आधार पर 500 मेगावाट गैस टर्बाइन आधारित विद्युत संयंत्र के लिए एमजेआई, जॉर्डन से ऑर्डर प्राप्त करके की गई थी।
 - ◆ बीएचईएल ने ओमान रिफाइनरी कंपनी, ओमान के लिए 2x25 मेगावाट क्षमता से सह-उत्पादन अनुप्रयोग के लिए गैस टर्बाइन का अपना पहला समुद्रपारीय ऑर्डर प्राप्त किया।
 - ◆ बर्जी ताजिक, तजाकिस्तान से प्राप्त 2x3.7 मेगावाट वरजोब हाइड्रो परियोजना के नवीकरण और आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए तजाकिस्तान से अब तक का पहला निर्यात ऑर्डर। यह तजाकिस्तान से एकमात्र ऑर्डर है।
 - ◆ फ्रांस की ग्रेन्डे पेरॉयज (एम होटल ग्रुप कंपनी) से कंप्रेसर के लिए पहला ऑर्डर; यह फ्रांस में यूरिया संयंत्र के लिए किसी यूरोपीय कंपनी से कंप्रेसर के लिए पहला ऑर्डर है और यह यूरोप में कंप्रेसरो के लिए संदर्भ सृजित करने में बीएचईएल की सहायता करेगा।
 - ◆ ईईटीसी, मिश्र से चौदह 220 केवी, 125 एमवीए और नौ 220 केवी, 125 एमवीए ट्रांसफॉर्मर के लिए सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर प्राप्त किया गया। यह बीएचईएल द्वारा प्राप्त एकमात्र सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मर का ऑर्डर है और मिश्र से भी ट्रांसफॉर्मर के लिए पहला ऑर्डर है।
 - ◆ पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त 220 केवी काबुल सब-स्टेशन के लिए अफगानिस्तान से सब-स्टेशन के लिए अब तक का पहला निर्यात ऑर्डर
 - ◆ पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ बंगलादेश लिमिटेड से प्राप्त 220 केवी बाघाबाड़ी और ईशुरदी सब-स्टेशनों के लिए बंगलादेश

से सब-स्टेशन हेतु अब तक का पहला निर्यात ऑर्डर। इस परियोजना का निधिपोषण एशियाई विकास बैंक द्वारा किया गया है।

- ◆ ईथोपिया में बीएचईएल की उपस्थिति को सुदृढ़ करते हुए ईपको, युरोपिया से प्राप्त 220 केवी सब-स्टेशनों के लिए दूसरा लगातार निर्यात ऑर्डर। इस परियोजना का वित्तपोषण कुबैत-निधि के माध्यम से किया जा रहा है।
- ◆ एनईसी सूडान में सिंगा गदारेफ पारेषण लाइन परियोजना के लिए सूडान से छः 220 केवी, 100 एमवीए ट्रांसफॉर्मर और दो 15 एमवीएआर रिएक्टर का पहला निर्यात ऑर्डर।
- ◆ सौर प्रणालियों के लिए पहला निर्यात ऑर्डर स्वीडन से प्राप्त हुआ। पीवी इंटरप्राइज, स्वीडन से ऑर्डर स्वीडन से पीवी मॉड्यूल के लिए एकमात्र ऑर्डर है। इसके अतिरिक्त एस.ई.प्रोजेक्ट्स, इटली से सौर प्रणालियों के लिए सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर प्राप्त किया गया।
- ◆ दलील पेट्रोलियम कंपनी के लिए प्राप्त वेलहेड्स हेतु ओमान से पहला निर्यात ऑर्डर
- ◆ अन्य उल्लेखनीय निर्यात ऑर्डरों में देवीघाट जल विद्युत संयंत्र (3x4.7 मेगावाट), नेपाल का कायाकल्प और ग्रीस से शंटरिएक्टरों तथा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मरों के लिए दुबारा ऑर्डर शामिल है।
- ◆ बिक्री-पश्चात् सेवाओं पर निरंतर ध्यान देने से ओमान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, जर्मनी, लीबिया, फिलीपीन्स, सूरीनाम, मलेशिया और श्रीलंका से ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।
- मुख्य समुद्रपारीय ऑर्डरों का निष्पादन:
 - ◆ समुद्रपारीय परियोजना निष्पादन के क्षेत्र में लीबिया में 600 मेगावाट वेस्टर्न माउन्टेन विद्युत परियोजना में दो शेष गैस टर्बाइन उत्पादक यूनियों को चालू करने के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई। इससे, वेस्टर्न माउन्टेन परियोजना बीएचईएल द्वारा उत्थापित और चालू किया गया उच्चतम क्षमता का गैस-आधारित विद्युत स्टेशन हो गया है। महत्वपूर्ण रूप से कार्यनिष्पादन परीक्षणों में टर्बाइन गारंटीशुदा कार्यनिष्पादन सीमा को पार कर गए।
 - ◆ दक्षिण अमरीका में एकमात्र संदर्भ सृजित करते हुए एनवीईबीएस, सूरीनाम के लिए 1x25 एमवीए ट्रांसफॉर्मरों की सफलतापूर्वक आपूर्ति की और उन्हें चालू किया।
 - ◆ उत्पादन के लिए जाम्बिया में 3x135 एमवीए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर सहित 405 एमवीए क्षमता के सबसे बड़े सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को चालू किया। सभी 10x135 एमवीए ट्रांसफॉर्मरों की आपूर्ति सफलतापूर्वक पूरी की गई।
 - ◆ त्रिपोली वेस्ट विद्युत स्टेशन, लीबिया के 120 मेगावाट की छठी यूनिट की सफलतापूर्वक पूर्ण मरम्मत की गई। 1970 के दशक में बीएचईएल द्वारा आपूरित यूनिट आज भी उत्कृष्ट कार्य निष्पादन कर रही है।

पूजी निवेश



बीएचईएल के हरिद्वार संयंत्र में अति आधुनिक ब्लेड शॉप



इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग, बंगलौर में विद्युत संयंत्रों के लिए उन्नत स्वचालन प्रणालियों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल की एसेम्बली के लिए विश्व-स्तरीय सुविधा

ग. पूंजी निवेश

- वर्ष 2006-07 के लिए पूंजी निवेश

बीएचईएल ने विनिर्माण क्षमता में वृद्धि और विनिर्माण यूनिटों तथा विद्युत परियोजना कार्यस्थलों में सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 362 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश किया है इसमें से 325 करोड़ रूपए का निवेश उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विभिन्न विनिर्माण यूनिटों में विभिन्न उत्पादों की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा 37 करोड़ रूपए का निवेश वर्धित उत्थापन भार और चालू करने की अल्प समय अनुसूचियों के लिए क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में औजार और संयंत्रों के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, 42 करोड़ रूपए की राशि का व्यय मौजूदा परिसमर्तियों की अवधि, विशुद्धता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पुनः निर्माण पर किया गया था ।

- 10 वीं योजना के दौरान पूंजी निवेश

10 वीं योजनावधि के दौरान (दिनांक 31.03.2007 को समाप्त) बीएचईएल पूर्वानुमानित बाजार विकास की पूर्ति के लिए तैयार हुआ है और तदनुसार कुल 916 करोड़ रूपए के पूंजीगत व्यय से मौजूदा 6000 मेगावाट से 10000 मेगावाट/ वर्ष तक का विनिर्माण क्षमता विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। मुख्य थर्मल, गैस और हाइड्रो उत्पादों की विभिन्न पूंजीगत योजनाएं पूरी हो गई हैं। पूरी होने के उन्नत चरण पर हैं। इस विस्तार से बीएचईएल 800/1000 मेगावाट तक के स्टीम टर्बाइन/जेनरेटर सेट और

समतुल्य सब-क्रिटिकल/सुपर क्रिटिकल बॉयलरों और संबद्ध उपस्करों आदि की आपूर्ति के लिए पूर्णतः तैयार है।

- 11 वीं योजना के दौरान योजनाबद्ध पूंजी निवेश

11 वीं योजना के दौरान बीएचईएल ने कुल 3200 करोड़ रूपए के निवेश से विनिर्माण क्षमता को 10000 मेगावाट से 15000 मेगावाट/वर्ष तक बढ़ाने की बहुत महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसमें से 2414 करोड़ रूपए का व्यय सुविधाओं के उन्नयन और विनिर्माण यूनिटों की क्षमता बढ़ाने तथा 786 करोड़ रूपए का व्यय विद्युत संयंत्र कार्यस्थल सुविधाएं बढ़ाने के लिए किया जाएगा।



चालू दक्षता उन्नयन और क्षमता विस्तार कार्यक्रम के भाग के रूप में नोएडा में स्थापित अत्याधुनिक उपकरण अंशाकन (कैलिब्रेशन) केंद्र

धर्मल, गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर के क्षेत्रों में मौजूदा उत्पादों की क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त निवेश के अन्य मुख्य क्षेत्रों में 700/1000 मेगावाट तक के न्यूक्लियर टर्बाइन, उन्नत श्रेणी गैस टर्बाइन (9 एफबी), 765 केवी ट्रांसफार्मर और अन्य संबद्ध वितरण और पारेषण उपस्कर, ट्रांसफार्मरों की क्षमता 20500 एमवीए से 38500 एमवीए तक बढ़ाने आदि की सुविधाएं शामिल हैं।

घ. संयुक्त उपक्रम

बीएचईएल द्वारा प्रवर्तित दो संयुक्त उपक्रम कंपनियों यथा जीई द्वारा डिजाइन किए गए गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए जीई, सं.रा.अ. के साथ बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस लिमिटेड (बीजीजीटीएस) और पुराने जीवश्म ईंधन वाले विद्युत संयंत्रों के संयंत्र कार्यनिष्पादन सुधार के लिए सीमेन्स एजी जर्मनी के साथ "पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, लिमिटेड" (पीपीआईएल) ने अब प्रचालन के पूर्ण नौ वित्तीय वर्ष पूरे कर लिए हैं।

(क) बीजीजीटीएस

बीजीजीटीएस ने वर्ष 2006-07 के दौरान 37 करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ सहित 294 करोड़ रुपए का बिक्री से संबंधित कुल कारोबार किया। वर्ष के दौरान बीजीजीटीएस द्वारा 297 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक किए गए। बीजीजीटीएस ने विभिन्न ग्राहकों को अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति करने के अतिरिक्त प्रगति पावर, एनटीपीसी-कवास, टीएनईबी, आरआईएल-जामनगर, ओएनजीसी-हजीरा, जीआईपीसीएल-बड़ौदा आदि जैसे विभिन्न ग्राहकों के लिए सफलतापूर्वक कुल 58 बड़े निरीक्षण, उष्म गैस मार्ग निरीक्षण और दहन निरीक्षण शामिल करते हुए गैस टर्बाइन की सर्विसिंग पूरी की। बीजीजीटीएस ने एफआर 6 और एफआर 9 गैस टर्बाइन संघटकों की मरम्मत के लिए निर्मित ऑर्डर और एफआर 9 गैस टर्बाइन यूनिट के पुनर्वास के लिए बीपीडीबी, बंगलादेश से एक ऑर्डर प्राप्त किया। वर्ष 2006-07 के दौरान बीजीजीटीएस ने कुल 510% के दो अंतरिक लाभांश अदा किया। बीजीजीटीएस ने डीएनवी द्वारा की गई पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी की और आईएसओ 9001 आईएसओ -14001 तथा ओएचएसएस-18001 प्रमाणीकरण की मरम्मत सुविधा के लिए वर्ष 2009 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) पीपीआईएल

डीपीएल, दुर्गापुर की 5 यूनिटों का पुनर्माजन पूरा करने के बाद पीपीआईएल ने वर्ष के दौरान संविदा का समापन प्राप्त किया। बकाया मुद्दों का निपटान और कंटीपीएस/कोठगुंडम तथा सीएसईबी, कोरबा जैसी अन्य संविदाओं के लिए रोक गए भुगतानों का संग्रहालय भी आगे बढ़ा है। पुराने ताप विद्युत संग्रहों के नवीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देते हुए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बावजूद इस क्षेत्र में व्यवसाय ने पीपीआईएल के गठन के समय संकल्पित सीमा तक देश में मूर्त रूप नहीं लिया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में पीपीआईएल के कार्य निष्पादन में गिरावट आई है।



अनुसंधान और विकास के माध्यम से नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रिया विकसित करने के निरंतर प्रयास के भाग के रूप में स्थापित सर्फेस इंजीनियरी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

ड अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

वर्ष के दौरान आंतरिक अनुसंधान और विकास के माध्यम से विकसित उत्पादों और प्रणालियों के वाणिज्यीकरण द्वारा 2720 करोड़ रुपए का कुल कारोबार प्राप्त किया गया था। उन, उत्पादों और प्रणालियों, जिनका पिछले पांच वर्षों के दौरान वाणिज्यीकरण किया गया है, उनके लिए ही श्रेय लिया गया है।

वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास कार्यकलापों पर 253 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई थी। इसमें से, 244 करोड़ रुपए की राशि नए उत्पादों और प्रणाली विकास तथा लागत प्रभावोत्पादकता और उच्चतर विश्वसनीयता, क्षमता, उपलब्धता, गुणवत्ता आदि के लिए मौजूदा उत्पादों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्व व्यय पर खर्च की गई थी। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान और विकास के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई थी।

वर्ष के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नानुसार हैं:-

- प्रणाली हानियां कम करने, विद्युत अंतरण दक्षता बढ़ाने और विश्व में अपने किस्म की पहली उच्च वोल्टता (400 केवी) पारेषण लाइनों का प्रणाली स्थायित्व सुधारने के लिए बीएचईएल द्वारा देश में विकसित निर्यात शंट रिक्क्टर (सीएसआर) ने महाराष्ट्र ट्रांसको से पहले ऑर्डर के रूप में वाणिज्यिक सफलता प्राप्त की है। यह उत्पाद सभी उच्च-वोल्टता पारेषण लाइन स्वामियों को बेहतर मूल्य प्रदान करता है।
- ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक्साइटर की सीमा का विस्तार करने के लिए एक अनुरक्षण-मुक्त और अधिक विश्वसनीय बुशलेस एक्साइटर की डिजाइन तैयार, विकसित और विनिर्मित किया गया है, जिसका 6 मेगावाट हाइड्रो जेनरेटरों में प्रयोग किया जाएगा। बीएचईएल उच्चतर क्षमता वाले हाइड्रो जेनरेटरों के लिए भी ऐसे एक्साइटर प्रदान करने की स्थिति में है।
- अपने ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करने के अपने प्रयास के भाग के रूप में, बीएचईएल ने पहली बार पीडीओ, ओमान से निर्यात ऑर्डर के अधीन स्लीव बेयरिंग के साथ 1100 मेगावाट फ्लेमपूफ स्कवायरल केज इंडक्शन मोटर की



बीएचईएल द्वारा आंतरिक रूप से विश्व में अपने किस्म का पहला शंट रिएक्टर

डिजाइन तैयार किया है और विकसित किया है। मोटर ने यूरोपीय सांवाधिक परीक्षण एजेंसी, बेसीफा, यूके से विशेषज्ञों की उपस्थिति में सीएमआरआई, धनबाद में सफलतापूर्वक विस्फोट परीक्षण पूरा कर लिया है।

- पृथक जेनरेटर कोच की आवश्यकता समाप्त करके और बेहतर मितव्ययिता करते हुए यात्री कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए लक्षित बीएचईएल ने पहली बार भारतीय रेलवे के 3600 अश्वशक्ति वाले बीजी डीजल इलेक्ट्रिक इंजन पर प्रयोग किए जाने के लिए होटल लोड कम्पैनिन एल्टरनेटर के साथ एक नई पीढ़ी का 320 किवा ट्रेक्शन एल्टरनेटर का डिजाइन तैयार किया है और इसे विकसित किया है।
- अपने ग्राहक केंद्रिक प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रक्रिया के भाग के रूप में बीएचईएल अपने 250 मेगावाट स्टीम टर्बाइन को अत्याधुनिक इलेक्ट्रो-हाइड्रॉलिक एक्टिवेटर (ईएचए) आधारित उच्च दान नियंत्रण प्रणाली से सज्जित करेगा। प्रत्येक एक-एक पारम्परिक तथा संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्रों के लिए नए डिजाइन के दो रूप विकसित किए गए हैं।
- इस्पात क्षेत्र में ग्राहकों का महत्व बढ़ाने की दृष्टि से बीएचईएल ने ब्लास्ट फर्नेस में संस्थापना के लिए पहली बार आरएस 943 बाउल मिल का डिजाइन तैयार किया है, जिससे बहुमूल्य कोक की बचत होती है तथा साथ ही यह रोलरों के लिए टूट-फूट की लंबी अवधि तक नहीं होगी।
- बाँयलरों में निरंतर और विश्वसनीय ज्वाला मानिट्रिंग सुनिश्चित करने हेतु ग्राहकों के लाभ के लिए बीएचईएल द्वारा सूक्ष्म नियंत्रक

प्रौद्योगिकी के आधार पर उन्नत डिजीटल फ्लेम स्कैनर विकसित किया गया था। दो विद्युत संयंत्र कार्यस्थलों में व्यापक रूप से कर्मस्थल-परीक्षित प्रोटोटाइप प्रणाली-“भेलस्कैन” को उत्पाद परीक्षण तथा प्रमाणीकरण में विश्व के अग्रणी कनाडियन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन इंटरनेशनल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अपेक्षा के अनुपालन का प्रमाणपत्र पुरस्कार के लिए अर्हक किया गया है।

- बीएचईएल के आधुनिक, सुरक्षित और अधिक सक्षम परिवहन समाधान प्रदान करने के प्रयास के भाग के रूप में 700 अश्व शक्ति के डीजल इलेक्ट्रिक इंजन के लिए एक अत्याधुनिक आंतरिक रूप से विकसित आईजीबीटी आधारित तीन-फेज वाली ड्राइव प्रणाली का व्यापक रूप से परीक्षण किया गया है। इस प्रणाली में बौद्धिक ड्राइवर्स डिस्प्ले, डीजन इंजन का स्पीड और एक्साइटेशन कंट्रोल, फेल सेफ, डाटा लॉगिंग और तीव्र तथा विश्वसनीय डाटा पारेषण के लिए उच्च गति के संचार संपर्क जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
- अपने ग्राहकों को अधिक सक्षम और टिकाऊ उत्पाद प्रदान करने के लिए बीएचईएल ने कंपनी को देश में 400 केवी लॉग रोड इंसुलेटर के विनिर्माण में अग्रणी बनाते हुए नेनो सामग्रियों की वृद्धि करके सुधरे हुए गुणों के साथ कम्पोजिट इंसुलेटरों के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। कम्पोजिट इंसुलेटरों के लिए एक प्राथमिक कच्ची सामग्री सिलिकॉन-आधारित रबड़ को इंसुलेटरों के संक्षारण मार्ग प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए आंतरिक रूप से विकसित नेनो सामग्रियों द्वारा संशोधित किया गया है। 400 केवी लम्बी रॉड इंसुलेटर की आपूर्ति के लिए पावरग्रिड से विकासात्मक ऑर्डर प्राप्त किया गया है।

- समाज और पर्यावरण के लिए बीएचईएल की चिंता के अनुरूप उन संयंत्रों, जहां बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उष्मा उपलब्ध है और पुनः उष्मन विकल्प व्यवहार्य नहीं है, के लिए उपयुक्त 100-140 मेगावाट अनुप्रयोग के लिए अधिक ऊर्जा सक्षम सिंगल सिलिंडर नॉन-रिहीट स्टीम टर्बाइन विकसित की गई है। यह बीएचईएल द्वारा अभी तक निर्मित सबसे बड़ी सिंगल सिलिंडर स्टीम टर्बाइन है। इस डिजाइन को विशिष्ट संयंत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। “टिस्को” से 120 मेगावाट टर्बाइन के लिए वाणिज्यिक ऑर्डर प्राप्त हो चुका है।
- अपने ग्राहकों को अधिकतम महत्व प्रदान करने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में बीएचईएल ने एक उन्नयन किया गया कार्ट्रिज का डिजाइन तैयार कर और उसे विकसित किया है, जो कार्यनिष्पादन सुधारता, बिजली बचाता और पुराने बॉयलर पोषण पम्पों की अवधि को बढ़ाता है। इसके लिए जीएसईसीएल के उकई और गांधीनगर टीपीएस के लिए ऑर्डर प्राप्त किए गए हैं। अन्य 125 पुराने पम्पों के समान कार्यनिष्पादन उन्नयन की क्षमता देश में मौजूद है।

च. मानव संसाधन प्रबंध

(1) औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान भागीदारिता की संस्कृति पर बल देना जारी रहा और कंपनी की विभिन्न यूनिटों और सेवा प्रभागों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मंत्रीपूर्ण रहे। शीर्ष-स्तरीय द्विपक्षीय मंच “बीएचईएल की संयुक्त समिति” का विशेष सत्र कार्यशाला के रूप में अप्रैल, 2006 में दो दिनों के लिए हुआ था। कार्यशाला का मुख्य विषय “कर्मचारियों की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करना” था। यह कार्यशाला कामगारों को कंपनी के लक्ष्यों और उसके द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों तथा वे किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करने में योगदान दे सकते हैं, से अवगत कराने के लिए थी। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं और बीएचईएल की सभी यूनिटों से यूनियन के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लिया। आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों और कंपनी के समक्ष चुनौतियों पर प्रस्तुतिकरण पर चर्चा की गई। विभिन्न विषयों पर बैठक के दौरान गठित सिंडिकेट समूहों ने मानव और मशीनरी के प्रभावी उपयोग से संबंधित बहुमूल्य सुझाव दिए और सिफारिशें कीं। किए गए प्रस्तुतिकरणों की प्रतिया तैयार की गईं तथा सिंडिकेट समूह की सिफारिशों पर सभी यूनिटों में निचले स्तर तक के कर्मचारियों के साथ चर्चा की गईं।

उपरोक्त कार्यशाला के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान संयुक्त समिति की दो और बैठकें आयोजित की गईं थीं। इसी प्रकार, कंपनी की विभिन्न यूनिटों में वर्ष के दौरान संयंत्र परिषद की 70 बैठकें और शांति परिषद की 361 बैठकें आयोजित की गईं थीं।

(2) बीएचईएल की यूनिटों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पुरस्कार

- ❖ प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार (2004) (श्रम मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला)

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार केंद्रीय और राज्य सरकारों के निजी और सरकारी क्षेत्र में कामगारों को उनके उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन, अभिनव कार्यकलापों, उत्पादकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और आपवादिक साहस और सूझ-बूझ के मान्यता स्वरूप दिया जाता है।

देश में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों में बीएचईएल के कर्मचारियों ने अधिकतम प्रधानमंत्री का श्रम पुरस्कार (2004) प्राप्त किया है। महत्वपूर्ण रूप से वर्ष के लिए प्रदान किया गया एकमात्र “श्रम भूषण” बीएचईएल के कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, त्रिची, हैदराबाद, हरिद्वार और भोपाल स्थित यूनिटों से बीएचईएल के 13 कर्मचारियों ने सात श्रम पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

- ❖ विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (श्रम मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला)

विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसी संगठन में किसी कामगार अथवा कामगारों के दल द्वारा उत्पादकता सुधारने के लिए अपने/उसके सुझावों के माध्यम से किए गए उल्लेखनीय योगदान के मान्यता स्वरूप दिया जाता है।

बीएचईएल, हरिद्वार यूनिट के आठ कर्मचारियों ने वर्ष 2006-07 के दौरान तीन पुरस्कार जीते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा कुल 28 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किए गए थे।

- ❖ राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (श्रम मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला)

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार औद्योगिक उपक्रम की ओर से अच्छे सुरक्षा निष्पादन और दुर्घटना निवारण कार्यक्रम में प्रबंधन तथा कामगारों दोनों की दिलचस्पी बढ़ाने और बनाए रखने के मान्यता स्वरूप दिया जाता है।

वर्ष 2006-07 के दौरान बीएचईएल द्वारा विजेता श्रेणी (तिरुचि-1 और ईपीडी-1) में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जीते।

- ❖ ऊर्जा पुरस्कार

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने की गई ऊर्जा संरक्षण पहलों के लिए एसएसटीपी-त्रिची को प्रतिष्ठित ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2006 प्रदान किया है।

सीएफएफपी, हरिद्वार को “भारतीय उद्योगों में उत्कृष्टता के लिए इंदिरा गांधी स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार श्रृंखला” के अधीन सर्वोत्तम ऊर्जा संरक्षण कार्यान्वयन स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

- ❖ उत्कृष्टता पुरस्कार

उत्कृष्टता पुरस्कार कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विकास और लाभदायकता तथा समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने, पुरस्कृत और सराहना करने के लिए आंतरिक रूप से दिए जाते हैं।

- ❖ इम्प्रेस योजना

“इम्प्रेस” योजना सामग्री और पूंजी जैसी बुनियादी निविष्टियों के बिक्री योग्य उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करने की उच्चतर क्षमता प्राप्त करने के लिए संगठन में उपयोग में नहीं लाई गई क्षमता का उपभोग करने के लिए संपूर्ण कंपनी में प्रारंभ की गई थी। वर्ष के दौरान लगभग 9500 सुधार परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं, जिनसे इनकी कुल संख्या योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक 23,700 हो गई है। इनमें से लगभग 63% परियोजनाएं पूरी और कार्यान्वित कर ली गई हैं, जिनसे वर्ष 2006-07 के दौरान 177 करोड़ रुपए की बचत तथा प्रारंभ से लेकर अब तक कुल

398 करोड़ रुपए की बचत हुई। वर्ष के दौरान विभिन्न यूनिटों में “इम्प्रेस” योजना के अधीन 4885 सुधार परियोजनाएं पुरस्कृत की गई हैं।

(3) मानव संसाधन विकास

“विरामी प्रशिक्षण” के चरण से प्रगामी रूप से आगे बढ़ते हुए कंपनी कार्यनीतिक मानव संसाधन विकास पद्धतियों में प्रवेश कर रही है। वर्ष 2006-07 ने शीर्ष प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी से मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में कई पहल की हैं।

वर्ष के दौरान संचालित प्रशिक्षण-कुल 30,005 कर्मचारियों (इंजीनियर प्रशिक्षणार्थी, पर्यवेक्षीय प्रशिक्षणार्थी और कारीगर प्रशिक्षणार्थी आदि सहित) को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसमें प्रति कर्मचारी 11.04 प्रशिक्षण मानव-दिवस लगे। हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता के भाग के रूप में 4138 से अधिक प्रशिक्षुओं और ग्राहक कार्मिकों को भी विभिन्न यूनिटों में प्रशिक्षित किया गया। सूडानी सुगर कंपनी, गेल, एनटीपीसी, ओएलजीसी, बीपीसीएल, आओसीएल, जीएसईसीएल, एचपीसीएल, बीएसईएस, एमटीएनएल, सीपीपी, सीपीसीएल, इफको, टीसीएल, आरआईएल, पीजीसीआईएल जैसे संगठनों, विभिन्न विद्युत बोर्डों और विद्युत निगमों आदि के ग्राहक कार्मिकों को बीएचईएल में प्रशिक्षण दिया गया था। 2200 से अधिक तकनीकी/प्रबंध विद्यार्थियों ने भी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

मानव संसाधन विकास संबंधी कुल महत्वपूर्ण पहलों में निम्नलिखित शामिल थे :

1. कारीगरों की कुशलता की व्यापकता को बढ़ाने के लिए बहु-कुशलता और कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण पर एक प्रायोगिक परियोजना झांसी यूनिट में कार्यान्वित की गई है। इस योजना का विस्तार अन्य यूनिटों में भी किया जा रहा है।
2. “प्रणालियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता वृद्धि” नामक एक व्यापक प्रणाली एचआरडीआई द्वारा तैयार और कार्यान्वयन के लिए सभी यूनिटों को जारी किया गया है।
3. एचआरडीआई की प्रशिक्षण प्रक्रियाओं की बेचमार्किंग का कार्य हाल ही में विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके किया गया है। एचआरडीआई प्रशिक्षण प्रक्रियाएं तुलनीय संस्थानों में सर्वोत्तम में से एक हैं।
4. नेतृत्वशीलता प्रभावोत्पादकता पर एक कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सीबीटी मॉड्यूल) एचआरडीआई द्वारा तैयार किया गया है।
5. यूनिटों में मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अध्यक्ष के रूप में यूनिट प्रमुख के साथ मानव संसाधन विकास परिषद गठित की गयी है।
6. ई-मैप (कार्यनिष्पादन प्रबंध प्रणाली) के माध्यम से सभी कार्यपालकों की विकासात्मक दक्षताओं की पहचान की गई है। वर्ष 2007-08 के लिए एचआरडीआई की प्रशिक्षण योजना इस आंकड़े के आधार पर बनाई गई है।
7. प्राप्त पुरस्कार-विभिन्न यूनिटों ने प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में विभिन्न किस्मों के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :

- त्रिची ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आरडीएटी से क्षेत्र में प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रतिष्ठान का पुरस्कार प्राप्त किया।

- बीएचईएल, भोपाल ने पश्चिमी क्षेत्र ट्रेड अपरेन्टिस परीक्षा में दो रजत पदक प्राप्त किए।

(4) कर्मचारियों की संख्या

दिनांक 31.03.2007 की यथास्थिति कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 42124 थी।

(5) राष्ट्रपति के निर्देशों से संबंधित सूचना

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और उन्नति के लिए कंपनी के कार्यकलाप

कंपनी राष्ट्रपति के निर्देशों और भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कर रही है। वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्रित कई सामुदायिक विकास कार्यकलाप बीएचआईएल द्वारा अपनाए गए 56 गांवों में किए।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर्मचारियों की कुल संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व दिनांक 1 जनवरी, 2007 की यथास्थिति क्रमशः 18.84%, 4.39% और 7.99% था।

दिनांक 1 जनवरी, 2007 की यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाते हुए संशोधित निर्धारित प्रपत्र में सरकार को प्रस्तुत वार्षिक विवरण अनुबंध-क में दिया गया है।

3. दिनांक 1 जनवरी, 2007 की यथास्थिति शारीरिक विकलांग कर्मचारियों की संख्या इस समय बीएचआईएल में कुल 528 शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। दिनांक 1 जनवरी, 2007 की यथास्थिति कंपनी में शारीरिक विकलांग कर्मचारियों की समूह-वार संख्या अनुबंध-ख में दी गई है।

(छ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- बीएचआईएल सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अक्षरशः कार्यान्वयन करने में अग्रणी है। आरटीआई के भाग के रूप में अपीलिय प्राधिकरण के साथ कंपनी स्तर पर एक मुख्य लोक सूचना अधिकारी और प्रत्येक प्रशासनिक यूनिट के लिए 13 मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी कार्यरत हैं।

- बीएचआईएल की वेबसाइट के माध्यम से अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अनुरूप सहक्रियात्मक प्रकटन किए गए थे। सूचना मांगने वाले आवेदकों की सुविधा के लिए बीएचआईएल की वेबसाइट पर आरटीआई वेब पेज पर उचित दिशानिर्देश रखे गए हैं। अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक यूनिटों और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

- वर्ष 2006-07 के दौरान सूचना मांगते हुए 341 आवेदन प्राप्त हुए थे। बीएचईएल में प्राप्त सभी आवेदनों और पहली अपील का अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निपटारा कर दिया गया है।
- नामोद्विष्ट अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अधिनियम के उपबंधों की बेहतर समझ के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

ज. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी ने मुख्य जोखिम क्षेत्रों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय लागू किए हैं। ये उपाय सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों यथा बजट, क्रय, सामग्री, भंडार, निर्माण कार्य, वित्त, कार्मिक आदि को शामिल करते हुए प्रबन्धन द्वारा जारी विभिन्न सविताओं, नियमपुस्तिकाओं और कार्यविधियों के रूप में हैं। इन संहिताओं, नियमपुस्तिकाओं और कार्यविधियों को समय-समय पर अध्ययन किया जाता है और इनका सख्ती से अनुपालन किया जाता है; जिनकी जांच आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है।

कंपनी की मुख्य विनिर्माण यूनिटों तथा क्षेत्रीय कार्यालय में कंपनी का पूर्ण सज्जित आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष है, जो निदेशक (वित्त)/निदेशक मंडल-स्तरीय लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षण करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नियमित लेखापरीक्षा, प्रणाली समीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावोत्पादकता की जांच करता है और विभिन्न नियम पुस्तिकाओं और कार्यविधियों के अनुपालन की जांच करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा निदेशक मंडल-स्तरीय लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है, जिसकी सहायता यूनिट-स्तरीय लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

झ. विलय और अधिग्रहण

बीएचईएल नवरत्न दिशानिर्देशों के भीतर सक्रियतापूर्वक विलय और अधिग्रहण (एमएण्डए) की कार्यनीति का पालन करता रहा है। कंपनी उन कंपनियों, जो नई प्रौद्योगिकियों तक और/अथवा बाजारों तक तथा इसके लक्षित बाजारों में विकास की अत्यधिक संभावना का लाभ उठाने के लिए तीव्रतापूर्वक क्षमताओं को बढ़ाने का भी अवसर देती हैं, पर नजर रख रही है। कंपनी ने ऐसे अवसरों पर ध्यान देने के लिए स्वयं को तैयार और सज्जित करने के लिए अंतर्नि्यमावली में संशोधन किया है। इस विषय पर निदेशक मंडल को अवगत कराने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई है।

कंपनी ने बीपीसीएल (भारत पंप्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड) को प्रबंधन सहायता प्रदान की है और बीएचपीवी (भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स) के अधिग्रहण पर भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श भी कर रही है।

ज. अवसर और खतरे

विश्व

जैसा कि इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक, 2007 द्वारा पूर्वानुमानित है, वर्ष 2004 से 2030 तक विद्युत की विश्व में मांग काफी बढ़ जाना अनुमानित है। वैश्विक विद्युत उत्पादन पूर्वानुमान अवधि में प्रति वर्ष 2.4 प्रतिशत बढ़ेगा। विद्युत की मांग में अधिकांश वृद्धि उभरती हुई

अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्वानुमानित है। इसके अतिरिक्त, विद्युत के उत्पादन में प्रयुक्त ईंधन मिश्रण भी विश्वव्यापी रूप से पिछले दो दशकों में काफी परिवर्तित हो गया है। विद्युत उत्पादन के लिए कोयला व्यापक रूप से प्रमुख ईंधन बना हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय रूप से, विद्युत संयंत्र उपस्कर के लिए सबसे बड़ा बाजार एशिया प्रशांत क्षेत्र, उत्तरी अमरीका और यूरोप बना हुआ है। चीन और भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना में बढ़ता हुआ निवेश और वैश्विक आर्थिक विकास द्वारा विद्युत संयंत्र उपस्कर के लिए मांग बनाए रखा जाना प्रत्याशित है। विश्व भर में विद्युत संयंत्रों के पुराने होने से नवीकरण और आधुनिकीकरण तथा मौजूदा संयंत्रों की रेटिंग बढ़ाने के अवसरों में सुधार होगा। वृद्धिकारी पर्यावरणीय चिंताएं और परिणामी विनिमयन विश्व भर में उपस्कर विनियमताओं को न्यूनतम अथवा शून्य उत्सर्जन से स्वच्छ विद्युत पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

पावर सेक्टर

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2006-07 के दौरान लगातार चौथे वर्ष सुदृढ़ विकास हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा किए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष 2005-06 में 9.0 प्रतिशत से वर्ष 2006-07 में बढ़कर 9.2 प्रतिशत होना प्रत्याशित है। वर्ष 2006-07 के दौरान विकास में तीव्र वृद्धि सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में निरंतर गतिशीलता द्वारा चालित की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था त्वरित गति से आगे बढ़ती है और इसमें विशेषकर विद्युत क्षेत्र से अवसंरचनात्मक बाधाओं द्वारा रूकावट उत्पन्न नहीं होती, सरकार ने देश में विद्युत क्षेत्र सहित अवसंरचना के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है और उत्पादन में क्षमता वृद्धि, वितरण सुधार और ग्रामीण विद्युतीकरण भारत सरकार की उच्चतम प्राथमिकताएं हैं।

देश ग्यारहवीं योजना में 78,000 मेगावाट और बारहवीं योजनावधि में 85,000 मेगावाट से अधिक वृद्धि की योजना बना रहा है। यह कंपनी के लिए विकास के निरंतर अवसर प्रदान करेगा क्योंकि विद्युत उपस्कर बीएचईएल का मुख्य व्यवसाय है। एकीकृत ऊर्जा नीति पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार संस्थापित क्षमता की पूर्वानुमानित आवश्यकता 9% सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के परिदृश्य में वर्ष 2031-32 तक 9,60,000 मेगावाट तक जा सकती है।

पावर सेक्टर के सभी खण्ड सकारात्मक संचलन का अनुभव कर रहे हैं। जबकि कोयले के अगले 20-25 वर्षों के लिए प्रमुख ईंधन बने रहने की संभावना है वहीं विद्युत मंत्रालय हाइड्रो-थर्मल मिश्रण सुधारने और तीव्रतर गति से हाइड्रो विद्युत विकसित करने की कार्यनीतियों पर भी कार्यरत है। भारत-अमरीका न्यूक्लियरकरार पर हस्ताक्षर होने के बाद न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

ट्रांसमिशन और वितरण पर अब पहले से अधिक ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र पारम्परिक रूप से उत्पादन क्षेत्र से पीछे रह गया है। विद्युत अधिनियम में स्पष्ट की गई मुक्त अभिगम्यता नीति सुरक्षित और आर्थिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ग्रिडों का विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों और पद्धतियों पर आधारित प्रचुरता स्तर और मार्जिन निर्मित करना सुविधाजनक बनाएगी।

उत्पादन और ट्रांसमिशन तथा वितरण दोनों क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र का प्रादुर्भाव ईपीसी, आरएण्डएम, ओएण्डएम, पूर्ण मरम्मत, विद्युत संयंत्र सुधार सेवा आदि में बीएचईएल के लिए कई अवसर प्रदान करेगा।

उद्योग क्षेत्र

औद्योगिक उत्पादन ने एक वर्ष पूर्व 8.1 प्रतिशत से 11.1 प्रतिशत तक की वृद्धि सहित अप्रैल-फरवरी 2006-07 के दौरान विकास की अपनी गति बनाई रखी है। अप्रैल-फरवरी 2006-07 के दौरान वृद्धि 1995-96 से लेकर अब तक की अधिकतम है। विनिर्माण क्षेत्र औद्योगिक विकास का मुख्य चालक रहा। विनिर्माण क्षेत्र के सुदृढ़ कार्यानिष्पादन का मुख्य रूप से “मशीनरी और उपस्कर,” “मूल धातु” और “मिश्र धातु उद्योग” आदि द्वारा नेतृत्व किया गया।

संकल्पित सुदृढ़ सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि तेल और गैस, इस्पात, पेट्रो-रसायन, रिफाइनरी आदि जैसे अवसररचना क्षेत्रों में वर्धित कार्यकलाप से उद्योग क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा। ये गतिविधियों और विकास बीएचईएल जैसे पूंजीगत उपस्कर विनिर्माता की पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।

ट. भविष्य के लिए कार्यनीति

- बीएचईएल ने “कार्यनीतिक योजना 2012” तैयार की है जिससे यह कुल कारोबार में 4 बिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 2011-12 तक 10 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने में समर्थ बन जाएगी। यह योजना अलगे पाँच वर्षों में कंपनी के लिए सतत लाभदायी विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अगले पाँच वर्षों में कंपनी के लिए विकास योजनाओं के क्षमता और दक्षता वृद्धि चालित होना प्रत्याशित है, जो उद्योग, परिवहन, पारेषण, नियति तथा अतिरिक्त पुर्जे और सेवा व्यवसायों के समर्थन द्वारा विद्युत के इसके मुख्य क्षेत्र में कंपनी के प्रयासों को बढ़ावा देगा।
- कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए एक मुख्य वैश्विक संगठन बनने के लिए बड़े कदम उठा रही है और इसके अपने भावी बल देने वाले एक क्षेत्र के रूप में समुद्रपारीय व्यवसाय की पहचान की है। कंपनी विकास के मुख्य चालक के रूप में निर्यात पर नजर रख रही है और चालू स्तरों से वास्तविक निर्यात में छः गुना वृद्धि का लक्ष्य बना रही है। घरेलू तथा साथ ही निर्यात बाजारों दोनों में कंपनी के प्रचालनों का विस्तार करने के लिए ऊर्जाविक विकास के अवसरों की प्राप्ति हेतु विलय और अधिग्रहण (एमएण्डए) मार्ग का अनुसरण किया जाएगा।
- वर्ष 2007 के अंत तक 10,000 मेगावाट प्रतिवर्ष की विनिर्माण क्षमता की स्थापना से बीएचईएल ने अपनी योजना में लगभग 3,200 करोड़ रुपए के निवेश से दिसम्बर, 2009 तक प्रतिवर्ष 15,000 मेगावाट की वृद्धि का लक्ष्य बनाया है। उच्चतर रेटिंग वाले सुपर क्रिटिकल थर्मल सेटों का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी की व्यवस्था कर लेने से यह घरेलू बाजार में कंपनी की स्थिति को और सुदृढ़ करेगी।
- बीएचईएल ने उच्चतर क्षमता और कम उत्सर्जन वाल 800-1000 मेगावाट की यूनिट रेटिंग की सीमा में सुधार क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों के आधार पर अगली पीढ़ी के थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए

आवश्यक प्रौद्योगिकी की व्यवस्था कर ली है। बीएचईएल उन्नत श्रेणी गैस टर्बाइन प्रारंभ करने के साथ ही तैयार है क्योंकि उच्चतर रेटिंग वाले बड़े आकार की गैस टर्बाइनों पर आधारित विद्युत परियोजनाएं बाजार में आनी प्रत्याशित हैं। इसके अतिरिक्त, उच्चतर रेटिंग वाले हाइड्रोटर्बाइन जेनरेटर सेट की भी योजना बनाई गई है।

- अतिरिक्त पुर्जे और सेवा व्यवसाय का कंपनी के लिए विकास का अगला अवसर होना प्रत्याशित है, जहां राजस्व में वर्तमान स्तर से चार गुनी वृद्धि होने की आशा है। अतिरिक्त पुर्जों और सेवाओं का विपणन कार्यकलाप समेकित किया जा चुका है और बाजार के विभिन्न खण्डों पर ध्यान देने के लिए प्रणाली दक्षता सुदृढ़ की जा रही है। बीएचईएल इस तथ्य के दृष्टिगत कि इसने भारत की कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के लगभग 65% की अपापूर्ति की है, नवीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य करने की अच्छी स्थिति में है। बीएचईएल के दूसरे महत्वपूर्ण लाभ देश भर में फैला इसका स्थापित सेवा नेटवर्क है। सेवा केंद्रों की समीपता, जो संयंत्र के डाउनटाइम को कम करने में सहायता करती है, एक मुख्य संरचनात्मक लाभ है।
- संगठन की इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी प्रकृति को अभिनव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बढ़ाया जाएगा, जहां अनुसंधान और विकास पर होने वाले व्यय में कम से कम छः गुनी वृद्धि की जाएगी।
- प्रतिस्पर्धाव्यक्तता बनाए रखने के लिए भोपाल और हैदराबाद संयंत्रों में प्रारंभ की गई लागत के अनुरूप डिजाइन, क्रय और आपूर्ति प्रबंध, लीन मैनूफैक्चरिंग जैसी दक्षता निर्माण पहलों को संपूर्ण कंपनी में प्रारंभ किया जाएगा।
- अपनाए जा रहे व्यवसाय मॉडल से बीएचईएल को विद्युत क्षेत्र के मुख्य व्यवसाय में बाजार का हिस्सा बनाए रखते हुए जटिलताओं, जोखिमों और निरंतर परिवर्तन का सामना करने का सामर्थ्य मिलेगा।

ठ. जोखिम और चिन्ताएं

विद्युत की मांग उपलब्धता की वृद्धि से बढ़ती रही है। देश में मुख्यतः उत्पादन और पारेषण में अपर्याप्तता तथा साथ ही विद्युत के अक्षय प्रयोग के कारण शीर्ष और ऊर्जा की कमी मौजूद है। ग्यारहवीं योजना के अंत तक लक्षित क्षमता वृद्धि कोयला, गैस, न्यूक्लियर, हाइड्रो और अ-पारम्परिक ऊर्जा के मिश्रण पर आधारित है। इसलिए क्षमता की प्राप्ति अन्य बातों के अतिरिक्त, उपलब्धता, मूल्य और नीतियों जैसे ईंधन संबद्ध मुद्दों पर निर्भर है। जब तक ईंधन के लिंकेज की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक योजनाबद्ध वृद्धि व्यवहार्य नहीं है। कोयले में मांग-आपूर्ति का अंतर है; जिसके बढ़ने की संभावना है। कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसका पता लगाकर उपयोग करना होगा। वर्तमान कोयला उत्पादन लक्ष्य अल्पावधि में आयात आवश्यक बना रहे हैं। संबद्ध पारेषण और वाणिज्यिक हानियों को काफी कम करना, टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना और औसत राजस्व वसूली उत्पादन की लागत से अधिक सुनिश्चित करनी होगी। “सभी को विद्युत” के लक्ष्य की प्राप्ति सुधार और पुनर्गठन की प्रक्रिया पर निर्भर है। देश में विशेषकर विद्युत जैसे अन्य क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी

विकास लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए अवसरचनात्मक विकास में तीव्रतर गति से वृद्धि होनी होगी।

बीएचईएल वित्तीय सुदृढ़ता, मितव्ययिता के पैमाने, प्रौद्योगिकी अग्रता और उनमें पक्ष में वैश्विक पहुंच वाले मुख्य वैश्विक पीपीई विनिर्माताओं से सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। बाजार पहुंच के

लाइसेंसिकरण प्रतिबंध विश्व के कुछ भागों में बीएचईएल जैसी कंपनियों के अवसरों में बाधा पहुंचाते हैं। अधिकांश व्यवसाय क्षेत्रों में जहां बीएचईएल; प्रचालन करता है, उनमें विकास की संभावनाएं भी विद्यमान व्यापक व्यावसायिक प्रवृत्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत निणयों पर भी निर्भर हैं।

अनुबंध-क

दिनांक 1.1.2007 को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और पिछले कैलेंडर वर्ष 2006 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

| समूह | अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (दिनांक 01.01.2007 की यथास्थिति) | | | | कैलेण्डर वर्ष 2006 के दौरान की गई नियुक्तियां | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|---------|---------|---|-------|---------|---------|-----------------|-------|---------|----------------------------|-------|---------|--|
| | कर्मचारियों की कुल संख्या | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | सीधी भर्ती द्वारा | | | | पदोन्नति द्वारा | | | प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | कुल | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | कुल | अ.जा. | अ.ज.जा. | कुल | अ.जा. | अ.ज.जा. | |
| समूह क | 11135 | 1448 | 482 | 848 | 214 | 28 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| समूह ख | 11593 | 1732 | 313 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| समूह ग | 17335 | 4076 | 935 | 1824 | 676 | 108 | 46 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| समूह घ (सफाई कर्म. को छोड़कर) | 2037 | 493 | 129 | 448 | 208 | 32 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| समूह घ (सफाई कर्मचारी) | 241 | 229 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| कुल | 42341 | 7978 | 1860 | 3384 | 1098 | 168 | 103 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| कुल का प्रतिशत | 42341 | 18.84 | 4.39 | 7.99 | | | | | | | | | | | |

** बीएचईएल में पदोन्नति द्वारा प्रवेश स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं

अनुबंध-ख

दिनांक 1.1.2006 को बीएचईएल कुल कर्मचारियों में विकलांग व्यक्तियों की समूहवार स्थिति

| समूह | कर्मचारियों की कुल संख्या | विकलांग व्यक्तियों की संख्या |
|--------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| समूह क | 11135 | 81 |
| समूह ख | 11593 | 102 |
| समूह ग | 17335 | 276 |
| समूह घ | 2278 | 69 |
| कुल | 42341 | 528 |

लिस्टिंग करार [खंड 49 IV (छ) (i)] के अनुसार नियुक्ति एवं पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री एन. गोकुलराम

56 वर्षीय श्री एन. गोकुलराम 25 जनवरी, 2007 से बीएचईएल बोर्ड के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। वे कर्नाटक संवर्ग से 1974 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे विज्ञान में स्नातक हैं और भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की हैं। वर्तमान में वे भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वे करीब 31 वर्षों से राज्य/केन्द्रीय सरकार में वरिष्ठ स्तर पर महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं।

श्री गोकुलराम निम्नलिखित कंपनियों के निदेशक मंडल में निदेशक भी हैं:

| कंपनी का नाम | पद |
|--|--------|
| 1. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, रांची | निदेशक |
| 2. एचएमटी, बैंगलोर | निदेशक |
| 3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इन्डिया) लिमिटेड नई दिल्ली | निदेशक |

उनके नाम बीएचईएल का कोई भी शेयर नहीं है।

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

श्री संजय एम. दादलिका

43 वर्षीय श्री संजय एम. दादलिका दिनांक 16 नवम्बर, 2005 से बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये। वे व्यवसाय प्रबंधन में विशेषज्ञ के साथ-साथ प्रतिभाशाली व्यावसायिक भी हैं।

वे वाणिज्य स्नातक हैं और डीजीएलएल, जहाजरानी मंत्रालय के सलाहकार, फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के निदेशक जैसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पदों पर रह चुके हैं।

श्री दादलिका ने उद्योग रत्न पुरस्कार, हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर चैम्बर कान्फ्रेंस में सर्वोत्तम प्रशिक्षक पुरस्कार, भारतीय शांति सोसाइटी में समाज भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री से सर्वोत्तम उद्यमी, मुम्बई सोसाइटी से हिंदी में सर्वोत्तम संस्कृति पुरस्कार और योग वशिष्ठ एवं अष्टावक्र गीता पर सर्वोत्तम वक्ता पुरस्कार जैसे सम्मान प्राप्त किए हैं।

इस समय वे आदित्य रिएल्टर प्रा. लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक हैं। वे किसी कंपनी में निदेशक मंडल समिति में सदस्य नहीं हैं।

पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक

श्री कृष्णस्वामी रवि कुमार

58 वर्षीय श्री कृष्णस्वामी रवि कुमार की नियुक्ति 16 मई, 2005 को बीएचईएल के निदेशक मंडल पर निदेशक (पावर) के रूप में हुई। श्री कुमार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से एमटेक और व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है।

बीएचईएल में निदेशक (पावर) के रूप में पदभार आरंभ करने से पहले श्री कुमार को 33 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव था जिसमें 1975 में बीएचईएल में पद-भार ग्रहण करने से पहले निजी क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव शामिल है।

बीएचईएल में श्री कुमार ने ऊर्जा प्रणाली और नए उत्पाद प्रभाग (अनुसंधान और विकास) में पदभार ग्रहण किया तथा डिजाइन एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग में इंजीनियरिंग ऑफ कंट्रोल इक्विपमेंट प्रोडक्ट-बैंगलोर, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, निर्माण और परियोजना प्रबंधन, इंडस्ट्रीयल सेट ऑफ पावर सेक्टर-दक्षिण क्षेत्र (पीएसएसआर) तथा पावर सेक्टर में विपणन प्रमुख-विपणन और एसएसबीजी, पावर परियोजनाओं के विपणन हेतु उत्तरदायित्व, सहायक कलपुर्जे एवं आर एण्ड एम जैसे विभिन्न भाषाओं/प्रभागों आदि में कार्य किया है।

श्री रवि कुमार ने बीएचईएल की निम्नलिखित नई उपबन्धियों में महत्वपूर्ण योगदान किया :

- कोयला और गैस आधारित ऊर्जा संयंत्रों के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी, जो देश में पहली बार था और अत्यन्त सावधानी और सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया। इनमें से विजयवाड़ा में टावर टाइप बॉयलर, तमिलनाडु में कोविल कलप्पल में उच्च श्रेणी के गैस टरबाइन तालचर में वंस थ्रू बॉयलर आदि थे।
- पावर क्षेत्र व्यवसाय में वर्ष 2006-07 में लगभग 27,730 करोड़ रुपये का आर्डर बुक किया गया, जो पिछले सभी आर्डर से अधिक था। यह कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बंदौलत था।
- टर्नकी आधार पर 2x800 एम डब्ल्यू टी पी पी हेतु संदर्भित प्रस्तावों का विकास। सुपर क्रिटिकल मापदण्डों सहित 800 एम डब्ल्यू इकाई हेतु अभियांत्रिकी प्रस्ताव भी निष्पादन किया गया।
- 600 एम डब्ल्यू इकाई हेतु बेसिक साइकिल कनफिगरेशन और कन्सेप्चुअल ले-आऊट भी विकसित किया गया।
- सीएफबीसी बॉयलर के लिए मानक शुरुआती कार्यविधि, समुचित ग्रीन-फील्ड परियोजनाएं विकसित की गईं।
- बीएचईएल में पहली बार स्ट्रेन्ड-जैक पद्धति सहित जेनरेटर स्टाटर लिमिटेड का प्रयोग कहलगांव इकाई-5 एवं 7 (500 एमडब्ल्यू) इकाई में किया गया।

- पीएस-टीएस नोएडा में 0.01 प्रतिशत के सभी स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेसर और विद्युत/ऊर्जा यंत्रों के चिन्हांकन हेतु स्टेट-ऑफ-डि-आर्ट चिन्हांकन प्रयोगशाला स्थापित करना।

वे 6,000 एम डब्ल्यू से 15000 एम डब्ल्यू क्षमता विनिर्माण के लिए कंपनी के विस्तारण कार्यक्रमों हेतु इनपुट प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इन्डिया में कम्बाइन साइकिल पावर प्लांट, जो हाल ही की उपलब्धि थी, सहित इलेक्ट्रॉनिक और ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में दस्तावेज प्रस्तुत किए।

श्री रवि कुमार किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक और/अथवा समिति के सदस्य के रूप में न तो पदधारित हैं और न ही बीएचईएल के शेरर में ही शेरर धारक हैं।

श्री सी.एस. वर्मा

48 वर्षीय श्री सी.एस. वर्मा वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ-साथ व्यवसाय प्रबंधन में भी स्नातकोत्तर हैं। वे कानून और विधान में स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इन्डिया के सदस्य तथा भारत के लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान के सदस्य भी हैं।

श्री वर्मा की नियुक्ति दिनांक 1 सितम्बर, 2005 को बीएचईएल के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) के रूप में हुई। उन्होंने कंपनी के प्रणाली और कार्यविधि, लागत ह्रास और लागत नियंत्रण, सर्वोत्तम प्रबंधक व्यवस्था का कार्यान्वयन और टॉप लाइन और बोटम लाइन के उन्नयन में व्यापक योगदान दिया। वे विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं, लेखाकरण मानक, वित्तीय प्रोपराइटी कानोन्स, कॉरपोरेट प्रशासन मानकों सहित सेवा के दिशानिर्देशों की समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

बीएचईएल में पदभार ग्रहण करने से पूर्व श्री वर्मा सूचना विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आईटीआई लिमिटेड के निदेशक मंडल जो एक अनुसूचित पीएसयू है, में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे। टेलीकॉम में 3 वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान श्री वर्मा ने निधियों का कुशल प्रबंधन तथा दुर्लभ स्रोतों हेतु कार्यनीति का विकास, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी टेलीकोम बाजार को संचालित करने हेतु आईटीआई के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। 26 वर्षों के व्यावसायिक अनुभव में वे निधि संग्रहण विशेषज्ञ के तौर पर साबित हुए, जिसमें भारतीय रेलवे वित्त निगम के लिए अत्यधिक प्रोत एकत्रित हुए, भारतीय रेलवे वित्त निगम में वे समूह महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, इसके पश्चात् उन्होंने फरवरी, 2002 में आईटीआई में निदेशक (वित्त) का पदभार संभाला। उन्होंने अनेकों विदेशी मुददों, स्वैप लेन-देन और डेरीवेटिव उत्पादों को भी निपटाया। सौंपे गए पूर्व कार्यों में दिल्ली स्टॉक एक्चेंज में महाप्रबंधक के रूप में लगभग 4 वर्षों तक एवं वित्तीय संस्था में लगभग 9 वर्षों का कार्य शामिल है।

श्री वर्मा कई देशों की यात्रा भी कर चुके हैं।

श्री वर्मा किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक/समिति के सदस्य के रूप में पदधारित नहीं हैं। बीएचईएल में उनके नाम कोई भी शेरर नहीं है।

श्री बी. प्रसाद राव

53 वर्षीय श्री बी. प्रसाद राव की नियुक्ति 1 सितम्बर, 2007 को निदेशक (आईएस एवं पी) का पदभार प्रदान करने के लिए बीएचईएल के निदेशक मंडल में अपर निदेशक के तौर पर की गई। वे जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनंदा, आंध्र प्रदेश से मेकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक और एनआईटीआईई, मुंबई से औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर हैं।

बीएचईएल के कई अनुभागों में कार्य करने के कारण श्री राव के पास विविध और बहुमुखी अनुभव है। उन्होंने बीएचईएल में अपनी कैरियर की शुरुआत वर्ष 1978 में औद्योगिक पद्धति समूह में औद्योगिक अभियंता के रूप में की थी। नवगठित औद्योगिक पद्धति समूह में निर्धारित निर्माण और कार्य आरंभ करने के दौरान उन्होंने विभिन्न साइटों में कार्यकलापों के संचालन के लिए सिस्टम और कार्यविधि निर्धारित किया। बाद में उन्होंने बीएचईएल, बैंगलोर में प्लानिंग कार्य आरंभ किया तथा वे उद्योग क्षेत्र संगठन हेतु संकल्पना एप्रोच, बीएचईएल में इलेक्ट्रॉनिक्स हेतु ब्लूप्रिंट ड्राइंग्स एवं कार्यालय में लोकल एरिया नेटवर्क के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी थे। बाद में, वे रक्षा अनुकर्ता के अनुरूप बीएचईएल हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग में विविधतापूर्ण पहलों के अगुवा बन गए। वे योजना और विकास कार्यकलापों के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति प्रभाग बीएचईएल की 14वीं विनिर्माण इकाई की स्थापना में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए।

बाद में उन्होंने हैदराबाद स्थित हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट में स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और कम्प्रेसर विनिर्माण के लिए विनिर्माण प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उक्त अवधि के दौरान एडवांस टूलिंग का प्रयोग करते हुए नई मशीन पद्धति आरंभ की गई, जिससे गुणवत्ता उन्नयन और समय की बचत होने लगी। इसके अतिरिक्त, गैस टरबाइन, बकेट और नोजल संघटक जैसे जटिल संघटक मशीनिंग की स्थापना जैसे विनिर्माण कार्यों में उनके निर्धारित कार्य थे।

कॉर्पोरेट योजना और विकास के क्षेत्र में उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लान 2007 और स्ट्रेटेजिक प्लान 2012 नामक दो कॉर्पोरेट योजनाओं का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। वे "पोजिशनिंग बीएचईएल फॉर एक्सीलेंसिटी ग्रॉथ" नामक परियोजना के प्रभारी रहे तथा बीएचईएल के भोपाल और हैदराबाद इकाई में एकीकृत प्रचालनात्मक विकास कार्यनीति के माध्यम से संगठनात्मक ट्रांसफॉर्मेशन हेतु प्रायोगिक पहल के कार्यान्वयन का भी नेतृत्व किया।

उन्होंने ऊर्जा परिदृश्य 2050 के विकास के लिए उनके पहल पर विश्व ऊर्जा परिषद के अध्ययन समूह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे

सीआईआई कैपिटल गुडस समिति के सदस्य भी रह चुके हैं और बीएचईएल से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामलों में उद्योग और सरकारी निकाय के साथ सक्रिय इंटरफेस भी किया है। उन्होंने सेबी के दिशानिर्देशों और कंपनी कॉरपोरेट मामलों में कंपनी की स्थिति पर स्पष्टीकरण हेतु निवेश समुदाय के साथ कंपनी के ओर से इंटरफेस किया है।

निदेशक (आई एस एंड पी) के रूप में नियुक्त होने से पूर्व श्री राव कार्यकारी निदेशक के रूप में उद्योग व्यवसाय क्षेत्र की के प्रमुख रहे।

श्री राव किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक और/अथवा समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं हैं। उनके पास बीएचईएल के 400 इक्विटी शेयर धारक हैं।

श्री अनिल सचदेव

55 वर्षीय अनिल सचदेव की नियुक्ति 1 सितम्बर, 2007 से निदेशक (मानव संसाधन) का पदभार ग्रहण करने हेतु बीएचईएल के निदेशक मंडल में अपर निदेशक के रूप में हुई है। वे जबलपुर विश्वविद्यालय से मेकानिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं और भोपाल विश्वविद्यालय से उत्पादन प्रबंधन में एमबीए हैं।

बीएचईएल में श्री सचदेव की नियुक्ति वर्ष 1975 में भोपाल में एक अभियंता प्रशिक्षणार्थी के रूप में हुई थी। उत्पादन/विनिर्माण के क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने के पश्चात् वे हरिद्वार स्थित केन्द्रीय फाउंडरी फोर्ज संयंत्र के इकाई प्रमुख बने तथा बाद में हरिद्वार स्थित हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट संयंत्र के कार्यकारी निदेशक रहे। इसके बाद अर्थात् सितम्बर, 2007 में निदेशक (एचआर) के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उनका स्थानांतरण कार्यकारी निदेशक (एचआर) के रूप में नई दिल्ली में हो गया था।

बीएचईएल, भोपाल में अपने कार्यकाल के दौरान श्री सचदेव ट्रेक्शन सिस्टम के क्षेत्र में वृहत सुधार में अग्रणी रहे। हरिद्वार में वे केन्द्रीय फाउंडरी फोर्ज संयंत्र के महत्वपूर्ण सुधार के लिए जिम्मेदार थे, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वर्ष 2006-07 में, हरिद्वार स्थित हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट संयंत्र और केन्द्रीय फाउंडरी फोर्ज संयंत्र ने क्रमशः 2003 करोड़ और 270 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया, जो हमेशा के लिए एक रिकार्ड था तथा हेवी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट संयंत्र द्वारा अब तक का सबसे उच्चतम अर्थात् 1483 करोड़ रुपये का शॉप कारोबार हुआ।

कार्पोरेट प्रशासन

1. कार्पोरेट प्रशासन पर कम्पनी का सिद्धान्त

बीएचईएल कार्पोरेट प्रशासन लेखन और समर्पण भावना के क्षेत्र में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रचालन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कम्पनी का विश्वास है कि अच्छा प्रशासन विधिक और विनियमन अपेक्षाओं को पालन करने से कहीं बढ़कर है। अच्छे प्रशासन के कारण प्रभावी प्रबंधन और व्यवसाय पर अच्छे नियंत्रण उच्चतम व्यवसाय नैतिकताओं का अनुरक्षण तथा अपने स्टैकहोल्डरों के लिए मूल्य को न्यूनतम करना सुविधाजनक होता है। उपरोक्त के अलावा, बीएचईएल का विजन स्टैकहोल्डर मूल्य में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एक विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग उद्यम बनना है तथा इसका लक्ष्य ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, मूलभूत सुविधा और अन्य संभावित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों तथा सेवाओं के माध्यम से समग्र व्यावसायिक समाधान प्रदान करने वाला एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इंजीनियरिंग उद्यम बनना है।

बीएचईएल की कार्पोरेट प्रशासन नीति के चार स्तम्भ हैं-पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र मॉनीटरिंग एवं सभी के लिए, विशेषकर अल्पसंख्यक शेयरहोल्डरों के लिए निष्पक्षता आदि। बीएचईएल का विश्वास है कि उचित कार्पोरेट प्रशासन व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के साथ-साथ लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति को सुविधाजनक बनाता है।

- i) निदेशक मंडल की स्वतंत्रता और प्रतिभा
- ii) सभी कार्मिकों की सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार
- iii) सभी स्टैकहोल्डरों-ग्राहकों, कर्मचारियों और शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायित्व की पहचान
- iv) प्रकटन और पादरशिता का उच्च स्तर;
- v) सभी पर्यावरण कानूनों का पूर्ण अनुपालन, जिसमें कम्पनी प्रचालन करती है
- vi) लोगों और पर्यावरण के लिए सहानुभूति के साथ उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति

कम्पनी का विश्वास है कि कार्पोरेट प्रशासन की क्रियाविधियों तथा आचार संहिता का अनुपालन करते हुए व्यवसाय करना हमारे प्रत्येक

प्रधान मूल्य का प्रतिपादन करता है, हमें अपने शेयरधारकों को दीर्घावधि प्रतिफल प्रदान करने में समर्थ बनाता है हमारे ग्राहकों को अनुकूल परिणाम प्रदान करता है तथा हमारे कर्मचारियों को अच्छे अवसर प्रदान करता है।

2. निदेशक मण्डल

i. संरचना और निदेशकों की श्रेणी :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसरण में बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है। इस समय कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 67.72 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है।

निदेशक मण्डल में बोर्ड की स्वतंत्रता बनाए रखने और प्रबंधन के निदेशक मण्डल के कार्यों और नियंत्रण को अलग करने के लिए कार्यात्मक निदेशकों के प्रतिनिधित्व में कार्यपालकों और सरकारी नामितियों द्वारा प्रतिनिधित्व में गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उपयुक्त संयोजन है। अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक है। इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की संख्या की आधी है।

निदेशक मण्डल की संरचना निम्नानुसार है :

| | |
|---|-----------|
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 1 |
| पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक | 5 |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अशंकालिक सरकारी निदेशक (सरकार के नामित) | 2 |
| अशंकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | 8 |
| योग | 16 |

दिनांक 31.3.2007 की यथास्थिति कम्पनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की तीन आकस्मिक रिक्तियां मौजूद हैं। यह मामला भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रक्रियाधीन है।

ii. वर्ष 2006.07 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

| निदेशक का नाम | बोर्ड बैठकों की संख्या | | पिछली वार्षिक आम बैठक (15.9.06 को आयोजित) |
|--|------------------------|----------|---|
| | आयोजित | भाग लिया | |
| सर्व/श्री | | | |
| अशोक के. पुरी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | 9 | 9 | हां |
| रामजी राय* निदेशक (ईआरएण्डडी) (31.08.2006 तक) | 4 | 4 | — |
| सी. पी. सिंह निदेशक (ईआरएण्डडी) (01.09.2006) | 5 | 5 | हां |
| एस.के. जैन निदेशक (मा.सं.) | 9 | 8 | हां |
| ए.के. माथुर निदेशक (आईएसएण्डपी) | 9 | 8 | हां |
| के. रविकुमार निदेशक (पावर) | 9 | 9 | हां |
| सी.एस. वर्मा निदेशक (वित्त) | 9 | 9 | हां |
| नरेश चतुर्वेदी अशंकालिक सरकारी निदेशक (25.01.2007 तक) | 7 | 2 | नहीं |
| एन. गोकुलराम* अशंकालिक सरकारी निदेशक (25.01.2007 से) | 2 | 1 | — |
| डॉ सुरजीत मित्रा अशंकालिक सरकारी निदेशक | 9 | 9 | हां |
| विनीत नय्यर अशंकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (28.02.2007 तक) | 8 | 3 | हां |
| संजय एम. दादलिका* अशंकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | 9 | 8 | हां |
| अशोक के. अग्रवाल अशंकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | 9 | 7 | हां |
| मनीष गुप्ता अशंकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | 9 | 7 | हां |
| शेखर दत्ता अशंकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | 9 | 8 | हां |
| रमन सिंह सिद्धू* अशंकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (दिनांक 12.09.2006) | 4 | 3 | — |
| मधुकर अशंकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (05.07.2006 से) | 7 | 7 | हां |

टिप्पणी: (*) यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति पिछली वार्षिक साधारण बैठक की तारीख को बीएचईएल के निदेशक नहीं हैं।

iii. अन्य निदेशक मण्डल अथवा निदेशक मण्डल समितियां, जिनमें दिनांक 31.03.2007 को बीएचईएल के निदेशक सदस्य अथवा अध्यक्ष हैं

| निदेशक का नाम सर्व/श्री | अन्य कंपनियों में निदेशक पद का ब्यौरा | समिति की सदस्यता और समिति की अध्यक्षता का ब्यौरा |
|----------------------------|---|--|
| डा. सुरजीत मित्रा | 1. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड 2. सिमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 3. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड 4. एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड 5. एचएमटी लिमिटेड | - शून्य - |
| एन. गोकुलराम | 1. हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची 2. एचएमटी, बैंगलोर 3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली | - शून्य - |
| संजय एम. दादलिका | आदित्य रियल्टर प्रा. लिमिटेड | - शून्य - |
| अशोक के. अग्रवाल | 1. गोपाल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2. जीजी मार्केटिंग लिमिटेड | - शून्य - |
| शेखर दत्ता | 1. वाकहॉर्ट लिमिटेड 2. वेसुवियस इंडिया लिमिटेड 3. लोम्बार्डिनी इंडिया प्रा. लिमिटेड 4. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड | सदस्य : लेखापरीक्षा समिति 1. बुकहॉर्ट लिमिटेड (सदस्य) 2. वेसुवियस इंडिया लिमिटेड (सदस्य) 3. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सदस्य) शेयर अंतरण और निवेशक शिकायत समिति वेसुवियस इंडिया लिमिटेड (सदस्य) चूककर्ता समिति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सदस्य) अनुसूची समिति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सदस्य) पारिश्रमिक समिति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (अध्यक्ष) |
| मनीष गुप्ता | 1. टाटा मेटेलिंक्स लिमिटेड 2. टेक्समेको लि. 3. वेलमैन कोक इंडिया लिमिटेड | शेयरधारकों की शिकायत समिति टाटा मेटेलिंक्स लिमिटेड |

कंपनी का कोई भी निदेशक दस (10) से अधिक समितियों में सदस्य अथवा उन सभी कंपनियों जिनमें वह निदेशक है, में पांच (5) से अधिक कंपनियों में अध्यक्ष नहीं है।

iv. निदेशक मण्डल की आयोजित बैठकों की सख्या और तारीख

निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यतया कंपनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और उन्हें बहुत पहले निर्धारित किया जाता है। कंपनी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से प्रत्येक निदेशक को लिखित में निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक का नोटिस भेजता है। निदेशक मण्डल की कार्यसूची पहले ही निदेशकों को परिचालित की जाती है।

निदेशक मण्डल के सदस्य को कंपनी की सभी सूचनाओं तक पहुंच होती है और वे चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी विषय को शामिल करने की सिफारिश के लिए स्वतंत्र हैं। आवश्यकता होने पर चर्चा की जा रही मद्दों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने और/अथवा निदेशक मण्डल को प्रस्तुतिकरण करने के लिए निदेशक मण्डल की बैठकों में भाग लेने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को आमंत्रित किया जाता है। निदेशक मण्डल तिमाही

परिणामों और कार्यसूची पर अन्य मदों की समीक्षा करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार अपनी बैठक करता है। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित तारीखों को नौ बैठकें की :

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| (i) 3 अप्रैल, 2006 | (ii) 31 मई, 2006 |
| (iii) 28 जुलाई, 2006 | (iv) 8 अगस्त, 2006 |
| (v) 27 अक्टूबर, 2006 | (vi) 6 नवम्बर, 2006 |
| (vii) 30 नवम्बर, 2006 | (viii) 25 जनवरी, 2007 |
| (ix) 10 मार्च, 2007 | |

दो बैठकों के बीच अधिकतम समयांतराल तीन कैलेंडर महीने से अधिक नहीं था।

v. निदेशक मण्डल के उत्तरदायित्व :

निदेशक मण्डल का अधिदेश कंपनी की कार्यनीतिक दिशा पर निगरानी रखना, कार्पोरेट कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मॉनीटरिंग करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और शेरधारकों के हित की रक्षा करना है।

vi. स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

निदेशक मण्डल और समिति की बैठकों में विचार-विमर्श में स्वतंत्र निदेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इंजीनियरी, वित्त, प्रबंधन विधि और सरकारी नीति के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता कंपनी को प्रदान करते हैं।

निदेशक मण्डल ने लेखापरीक्षा समिति, शेरधारक/निवेशक शिकायत समिति, शेर अंतरण समिति, पारिश्रमिक समिति परियोजना समीक्षा समिति, मर्जर और एकीकरण समिति तथा मानव संसाधन नीतिगत समिति आदि जैसी विभिन्न समितियां स्थापित की हैं।

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति और शेरधारक/निवेशक शिकायत समिति और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और उक्त समिति के कार्य परिभाषित विचारार्थ विषय के भीतर है। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त परिचालित किया जाता है और निदेशक मण्डल की बैठकों में उन पर चर्चा की जाती है।

vii. निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत सूचना

निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत सूचना सामान्यतया बीएचईएल के निदेशक मण्डल को कार्यसूची पत्रों के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है अथवा बोर्ड की बैठक के दौरान पेश / प्रस्तुत की जाती है :

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं तथा बजट एवं कोई अद्यतन सूचना
- पूंजी बजट एवं कोई अद्यतन सूचना।
- कंपनी तथा इसके कार्यात्मक प्रभागों अथवा व्यवसाय खण्डों के तिमाही परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का विवरण।

- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों के चयन एवं पारिश्रमिक संबंधी सूचना।
- निदेशक मण्डल के अनुमादनार्थ अपेक्षित किसी संयुक्त उद्यम, अनुसंधान एवं विकास परियोजना अथवा तकनीकी सहयोग करार का विवरण।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं तथा उनके प्रस्तावित समाधान। वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का क्रियान्वयन आदि जैसी मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध मोर्च पर कोई महत्वपूर्ण घटना।
- महत्वपूर्ण प्रकृति के निवेशों, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की बिक्री, जो कि व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है।
- सभी लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई।
- निदेशकों द्वारा उनकी निदेशक पदधारिता तथा की रूचि अन्य कंपनियों में उनके द्वारा हासिल समिति पदों के बारे में सूचना।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित सूचना।
- अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निदेश।
- कोई संविदा (संविदाएं) जिनमें निदेशक (निदेशकों) की रूचि मानी जाती है।
- शेरधारकों की शिकायतों संबंधी त्रैमासिक स्थिति।
- विद्युत तथा उद्योग क्षेत्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रभाग में त्रैमासिक आधार पर सूचना/स्थिति ।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव।
- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन और उसके कारण।
- विभिन्न एककों/कार्यों के निष्पादन संबंधी, विस्तृत विवरण।
- सूचना तथा अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य कोई सूचना।

viii. नए निदेशकों का चयन

बीएचईएल के अंतर्नियम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशकों और बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त करते हैं और बीएचईएल के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र निदेशकों) को भी नामित करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों का चयन भारी उद्योग विभाग द्वारा लोक उद्यम विभाग की खोज समिति, जो प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरी, प्रशासन और उद्योग में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों की सूची रखता है, के परामर्श से किया जाता है।

ix. सदस्यता अवधि और सेवानिवृति नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति ऐसी शर्तों, पारिश्रमिक और कार्यकाल पर होती है। जिसे, राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करे।

दो अंशकालिक निदेशक अर्थात् भारी उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव और अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय बीएचईएल के निदेशक मण्डल पर भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। वे भारत सरकार के विवेक पर बीएचईएल के बोर्ड पर बने रहते हैं।

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के कार्यकाल का निर्णय भारी उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। सामान्यतया, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ऐसे सभी नियुक्त व्यक्ति बीएचईएल के अंतर्नियम के उपबंधों के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के योग्य होते हैं।

x. आचार संहिता

बीएचईएल के आचरण के उच्च मानक निर्धारित करने के सतत प्रयास के भाग के रूप में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्ध कार्मिकों के लिए एक "व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की संहिता" निर्धारित की गई है।

संहिता में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

- सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं;
- विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व; और
- निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धक कार्मिकों के लिए अतिरिक्त कर्तव्य/अनिवार्यताएं

उक्त संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट "www.bhel.com" पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त संहिता में सुधार करने के लिए अतिरिक्त सुझावों/विचारों को हर्ष पूर्वक आमंत्रित किया जाता है।

xi. सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सूचीकरण करार के खण्ड 49(V) के अनुसरण में सीएफओ प्रमाणीकरण इस खण्ड के अंत संलग्न है।

3. लेखापरीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

निदेशक मण्डल द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय सूचीकरण करार के संशोधित खण्ड 49 तथा साथ ही कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 929 क की आवश्यकताओं के अनुरूप है। वे निम्नानुसार हैं:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं, इसकी वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना।
2. निदेशक मण्डल को सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति और अगर अपेक्षित हो उनके प्रतिस्थापन अथवा उन्हें हटाने तथा लेखापरीक्षा फीस के नियतन की सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना :

क कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खण्ड (2कक) के अनुसार निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने क लिए

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित मामले।

ख लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, अगर कोई हो और उसके लिए कारण

ग प्रबंधन के निर्णय के आधार पर अनुमानों वाली मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां

घ लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण सामायोजन

ङ वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन

च किसी संबद्ध पक्ष के साथ लेन-देन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना

छ प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अहंताएं

5. प्रबंधन के साथ निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा करना
6. (i) प्रबंधन के साथ सांविधिक आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना (ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की संख्या और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की बारम्बारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, अगर कोई हो की समीक्षा करना।
8. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श
9. आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे विषयों की आंतरिक जांच, जिनमें धोखाधड़ी अथवा अनियमितता या वास्तविक रूप में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता का संदेह हो, के निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को इस विषय में जानकारी देना।
10. (i) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में आवधिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श (ii) लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व लेखापरीक्षा के स्वरूप और कार्यक्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करना तथा साथ ही लेखापरीक्षकों के अवलोकनों सहित चिंता के किसी क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा पश्चात विचार-विमर्श करना।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों को भुगतान (घोषित लाभांश का भुगतान नहीं करने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में पर्याप्त चूक करने के कारणों पर गौर करना।
12. व्हिसल ब्लोअर कार्यंत्र, अगर मौजूदा हो, तो उसकी कार्यशीलता की समीक्षा करना
13. आंतरिक लेखापरीक्षा/बोर्ड और अथवा भारत सरकार द्वारा "बीएलएसी" में उल्लिखित लेखापरीक्षा पैरा की समीक्षा करना और उसमें उल्लिखित मुद्दों पर अपना सुझाव/मार्गनिर्देशन/टिप्पणियां प्रदान करना।
14. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार में यथा उल्लिखित, कोई अन्य कार्य करना।

स्पष्टीकरण (i): “संबद्ध पक्ष लेन-देन” का वही अर्थ होगा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18 “संबद्ध पक्ष लेन-देन” में विहित है।

स्पष्टीकरण (ii): अगर कंपनी ने कंपनी अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित की है तो उक्त लेखापरीक्षा समिति की इस खण्ड में यथाविहित अतिरिक्त कार्य/विशेषताएं होंगी।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम :

जैसा कि लिस्टिंग करार में विहित किया गया है, लेखापरीक्षा समिति में अधिकांशतः स्वतंत्र निदेशक शामिल होते हैं। सदस्य निदेशकों में वाणिज्य, वित्त, प्रशासन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों अधिशासन की पृष्ठभूमि वाले ख्यातिप्राप्त व्यवसायविद शामिल होते हैं।

लेखा परीक्षा समिति का पिछला गठन 25 जनवरी, 2007 को हुआ था और इस समय इसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

| निदेशक का नाम | इनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति (संख्या) |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| सर्व/श्री | पद | |
| विनीत नयर (28.02.2007 तक) | अध्यक्ष | 4 |
| शेखर दत्ता | अध्यक्ष | 4 |
| मनीष गुप्ता | सदस्य | 4 |
| नरेश चतुर्वेदी (25.01.2007 तक) | सदस्य | 3 |
| एन. गोकुलम (25.01.2007 से) | सदस्य | शून्य |

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। निदेशक (वित्त) कॉर्पोरेट आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रमुख होता है और सांविधिक लेखापरीक्षक का एक प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में उपस्थिति होता है।

iii. वर्ष 2006-07 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक और उपस्थिति

लेखापरीक्षा समिति की बैठक विगत वर्ष 2006-07 में 31 मई, 06, 28 जुलाई 06, 27 अक्टूबर, 06 और 25 जनवरी, 07 को कुल चार बार हुई। दो बैठकों के बीच अधिकतम समय 4 महीने से अधिक नहीं थी।

4. पारिश्रमिक समिति

i. पारिश्रमिक नीति

सरकारी क्षेत्र का उमकम होने के कारण बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के नियतन का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है जबकि अंशकालिक गैर-कार्यापालक निदेशकों को निदेशक मंडल अथवा उसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक फीस को छोड़कर कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें बीएचईएल के नियमानुसार पट्टा आवास, मकान किराया भत्ता का भुगतान, सज्जित आवास, उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन, आदि जैसी परिलब्धियों और लाभों की व्यवस्था करती है।

निदेशक मंडल ने दिनांक 7 दिसम्बर, 2005 को निम्नलिखित विचारार्थ विषय सहित एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

ii. विचारार्थ विषय

- किसी पेंशन अधिकारों और प्रतिपूर्ति भुगतान जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किया जाता है, सहित पूर्णकालिक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज परिलब्धियों पर कंपनी की नीति पर गौर करना।
- पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कतिपय परिलब्धियां, जो निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर अनुमोदित करना। मुख्य समूहों, जैसे प्रोत्साहन/लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि के अधीन सारांश दिए गए वैयक्तिक निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के अवयवों की समीक्षा।
- भत्तों और लाभों तथा अन्य संबद्ध मामलों, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किये जाते परंतु निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हैं, नितियों को अंतिम रूप देना।
- नियत संघटक और कार्यनिष्पादन मानदंडों आधारित कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का अनुमोदन।
- गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड को अंतिम रूप देना।
- स्वतंत्र निदेशकों निदेशक मंडल/शेयरधारकों सहित गैर-कार्यपालक निदेशकों को फीस/प्रतिपूर्ति/स्टॉक विकल्प, अगर कोई हो, का भुगतान/प्रदान करने की सिफारिश।
- पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों से संबद्ध अन्य कोई कार्य करना।

iii. संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

पारिश्रमिक समिति के सदस्यों और अध्यक्ष के नाम का ब्यौरा निम्ननुसार है :

| निदेशक का नाम | इनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति (संख्या) |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| सर्व/श्री | पद | |
| अशोक के अग्रवाल | अध्यक्ष | 4 |
| विनीत नयर (28.02.2007 तक) | सदस्य | 4 |
| नरेश चतुर्वेदी (25.01.2007 तक) | सदस्य | 4 |
| निदेशक (मा.सं.) | सदस्य | 4 |
| निदेशक (वित्त) | सदस्य | 4 |

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iv. वर्ष के दौरान उपस्थिति

वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की बैठक विगत वर्ष 2006-07 अर्थात् 28 अप्रैल, 2006, 17 मई, 2006, 31 मई, 2006 और 8 अगस्त, 2006 के 4 बार हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति को उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

v. वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(रूपये में)

| क्र. सं. | निदेशक का नाम सर्व/श्री | वेतन | लाभ | बकाया अगर कोई हो | कार्यनिष्पादन संबद्ध | कुल | सेवा संविदा/नोटिस अवधि विच्छेदन शुल्क |
|----------|-------------------------------|----------|-----------|------------------|----------------------|-----------|--|
| 1. | ए. के. पुरी | 6,41,549 | 6,28,260 | 0 | 36,870 | 13,06,679 | चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने योग्य |
| 2. | एस. के. जैन | 6,21,644 | 5,10,832 | 0 | 36,870 | 11,69,346 | चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने योग्य |
| 3. | के. रवि कुमार | 6,74,155 | 5,87,873 | 0 | 36,870 | 12,98,898 | चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने योग्य |
| 4. | सी. एस. वर्मा | 5,62,415 | 3,57,863 | 0 | 21,508 | 9,41,786 | चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने योग्य |
| 5. | रामजी राय 31.08.2006 तक | 2,75,860 | 5,59,941 | 0 | 36,870 | 8,72,671 | चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने योग्य अधिवर्षिता के कारण 31.08.06 को सेवानिवृत्त |
| 6. | ए. के. माथुर | 6,79,758 | 10,89,013 | 0 | 36,874 | 18,05,645 | चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने योग्य |
| 7. | सी. पी. सिंह 01.09.2006 से | 3,37,298 | 3,00,648 | 0 | 37,000 | 6,74,946 | चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने योग्य |

vi. वर्ष 2006-2007 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(रूपये में)

| गैर-कार्यकारी निदेशकों का नाम सर्व/श्री | बैठका फीस | | योग |
|---|---------------------|---------------|------------|
| | निदेशक मंडल की बैठक | समिति की बैठक | |
| विनीत नय्यर (28.02.2007 तक) | 25,000/- | 30,000/- | 55,000/- |
| संजय एम. दादलिका | 65,000/- | 45,000/- | 1,10,000/- |
| अशोक के. अग्रवाल | 55,000/- | 40,000/- | 95,000/- |
| मनीष गुप्ता | 60,000/- | 30,000/- | 90,000/- |
| शेखर दत्ता | 65,000/- | 65,000/- | 1,30,000/- |
| रमन सिंह सिद्धू (12.09.2006 तक) | 20,000/- | | 20,000/- |
| मधुकर (05.07.2006 तक) | 65,000/- | 30,000/- | 95,000/- |

स्वतंत्र निदेशक बोर्ड अथवा उसकी समिति की प्रति बैठक 5,000/- रूपए की दर पर बैठक फीस के लिए हकदार हैं। इसके बाद निदेशक बोर्ड अथवा समिति की प्रत्येक बैठक के लिए बैठक फीस बढ़ाकर 10,000/- रूपए की गई।

vii. निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर

यहां नीचे वर्णित को छोड़कर कोई भी निदेशक बीएचईएल में कोई इक्विटी शेयरधारित नहीं करता है (दिनांक 31 मार्च, 2007 को) :

| निदेशक का नाम सर्व/श्री | धारित शेयरों की संख्या |
|-------------------------|------------------------|
| अशोक के. पुरी | 200 |
| ए. के. माथुर | 200 |
| संजय एम. दादलिका | 10 |
| डॉ. सुरजीत मित्रा | 100 |

वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी ने कोई स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किए हैं। कंपनी ने अपने मौजूदा हितधारियों को 1:1 के अनुपात में 6 जून, 07 को बोनस शेयर आवंटित किया अर्थात् प्रत्येक के लिए 10 रूपये का एक बोनस शेयर का भुगतान किया गया जिनका 1 जून, 07 के रिकार्ड के अनुसार इक्विटी शेयर 10 रूपये है।

5. शेयरधारक समिति

5.1 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल ने बहुत पहले एक शेयर अंतरण समिति गठित की थी, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (पावर) और निदेशक (वित्त शामिल थे।

शेयर अंतरण समिति डिमेट मोड के अधीन लाभार्थी की स्थिति का ध्यान रखने के अतिरिक्त सभी शेयर सबद्ध मुद्दों, शेयरों के अंतरण/पारिषण, वास्तविक मोड में शेयर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने आदि पर विचार कर अनुमोदित करती है।

वर्ष 2006-07 के दौरान बैठक

शेयर अंतरण समिति की वर्ष के दौरान 22 बार बैठक हुई। शेयर अंतरण समिति की बैठकों का कार्यकृत आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

5.2 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

एसआईजीसी समिति विशेष रूप से शेयरधारक और निवेशकों की शेयर के अंतरण, तुलनपत्र, लाभांश की अप्राप्ति जैसी शिकायतों से संबद्ध मामलों और शेयरधारकों की अन्य संगत शिकायतों पर गौर करती है।

समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

| निदेशक का नाम सर्व/श्री | पद | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की सं. | बैठकों में उपस्थिति (सं.) |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|
| मधुकर अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | अध्यक्ष (25.01.2007 से) | 1 | 1 |
| श्री संजय एम. दादलिका अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | सदस्य | 3 | 3 |
| श्री अशोक के. अग्रवाल अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | सदस्य | 3 | 2 |
| निदेशक (मानव संसाधन) | सदस्य | 3 | 2 |
| निदेशक (वित्त) | सदस्य | 3 | 3 |

श्री एन.के. सिन्हा, कंपनी सचिव सूचीकरण करार के खण्ड 47 के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

वर्ष 2006-2007 दौरान बैठकें

समिति ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तीन बार दिनांक 11 जुलाई, 2006, 13 अक्टूबर, 06 और 22 मार्च को बैठक की। प्रत्येक सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा उपरोक्त तालिका में दी गई है।

अभी तक शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या

जैसा कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) द्वारा सेबी को सूचित किया गया है, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 177 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और जिनमें से सभी का 31 मार्च, 2007 तक निपटारा कर दिया गया था। रिपोर्ट की अवधि के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

6.मानव संसाधन समिति

निदेशक मंडल ने विशेषकर निम्नलिखित मामलों को देखने के लिए दिनांक 31 मई, 2006 को मानव संसाधन समिति का गठन किया है।

(क) कार्यकारियों का पुरस्कार/प्रोत्साहन तथा पदोन्नति के संबंध में मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना।

(ख) बीएचईएल के परिवर्तन/व्यावसायिक वातावरण बनाने के लिए दीर्घावाधि और अल्पकालिक नीतियां सुझाना।

i. संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

मानव संसाधन समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष के नाम निम्नानुसार हैं :-

| निदेशक का नाम सर्व/श्री | स्थिति | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति की (संख्या) |
|--|---------|---|--------------------------------------|
| शेखर दत्ता अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | अध्यक्ष | 3 | 3 |
| डा. सुरजीत मित्रा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | सदस्य | 3 | 3 |
| निदेशक (मा.स.) | सदस्य | 3 | 3 |
| निदेशक (ईआर एवं डी) | सदस्य | 3 | 2 |

कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

बैठक और उपस्थिति

समिति ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तीन बार 7 अगस्त 2006, 14 सितम्बर 2006 और 24 जनवरी, 2007 को बैठक की। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का ब्यौरा उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

7. आमेलन एवं अधिप्राप्ति समिति

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित मामलों को देखने के लिए दिनांक 25 जनवरी, 2007 को आमेलन एवं अधिप्राप्ति समिति का गठन किया है।

क. आमेलन, अधिग्रहण और नवरत्न पीएसयू के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में अधिकार प्राप्ति से संबंधित प्रस्तावों की व्यवहार्यता की जांच करना तथा निदेशक मंडल को आवश्यक सिफारिश करना

ख. बीएचईएल और बैंकों एवं उपस्थिति अवसरों के बीच उचित सहक्रियात्मक और कार्यनीतिक निरीक्षण करना और विभिन्न उपयुक्त कार्यों से संबंधित सिफारिशों पर निर्णय लेना।

ग. लक्ष्य, निविदा कार्यनीति, टर्म सीट, वित्तीय पद्धति के मूल्यांकन पर विचार करना और शेयर हॉल्डर तथा शेयर खरीद करार आदि जैसे आवश्यक जटिल दस्तावेजों के संबंध में सिफारिशों को अंतिम रूप देना।

घ. मूल कंपनी और अन्य संबद्ध मामलों सहित प्रबंधन संरचना, संबंधों के पोस्ट बैठकों एवं उपस्थिति मुद्दों पर मार्गदर्शक प्रदान करना।

i. संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

आमेलन एवं अधिप्राप्ति समिति के सदस्यों और अध्यक्ष के नामों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

| निदेशक का नाम | स्थिति | उनके कार्याकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति (संख्या) |
|--|---------|--|------------------------------|
| सर्व/श्री | | | |
| संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, बीएचईएल के बोर्ड पर | अध्यक्ष | 1 | 1 |
| शेखर दत्ता अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | सदस्य | 1 | 1 |
| निदेशक (आईएस एवं पी) | सदस्य | 1 | 1 |
| निदेशक (वित्त) | सदस्य | 1 | 1 |
| निदेशक(ईआरएण्ड डी) | सदस्य | 1 | 1 |

कार्यकारी निदेशक (पीएंडडी)/पीएवंडी प्रमुख स्थायी आमंत्रित हैं। कंपनी का कंपनी सचिव समिति को सचिवालय सहायता प्रदान करता है।

बैठक और उपस्थिति

समिति ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक बार अर्थात् 10 मार्च, 07 के बैठक की।

8. परियोजना समीक्षा समिति

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ 25 जनवरी, 2007 को परियोजना समीक्षा समिति का गठन किया है:-

क. परियोजना समीक्षा समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होंगी।

ख. बैठक हेतु कोरम तीन सदस्यों का होगा।

ग. परियोजना समीक्षा समिति तिमाही आधार पर 100 करोड़ और उससे अधिक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं की स्थिति, प्राप्त/अप्राप्त ऑर्डरों, ऊर्जा एवं उद्योग क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रभाग के संबंध में प्रमुख उपभोक्ता शिकायतों की समीक्षा करेगी।

घ. परियोजना समीक्षा समिति उन कार्यपालकों को समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकती है, जिनकी उपस्थिति को वह बैठक में उचित समझे।

ड. परियोजना समीक्षा समिति, जब कभी आवश्यक समझे, ऊर्जा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के संबंध में परियोजना हेतु एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर भी निदेशक मंडल को आवश्यक सिफारिश करेगी।

i. संरचना तथा, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

परियोजना समीक्षा समिति के सदस्यों और अध्यक्ष के नामों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| निदेशक का नाम सर्व/श्री | स्थिति | इनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति (संख्या) |
|--|---------|---|-----------------------------------|
| संजय एम. दादलिका अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | अध्यक्ष | 2 | 2 |
| मधुकर अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | सदस्य | 2 | 2 |
| निदेशक (आईएस एण्ड पी) | सदस्य | 2 | 2 |
| निदेशक (ऊर्जा) | सदस्य | 2 | 2 |
| निदेशक (ई,आर एण्ड डी) | सदस्य | 2 | 2 |

बीएचईएल के निदेशक मंडल से संबंधित संयुक्त सचिव/भारी उद्योग विभाग स्थायी आमंत्रित होंगे तथा जब कभी अपेक्षित हो, बीएचईएल के अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रमुख को बुलाया जाएगा। कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

बैठक और उपस्थिति

समीक्षा ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दो बार 15 फरवरी, 07 और 22 मार्च, 07 को बैठक की/प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का ब्यौरा उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

9. आम बैठक

i. पिछली तीन वार्षिक बैठकों का स्थान और समय

| वर्ष | स्थान | दिनांक | समय |
|--|--|------------------|---------------------|
| वित्तीय वर्ष 2003-04 (40 वीं वार्षिक आम बैठक) | फिक्सी ऑडिटोरियम, बाराखम्बा रोड (तानसेन मार्ग) नई दिल्ली-110001 | 28 सितम्बर, 2004 | पूर्वाह्न 10.00 बजे |
| वित्तीय वर्ष 2004- 05 (41 वीं वार्षिक सामान्य बैठक) | पूर्ववत | 29 सितम्बर, 2005 | पूर्वाह्न 10.00 बजे |
| वित्तीय वर्ष 2005- 06 (42 वीं वार्षिक सामान्य बैठक) | पूर्ववत | 15 सितम्बर, 2006 | पूर्वाह्न 10.00 बजे |

ii. पिछली तीन वार्षिक बैठक में पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा

कंपनी ने दिनांक 28.09.2004 को हुई 40 वीं वार्षिक आम बैठक में अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के स्टॉक एक्सचेंजों से अपने इक्विटी शेयरों को सूची से हटाने के लिए विशेष संकल्प पारित किया।

कम्पनी ने 15.9.06 को आयोजित 42 वीं वार्षिक आम बैठक में कम्पनी के संगम अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विशेष संकल्प पारित किया।

iii. डाक मतपत्र

पिछले वर्ष कोई विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से पारित नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से ऐसा कोई संकल्प प्रस्तावित नहीं है।

10. प्रकटीकरण (डिस्कलोजर)

i. संबद्ध पक्ष के साथ वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन का प्रकटीकरण, जिसके कंपनी के हित के विरुद्ध होने की संभावना हो।

कंपनी ने वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है, जिनका कंपनी के हित के विरुद्ध होने की संभावना हो। फिर भी, संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देनों को वार्षिक रिपोर्ट में लेखे की अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 13 में प्रकट किया गया है।

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के संबंध में कंपनी पर लगाए गए गैर अनुपालन/दण्ड और आलोचना

पिछले तीन वर्षों में कंपनी पर न तो कोई दण्ड लगाया गया है अथवा न तो आलोचना की गई और न ही ऐसी कोई गैर अनुपालन की घटना हुई है। कंपनी ने कानूनों के अनुपालन और अनुरूपता के संबंध में उच्चतम मानक निर्धारित किए हैं और सविधि द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के पूर्व सभी अनुपालन किए जाते हैं।

iii. व्हिसिल ब्लोअर नीति

बीएचईएल ने अधिकारियों के लिए अभी तक व्हिसिल ब्लोअर नीति स्थापित नहीं की है। फिर भी, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच को नहीं नकारा गया है।

iv. इस खण्ड के अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने का ब्यौरा

लिस्टिंग करार के खण्ड 49 में यथादर्शित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है। उसका ब्यौरा इस रिपोर्ट में उपयुक्त स्थानों में दिया गया है।

खण्ड 49 में आगे वर्णन कि गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को हमारे विवेकानुसार कार्यान्वित किया जाए। कंपनी निदेशकों के पारिश्रमिक के विशिष्ट पहलुओं को अनुमोदित करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति गठित कर चुकी है। अन्य गैर अनिवार्य आवश्यकताओं का इस कंपनी द्वारा आवश्यकता आधार पर धीरे-धीरे अनुपालन किया जाएगा।

v. कार्पोरेट अधिशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

कार्पोरेट अधिशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

11. वित्तीय और अन्य सूचना का संप्रेषण

खण्ड 41 के अधीन आदेशानुसार कंपनी निदेशक मंडल की उस बैठक जिसमें अलेखापरीक्षित/लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारार्थ होते हैं, के लिए स्टॉक एक्सचेंज को कम-से-कम 7 दिन पूर्व नोटिस जारी करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त परिणामों को तत्काल रिकार्ड पर रखने/अनुमोदित करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाते हैं।

उक्त सूचना सेबी एडिफार (इलेक्ट्रॉनिक डाटाइन्फार्मेशन फाइलिंग एण्ड रिट्रीवल) वेबसाइट - www.sebidifar.nic.in पर भी दर्ज की जाती है व जिसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी बाधा के देख सकता है।

बड़े ऑर्डर की प्राप्ति तथा साथ ही आवधिक रूप से होने वाली निवेशकों की बैठक में निवेशकों और वित्तीय विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतिकरण जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं सहित सरकारी विज्ञप्ति भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

12. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

i. वार्षिक सामान्य बैठक (तारीख, समय और स्थान)

| | दिनांक | समय/स्थान |
|--|------------------|--|
| | 17 सितम्बर, 2007 | 10.00 बजे फिक्की सभागार, बाराखम्बा रोड (तानसने मार्ग), नई दिल्ली-110 001 |
| ii. वित्त वर्ष | — | 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 |
| iii. खाता बंदी की तारीख | — | 3 सितम्बर, 2007 से 17 सितम्बर, 2007 तक (दोनों दिन शामिल) |
| iv. लाभांश भुगतान की तारीख | — | दिनांक 16 अक्टूबर 2007 को अथवा उसके पूर्व |
| v. लाभांश इतिहास: | | |
| लाभांश भुगतानों के संबंध में बीएचईएल “स्थिरता-सह-वृद्धि” नीति अपनाती रही है। विगत दस वर्षों के दौरान बीएचईएल द्वारा भुगतान किए गए लाभांश और 31.03.2007 तक दावा न की गई लाभांश राशि का सारांश निम्नांकित है : | | |

| वर्ष | लाभांश की दर | शेयरों की संख्या | भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (रु.) | वार्षिक बैठक की तारीख, जिसमें लाभांश की घोषणा की गई | सामान्य भुगतान की तारीख | 31.03.2007 को अदावाकृत लाभांश (रु.) | आईईपीएफ में अंतरण के लिए प्रस्तावित तारीख |
|-------------------------------|--------------|------------------|--|---|-------------------------|--|---|
| 1997-1998 | 25% | 244760000 | 611900000 | 30.09.1998 | 11.11.1998 | निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से ही अंतरित | |
| 1998-1999 | 25% | 244760000 | 611900000 | 30.09.1999 | 11.11.1999 | निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से ही अंतरित | |
| 1999-2000 (अंतरिम) | 15% | 244760000 | 367140000 | 19.05.2000* | 31.05.2000 | 779167 | 06.07.2007 |
| 1999-2000 (अंतिम) | 15% | 244760000 | 367140000 | 29.09.2000 | 10.11.2000 | 739478 | 16.11.2007 |
| 2000-2001 | 30% | 244760000 | 734280000 | 28.09.2001 | 03.10.2001 | 528441 | 02.11.2008 |
| 2001-2002 | 40% | 244760000 | 979040000 | 30.09.2002 | 07.10.2002 | 639247 | 04.11.2009 |
| 2002-2003 | 40% | 244760000 | 979040000 | 30.09.2003 | 06.10.2003 | 484760 | 04.11.2010 |
| 2003-2004 (अंतरिम) | 30% | 244760000 | 734280000 | 01.03.2004* | 22.03.2004 | 286110 | 05.04.2011 |
| 2003-2004 (अंतिम) | 30% | 244760000 | 734280000 | 28.09.2004 | 04.10.2004 | 231393 | 02.11.2011 |
| 2004-2005 (अंतरिम) | 35% | 244760000 | 856660000 | 10.12.2004* | 26.12.2004 | 290703 | 14.01.2012 |
| 2004-2005 (अंतिम) | 45% | 244760000 | 1101420000 | 29.09.2005 | 04.10.2005 | 377212 | 03.11.2012 |
| 2005- 2006 (अंतरिम) | 40% | 244760000 | 979040000 | 07.12.2005* | 26.12.2005 | 301360 | 11.01.2013 |
| 2005- 2006 (विविशिष्ट अंतरिम) | 85% | 244760000 | 2080460000 | 07.03.2006* | 27.03.2006 | 600160 | 11.04.2013 |
| 2005-2006 (अंतिम) | 20% | 244760000 | 489520000 | 15.09.2006 | 22.09.2006 | 187762 | 20.10.2013 |
| 2006-2007 (अंतरिम) | 125% | 244760000 | 3059500000 | 25.01.2007* | 15.02.2007 | 1836648 | 28.02.2014 |

*निदेशक मंडल की बैठक की वह तारीख, जिसको अंतरिम लाभांश घोषित किया गया।

vi. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण और स्टॉक कोड

बीएचईएल के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं, जिसके लिए वर्ष 2007-07 हेतु, सूचीकरण फीस का भुगतान किया गया है :

| स्टॉक एक्सचेंजों का नाम और पता | स्टॉक कोड |
|---|-----------|
| 1. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जिजीभाय, टावर्स दलाल स्ट्रीट, मुम्बई - 400 001. | 500103 |
| 2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई - 400051. | बीएचईएल |

vii. इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना

कंपनी के इक्विटी शेयर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और दि स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद से क्रमशः दिनांक 10.01.2004, 19.01.2005 और 28.01.2005 से हटाए गए हैं।

कंपनी ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों को हटाने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और हटाने के लिए अनुमोदन की इस स्टॉक एक्सचेंज से प्रतीक्षा है। कंपनी ने वर्ष 2006-07 के लिए न तो सूचीकरण फीस अदा की है और दिनांक 1.04.2005 से कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को सूचीकरण करार के अनुसार भेजे जाने के लिए अपेक्षित कोई विवरणी/रिपोर्ट/दस्तावेज आदि ही भेज रही है।

viii. बीएसई संवेदी सूचकांक, बीएसई पीएसयू सूचकांक और एसएण्डपी सीएनएक्स निफटी सूचकांक जैसे वृहद आधार वाले सूचकांकों की तुलना में बाजार मूल्य आंकड़ा और निष्पादन


बीएचईएल बनाम बीएसई संवेदी सूचकांक

बीएसई सेंसेक्स की तुलना में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसी) में दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान बीएचईएल के उच्च और निम्न बाजार शेयर मूल्य, व्यापार किए गए शेयरों की संख्या और निवल कुल कारोबार, का सारांश निम्नानुसार है :

| माह | बीएचईएल (रूपए) | | बीएचईएल सेंसेक्स | | कारोबार किए गए शेयरों की संख्या | निवल कारोबार (लाख रूपये में) |
|--------------|----------------|----------|------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| | उच्च | निम्न | उच्च | निम्न | | |
| अप्रैल 2006 | 2,444.00 | 2,200.00 | 12,102.00 | 11,008.43 | 1318047 | 30,777.55 |
| मई 2006 | 2,465.00 | 1,600.10 | 12,671.11 | 9,826.91 | 1327255 | 28,186.96 |
| जून 2006 | 2,046.00 | 1531.20 | 10,626.84 | 8,799.01 | 3088569 | 56,837.81 |
| जुलाई 2006 | 2,067.00 | 1,730.25 | 10,940.45 | 9,875.35 | 2710143 | 51,892.13 |
| अगस्त 2006 | 2,307.90 | 2,026.00 | 11,794.43 | 10,645.99 | 3342355 | 73,321.15 |
| सितम्बर 2006 | 2,414.70 | 2,185.25 | 12,485.17 | 11,444.18 | 2215985 | 50,860.05 |
| अक्टूबर 2006 | 2,498.00 | 2,259.00 | 13,075.85 | 12,178.83 | 1256993 | 29,985.64 |
| नवम्बर 2006 | 2556.50 | 2,367.00 | 13,799.08 | 12,937.30 | 1381309 | 34,080.16 |
| दिसम्बर 2006 | 2668.00 | 2,232.00 | 14,035.30 | 12,801.65 | 2642207 | 63,252.45 |
| जनवरी 2007 | 2595.00 | 2,105.05 | 14,325.92 | 13,303.22 | 2536467 | 58,571.58 |
| फरवरी 2007 | 2572.00 | 2,107.00 | 14,723.88 | 12,800.91 | 2157255 | 51,283.02 |
| मार्च 2007 | 2321.35 | 1,940.00 | 13,386.95 | 12,316.10 | 2902970 | 61,727.66 |

*स्रोत:www.bseindia.com

2006-07 के दौरान बीएचईएल के शेयर मूल्य (उच्च) की तुलना में बीएसई सेंसेक्स (उच्च) का निष्पादन




बीएचईएल की तुलना में बीएसई पीएसयू सूचकांक

दिनांक 31 मार्च 2007 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष प्रत्येक माह के दौरान बीएसई सूचकांक की तुलना में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) पर बीएचईएल के उच्च और निम्न बाजार शेयर मूल्य का सारांश निम्नानुसार है:

| माह | बीएचईएल शेयर मूल्य (रूपए) | | बीएसई पीएसयू सूचकांक | |
|--------------|------------------------------|----------|----------------------|----------|
| | उच्च | निम्न | उच्च | निम्न |
| अप्रैल 2006 | 2,444.00 | 2,200.00 | 6,329.82 | 5,837.85 |
| मई 2006 | 2,465.00 | 1,600.10 | 6,609.76 | 4,972.62 |
| जून 2006 | 2,046.00 | 1531.20 | 5,334.16 | 4,323.37 |
| जुलाई 2006 | 2,067.00 | 1,730.25 | 5,115.01 | 4,507.15 |
| अगस्त 2006 | 2,307.90 | 2,026.00 | 5,649.97 | 5,009.60 |
| सितम्बर 2006 | 2,414.70 | 2,185.25 | 5,847.30 | 5,433.71 |
| अक्टूबर 2006 | 2,498.00 | 2,259.00 | 6,016.80 | 5,733.24 |
| नवम्बर 2006 | 2556.50 | 2,367.00 | 6,346.77 | 5,924.78 |
| दिसम्बर 2006 | 2668.00 | 2,232.00 | 6,322.18 | 5,588.80 |
| जनवरी 2007 | 2595.00 | 2,105.05 | 6,426.58 | 5,918.11 |
| फरवरी 2007 | 2572.00 | 2,107.00 | 6,447.89 | 5,577.19 |
| मार्च 2007 | 2321.35 | 1,940.00 | 5,948.08 | 5,366.80 |

*स्रोत: www.bseindia.com

2006-07 के दौरान बीएचईएल के शेयर मूल्य (उच्च) की तुलना में पीएसयू इन्डेक्स (उच्च) का निष्पादन




बीएचईएल बनाम एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी

दिनांक 31 मार्च 2007 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी की तुलना में दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर बीएचईएल के शेयर के बाजार मूल्य का उच्च और निम्न, व्यापार किए गए शेयर और निवल कुल कारोबार का सारांश निम्नानुसार है :

| माह | बीएचईएल शेयर मूल्य (रु) | | एनएसई निफ्टी | | *कारोबार किए गए शेयरों की संख्या | निवल कारोबार (रु. लाख में) |
|--------------|-------------------------|---------|--------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| | उच्च | निम्न | उच्च | निम्न | | |
| अप्रैल 2006 | 2500.00 | 2155.00 | 3598.95 | 3290.35 | 4687947 | 109556.83 |
| मई 2006 | 2465.35 | 1582.30 | 3774.15 | 2896.40 | 6090953 | 128414.28 |
| जून 2006 | 2047.70 | 1533.00 | 3134.15 | 2595.65 | 13578956 | 249895.49 |
| जुलाई 2006 | 2066.80 | 1729.00 | 3208.85 | 2878.25 | 10543122 | 202275.55 |
| अगस्त 2006 | 2306.40 | 2025.30 | 3452.30 | 3113.60 | 10857216 | 238510.42 |
| सितम्बर 2006 | 2416.90 | 2188.00 | 3603.70 | 3328.45 | 9214799 | 211827.09 |
| अक्टूबर 2006 | 2495.80 | 2260.00 | 3782.85 | 3508.65 | 6378053 | 152588.69 |
| नवम्बर 2006 | 2557.75 | 2363.40 | 3974.95 | 3737.00 | 6840782 | 168636.81 |
| दिसम्बर 2006 | 2665.50 | 2232.00 | 4046.85 | 3657.65 | 11395557 | 275166.51 |
| जनवरी 2007 | 2649.00 | 2105.00 | 4167.15 | 3833.60 | 14211375 | 327303.32 |
| फरवरी 2007 | 2569.95 | 2100.00 | 4245.30 | 3856.70 | 10041567 | 238080.59 |
| मार्च 2007 | 2322.00 | 1938.00 | 3901.75 | 3554.50 | 11878914 | 253282.60 |

*स्रोत: www.bseindia.com

2006-07 में बीएचईएल शेयर मूल्य (उच्च) का एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी (उच्च) की तुलना में निष्पादन



ix. अंतरंग व्यापार पर नीति

बीएचईएल ने अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए सेबी (अंतरंग व्यापार की रोकथाम) विनियम, 1992 और समय-समय पर संशोधित, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार आचार संहिता को अपनाया है। संहिता का उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य से सम्बद्ध संवेदनशील सूचना के आधार पर अंतरंग द्वारा कम्पनी के शेयरों के क्रय और/अथवा विक्रय की रोकथाम है। इस संहिता के अंतर्गत अंतरंगों (निदेशक, पदनामित कर्मचारी और अन्य सम्बद्ध व्यक्ति) को विनिर्दिष्ट सीमाओं से बाहर कम्पनी के शेयरों क्रय-विक्रय से रोकना है तथा संहिता दी गई परिभाषा के अनुसार उनसे समय-समय पर सम्बंधित सूचना को प्रकट करना अपेक्षित है। निदेशक मंडल ने निदेशक (वित्त) को संहिता के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

x. रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

दिल्ली का पता

यूनिट : बीएचईएल

105-108, अरूणाचल बिल्डिंग,

19, बाराखम्बा रोड,

नई दिल्ली – 110 001

दूरभाष : 011-23324401 / 09

फैक्स : 011-23730743

हैदराबाद का पता

यूनिट : बीएचईएल

17-24, विट्टल राव नगर, माधापुर,

हैदराबाद- 500 081

दूरभाष : 040-23420815-20

फैक्स : 040-23420814

ई-मेल : madhusudhan@karvy.com

mailmanager@karvy.com

शेयरधारकों की सेवा के लिए आरटीए का निष्पादन संतोषजनक रहा है। निवेशकों की सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया है।

xi. शेयर अंतरण पद्धति

प्रत्यक्ष खंड के अधीन संपूर्ण शेयर अंतरण संबंधी कार्यकलाप कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. द्वारा किए जाते हैं। शेयर अंतरण प्रणाली में अंतरिती से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, उसका सत्यापन, अंतरण ज्ञापन तैयार करना, शेयर अंतरण समिति द्वारा उसके अनुमोदन और सूचीकरण करार के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर संबंधित अंतरितियों को अंतरित प्रमाणपत्र भेजने जैसे कार्यकलाप शामिल हैं।

xii. शेयरधारिता का वितरण

(i) 31 मार्च, 2007 को धारित के आकार के अनुसार शेयरों का वितरण


| धारित इक्विटी शेयरों की संख्या | शेयर धारकों की संख्या | शेयर धारकों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | शेयरधारिता का प्रतिशत |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| 1 - 5000 | 97308 | 98.39 | 3248771 | 1.33 |
| 5001 - 10000 | 600 | 0.61 | 460390 | 0.19 |
| 10001 - 20000 | 261 | 0.26 | 378604 | 0.15 |
| 20001 - 30000 | 66 | 0.07 | 163529 | 0.07 |
| 30001 - 40000 | 54 | 0.05 | 189368 | 0.08 |
| 40001 - 50000 | 39 | 0.04 | 181737 | 0.07 |
| 50001 - 100000 | 96 | 0.10 | 710407 | 0.29 |
| 100001 & Above | 473 | 0.48 | 239427194 | 97.82 |
| योग: | 98897 | 100.00 | 244760000 | 100.00 |

(ii) 31 मार्च 2007 के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप

| श्रेणी | 2007 | | 2006 | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | मत संख्या (%) | धारित शेयरों की सं. | मत संख्या (%) | धारित शेयरों की सं. |
| प्रवर्तकों की धारिता | | | | |
| भारतीय प्रवर्तक | | | | |
| - भारत के राष्ट्रपति | 67.72 | 165755000 | 67.72 | 165755000 |
| - भारत के राष्ट्रपति के नामिती | 0.00 | 200 | 0.00 | 200 |
| एकमत होकर कार्यरत व्यक्ति | | | | |
| - निदेशक और उनके सम्बन्धी | 0.00 | 1500 | 0.00 | 1310 |
| कुल प्रवर्तक धारिता | 67.72 | 165756700 | 67.72 | 165756510 |
| गैर-प्रवर्तकों की धारिता | | | | |
| संस्थागत निवेशक | | | | |
| म्युचुअल फंड और यूटीआई | 4.63 | 11323273 | 4.79 | 11732542 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां | 3.32 | 8122488 | 2.52 | 6160550 |
| विदेशी संस्थात्मक निवेशक | 20.00 | 48945054 | 22.42 | 54874330 |
| अन्य | | | | |
| निजी निगमित निकाय | 2.58 | 6309868 | 1.37 | 3354519 |
| भारतीय जनता | 1.61 | 3970453 | 1.09 | 2670383 |
| एनआरआई/ओसीबी | 0.11 | 267753 | 0.06 | 136036 |
| न्यास | 0.01 | 12912 | 0.00 | 8203 |
| मार्गस्थ शेयर (एनएसडीएल/सीडीएसएल) | 0.02 | 51499 | 0.03 | 66927 |
| कुल गैर-प्रवर्तक धारिता | 32.28 | 79003300 | 32.28 | 79003490 |
| कुल जोड़ | 100.00 | 244760000 | 100.00 | 244760000 |

शेयरधारिता का स्वरूप

31 मार्च, 2007 को



(iii) उन शेयरधारकों की सूची, जो दिनांक 31 मार्च, 2007 को कंपनी के शेयरों का 1% से अधिक धारित कर रहे हैं


| श्रेणी और शेयरधारक का नाम | 2007 | | 2006 | |
|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | मत संख्या (%) | धारित शेयरों की संख्या | मत संख्या (%) | धारित शेयरों की संख्या |
| प्रवर्तक की धारिता | | | | |
| 1. भारत के राष्ट्रपति | 67.72 | 165755000 | 67.72 | 165755000 |
| गैर-प्रवर्तक की धारिता | | | | |
| 1. भारतीय जीवन बीमा निगम | 1.98 | 4838820 | | |
| 2. आईसीआइसीआई प्रुडेन्सियल लाइफ इन्सुरेन्स क. लिमिटेड | 1.11 | 2710711 | 1.49 | 3647192 |
| विदेशी संस्थात्मक निवेशक | | | | |
| 1. जे.पी. मोर्गन फ्लेमिंग एसेट मैनेजमेंट | 1.83 | 4481203 | 1.64 | 4009194 |

xiii. शेयरों और नकदी निर्णय का अमूर्तकरण

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा, बीएचईएल के शेयरों का अमूर्त (डीमैट) रूप में व्यापार दिनांक 5 अप्रैल, 1999 से अनिवार्य कर दिया गया है। बीएचईएल ने देश के दोनों निक्षेपागारों अर्थात् नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपाजिटरी सिक्यूरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ अपनी प्रतिभूतियों के डीमैट रूप में प्रवेश देने के लिए करार निष्पादित किया है। दिनांक 31 मार्च 2007 को बीएचईएल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के 32.18 प्रतिशत को शेयरधारकों ने अमूर्त करा लिया है और एनएसडीएल/सीडीएसएल के नाम से धारित है। कंपनी को आर्बिट्रि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई 257 ए 01018 है।

डिपोजिटारियों द्वारा धारित शेयर

31 मार्च, 2007 को



xiii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभाव प्रभाव
शून्य

xiv. संयंत्र अवस्थिति

- हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट प्लांट हरिद्वार
- सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट, हरिद्वार
- हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद
- हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट, तिरुचि
- हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्लांट, भोपाल
- ट्रांसफार्मर प्लांट, झांसी
- इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बंगलौर
- बॉयलर ऑक्जिलरीज प्लांट, रानीपेट
- इंडस्ट्रियल वाल्व्स प्लांट, गोइंदवाल
- इलेक्ट्रोपोर्सलेंस डिवीजन, बंगलौर
- इंसूलेटर प्लांट, जगदीशपुर
- कम्पोनेंट फेब्रिकेशन प्लांट, रूद्रपुर
- हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट, वाराणसी
- इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट, मुम्बई

xv. पत्राचार हेतु पता

शेयरों के अंतरण/अमूर्तकरण, शेयरों पर लाभांश भुगतान, लाभांश वारंटों को पुनःवैधिकरण और कंपनी के शेयरों के संबंधित अन्य पूछताछ के लिए शेयरधारक अपने पत्र निम्नांकित में किसी को भी प्रेषित कर सकते हैं :

| | | |
|----------------------------------|--------|------------------|
| एन. के. सिन्हा | दूरभाष | : 91 11 26001046 |
| कम्पनी सेक्रेटरी | फैक्स | : 91 11 26001102 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | ई-मेल | : csynks@bhel.in |
| पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, | | |
| नई दिल्ली – 110 049 | | |

अथवा

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि.


यूनिट : बीएचईएल

| | | | |
|----------|---------------------------|--------|---------------------|
| दिल्ली : | 105-108, अरूणाचल बिल्डिंग | दूरभाष | : 011-23324401 / 09 |
| | 19, बाराखम्बा रोड, | फैक्स | : 011-23730743 |
| | नई दिल्ली – 110 001 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------|-------------------|
| हैदराबाद : | 17-24, विट्टल राव नगर, | दूरभाष | : 040-23420815-20 |
| | माधापुर, | फैक्स | : 040-23420814 |
| | हैदराबाद – 500 081 | | |
| | ई-मेल : madhusudhan@karvy.com | | |
| | mailmanager@karvy.com | | |

टिप्पणी: इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों को सभी पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार डिपोजिटरी के साथ करना चाहिए।

घोषणा: स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 49(घ) के अनुसरण में एतद्वारा यह घोषणा की जाती है कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन कर्मियों ने "वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए बीएचईएल की व्यवसाय" आचरण और नैतिकता की संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।


(अशोक के. पुरी)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 31 जुलाई, 2007

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीएफओ प्रमाणीकरण

सेवा में,

निदेशक मंडल

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

नई दिल्ली

(क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

- (i) इन विवरणों में वास्तविक रूप से कोई असत्य विवरण नहीं है अथवा किसी वास्तविक तथ्य को नहीं हटाया गया है या ऐसा कोई विवरण विहित नहीं है, जा भ्रामक हो।
- (ii) ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्य का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये मौजूदा लेखाकरण मानक, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैर-कानूनी अथवा कंपनी की आचरण संहिता के उल्लंघन में हो।

(ग) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और कि हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन अथवा प्रचालन में कमियां, अगर कोई हो, जिससे हम अवगत हैं और इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए उपायों तथा किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों को बताया है।

(घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित दर्शाया है :

- (i) वर्ष 2006-07 के दौरान आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- (ii) वर्ष 2006-07 के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दर्शाया गया है, और
- (iii) धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, जिनसे हम अवगत हैं और कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की उनमें भागीदारी।

हस्ता./-

(सी. एस. वर्मा)

निदेशक (वित्त)



(अशोक के. पुरी)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30.07.2007

कॉर्पोरेट प्रशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्य
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
भेल हाउस, सीरी फोर्ट
नई दिल्ली

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण करार के खंड 49 में यथानिर्दिष्ट दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित के अधीन हम उल्लेख करते हैं कि :

(i) सूचीकरण करार का खण्ड 49.1 (क) यह अपेक्षा करता है कि कंपनी के निदेशक मंडल के कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक होने चाहिए। कंपनी ने कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अधीन यथानिर्धारित निदेशक मंडल की संरचना की शर्तों का अनुपालन किया है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति अथवा निदेशक मंडल से त्यागपत्र देने के कारण आकस्मिक रिक्ति की वजह से कंपनी वर्ष के दौरान शर्त पूरा करने में असमर्थ है। तदनुसार कंपनी में वर्ष के दौरान उसके निदेशक मंडल में कार्यपालक और स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं है।

(ii) सूचीकरण करार का खण्ड 49.iv (ग) के जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनतम कार्यविधि के बारे में बोर्ड के सदस्यों के सूचित करने हेतु कार्य विधि निर्धारित करने का कार्य कंपनी के प्रकियाधीन है।

हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करार में यथानिर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का पालन किया है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्यकालीन व्यवहार्यता का और न ही कंपनी की कार्यों को संचालित करने में प्रबंधन की कुशलता अथवा प्रभावशीलता का आश्वासन है।

कृते और उसकी ओर से

एम. एल. पुरी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-

(नवीन बंसल)

भागीदार

सदस्यता 91922

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई, 2007

ऊर्जा का संरक्षण

बीएचईएल में ऊर्जा संरक्षण एक महत्वपूर्ण बल देने वाला क्षेत्र है। वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण पिछले वर्ष के 6 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वर्ष के दौरान की तुलना में 7 करोड़ रुपये की बचत हुई थी। सकल कारोबार की प्रतिशतता के रूप में ऊर्जा लागत विगत वर्ष के 1.49 प्रतिशत की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 1.52 प्रतिशत रही।

ऊर्जा संरक्षण के बल देने वाले विभिन्न क्षेत्र निम्नानुसार है:

1. विद्युत की अधिकतम मांग में कमी के लिए भार योजना
2. दिन के प्रकाश का अधिकतम उपयोग
3. ऊर्जा कुशल लैम्प आदि के प्रयोग द्वारा-प्रकाश व्यवस्था प्रणाली में संशोधन
4. फर्नेस का इष्टतम उपयोग
5. कंप्रेसड एयर पाइपिंग एवं स्टीम पाइपिंग में रिसाव रोकना।
6. वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग
7. मशीनों पर मोटरों के लिए वैरिएबल स्पीड ड्राइव की व्यवस्था

इकाइयों, छोटे शहरों, स्कूल और अंगीकृत गांवों में दिनांक 7-14 दिसम्बर, 2006 के दौरान ऊर्जा संरक्षण जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

प्रौद्योगिकी आमेलन तथा अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कम्पनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया | } | निदेशकों की रिपोर्ट में |
| | } | “अनुसंधान एवं विकास |
| 2. उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के फलस्वरूप प्राप्त किए गए लाभ | } | तथा प्रौद्योगिकी” के |
| | } | अंतर्गत दिया गया है। |
| 3. भविष्य की कार्य योजना | | |

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी में बल दिये जाने प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :

- ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक उपयोग हेतु एडवांस कंट्रोल एंड इंस्ट्रुमेंटेशन प्लेटफॉर्म
- ताप विद्युत संयंत्र उपयोग हेतु परफॉर्मैस एनालाइसिस, डॉयग्नोस्टिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन (पीएडीओ) प्रणालियाँ
- सुपरक्रिटिकल पैरामीटरों का प्रयोग करते हुए अत्यधिक सक्षम पारम्परिक ताप विद्युत संयंत्र
- इंटेग्रेटेड गैसिफिकेशन कम्बाइंड साइकल (आईजीसीसी) विद्युत संयंत्र
- एटमोस्फियरिक एंड सर्कुलैटिंग फ्ल्यूडाइज्ड बेड कम्बर्शन (सीएफबीसी) बायलर्स
- उच्चतर दक्षता एवं लम्बे जीवन के साथ पन विद्युत संयंत्र
- एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणालियाँ
- थाइरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कम्पेंसेशन, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर, स्टेटिक सिंक्रोनाइज्ड कम्पेंसेटर (स्टेटकॉम), कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर आदि जैसे युक्तियों सहित फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम
- गैस इंसुलेटेड स्विचगियर
- 765 केवी ट्रांसमिशन प्रणाली
- औद्योगिक स्टीम टरबाइन
- प्लवराइजर्स
- कम्प्रेसर्स
- हाई एफिसिएंसी बायलर फीड पम्प
- उत्सर्जनों में कमी
- डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए तीन फेज एसी ड्राइव प्रणाली जैसी दक्ष, विश्वसनीय और लागत कम करने वाली परिवहन प्रणालियाँ
- गैर-पारम्परिक ऊर्जा प्रणालियाँ
- सिमुलेटर्स
- वेल्डिंग प्रौद्योगिकी
- सर्फेस कोटिंग्स
- कम्पन एवं शोर में कमी

- रेजिडुअल लाइफ असेसमेंट स्टडीज
- चक्र समय एवं लागत में कमी
- स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन्स
- आईजीबीटी-आधारित एप्लिकेशन
- भूमिगत कोयला गैसीकरण
- ज्ञान प्रबन्धन
- इंटेलिजेंट मशीनें और रोबोटिक्स
- नैनो-टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन
- हाइड्रोजन ऊर्जा और ईंधन सेल

4. अनुसंधान एवं विकास व्यय

| | | |
|--|------|----------------|
| कुल | | 253 करोड़ रुपए |
| क) आवर्ती | | 244 करोड़ रुपए |
| ख) पूंजी | | 8 करोड़ रुपए |
| कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में व्यय | | 1.35% |

प्रौद्योगिकी आमेलन एवं अभिग्रहण

पिछले पाँच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के विवरण :

| प्रौद्योगिकी | आयात वर्ष | आमेलन स्थिति |
|-----------------|-----------|--|
| एक्सियल फैनस | 2002 | प्रौद्योगिकी आमेलित की गई ऑर्डर निष्पादित। |
| वन्स थ्रू बॉयलर | 2005 | प्रौद्योगिकी आमेलन चालू है। |

विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

- क) निर्यात सूचना से सम्बद्ध गतिविधियाँ निदेशकों की रिपोर्ट में “अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय” के अंतर्गत दी गई हैं।
 ख) प्रयुक्त और अर्जित कुल विदेशी मुद्रा

(करोड़ रुपये में)

| | 2006-07 | 2005-06 |
|----------------------------|---------|---------|
| (i) प्रयुक्त विदेशी मुद्रा | 2603.84 | 2443.10 |
| (ii) अर्जित विदेशी मुद्रा | 3660.14 | 1929.40 |

लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के दिनांक 31 मार्च, 2007 के संलग्न तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न लाभ और हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन के उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरण पर मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते और निष्पादित करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त है। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आंकलन तथा साथ की वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार पर प्रदान करती है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की शर्तों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- I. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप धारा (4क) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित और कंपनी की बुक और रिकार्ड की ऐसी जांच के आधार पर हमने उपयुक्त माना और तदनुसार हमें सूचना और स्पष्टीकरण दिया गया। हम अनुबंध में उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरणी संलग्न करते हैं।
- II. ऊपर पैराग्राफ-1 में उल्लिखित अनुबंध में अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (1) विविध देनदारों, लेनदारों, संविदाकारों, अग्रिमों, की जमा राशियों और उप-संविदाकारों / फौजिकेटों के पास पड़ी भंडार/सामग्री पुष्टिकरण और समंजन के अधीन है। लेखे पर उसका परिणामी प्रभाव, अगर कोई है, सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
 - (2) संविदात्मक दायित्वों के लिए प्रावधान लेखाकरण नीति सं. 14 के अनुसार पिछले वर्ष के समान संविदा मूल्य के 2.5% की दर पर किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया की लेखाकरण मानक (एएस) 29 अन्य बातों के साथ-साथ अपेक्षा करता है कि प्रावधान की इसके लिए किए जाने वाले व्यय

प्रबंधन का उत्तर

- (1) पुष्टिकरण के लिए अनुरोध भेजे जाते हैं और पार्टियों के साथ चालू प्रक्रिया के रूप में समंजन किया जाता है तथा प्रबंधन इसके कारण लेखे पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की संकल्पना नहीं करता है।
- (2) संविदा मूल्य के 2.5% की दर पर संविदात्मक दायित्व के लिए व्यवस्था करने वाली इस कंपनी की नीति वर्षों से सुसंगत रही है और यह संरक्षणात्मक आधार पर है। कंपनी ने नीति की समीक्षा की है और उसे वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए यही जारी रखने का निर्णय किया है और इस बीच वास्तविक व्यय की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

के चालू सर्वोत्तम अनुमान को प्रदर्शित करना चाहिए और किसी आर्थिक लाभ के किसी परिणामी वृद्धि प्रवाह की प्रत्याशित अवधि प्रकट की जाती होगी। हमारे द्वारा उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना प्रत्याशित है कि क्या लेखाकरण अनुमान उचित हैं या नहीं। उपरोक्त प्रावधान की उपयुक्तता के संबंध में पर्याप्त आंकड़े के इस अभाव में हम यह राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं कि क्या किया गया प्रावधान लेखाकरण मानक के अनुरूप हैं।

- (3) आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया जाता है:
- (i) अनुसूची की टिप्पणी संख्या 18(क) (i) और (ii) जो क्रमशः 40.53 करोड़ रुपए और 28.10 करोड़ रु के वार्षिक लाभ में वृद्धि के फलस्वरूप देय छुट्टी एवं छुट्टी यात्रा रियायत/छुट्टी यात्रा अग्रिम नकदी के सम्बन्ध में लेखाकरण पद्धति में परिवर्तन के बारे में है।
- (ii) अनुसूची-19 की टिप्पणी संख्या 18(ख) जो 70.18 करोड़ रुपए के वार्षिक लाभ में कमी के फलस्वरूप अर्धवेतन, छुट्टी की नकदी के सम्बन्ध में लेखाकरण .. में परिवर्तन के बारे में है।
- (4) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त पैरा i (1) से ii (2) में दी गई हमारी उपरोक्त अम्युक्तियों के अनुसार किए जाने वाले समायोजनों का समग्र प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका।

पूर्व कथनों के अधीन और उनके परिणामस्वरूप:

- (क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- (ख) जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त उचित विवरणियां हमारे द्वारा देखी नहीं गई शाखाओं से प्राप्त हो गई हैं।
- (ग) शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कर दी गई है और उस पर हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उपयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है।
- (घ) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों और शाखाओं से प्राप्त लेखापरीक्षित विवरणियों से मेल खाते हैं।
- (ङ.) हमारी राय में इस उत्तर में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा तथा रोकड़-प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।
- (च) भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी की गई दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829(अ) के संदर्भ में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (छ) के उपबन्ध कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- (छ) हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अनुसूची-19 में लेखाकरण नीतियों और

व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथापेक्षित सूचना इस प्रकार अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप उचित और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं।

- (i) दिनांक 31 मार्च, 2007 को कंपनी के कार्यों की स्थिति, तुलनपत्र के मामले में और
- (ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे के मामले में, और
- (iii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते एम.एस. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-
(नवीन बंसल)
भागीदार
सदस्यता सं. 091922

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2007

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

प्रबन्धन का उत्तर

(हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के पैरा-1 में उल्लिखित)

- i) (क) कंपनी ने सामान्यतः मात्रात्मक विवरण और अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है
- (ख) हमें सूचित किया गया है कि प्रबन्धन ने वास्तविक सत्यापन के अपने चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सामान्यतः स्थायी परिसंपत्तियों के एक भाग का वास्तविक सत्यापन कर लिया है, जिसे कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित माना गया है और वर्ष के दौरान किए गए सत्यापन की सीमा तक ऐसे सत्यापन पर कोई वास्तविक विसंगति नहीं पाई गई है। वास्तविक सत्यापन के स्थान पर पट्टे पर भारतीय रेलवे को दिए गए 65 लोकोमोटिव के सम्बन्ध में इन लोकोमोटिव के वास्तविक कब्जे की पुष्टि का प्रमाण-पत्र पट्टा समझौते के अनुसार भारतीय रेलवे से प्राप्त कर लिया गया है।
- (ग) कम्पनी ने नियत परिसंपत्तियों के अधिकांश हिस्से का निपटान नहीं किया है, जिससे कि 'गोइंग कन्सर्न' की संकल्पना प्रभावित हो।
- ii) (क) कुछ यूनियों को छोड़कर, जहां कि इनके योजना विभागों की निरीक्षण तथा उत्पादन रिपोर्टों के आधार पर चालू कार्य और तैयार माल का वर्ष के अंत में सत्यापन किया जाता है, वर्ष के दौरान नियमित अंतरालों पर स्थायी मालसूची प्रणाली के अधीन, प्रबंधन द्वारा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। संविदाकारों/फेब्रिकेटर्स और अन्य पक्षों के पास पड़े हुए स्टॉक के संबंध में केवल कुछ मामलों में पुष्टियां प्राप्त हुई थीं। उपयुक्त के अधीन, हमारी राय में सत्यापन की बारम्बारता उचित है।
- (ख) हमारी राय में प्रबन्धन द्वारा मालसूची के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई कार्यविधि कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में सामान्यतः उचित और पर्याप्त है।
- (ग) मालसूची के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी ने सामान्यतः मालसूची का समुचित रिकार्ड रखा हुआ है और मालसूची के सत्यापन में कंपनी के आकार और कार्य की प्रकृति के संदर्भ में दर्शाई गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं तथा इन्हें कंपनी की लेखा बही में समुचित स्थान दिया गया है।
- iii) (क) हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, फर्मों अथवा किसी अन्य पक्षों से रक्षित अथवा आरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार चालू वर्ष के लिए कम्पनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 के खण्ड (iii) (ख) से (iii) (घ) कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

अनुरोधों को पुष्टि के लिए संविदाकारों/फेब्रिकेटर्स के पास भेजा जाता है और पार्टियों के साथ चालू प्रक्रिया के रूप में समाधान किया जाता है तथा प्रबंधन को इसके कारण लेखे पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

- (ख) हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों से रक्षित अथवा अरक्षित कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, चालू वर्ष के लिए कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैराग्राफ 4 का खण्ड (iii) (च) और (iii) (छ) कम्पनी पर लागू नहीं है।
- iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय के अनुरूप माल की खरीद और अन्य परिसंपत्तियों तथा सामग्रियों की बिक्री के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि है। इसके अलावा, कम्पनी की बहियों एवं रिकार्डों की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि में किसी बड़ी कमी के संकेत न तो हमें मिले हैं और न ही किसी से जानकारी प्राप्त हुई है। लेखापरीक्षा के दौरान हमने ऐसा नहीं पाया कि आंतरिक नियंत्रण की किसी बड़ी कमी में सुधार न किया जा रहा हो।
- v) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 में किसी संविदा और प्रबंधन का उल्लेख नहीं है कंपनी ने कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया है, जिसे रजिस्टर में दर्ज किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैराग्राफ 4 के खण्ड-V (ख) चालू वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।
- vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 58 क और 58 कक अथवा अन्य संगत प्रावधान और उसके अधीन बनाए कंपनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 1975 के अनुसरण के वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।
- vii) हमारी राय में, कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली व्यापक तौर पर कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।
- viii) हमने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विद्युत मोटरों सीवन रहित (सीमलेस) इस्पात ट्यूबों, इलेक्ट्रिक जेनरेटर, पावर ट्रांसफार्मर, विद्युत चालित पम्पों, विन्डमिल्स के द्वारा विद्युत उत्पादन, कंट्रोल इंस्ट्रुमेंटेशन और ऑटोमेशन उपस्कर के विनिर्माण के लिए लेखा बही और रिकार्ड की विस्तृत समीक्षा की है और यह विचार कि पृथक दृष्टया निर्धारित लेखा और रिकार्ड तैयार किए गए हैं और उन्हें रखा गया है। हमने इस सेवाओं और रिकार्डों, की विषयवस्तु की जांच नहीं की है।
- ix) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रस्तुत की गई तथा हमारे द्वारा जाँची बहियों और रिकार्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से भविष्य निधि, अन्वेषक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी

राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों परयथा लागू कोई अन्य वास्तविक सांविधिक देयताएं सहित निर्विवाद सांविधिक देयताएं जमा कर रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 3.39 करोड़ रुपए भूमि किराये को छोड़कर भुगतान की तारीख से 6 से अधिक माह की अवधि हेतु 31 मार्च, 2007 को भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर एवं अन्य सेवा कर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर सांविधिक देयता बकाया राशि कोई निर्विवाद नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जिस बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क और उपकर को विवाद के कारण जमा नहीं किया है, वह निम्न प्रकार है:-

कंपनी शीघ्र निपटान के लिए डीडीए के साथ निरंतर कार्रवाई कर रही है।

| क्र. सं. | सांविधि का नाम | देयताओं की प्रकृति | राशि (रु. लाख में) | मंच, जिसके समक्ष विवाद लम्बित है |
|----------|--|--|--------------------|---|
| 1. | केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, कार्य संविदा कर अधिनियम बट्टा कर अधिनियम तथा विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम | बिक्री कर प्रवेश कर और कार्य संविदा कर | 14.22 | निर्धारण अधिकारी आयुक्त/ उपायुक्त अपीलीय न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय विभिन्न अपीलीय प्राधिकरण |
| | | | 91.90 | |
| | | | 43.54 | |
| | | | 46.84 | |
| | | | 43.22 | |
| 2. | आय कर अधिनियम, 1961 | आय कर | 0.06 | निर्धारण अधिकारी उच्च न्यायालय |
| | | | 1.76 | |
| 3. | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 | उत्पाद शुल्क | 1.01 | निर्धारण अधिकारी आयुक्त (अपील) अपीलीय न्यायाधिकरण विभिन्न अपीलीय प्राधिकरण |
| | | | 7.92 | |
| | | | 119.35 | |
| | | | 0.43 | |
| 4. | वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन सेवाकर | सेवा कर | 8.24 | निर्धारण अधिकारी आयुक्त (अपील) |
| | | | 5.70 | |
| 5. | सीमा शुल्क अधिनियम | सीमा शुल्क | 0.76 | विभिन्न अपीलीय प्राधिकरण |
| | | कुल | 384.95 | |

- x) कंपनी को 31 मार्च, 2007 को कोई संचित हानि नहीं थी और इसने उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष या उसके तत्काल बाद के वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं उठाई है।
- xi) हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकॉर्डों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा डिबेंचरधारकों को बकाए की वापसी-अदायगी में कोई चूक नहीं की है।
- xii) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।
- xiii) कंपनी पर चिट फंड या निधि/परस्पर लाभ निधि/सोसायटी के लिए लागू कोई विशिष्ट सांविधिक प्रावधान लागू नहीं है।
- xiv) हमारी राय में, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में व्यवसाय अथवा व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड-4 (xiv) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- xv) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
- xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।
- xvii) हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट देते हैं कि अल्पावधि आधार पर ली गई निधि का दीर्घावधि निवेश हेतु उपयोग नहीं किया गया है।
- xviii) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कम्पनियों को शेयरों का अधिमान्य आवंटन नहीं किया है।
- xix) हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
- xx) वर्ष के दौरान कंपनी ने पब्लिक इश्यू से कोई धन अर्जित नहीं किया है।
- xxi) कंपनी की बहियों और रिकॉर्डों की जांच की अवधि में, जो कि सामान्यतः भारत में अपनाई जा रही लेखापरीक्षा प्रणालियों के अनुसार की जाती है, और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान जालसाजी का कोई मामला हमारे सामाने नहीं आया है जो कंपनी द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया हो अथवा रिपोर्ट किया गया हो या प्रबंधन द्वारा हमें जिसके बारे में जानकारी दी गई हो, जो वित्तीय विवरणों का वास्तविक रूप से गलत वर्णन करने का कारण बनता हो।

**कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट**

हस्ता./-
(नवीन बंसल)
भागीदार

सदस्यता सं. 091922

स्थान : नई दिल्ली, दिनांक : 25 मई, 2007

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. नई दिल्ली के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रण और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां

| नियंत्रण और महालेख परीक्षक की टिप्पणियां | प्रबन्धन का उत्तर |
|---|--|
| <p>क. लाभ और हानि लेखा कर के बाद लाभ - 2414.70 करोड़ रु.</p> <p>1. कम्पनी ने विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए सुपर रेपिड गन माउण्ट के सम्बंध में (कम्पनी द्वारा यथा अनुमानित पूर्व वर्षों सहित) 12.90 करोड़ रुपए की भिन्न-भिन्न विनिमय दरों के लिए न तो बिल दिया है न ही लेखा दिया है तथापि वह समझौते की शर्तों में प्राप्त योग्य था। इसके फलस्वरूप विविध लेनदारों और लाभ में 12.90 करोड़ रुपए कम दिखाए हैं।</p> <p>ख. प्रकटीकरण</p> <p>2. कंपनी के पास 31 मार्च, 2007 को 325 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी और इश्यू 244.76 करोड़ रुपए की अंशदायी ओर भुगतान पूंजी थी। 30 अप्रैल, 2007 को असाधारण आय बैठक में कतपनी के सदस्यों ने 1 जून, 2007 की रिकार्ड तारीख को प्रत्येक द्वारा धारित प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर हेतु प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर के अनुपात में इक्विटी पणधारियों के लिए प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतया बोनस भुगतान के शेयर के इश्यू के साथ-साथ 325 करोड़ रुपए से अधिकृत शेयर पूंजी 2000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की अनुमोदित किया था। इसके फलस्वरूप अधिकृत शेयर पूंजी ओर इश्यू में 1675 करोड़ रुपए तक वृद्धि हुई 244.76 करोड़ रुपए की सामान्य आरक्षित में संगत कमी के साथ अंशदायी एवं भुगतान पूंजी में 244.76 करोड़ रुपए कंपनी ने बोनस शेयर जारी करने के फलस्वरूप 489.52 करोड़ रुपए की बढ़ी भुगतान पूंजी के आधार पर वर्ष 2006-07 प्रस्तावित अगिम डिबेंचर हेतु 293.71 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।</p> <p>ये घटनाक्रम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) के अधीन निर्धारित लेखाकरण मानक-4 में यथा अपेक्षित लेखाओं में तुलन-पत्र प्रकट न करने की तारीख के बाद उत्पन्न हुए हैं।</p> <p>(मीरा स्वरूप) प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली</p> <p>स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 18.07.2007</p> | <p>प्रबन्धन का उत्तर</p> <p>2 जनवरी, 1993 को बहु-मुद्राओं के विदेशी विनिमय की आधार दर के साथ विनिमय दर भिन्नता खण्ड के प्रचालन में विनिमय दर भिन्नता हेतु निर्धारित दावे में निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं:</p> <p>क. क्रय आदेश की पहचान जिससे मदों को सम्बंधित एसआरजीएम में प्रयोग के लिए आयात किया है।</p> <p>ख. सम्बंधित क्रय आदेश से प्रत्येक एसआरजीएम के अधीन सम्बंधित विदेशी मुद्रा में वास्तविक प्रेषण के साथ आयातित कल-पुर्जों की खपत की लिंकेज स्थापित करना।</p> <p>ग. प्रत्येक एसआरजीएम के अधीन प्रयुक्त आयातित कल-पुर्जों की वास्तविक लागत हेतु उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए प्रलेखन साक्ष्य।</p> <p>12.90 करोड़ रुपए की राशि संविदा में दी गई 'सीमा के अनुसार मुद्रा, विदेशी मुद्रा वस्तु की अधिकतम सीमा और विनिमय दर भिन्नता की तारीख के आधार तैयार विनिमय दर भिन्नता के सम्भव प्रभाव हेतु एक संकेत हैं।</p> <p>अपेक्षित लिंकेज स्थापित किया जा रहा है और तदनुसार संविदा शर्तों के अनुसार विनिमय दर भिन्नता का लेखा वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान दिया जाएगा।</p> <p>जनवरी, 2007 में निदेशक मण्डल ने कम्पनी के पणधारियों के लिए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की थी। 30 अप्रैल, 2007 को हुई कम्पनी के पणधारियों की असाधारण आम बैठक में पणधारियों ने 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य अधिकृत शेयर पूंजी 325 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि और 1:1 के अनुपात में बोनस शेयरों के इश्यू को अनुमोदित किया था जो सूचीबद्ध अपेक्षानुसार कम्पनी की मौजूदा शेयर पूंजी के साथ-साथ डिविडेन्ड के भुगतान हेतु समरूप रैंक होगी। पणधारियों को 6 जून, 2007 को बोनस शेयर आर्बाटित किए गए जिनके नाम 1 जून, 2007 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किए गए।</p> <p>वर्ष 2006-07 को अंतिम लाभांश की राशि का प्रावधान बढ़ी शेयर पूंजी के आधार पर किया गया है। अधिकृत शेयर पूंजी और बोनस शेयर के इश्यू की वृद्धि के अनुमोदन पर असाधारण बैठक का निष्कर्ष पणधारियों को सूचना हेतु स्टॉक एक्सचेंज को तत्काल भेजा गया।</p> <p>अपेक्षित प्रकटीकरण निदेशकों की रिपोर्ट 2006-07 में किया गया है।</p> |

वार्षिक लेखा

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परम्परा को दिए जा रहे महत्व और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्रोद्भव विधि तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जैसा कि कम्पनी द्वारा निरंतर किया जा रहा है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां (राज्य से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि से भिन्न) अर्जन या निर्माण अथवा संचयी मूल्यह्रास को घटाकर बही मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं। लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या बाजार कीमत, जो भी कम हो, में लिए गए पूंजी कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। स्थायी परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/ऋणों के संबंध में अवमूल्यन/पुनःमूल्यन जैसी असाधारण घटनाओं के प्रभाव को लागत में जोड़ा/से घटाया जाता है। राज्य सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि का मूल्य 1 रुपए लगाया गया है, सिवाए इसके कि वह 16 जुलाई, 1969 के पश्चात न अधिग्रहित की गई हो, क्योंकि उस मामले में यह भूमि संबद्ध राज्य सरकार से पूंजी प्रारक्षित निधि में समतुल्य जमा द्वारा अर्जन मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

3. पट्टे

वित्तीय पट्टा

क) i) 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां सामान्य विक्रय मूल्य/उचित मूल्य/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत की जाती हैं और उन्हें बिक्री के रूप में माना जाता है। उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण नीति के अनुसार, समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। पट्टा किराए पर समतुल्य प्रभार पट्टा समकरण लेखा द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

(ii) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को सामान्य विक्रय मूल्य/उचित मूल्य/एनपीटी पर बिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है। वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है। प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें पट्टा शुरू होने पर खर्च कर दी जाती हैं।

ख) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उचित मूल्य/एनपीटी/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण

नीति के अनुसार, समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। यदि पट्टा परिसंपत्तियां, पट्टा अवधि समाप्त होने पर पट्टादाता को वापस करनी हैं, तो उनको उपयोगी अवधि या पट्टा अवधि, जो भी अल्प हो, के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है। किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों से संबद्ध वित्त प्रभारों एवं बकाया देयता की कमी, में विभाजित कर दिया जाता है।

प्रचालन पट्टा

पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां :

विनिर्मित और प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां पूंजीकृत की जाती हैं। उनसे होने वाली पट्टा आय को पट्टा अवधि में हुई आय माना जाता है।

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां :

प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में हुआ खर्च माना जाता है।

4. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

क. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है, अगर क. यह संभाव्य हो कि भविष्य में परिसंपत्ति के कारण होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा, और

ख. कंपनी का परिसंपत्तियों पर नियंत्रण होगा, और

ग. इन परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती हैं और 10,000/- रुपए से अधिक की अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि में सीधी रेखा यथानुपात मासिक आधार पर पारिशोधित किया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर के मामले में तीन वर्षों और अन्य के मामले में दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

ख. क. अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को होने वाले वर्ष में लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है।

ख. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक के अनुसार मानदंड पूरी करने वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास चरण के दौरान व्यय सहित विकास पर किए गए व्यय को अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

ग. अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागतें

उधार लागतें, जो अर्हक परिसंपत्तियों के विनिर्माण, अर्जन या निर्माण पर खर्च की जाती हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में शामिल की जाती हैं। अर्हक परिसंपत्ति वह होती है, जो अभिप्रेत उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से बारह महीने से अधिक का समय लेती है। अन्य उधार लागतों को उस अवधि का व्यय माना जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

6. मूल्यह्रास

(i) स्थायी परिसंपत्तियों (संविदा के अधीन विदेशों को छोड़कर) पर मूल्यह्रास, उसे छोड़कर जहां मूल्यह्रास, तकनीकी रूप से अकलित अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रथारित

किया जाता है, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी-रेखा विधि पर परिसंपत्तियों की कुल-लागत तक प्रभारित किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है:-

| | एकल पाली | दोहरी पाली | तिहरी पाली |
|--|----------|------------|------------|
| सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी | 8% | 12% | 16% |
| स्वाचालित/अर्ध-स्वचालित मशीनें | 10% | 15% | 20% |
| निर्माण उपस्कर, पूंजीगत औजार एवं साज-सामान | 20% | | |
| टाउनशिप भवन | | | |
| -द्वितीय श्रेणी | 2.5% | | |
| -तृतीय श्रेणी | 3.5% | | |
| रेलवे साइडिंग्स | 8% | | |
| इंजन एवं वैगन | 8% | | |
| विद्युतीय संस्थापना | 8% | | |
| कार्यालय एवं अन्य उपस्कर | 8% | | |
| जल निकासी, मल-जल निकासी, तथा जलापूर्ति | 3.34% | | |
| संसाधन उपस्कर | | | |
| इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ें | 20% | | |

स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि/से कटौती के मामले में मूल्यह्रास प्रभार, यथानुपात मासिक आधार पर होता है।

- (ii) दीर्घावधिक संविदाओं के अनुसरण में भारत से बाहर प्रयुक्त स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रारंभिक संविदा की अवधि के दौरान होता है।
- (iii) 10,000/- रुपए या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा उन परिसंपत्तियों, जिनका ह्यसिता मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 10,000/- रुपए या कम है, का पूर्णतः मूल्यह्रास होता है। जहां तक टाउनशिप भवनों का प्रश्न है, वहां प्रति मकान की लागत 10,000/- रुपए की सीमा के लिए आधार है।
- (iv) निर्माण/परियोजना स्थल पर: सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत संविदा अवधि में पूर्णतः परिशोधित की जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युतीय अधिष्ठानों और इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों (पूर्णतः अस्थायी निर्माण, लकड़ी के कार्य को छोड़कर) पर अवशिष्ट मूल्य के रूप में 10% प्रतिधारित करते हुए मूल्यह्रास किया जाता है।
- (v) लकड़ी के ढांचों जैसे पूर्णतः अस्थायी निर्माण कार्यों पर, निर्माण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है।
- (vi) पट्टे पर ली गई भूमि और भवनों पर मूल्यह्रास पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद कर दिया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्यह्रास उनकी उपयोगी अवधि अथवा पट्टे की अवधि जो भी कम हो, के बाद होता है।
- (vii) यदि किसी स्थायी परिसंपत्ति पर दर्शायी जा रही राशि में विदेशी मुद्रा लेन-देन संबंधी नीति के अनुसार कोई परिवर्तन हुआ है,

तो मूल्यह्रास योग्य उस अपरिशोधित परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति की अवशिष्ट उपयोगी अवधि तक जारी रहेगा।

7. निवेश

- (i) दीर्घावधिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, ऐसे निवेशों में गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए व्यवस्था की जाती है।
- (ii) चालू निवेश लागत या उद्धृत/उचित मूल्य, जो भी कम है, पर किए जाते हैं।
- (iii) निवेश की लागत में अधिग्रहण प्रभार- जैसे, दलाली, शुल्क तथा ड्यूटी शामिल है। मौजूदा राशि में यदि कोई कमी होती है या किसी की पूर्ति होती है तो उसे लाभ और हानि में लेखा प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

8. मालसूची मूल्यांकन

- (i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित लागत पर निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर लिया जाता है।
- (ii) गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑगिजिलरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेटों के संयंत्रों में तैयार माल तथा जारी कार्यों का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित फैंक्टरी लागत या वसूली योग्य मूल्य के 97.5 प्रतिशत जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- (iii) संयंत्र में तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का अर्थ कारखाना लागत है, वास्तविक/अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।
- (iv) कच्चे माल, संघटकों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारांशित औसत लागत है।
- (v) क) 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए : जहां संविदा की लागत के वर्तमान अनुमान और विक्रय मूल्य हानि दर्शाते हैं, वहां ऐसी संविदा के लिए प्रत्याशित हानि को तुरन्त मान्यता प्रदान की जाती है, चाहे कार्य शुरू हो गया है या नहीं।
ख) अन्य सभी संविदाओं के लिए : जहां किसी संविदा का भाग होने वाली पृथक रूप से अभिज्ञात परियोजना की लागत और विक्रय मूल्य संबंधी वर्तमान अनुमान हानि दर्शाता है, वहां ऐसी परियोजना के संबंध में, जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है, प्रत्याशित हानि को मान्यता दी जाती है। ग) प्रत्याशित हानि निर्धारण में प्राप्त कुल आय पर विचार किया जाता है, जिसमें निर्यातों/माने गए निर्यातों पर प्रोत्साहन भी शामिल होते हैं।
- (vi) उत्पादन ऑर्डरों के लिए खरीदे/विनिर्मित संघटकों और अन्य सामग्रियों, जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया हो, को तकनीकी प्राक्कलनों के आधार पर अवशिष्ट मूल्य प्रतिधारित करते हुए राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

9. राजस्व मान्यता

ग्राहक के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर विक्री को दर्ज किया जाता है। विक्री

के अंतर्गत आंशिक पोत लदान द्वारा ग्राहक को प्रेषित किया गया माल आता है।

क. 1.04.2003 को या उसके बाद किए गए निर्माण संविदाओं के लिए : राजस्व को संविदा की कुल अनुमानित लागत पर सूचना तिथि तक व्यय की गई वास्तविक लागत की प्रतिशतता पर आधारित प्रतिशतता समापन विधि से मान्यता दी जाती है।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिए :

(i) लम्बे उत्पादन चक्र वाले मदों (गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलर, वायलर ऑग्निलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेट) के संबंध में बिक्री राजस्व की मान्यता तकनीकी प्राक्कलनों पर तैयार होती है। जब पोत लदान का कुल मूल्य प्रापणीय मूल्य का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो उन पर प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर विचार किया जाता है या इसके अभाव में उद्धृत दर पर विचार किया जाता है। अन्यथा, उन पर वास्तविक/प्राक्कलित फ़ैक्टरी लागत या प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, विचार किया जाता है। शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा के अधीन आपूर्ति पूरी हो जाने पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) निर्माण और परियोजना प्रबन्ध सेवाओं से आय को पूर्णता की प्रतिशतता पर आधारित किए गए कार्य पर मान्यता दी जाती है; अथवा अंतर्भूत मूल्य की गणना संविदा मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा समाप्त होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(iii) प्रदान की गई इंजीनियरिंग सेवाओं से प्राप्त आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर वसूली योग्य मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(iv) बीएचईएल में निर्माण न किए गए उपस्कर/प्रणालियों और सिविल कार्य की आपूर्ति/निर्माण से प्राप्त आय की मान्यता ग्राहकों को किए गए प्रेषणों/परियोजना स्थल पर किए गए कार्यों पर आधारित होती है।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखाकरण

विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर रूपान्तरित किया जाता है। लेन-देनों के निपटान और मौद्रिक मदों के रूपान्तरण पर उत्पन्न हुए विनिमय अंतर को स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए देयताओं के संबंध में, जहां ऐसे विनिमय अंतर को स्थायी परिसंपत्तियों की चल लागत में समायोजित किया जाता है, को छोड़कर उस वर्ष, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, में आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

11. अभिन्न विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का रूपांतरण

(i) आय और व्यय की मदें, मूल्यह्रास, जिसे समतुल्य अचल परिसंपत्तियों के लिए अपनाई गई दरों पर परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर औसत दर पर रूपांतरित की जाती हैं।

(ii) मौद्रिक मदें इतिशेष दर पर रूपान्तरित की जाती हैं; ऐतिहासिक लागत पर लाई गई गैर-मौद्रिक मदें रूपान्तरण की तारीख को लागू दरों पर रूपान्तरित की जाती हैं; उचित मूल्य पर लाई गई गैर-मौद्रिक मदें, उन विनिमय दरों, जो मूल्य निर्धारित करने के समय मौजूद थीं; पर रूपान्तरित की जाती हैं।

(iii) अचल परिसंपत्तियों से संबंधित को छोड़कर रूपान्तरणों की सभी भिन्नताओं को लाभ और हानि लेखे में लाया जाता है।

12. कर्मचारी लाभ

अर्जित अवकाश, अर्ध-वेतन अवकाश, भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंशदान को प्रोद्भवन आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावे और सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है। बीमाकिक देयता कर्मचारियों के संदर्भ में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में निर्धारित किया जाता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति होने वाले वर्ष में यथानुपात मासिक आधार पर प्रभारित की जाती है।

13. कंपनी द्वारा/के विरुद्ध दावे

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेन-देनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबन्धन के आकलन के आधार पर लेखे में माना जाता है।

(ii) निर्यात सब्सिडी, शुल्क वापसी, सीमाशुल्क की वापसी और बीमा के लिए दावे प्राप्ति पर लेखे में लिए जाते हैं।

(iii) मूल्य वृद्धि दावे और/अथवा संविदा कार्य के परिवर्तनों के सम्बंध में देय राशियों को केवल तभी राजस्व के रूप में माना जाता है जब संविदाओं से ऐसे दावों अथवा भिन्नताओं की शर्तें हो और/अथवा ग्राहकों से उसकी स्वीकार्यता का साक्ष्य हो। तथापि वृद्धि आंतरिक मूल्य तक प्रतिबंधित होती है।

14. वारंटियों के लिए प्रावधान

i) 1.04.2003 को या उसके बाद किए गए निर्माण संविदाओं के लिए : संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान परीक्षण प्रचालन समाप्त होने के बाद संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है।

ii) अन्य सभी संविदाओं के लिए : वर्ष के अंत में वारण्टी के अंतर्गत संविदाओं के लिए संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है। एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति वाले संविदाओं के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(iii) सुधार कार्य पर वारंटी के दावे/व्यय को जब भी व्यय किया जाता है, प्राथमिक शीर्ष के अधीन लेखांकन किया जाता है और वर्ष के अंत में प्रावधानों पर प्रभारित किया जाता है।

15. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब लेखाबद्ध किया जाता है, जब उनकी वसूली की उचित निश्चितता हो। अचल मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध अनुदानों को संगत परिसंपत्तियों की सकल लागत के अधीन समायोजित किया जाता है, जबकि गैर-मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध को पूंजी प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है। राजस्व से संबद्ध अनुदान, जब तक व्यय/हानियों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं किए जाते, तब तक उन्हें उस अवधि, जिससे वे राजस्व की समतुल्य लागत के सिद्धांत पर संबद्ध है राजस्व के रूप में माना जाता है। गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में अनुदानों को अधिग्रहण की लागत पर अथवा नॉमिनल मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है, अगर वे निःशुल्क प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र

31 मार्च, 2007 की यथास्थिति के अनुसार

(रुपए करोड़ में)

| अनुसूची | 31.3.2007 को स्थिति | 31.3.2006 को स्थिति |
|--|---------------------|---------------------|
| निधियों के स्रोत | | |
| शेयरधारकों की निधियाँ | | |
| शेयर पूंजी | 1 | 244.76 |
| आरक्षित निधि और अधिशेष | 2 | 8543.50 |
| | | 8788.26 |
| 7056.62 | | 7301.38 |
| ऋण निधियाँ | | |
| प्रतिभूत ऋण | 3 | 0.00 |
| अप्रतिभूत ऋण | 4 | 89.33 |
| | | 89.33 |
| 58.24 | | 558.24 |
| जोड़ें | | 8877.59 |
| | | 7859.62 |
| निधियों का उपयोग | | |
| स्थायी परिसंपत्तियाँ | | |
| सकल ब्लॉक | | 4135.05 |
| घटाएँ : अब तक का मूल्यह्रास/परिशोधन | | 3117.05 |
| | | 1018.00 |
| | | 969.30 |
| जोड़ें : पट्टा समायोजन लेखा | | -29.26 |
| | | 12.98 |
| निवल ब्लॉक | 5 | 988.74 |
| चालू पूंजीगत-कार्य | 6 | 302.54 |
| | | 1291.28 |
| | | 184.57 |
| 1166.85 | | |
| निवेश | 7 | 8.29 |
| | | 8.29 |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (कृपया अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 22 देखें) | | 935.16 |
| | | 673.72 |
| चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम | | |
| चालू परिसंपत्तियाँ | 8 | |
| माल सूचियाँ | | 4217.67 |
| विविध देनदार | | 9695.82 |
| नकदी तथा बैंक शेष | | 5808.91 |
| अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | | 199.70 |
| ऋण तथा अग्रिम | 9 | 1140.87 |
| | | 21062.97 |
| | | 16330.78 |
| घटाएँ : | | |
| चालू देयताएं और प्रावधान | | |
| चालू देयताएं | 10 | 11897.87 |
| प्रावधान | 11 | 2522.24 |
| | | 14420.11 |
| | | 10320.02 |
| निवल चालू परिसंपत्तियाँ | | 6642.86 |
| | | 6010.76 |
| जोड़ | | 8877.59 |
| | | 7859.62 |

लेखे की टिप्पणियाँ

19

अनुसूची 1 से 19 और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां लेखे का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(एन.के. सिन्हा)
सचिव

(सी.एस. वर्मा)
निदेशक (वित्त)

(अशोक के. पुरी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

नवीन बंसल
भागीदार

सदस्यता सं. 091922

दिनांक : 25.05.2007
स्थान : नई दिल्ली

लाभ - हानि लेखा

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

| अनुसूची | 31.03.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2006 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| अर्जन | | |
| कारोबार (सकल) | 12 | 18738.95 |
| घटाएं : उत्पाद शुल्क और सेवा कर | | 1501.42 |
| कारोबार (निवल) | | 17237.53 |
| अन्य आय | 12क | 823.56 |
| चल रहे कार्य और तैयार माल में वृद्धि (कमी) | 13 | 181.19 |
| | | 18242.28 |
| व्यय | | |
| सामग्री की खपत, उत्थापन और इंजीनियरी व्यय | 14 | 10181.86 |
| कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा लाभ विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण प्रावधानों संबंधी अन्य व्यय प्रावधान | 15 | 2368.95 |
| | 16 | 1496.11 |
| ब्याज और अन्य उधार लागतें | 17 | 171.86 |
| मूल्यहास तथा परिशोधन | 18 | 43.33 |
| घटाएं : आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्यों की लागत | 5 | 272.97 |
| | | 28.36 |
| | | 14506.72 |
| पूर्वावधि मदों से पूर्व लाभ जोड़ें : पूर्वावधि मदें (निवल) | 18क | 3735.56 |
| कर-पूर्व लाभ | | 0.51 |
| घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान | 18ख | 3736.07 |
| कर-पश्चात लाभ | | 1321.37 |
| जोड़ें : पिछले वर्ष से लाया गया लाभ शेष पुरांकित विदेशी परियोजना प्रारक्षित निधि | | 2414.70 |
| | | 219.06 |
| | | 1.45 |
| विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ | | 2635.21 |
| घटाएं : विनियोजन | | |
| - बांड शोधन प्रारक्षित निधि | | 0.00 |
| - सामान्य प्रारक्षित निधि | | 1500.00 |
| - लाभांश (रु. 305.95 करोड़ के अंतरिम लाभांश सहित, गत वर्ष रु. 305.95 करोड़) | | 599.66 |
| - कॉर्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश पर रु. 42.91 करोड़ सहित, गत वर्ष रु. 42.91 करोड़) | | 92.83 |
| तुलन-पत्र में अग्रणीत शेष | | 2192.49 |
| प्रति शेयर मूल एवं डाइल्यूटेड अर्जन (रु. में) | | 98.66 |

लेखे की टिप्पणियां 19
अनुसूची 1 से 19 और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां लेखों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(एन.के. सिन्हा)
सचिव

(सी.एस. वर्मा)
निदेशक (वित्त)

(अशोक के. पुरी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

नवीन बंसल
भागीदार

सदस्यता सं. 091922

दिनांक : 25.05.2007
स्थान : नई दिल्ली

31.03.2007 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपए करोड़ में)

| | 2006-07 | 2005-06 |
|---|----------------|----------------|
| क. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह | | |
| लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर-पूर्व निवल लाभ | 3736.07 | 2564.35 |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन | | |
| मूल्यह्रास / परिशोधन | 273.16 | 245.92 |
| पट्टा समकरण | 42.24 | 21.67 |
| स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ | -1.15 | -3.30 |
| निवेश पर हानि के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.66 |
| अदा किया गया ब्याज | 43.33 | 58.75 |
| ब्याज/लाभांश आय | -335.86 | -170.37 |
| कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ | 3757.79 | 2717.68 |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन | | |
| व्यापार एवं अन्य प्राप्य | -2474.12 | -1168.13 |
| मालसूची | -473.30 | -828.26 |
| व्यापार देय एवं अग्रिम | 3545.00 | 1918.30 |
| प्रचालनों से प्राप्त नकद | 4355.37 | 2639.59 |
| अदा किया गया प्रत्यक्ष कर | -1534.00 | -1015.76 |
| प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकद प्राप्ति | 2821.37 | 1623.83 |
| ख. निवेश कार्यकलापों से प्राप्त नकद | | |
| स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद | -442.36 | -301.49 |
| स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री और निपटान | 6.34 | 6.01 |
| निवेशों की खरीद | 0.00 | 0.00 |
| निवेशों की बिक्री | 0.00 | 0.00 |
| ब्याज और लाभांश प्राप्ति | 223.36 | 138.97 |
| निवेश कार्यकलापों से प्रयुक्त निवल नकद | 212.66 | 156.51 |
| ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह | | |
| दीर्घावधि उधार | -469.36 | 20.82 |
| अदा किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित) | -405.14 | -473.73 |
| अदा किया गया ब्याज | -59.27 | -58.30 |
| वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकद | 933.77 | 511.21 |
| घ. नकद और नकद के समतुल्यों में निवल वृद्धि | 1674.94 | 956.11 |
| नकद एवं नकद समतुल्य का प्रारंभिक शेष | 4133.97 | 3177.86 |
| नकद एवं नकद समतुल्य का इतिशेष | 5808.91 | 4133.97 |

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(एन.के. सिन्हा)
सचिव

(सी.एस. वर्मा)
निदेशक (वित्त)

(अशोक के. पुरी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.एल. पुरी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

नवीन बंसल
भागीदार

सदस्यता सं. 091922

दिनांक : 25.05.2007

स्थान : नई दिल्ली

अनुसूची-1 शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को स्थिति | 31.3.2006 को स्थिति |
|--|---------------------|---------------------|
| प्राधिकृत | | |
| प्रत्येक 10/- रुपये के 32,50,00,000 (पिछले वर्ष 32,50,00,000) इक्विटी शेयर | 325.00 | 325.00 |
| जारी किया गया, अभिदत्त और प्रदत्त | | |
| प्रत्येक 10/- रुपये के 24,47,60,000 (पिछले वर्ष 24,47,60,000) के पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर, जिनमें से नकद के अलावा विचार के लिए 7,41,11,200 (पिछले वर्ष 7,41,11,200) आर्बिटि शेयर | 244.76 | 244.76 |
| | 244.76 | 244.76 |

अनुसूची-2 आरक्षित निधि और अधिशेष

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को स्थिति | 31.3.2006 को स्थिति |
|--|---------------------|---------------------|
| आरक्षित पूंजी | | |
| प्रारंभिक शेष | 2.75 | 2.75 |
| विदेशी परियोजना आरक्षित निधि | | |
| प्रारंभिक शेष | 5.02 | 11.95 |
| घटाएं : लाभ एवं हानि लेखा में अंतरित | 1.45 | 6.93 |
| | 3.57 | 5.02 |
| बांड शोधन आरक्षित लेखा | | |
| प्रारंभिक शेष | 500.00 | 400.00 |
| जोड़ें : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित | 0.00 | 100.00 |
| घटाएं : सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित | 500.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 500.00 |
| सामान्य आरक्षित निधि | | |
| प्रारंभिक शेष | 6329.79 | 5129.79 |
| जोड़ें : बाण्ड परिशोधन आरक्षित निधि लेखा से अंतरित | 500.00 | 0.00 |
| घटाएं : परिवर्ती प्रावधान का समायोजन, एएस-15 (आर) | 235.33 | 0.00 |
| जोड़ें : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित | 1500.00 | 1200.00 |
| | 8094.46 | 6329.79 |
| लाभ एवं हानि लेखा | 442.72 | 219.06 |
| | 8543.50 | 7056.62 |

अनुसूची-3 रक्षित ऋण

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को यथास्थिति | 31.3.2006 को यथास्थिति |
|---|------------------------|------------------------|
| 8.85% अपरिवर्तनीय, रक्षित, शोधन योग्य कर योग्य बांड | 0.00 | 500.00 |
| | 0.00 | 500.00 |

अनुसूची-4 अनारक्षित ऋण

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को यथास्थिति | 31.3.2006 को यथास्थिति |
|--|------------------------|------------------------|
| पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए ऋण {(एक वर्ष के अंदर देय 30.52 करोड़ रुपये (गत वर्ष 19.66 करोड़ रुपये))} | 85.96 | 55.32 |
| प्रोदभूत तथा देय ब्याज : | | |
| - राज्य सरकारों के ऋण पर | 2.33 | 2.33 |
| - पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए ऋण पर | 1.04 | 0.59 |
| | 89.33 | 58.24 |

अनुसूची-5 स्थायी परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | 31.03.2007 को लागत | मूल्यह्रास | | निवल ब्लॉक | | वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन |
|---|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------------------|
| | 31.03.2006 को लागत | वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन | वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन | | पट्टा समायोजन लेखा | 31.03.2007 तक मूल्यह्रास/ परिशोधन | 31.03.2007 को | 31.03.2006 को | |
| फैक्टरी/कार्यालय कॉम्प्लेक्स | | | | | | | | | |
| पूर्ण स्वामित्व की भूमि (विकास व्यय सहित) | 4.32 | | 0.09 | 4.23 | | | 4.23 | 4.32 | |
| पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित) | 6.15 | | | 6.15 | 0.42 | 5.73 | 5.75 | 5.75 | 0.01 |
| सड़के, पुल और पुलियां | 7.66 | 0.21 | 0.74 | 7.13 | 2.85 | 4.28 | 4.83 | 4.83 | 0.16 |
| भवन | 290.48 | 22.52 | 4.84 | 308.16 | 195.99 | 112.17 | 112.86 | 112.86 | 21.20 |
| पट्टाधारित भवन | 3.01 | | -0.03 | 3.04 | 1.05 | 1.99 | 2.03 | 2.03 | 0.05 |
| जल निकास, मल-प्रवाह तथा जलापूर्ति | 12.61 | 0.06 | 0.47 | 12.20 | 9.20 | 3.00 | 3.58 | 3.58 | 0.30 |
| रेलवे साइडिंग | 7.65 | 0.03 | | 7.68 | 7.54 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.02 |
| लोकमोटिव एवं वैगन | 16.01 | | | 16.01 | 14.70 | 1.31 | 1.71 | 1.71 | 0.41 |
| संयंत्र और यंत्रावली | 2148.34 | 162.17 | 3.70 | 2306.81 | 1901.44 | 405.37 | 370.21 | 370.21 | 126.55 |
| इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर | 89.16 | 4.98 | -0.85 | 94.99 | 82.69 | 12.30 | 16.84 | 16.84 | 5.53 |
| विद्युतीय संस्थापन | 82.24 | 6.11 | 0.55 | 87.80 | 65.52 | 22.28 | 18.99 | 18.99 | 2.73 |
| निर्माण उपस्कर | 199.76 | 24.28 | 0.80 | 223.24 | 155.03 | 68.21 | 62.90 | 62.90 | 18.98 |
| वाहन | 18.00 | 0.63 | 0.35 | 18.28 | 15.12 | 3.16 | 3.44 | 3.44 | 0.88 |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर | 8.26 | 2.68 | 0.11 | 10.83 | 5.14 | 5.69 | 3.64 | 3.64 | 0.52 |
| कार्यालय एवं अन्य उपस्कर | 61.79 | 2.94 | -0.46 | 65.19 | 48.63 | 16.56 | 16.63 | 16.63 | 2.88 |
| रुपये 10,000/- तक की स्थायी परिसंपत्तियां | 45.39 | 4.82 | 0.28 | 49.93 | 49.93 | | | | 4.82 |
| पूँजीगत व्यय | 0.44 | | | 0.44 | 0.44 | | | | |
| पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां | 497.15 | | | 497.15 | -29.26 | 366.71 | 101.18 | 183.20 | 39.77 |
| पट्टे पर लिया गया ईडीपी उपस्कर | 83.96 | 53.02 | 4.33 | 132.65 | 52.86 | 79.79 | 49.48 | 49.48 | 23.33 |
| पट्टे पर लिए गए कार्यालय/अन्य उपस्कर | 6.68 | 0.11 | 1.54 | 5.25 | 2.28 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 0.63 |
| अगोचर परिसंपत्तियां | | | | | | | | | |
| - आंतरिक तौर पर विकसित | | | | | | | | | |
| - सॉफ्टवेयर | 0.00 | 0.01 | | 0.01 | | | 0.01 | | 0.03 |
| - अन्य | 0.54 | 0.13 | -0.33 | 1.00 | | 0.35 | 0.65 | 0.49 | 0.26 |
| - अन्य | | | | | | | | | |
| - सॉफ्टवेयर | 22.18 | 30.83 | -1.17 | 54.18 | 27.79 | 26.39 | 10.48 | 10.48 | 16.06 |
| - तकनीकी जानकारी | 5.62 | 5.26 | | 10.88 | 5.34 | 5.54 | 1.07 | 1.07 | 0.79 |
| - अन्य | 5.53 | 4.09 | | 9.62 | 5.87 | 3.75 | 2.52 | 2.52 | 2.85 |
| | 3622.93 | 324.88 | 14.96 | 3932.85 | -29.26 | 3016.89 | 886.70 | 878.65 | 268.76 |
| टाउनशिप/आवासीय | | | | | | | | | |
| पूर्ण स्वामित्व की भूमि (विकास व्यय सहित) | 2.15 | | -0.09 | 2.24 | | | 2.24 | 2.15 | |
| पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित) | 2.04 | | | 2.04 | 0.48 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 0.02 |
| सड़के, पुल और पुलियां | 4.88 | | | 4.88 | 2.52 | 2.36 | 2.44 | 2.44 | 0.08 |
| भवन | 130.04 | 0.58 | -0.27 | 130.89 | 52.34 | 78.55 | 79.74 | 79.74 | 1.97 |
| पट्टाधारित भवन | 0.41 | | | 0.41 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.01 |
| जल निकास, मल-प्रवाह तथा जलापूर्ति | 16.62 | | -0.12 | 16.74 | 12.20 | 4.54 | 4.85 | 4.85 | 0.40 |
| संयंत्र और यंत्रावली | 9.63 | 0.38 | -0.16 | 10.17 | 7.74 | 2.43 | 2.46 | 2.46 | 0.43 |
| विद्युतीय संस्थापन | 16.08 | 0.07 | -0.03 | 16.18 | 12.59 | 3.59 | 3.91 | 3.91 | 0.38 |
| वाहन | 1.07 | 0.08 | -0.06 | 1.21 | 1.06 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | 0.12 | 0.06 | -0.02 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| कार्यालय एवं अन्य उपस्कर | 14.24 | 0.97 | -0.14 | 15.35 | 9.02 | 6.33 | 6.13 | 6.13 | 0.80 |
| रुपये 10,000/- तक की स्थायी परिसंपत्तियां | 1.85 | 0.05 | 0.01 | 1.89 | 1.89 | | | | 0.05 |
| | 199.13 | 2.19 | -0.88 | 202.20 | | 100.16 | 102.04 | 103.63 | 4.21 |
| फैक्टरी और टाउनशिप का योग | 3822.06 | 327.07 | 14.08 | 4135.05 | -29.26 | 3117.05 | 988.74 | 982.28 | 272.97 |
| गत वर्ष | 3628.94 | 208.34 | 15.22 | 3822.06 | 12.98 | 2852.76 | 982.28 | 1044.24 | 245.93 |

दिनांक 31.03.2007 को सकल ब्लॉक में बेकार और सक्रिय प्रयोग से हटाई गई परिसंपत्तियां शामिल हैं, 25.01 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1.77 करोड़ रुपए)

दिनांक 31.03.2007 को निवल ब्लॉक में बेकार और सक्रिय प्रयोग से हटाई गई परिसंपत्तियां शामिल हैं, 0.06 करोड़ रुपये (गत वर्ष 'शून्य' करोड़ रुपए)

सकल ब्लॉक में निष्पादन अधिकरण के रूप में अनुसंधान एवं परिसंपत्तियों के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में से खरीदी गई रुपये (गत वर्ष रु. 30.81 करोड़) की परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं, क्योंकि सम्पत्ति कंपनी में निहित नहीं है।

कम्पनी के स्वामित्व में न आने वाली परिसंपत्तियों के निर्माण, विकास के लिए कम्पनी के अंशदान या व्यय को सामान्य शीर्ष 'पूँजीगत व्यय' के अंतर्गत पूँजीकृत किया गया है तथा पाँच वर्षों में राजस्व के बट्टे खाते डाला गया है।

अगोचर परिसंपत्तियों से वर्ष के दौरान किसी प्रकार की विशुद्ध हानि नहीं हुई है।

अनुसूची-6

चालू पूंजीगत कार्य (लागत पर)

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को यथास्थिति | 31.3.2006 को यथास्थिति |
|--|------------------------|------------------------|
| चालू निर्माण कार्य - सिविल | 85.57 | 44.74 |
| निर्माण भंडार (मार्गस्थ सहित) | 4.12 | 4.61 |
| संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य उपस्कर | | |
| -संरचना / परिनिर्माण के अधीन / परिनिर्माण की प्रतीक्षा में | 151.69 | 85.26 |
| -मार्गस्थ | 60.08 | 45.70 |
| विकास के अंतर्गत अगोचर परिसंपत्तियां | 1.08 | 4.26 |
| | 302.54 | 184.57 |

अनुसूची-7

निवेश

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को यथास्थिति | 31.3.2006 को यथास्थिति |
|--|------------------------|------------------------|
| दीर्घावधि | | |
| शेयर | | |
| कोट न किए गए (पूर्णतः चुकता) | | |
| व्यापार : | | |
| इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड में प्रत्येक रु. 38.95 के 360 (गत वर्ष 360) इक्विटी शेयर | * | * |
| एपी गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड में 10 रु. प्रति के 728960 (गत वर्ष 728960) इक्विटी शेयर | 0.91 | 0.91 |
| - नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में 10 रु. प्रति के 5000000 (गत वर्ष 5000000) इक्विटी शेयर (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 9 देखें) | 5.00 | 5.00 |
| संयुक्त उद्यम कंपनियों में शेयर | | |
| - पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्पुवमेंट लिमिटेड में 10/- रु. प्रति के 1999999 (गत वर्ष 1999999) इक्विटी शेयर | 2.00 | 2.00 |
| घटाएं : मूल्य के ह्रास हेतु प्रावधान | 2.00 | 2.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| -बीएचईएल-जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड के 10/- रु. प्रति के 2379999 (गत वर्ष 2379999) इक्विटी शेयर | 2.38 | 2.38 |
| व्यापार इतर : | | |
| बीएचईएल गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, हैदराबाद के 100 रुपये प्रति के 3 (गत वर्ष 3) शेयर | * | * |
| | 8.29 | 8.29 |
| * रु. 1000/- से कम मूल्य | | |
| कोट न किए गए निवेशों का कुल मूल्य | 8.29 | 8.29 |

अनुसूची-8 चालू परिसंपत्तियाँ

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को यथास्थिति | | 31.3.2006 को यथास्थिति | |
|--|------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| मालसूचियां @ (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे | | | | |
| - उत्पादन | 108.64 | | 91.00 | |
| - ईंधन भंडार | 13.61 | | 13.34 | |
| - विविध | 10.00 | 132.25 | 8.42 | 112.76 |
| कच्चा माल और संघटक | | 1296.93 | | 1129.58 |
| मार्गस्थ माल | | 370.43 | | 300.67 |
| फेब्रिकेटर्स/संविदाकारों के पास माल | | 134.26 | | 105.28 |
| खुले औजार | | 12.66 | | 10.47 |
| रद्दी माल (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर) | | 29.88 | | 20.19 |
| तैयार माल | 302.56 | | 329.58 | |
| अंतर प्रभागीय मार्गस्थ अंतरण | 98.99 | | 50.04 | |
| शामिल हैं: | | | | |
| - सीईए द्वारा मॉनीटर किए गए विभिन्न रा.वि.बो./एनटीपीसी (पूल मैम्बर्स) की ओर से धारित गैर-बीएचईएल अतिरिक्त पुर्जों के लिए रु. 1.40 करोड़ (गत वर्ष रु. 1.40 करोड़) | | | | |
| - मार्गस्थ तैयार माल रु. 3.67 करोड़ (गत वर्ष 0.56 करोड़) | | 401.55 | | 379.62 |
| चालू कार्य (उप संविदाकारों के पास पड़ी मदों सहित) | | 1875.63 | | 1720.85 |
| | | 4253.59 | | 3779.42 |
| घटाएं : अचल भंडार के लिए प्रावधान | | 35.92 | | 35.05 |
| | | 4217.67 | | 3744.37 |
| @ महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार मूल्यांकित | | | | |
| विविध देनदार* | | | | |
| - 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण | | 4531.03 | | 3223.44 |
| - अन्य ऋण | | 6146.32 | | 4885.98 |
| | | 10677.35 | | 8109.42 |
| घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | 981.53 | | 941.35 |
| | | 9695.82 | | 7168.07 |
| *आस्थगित ऋण रु. 3594.99 करोड़ (गत वर्ष रु. 2376.20 करोड़) शामिल हैं। | | | | |
| विभिन्न देनदारों का ब्यौरा : | | | | |
| असंदिग्ध समझे गए ऋण, जिनके बारे में कंपनी के पास देनदारों की निजी जमानत के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत नहीं है | | 9695.82 | | 7168.07 |
| संदिग्ध समझे गए ऋण, जिनके लिए प्रावधान किया गया | | 981.53 | | 941.35 |
| | | 10677.35 | | 8109.42 |

अनुसूची-8 (जारी) चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रुपए में)

| | 31.3.2007 को यथास्थिति | 31.3.2006 को यथास्थिति | |
|--|--|------------------------|----------|
| नकद एवं बैंक शेष | | | |
| उपलब्ध नकद एवं स्टैम्प्स | 1.24 | 0.72 | |
| उपलब्ध चेक, डिमाण्ड ड्राफ्ट | 286.86 | 81.00 | |
| मार्गस्थ प्रेषित धन | 37.78 | 100.88 | |
| अनुसूचित बैंकों में शेष | | | |
| चालू खाता | 1738.53 | 1247.36 | |
| जमा खाता | 3740.00 | 2650.01 | |
| गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष | | | |
| | वर्ष के दौरान अधिकतम शेष (रुपए करोड़ में) | | |
| चालू खाते | 2006-07 | 2005-06 | |
| - स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लीबिया | 0.35 | 0.53 | 0.17 |
| - बैंक मस्कट, ओमान | 70.28 | 86.42 | 0.47 |
| - बर्कलेज बैंक लिमिटेड, जाम्बिया | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| - भूमिपुत्र कॉमर्स (बैंक ऑफ कामर्स), मलेशिया | 0.33 | 0.96 | 0.33 |
| - इण्डो जाम्बिया बैंक, लुसाका | 2.90 | 2.75 | 1.00 |
| - कमर्शियल बैंक ऑफ इथोपिया | 2.63 | 0.62 | 1.44 |
| - बैंक ऑफ भूटान, भूटान | 0.11 | 0.08 | 0.01 |
| - जम्हूरिया बैंक, लीबिया | 3.79 | 5.23 | 0.65 |
| - नैशनल बैंक ऑफ इजिप्ट | 0.44 | 0.11 | 0.42 |
| | 5808.91 | | 4133.97 |
| अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ | | | |
| बैंक जमा एवं निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज | 199.70 | | 84.50 |
| | 199.70 | | 84.50 |
| चालू परिसम्पत्तियों का सार | | | |
| मालसूचियां | 4217.67 | | 3744.37 |
| विविध देनदार | 9695.82 | | 7168.07 |
| नकद और बैंक शेष | 5808.91 | | 4133.97 |
| अन्य चालू परिसम्पत्तियां | 199.70 | | 84.50 |
| | 19922.10 | | 15130.91 |

अनुसूची-10 चालू देयताएं

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को यथास्थिति | 31.3.2006 को यथास्थिति |
|--|------------------------|------------------------|
| स्वीकृतियां | 55.42 | 48.14 |
| विविध लेनदार | | |
| - लघु उद्योगों उपक्रमों की (ब्याज सहित) कुल बकाया राशि | 86.68 | 175.91 |
| - अन्य विविध लेनदार | 3452.27 | 2628.18 |
| | 3538.95 | 2804.09 |
| ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम | 7775.54 | 5479.16 |
| संविदाकारों की जमा राशि | 170.51 | 140.59 |
| निवेशक शिक्षा एवं संरक्षक निधि में निर्मांकित राशि जमा की जाएगी: | | |
| - अदावाकृत लाभांश * | 0.73 | 1.19 |
| अन्य देयताएं | 356.23 | 317.68 |
| प्रोद्भूत परन्तु अदेय ब्याज | 0.49 | 16.89 |
| | 11897.87 | 8807.74 |

*निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने हेतु तुलन-पत्र तिथि को कोई देय तथा बकाया राशि नहीं है।

अनुसूची-11 प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को यथास्थिति | 31.3.2006 को यथास्थिति |
|--|------------------------|------------------------|
| कराधान के लिए प्रावधान {3186.01 करोड़ रुपये (गत वर्ष 2137.05 रु.) के आयकर भुगतान को घटाकर} | 98.02 | 147.72 |
| लाभांश | 293.71 | 48.95 |
| कारपोरेट लाभांश कर | 49.92 | 6.87 |
| संविदात्मक दायित्व | 537.35 | 506.50 |
| सेवानिवृत्ति लाभ | 1310.78 | 589.03 |
| अन्य | 232.46 | 213.21 |
| | 2522.24 | 1512.28 |

अनुसूची-12 कुल कारोबार (सकल)

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| प्रतिफल रहित बिक्री (ग्राहकों को किए गए 8519.25 करोड़ रु. के प्रेषण सहित) (गत वर्ष रु. 6524.16 करोड़) | 16598.99 | 12490.06 |
| बाहरी उत्थापन और अन्य सेवाओं से आय | 1966.13 | 1616.89 |
| निर्माण कार्य संविदा से प्राप्त राजस्व | 173.83 | 418.54 |
| | 18738.95 | 14525.49 |

अनुसूची-12क

क. अन्य प्रचालन आय

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| निर्यात प्रोत्साहन | 99.57 | 61.80 |
| पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर किराया आय | 99.83 | 86.00 |
| घटाएं : पट्टा समकरण लेखा | 42.24 | 21.67 |
| रद्दी माल | 127.42 | 75.21 |
| अधिशेष स्टॉक की बिक्री/अंतरण से प्राप्ति | 0.18 | 0.37 |
| अन्य | 92.04 | 75.19 |
| | 376.80 | 276.90 |

ख. अन्य आय

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ (निवल) | 1.15 | 3.30 |
| निवेश पर लाभांश (दीर्घावधि व्यापार) | 17.49 | 10.12 |
| अन्य {अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त 0.35 करोड़ रु. (गत वर्ष रु. 1.77 करोड़ के अनुदान सहित)} | 109.95 | 96.35 |
| | 128.59 | 109.77 |

ग. ब्याज से प्राप्त आय**

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| ग्राहकों से | 0.00* | 0.08 |
| कर्मचारियों से | 0.18 | 0.26 |
| बैंकों से | 311.97 | 154.20 |
| अन्य | 6.02 | 5.71 |
| * 1 लाख रुपए से कम मूल्य | | |
| ** (स्रोत पर काटा गया कर रु. 70.27 करोड़ (गत वर्ष रु. 35.71 करोड़) | 318.17 | 160.25 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| कुल अन्य आय (क+ख+ग) | 823.56 | 546.92 |
|----------------------------|---------------|---------------|

अनुसूची-13

चालू कार्य तथा तैयार माल में वृद्धि/(कमी)

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| चालू कार्य | | | | |
| अंतिम शेष | 1875.63 | | 1720.86 | |
| प्रारंभिक शेष | 1720.86 | 154.77 | 1405.67 | 315.19 |
| तैयार माल | | | | |
| अंतिम शेष | 302.56 | | 329.58 | |
| प्रारंभिक शेष | 329.58 | -27.02 | 262.16 | 67.42 |
| मार्गस्थ अन्तर-प्रभागीय अंतरण | | 53.44 | | 3.40 |
| | | 181.19 | | 386.01 |
| तैयार माल में उत्पाद शुल्क का तत्व | | | | |
| अंतिम शेष | | 34.17 | | 35.67 |
| प्रारंभिक शेष | | 35.67 | | 41.98 |

अनुसूची-14

सामग्री की खपत, उत्थापन और इंजीनियरी व्यय

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------|---------|
| कच्चे माल और संघटकों की खपत | | 8211.95 | | 6865.55 |
| भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत | | 349.46 | | 233.85 |
| उत्थापन और इंजीनियरी व्यय | | | | |
| - उप-संविदाकारों को भुगतान | | 1620.45 | | 1047.12 |
| | | 10181.86 | | 8146.52 |

अनुसूची-15

कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|--|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ | | 1576.11 | | 1418.65 |
| उपदान निधि में अंशदान | | 97.00 | | 93.66 |
| भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान | | 127.27 | | 123.74 |
| समूह बीमा | | 2.02 | | 1.95 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | | 566.55 | | 240.51 |
| | | 2368.95 | | 1878.51 |
| निदेशकगण (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित) | | | | |
| - वेतन एवं भत्ते | | 0.46 | | 0.42 |
| - अंशदायी भविष्य निधि | | 0.05 | | 0.04 |
| - उपदान निधि में अंशदान | | 0.03 | | 0.03 |
| - अन्य | | 0.27 | | 0.19 |

टिप्पणियाँ : अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों को ड्यूटी हेतु तथा ड्यूटी से भिन्न यात्राओं के लिए स्टॉफ कार इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। उनकी नियुक्ति के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित दर से भुगतान करने पर प्रतिमाह 1000 कि.मी. की ड्यूटी से भिन्न यात्रा कर सकते हैं। यदि आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार कार इस्तेमाल करने हेतु उपर्युक्त परिलब्धि का मौद्रिक मूल्य निकाला जाये, तो यह 0.01 करोड़ रुपये (गत वर्ष 0.01 करोड़ रुपये) होगा।

अनुसूची-16

विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण संबंधी अन्य व्यय

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| आवासीय परामर्शदाता के प्रभार | 0.59 | 0.75 |
| रॉयल्टी, तकनीकी प्रलेखीकरण और अन्य परामर्श प्रभार | 96.37 | 21.11 |
| किराया (आवासीय किराए के लिए रु. 21.78 करोड़ शामिल- गत वर्ष रु. 22.45 करोड़) | 28.54 | 31.19 |
| उत्पाद शुल्क | 194.02 | 146.55 |
| बिजली एवं ईंधन | 259.08 | 229.02 |
| महसूल तथा कर | 25.51 | 21.67 |
| सेवाकर | 4.02 | 4.47 |
| विनिमय भिन्नता (निवल) | 19.66 | -9.70 |
| बीमा | 54.40 | 47.34 |
| मरम्मतें : | | |
| भवन | 33.36 | 23.47 |
| संयंत्र और मशीनरी | 16.77 | 22.83 |
| अन्य | 58.89 | 57.58 |
| निर्यात के संबंध में अन्य व्यय | 34.76 | 25.38 |
| अशोध्य ऋण एवं बट्टाकृत राशि | 21.94 | 3.61 |
| बाह्य दुआई प्रभार | 175.34 | 155.20 |
| यात्रा एवं वाहन | 142.39 | 128.54 |
| विविध व्यय | 283.08 | 252.27 |
| नकद बट्टा | 0.02 | 0.40 |
| प्रभारित किए गए निर्णीत हर्जाने | 46.78 | 4.65 |
| दान | 0.22 | 3.09 |
| ग्राम विकास तथा समाज कल्याण | 0.37 | 0.63 |
| | 1496.11 | 1170.05 |
| टिप्पणी: | | |
| मरम्मत में विभागीय अनुरक्षण पर हुआ निम्नलिखित व्यय सम्मिलित नहीं है: | | |
| संयंत्र तथा मशीनरी | 95.26 | 92.32 |
| भवन | 27.28 | 21.07 |
| अन्य | 14.19 | 14.81 |
| | 136.73 | 128.20 |
| निर्यात संबंधी व्ययों में निर्यात पर दिया गया एजेंसी कमीशन सम्मिलित है | 12.06 | 14.85 |
| अनुसंधान और विकास पर व्यय | 127.28 | 115.90 |
| लेखापरीक्षकों को भुगतान (दावा किए गए सेवा कर जमा को घटाकर) | | |
| – फीस (विदेशों में लेखापरीक्षकों को दिए गये रु. 0.03 करोड़ (गत वर्ष रु. 0.03 करोड़) शामिल है) | 0.26 | 0.26 |
| – व्यय | 0.08 | 0.07 |
| – आय कर मामले (विदेशों में लेखापरीक्षकों को दिए गये रु. 0.01 करोड़ (गत वर्ष रु. 0.03 करोड़) शामिल है) | 0.05 | 0.05 |

अनुसूची-16 (जारी) विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण संबंधी अन्य व्यय

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| - प्रमाणन कार्य {विदेशों में लेखापरीक्षकों को दिए गये गये 0.02 करोड़ रु. (गत वर्ष रु. शून्य लाख) शामिल हैं} | 0.16 | 0.14 |
| - अन्य व्यावसायिक संवाएं {विदेशों में लेखापरीक्षकों को दिए गये 0.02 करोड़ रु. (गत वर्ष रु. शून्य लाख) शामिल हैं} लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान | 0.02 0.01 | 0.00* 0.01 |
| ** आतिथ्य पर व्यय | 5.73 | 4.96 |
| ** विदेशी यात्राओं पर हुआ व्यय {711दौरों के लिए (गत वर्ष 599 दौरों)} | 10.13 | 7.43 |
| प्रचार एवं जन संपर्क पर व्यय | | |
| वेतन, भत्ते तथा अन्य लाभ | 4.58 | 4.20 |
| अन्य व्यय | 12.18 | 7.09 |
| | 16.76 | 11.29 |
| निदेशकों की फीस | 0.07 | 0.01 |

* 1 लाख रुपए से कम राशि ** प्रबन्धन द्वारा यथाप्रमाणित

अनुसूची-17 प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्जाने तथा ऋण एवं अग्रिम | | |
| - वर्ष के दौरान सृजित | 272.88 | 286.78 |
| - घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित | 186.41 | 88.65 |
| | 86.47 | 198.13 |
| संविदात्मक दायित्व | | |
| - वर्ष के दौरान सृजित | 236.75 | 194.96 |
| - घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित | 205.66 | 163.98 |
| | 31.09 | 30.98 |
| अन्य | | |
| - वर्ष के दौरान सृजित* | 143.57 | 100.93 |
| - घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित | 89.27 | 47.29 |
| | 54.30 | 53.64 |
| | 171.86 | 282.75 |

*दीर्घावधि व्यापार निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए शून्य करोड़ रु. (गत वर्ष 0.66 लाख रु.) शामिल हैं।

अनुसूची-18 ब्याज एवं अन्य उधार लागतें

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| निम्नलिखित पर ब्याज: | | |
| बांड्स | 27.64 | 44.25 |
| बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उधार | 2.05 | 1.56 |
| अन्य | 13.63 | 12.93 |
| अन्य उधार लागतें | 0.01 | 0.01 |
| | 43.33 | 58.75 |

अनुसूची-18 क पूर्वाविधि मर्दे

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------|
| आय | | | | |
| प्रति लाभ घटाकर बिक्री | 0.78 | | 2.19 | |
| बाहरी उत्पादन और अन्य सेवाओं से आय | 0.00 | | 0.56 | |
| प्रचालनात्मक आय (अन्य) | 0.03 | | 0.00 | |
| अन्य आय (अन्य) | -0.06 | | 2.32 | |
| ब्याज आय (अन्य) | 0.20 | 0.95 | 0.00 | 5.07 |
| व्यय | | | | |
| कच्चे माल तथा संघटकों की खपत | 0.14 | | 0.86 | |
| संविदात्मक दायित्व हेतु प्रावधान | 0.00 | | 0.10 | |
| मूल्यह्रास | 0.19 | | -0.01 | |
| उप-संविदाकारों को भुगतान | 0.17 | | 0.23 | |
| महसूल और कर | 0.00 | | 0.16 | |
| विविध व्यय | -0.06 | 0.44 | 0.21 | 1.55 |
| पूर्वाविधि मर्दे (निवल) | | 0.51 | | 3.52 |

अनुसूची-18 ख कराधान के लिए प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

| | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|--|------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------|
| चालू कर | | | | |
| - चालू वर्ष | 1421.00 | | 1019.05 | |
| {सम्पत्ति कर के रु. 0.06 करोड़ (गत वर्ष रु. 0.05 करोड़) शामिल हैं} | | | | |
| - पूर्व वर्ष | 14.30 | 1435.30 | 3.58 | 1022.63 |
| - {संपत्ति कर के रु. (-)0.01 करोड़ (गत वर्ष रु. 0.01 करोड़) शामिल हैं} | | | | |
| आस्थगित कर | | -162.93 | | -155.44 |
| सीमांत लाभ कर | | 49.00 | | 18.00 |
| | | 1321.37 | | 885.19 |

अनुसूची-19

लेखे पर टिप्पणी

- अग्रिम को घटाकर उन संविदाओं, जिनका निष्पादन पूंजी खाते में शेष है, और उसकी व्यवस्था नहीं की गई है, की अनुमानित राशि रु. 371.92 करोड़ (गत वर्ष रु. 291.29 करोड़) है, जिसमें अदृश्य परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए रु. 19.38 करोड़ (गत वर्ष रु. 20.34 करोड़) शामिल हैं।
- भूमि और भवन में निम्नलिखित शामिल हैं:**
 - क) 13016.723 एकड़ भूमि (गत वर्ष 13882.180 एकड़) और 52 प्लैट (गत वर्ष 52 प्लैट) और एक भवन (गत वर्ष एक भवन), जिनके लिए औपचारिक हस्तांतरण/पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है और जिनमें 51.520 एकड़ भूमि (गत वर्ष 51.520 एकड़) भी शामिल है, जिसके लिए अदा की गई लागत अनंतिम है; पंजीकरण प्रभार और किए जा चुके प्रावधान में से घटाकर स्टाम्प शुल्क को भुगतान करने पर लेखे में लिया जाएगा।
 - ख) रक्षा मंत्रालय, सरकारी विभागों और अन्यो को पट्टे पर दी गई 79,076 एकड़ भूमि (गत वर्ष 79,936 एकड़)।
 - ग) 180 एकड़ भूमि (गत वर्ष 180 एकड़), जिसका प्रयोग रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और जिसके लिए इस भूमि के लाइसेंसिंग को जारी रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
 - क) 106.858 एकड़ (गत वर्ष 106.858 एकड़) भूमि प्रतिकूल कब्जे के अंतर्गत है।
- 10,000/- रुपये तक की प्रत्येक स्थायी परिसंपत्ति पर 100% मूल्यह्रास के प्रावधान के लाभ पर प्रभाव, पिछले वर्षों के इस तरह के प्रभाव पर बिना विचार किए, निम्न प्रकार है:**

(रुपये करोड़ में)

| | 2006-2007 | 2005-2006 |
|---|-----------|-----------|
| लेखाकरण वर्ष में रु. 10,000/- मूल्य वाली परिसंपत्तियों पर चार्ज ऑफ किया गया 100% मूल्यह्रास | 6.70 | 5.66 |
| उपरोक्त पर सामान्य मूल्यह्रास | 2.00 | 1.82 |
| चार्ज ऑफ की गई अतिरिक्त राशि | 4.70 | 3.84 |

4. ग्राहकों को विक्रय एवं प्रेषण:

- (क) अनंतिम मूल्यों पर आधारित रु. 438.21 करोड़ (गत वर्ष रु. 207.04 करोड़) शामिल हैं:
- (ख) अद्यतन मूल्य सूचकांकों की सीमा तक, विक्रय ठेके के अनुसार, जिसके प्रोद्भवन आधार पर वृद्धि दावे भी शामिल हैं, किए गए वृद्धि दावों के लिए रु. 630.77 (गत वर्ष 664.26 करोड़) शामिल हैं;
- (ग) ग्राहकों के अनुरोध पर उनकी ओर से रोके गए रु. 27.04 करोड़ (गत वर्ष रु. 69.44 करोड़) मूल्य के उपस्करों के प्रेषण, जिनके लिए कम्पनी को भुगतान प्राप्त हो चुका है, शामिल हैं; और
- (घ) संविदा की शर्तों के अनुसार सुपुर्दगी में देरी के लिए मूल्य कटौती के रु. 8.51 करोड़ (गत वर्ष रु. 32.38 करोड़) शामिल नहीं हैं।

5. आकस्मिक देयताएं

- (क) कम्पनी के खिलाफ दावों, जो ऋण के रूप में नहीं माने गए हैं, में शामिल हैं:
 - (i) आयकर की लम्बित अपीलें (प्रावधानों को घटाकर) रु. 48.72 करोड़ (गत वर्ष रु. 356.35 करोड़), जिनके लिए विरोध के अधीन रु. 0.01 करोड़ (गत वर्ष रु. 327.79 करोड़) अदा किए गए हैं और जिन्हें शीर्ष जमा-अन्य के अधीन शामिल किया गया है।
 - (ii) बिक्रीकर के रु. 328.60 करोड़ (गत वर्ष रु. 330.66 करोड़) की मांग पर प्रतिवाद/न्यायालय आदेश के अधीन रु. 88.90 करोड़ (गत वर्ष रु. 93.49 करोड़) का भुगतान किया गया तथा वसूली योग्य अग्रिम शीर्ष में शामिल किया गया है।
 - (iii) उत्पाद शुल्क के रु. 149.18 करोड़ (गत वर्ष रु. 63.37 करोड़) की मांग पर प्रतिवाद/न्यायालय आदेश के अधीन रु. 6.52 करोड़ (गत वर्ष रु. 12.95 करोड़) का भुगतान किया गया तथा वसूली योग्य अग्रिम शीर्ष में शामिल किया गया है।
 - (iv) सीमा शुल्क मांग रु. 0.76 करोड़ (गत वर्ष रु. 1.11 करोड़)।

- (v) न्यायालय/माध्यस्थम् मामले रु. 82.47 करोड़ (गत वर्ष रु. 61.85 करोड़)।
- (vi) निर्णीत हर्जाना रु. 257.22 करोड़ (गत वर्ष रु.106.65 करोड़)।
- (vii) सविदाकारों के काउंटर दावे रु. 40.40 करोड़ (गत वर्ष रु. 41.33 करोड़)।
- (viii) अन्य रु. 47.65 करोड़ (गत वर्ष रु. 41.62 करोड़)।
- न्यायालय के विभिन्न मामलों/मुकदमों और कम्पनी द्वारा विवादित दावों के दृष्टिगत संसाधनों के व्यय पर वित्तीय प्रभाव इस चरण पर सुनिश्चित करने योग्य नहीं है।
- (ख) आईडीबीआई योजना के अंतर्गत वर्ष के अंत में बट्टाकृत हुंडियां रु. 1.78 करोड़ (गत वर्ष रु. 6.26 करोड़) है।
- (ग) वर्ष के अंत में रु. 0.40 करोड़ (गत वर्ष रु. 212.32 करोड़) की बकाया बैंक गारंटी।
- (घ) वर्ष के अंत में संयुक्त उद्यमों की ओर से जारी बकाया कारपोरेट गारंटियां रु. 'शून्य' करोड़ (गत वर्ष रु. 10.35 करोड़) है।
6. बैंकों से कुल 100 करोड़ रुपये (गत वर्ष 140 करोड़ रुपए) की नकद क्रेडिट सीमा, (आईडीबीआई योजना के संबंध में बिल बट्टाकरण सीमा सहित) बैंक गारंटी/साख पत्र की सीमा के संबंध में कंपनी की प्रति गारंटी/क्षतिपूर्ति दायित्व रु. 14,000 करोड़ (गत वर्ष रु. 12,000 करोड़) तथा इसके संबंध में बैंकों के संघ द्वारा स्वीकृत देयताओं को कच्चे माल, संघटकों, चालू कार्य, तैयार माल, भंडारों, बही ऋणों तथा अन्य चालू आस्तियों, वर्तमान तथा भविष्य दोनों, के प्रथम प्रभार के द्वारा प्रतिभूत किया जाता है।
7. आय कर विभाग ने निर्धारण वर्ष 1992-93 से संबंधित प्रोद्भवन आधार पर कंपनी के रु. 377.45 करोड़ (गत वर्ष रु. 377.45 करोड़) की सामान्य और असाधारण विनिमय भिन्नता हानि के दावे को अनुमति देते हुए आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। उक्त आय कर देयता के संबंध में आय कर विभाग द्वारा उठाई गई रु. 249.75 करोड़ (गत वर्ष रु. 249.75 करोड़) की मांग को कंपनी को देय वापसियों के बदले विभाग

द्वारा समायोजित किया गया है और इसे अनुसूची-9-तुलनपत्र में ऋण और अग्रिम में "अन्य जमा" के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान उक्त अपील को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी के पक्ष में खारिज किया गया है। कंपनी को देय वापसी को लेखे में माना जाएगा और उस वर्ष, जिसमें विभाग द्वारा अपीलीय आदेश का अपील प्रभाव लागू किया और वापसी निर्धारित की जाती है, में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 1992-93 में अनुमत्य उपर्युक्त दावे को परवर्ती वर्ष में भुगतान आधार पर विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसके लिए पूर्व वर्ष में सृजित कर देयता के लिए 140.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस मद में किसी भी समायोजन को उस वर्ष, जिसमें जैसी उपर्युक्त पैरा में चर्चा की गई है, विभाग द्वारा उसे प्रभावी किया जाता है, में भी आगे ले जाया जाएगा।

8. गुडगाँव स्थित अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट (ए एस एस सी पी) को अ-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया गया था। सरकार के साथ पट्टा करार को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
9. कंपनी ने भूतपूर्व केएमसीएल और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) को कंपनी द्वारा आपूरित किए जा रहे उपस्करों के लिए ऑर्डर प्राप्त करने हेतु भूतपूर्व कोणार्क मेटकोक लिमिटेड (केएमसीएल) में प्रत्येक 10/- रुपए (सममूल्य पर) के इक्विटी शेयरों के लिए रु. 5 करोड़ (गत वर्ष रु. 5 करोड़) का निवेश किया। माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में केएमसीएल को माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत समामेलन की योजना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के साथ पठित धारा 391 के अधीन एनआईएनएल के साथ समामेलित किया गया था। एनआईएनएल ने कंपनी को कुल रु. 5 करोड़ (गत वर्ष रु. 5 करोड़) के इक्विटी शेयर आवंटित किए। एनआईएनएल में इक्विटी भागीदारी प्राप्त आदेश के मूल्य अधिकतम रु. 17.32 करोड़ (गत वर्ष रु. 17.32 करोड़) के 7.5% तक प्रतिबंधित है। इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए सरकार का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
10. दिनांक 31.03.2007 की यथास्थिति अनुसूची 8 में "नकद और बैंक शेष" शीर्ष के अधीन अनुसूचित बैंकों के पास शेष में कंपनी द्वारा उसकी यूनिटों/क्षेत्रों/कार्यस्थलों में रखे गए विभिन्न बैंक खातों

में प्राप्त राशियां शामिल हैं और दिल्ली में बैंकों में रखे केंद्रीयकृत नकद ऋण खाते में हस्तांतरण के अधीन हैं।

11. अन्य देयताओं में वर्ष 1990-91 तक सरकार के कहने पर कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में भारत सरकार द्वारा मांगे गए गारंटी शुल्क के लिए रु. 100.51 करोड़ (गत वर्ष रु. 100.51 करोड़) की राशि शामिल है। इसकी माफी के लिए मामला सरकार के साथ उठाया गया है चूंकि ऋण (सरकार द्वारा गारंटीशुदा) लेते समय ऐसे गारंटी शुल्क के भुगतान की कोई शर्त नहीं थी।
12. उप-संविदाकारों/निर्माताओं द्वारा बकाया शेष और धारित भंडारों की पुष्टि का प्रत्युत्तर कुछ ही मामलों में प्राप्त हुआ था, जिनमें से कुछ में ब्यौरे मांगे गए थे।
13. उन लघु औद्योगिक उपक्रमों, जिनकी राशियां कंपनी के पास 30 दिनों से अधिक से बकाया है, के नाम यूनियों/कंपनी के प्रभागों में रखे डाटा बेस से निर्धारित किए गए हैं और इन्हें ऐसे उपक्रमों से उनके लघु उद्योग स्तर के बारे में प्राप्त होने वाले प्रत्युत्तरों की सीमा तक अद्यतन किया गया है और वे निम्नानुसार हैं:

आदर्श इलेक्ट्रो प्लेटिंग वर्क्स, आलियासन्स इंडस्ट्रीज, आर्य ट्रांस फॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड, बी.आर. एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, बुंदेलखण्ड इंडस्ट्रीज, कॉपर स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड, साइनाइड्स एण्ड केमिकल कंपनी, डाइनेमिक प्रॉसेस, चेन्नई, एलीफेन्टा इंजीनियरिंग वर्क्स, एमजे इंडस्ट्रीज, फ्लेक्सिकन बेलोज एण्ड होजेज प्राइवेट लिमिटेड, जी.टी.आई. इलेक्ट्रोप्लेटिंग एण्ड गुल्टेक फैब्रिकेटर्स, हीटिंग इंजीनियर्स, इंडियन मेटल्स एण्ड एलॉय मैनुफैक्चरिंग कंपनी, ईशान इंडस्ट्रीयल कॉरपोरेशन, जयश्री इलेक्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड, किंग फैंब वीराली-भलाई, मध्य प्रदेश कुप्रो मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, महेश वेल्लिंग वर्क्स, मुथुकुमार इंजीनियरिंग वर्क्स, सेलम, नेशनल कार्बन ब्रश प्रॉडक्ट्स, एनकेएम केबल्स एण्ड स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड, ओरिएंटल इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, पूजा केबल्स (प्रा.) लिमिटेड, आर. इंडस्ट्रीज, राजसी इंजीनियर्स, राजलक्ष्मी इंजी., इंडस्ट्रीज, रजनी फैंब, राकेश इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, राकेश इंजीनियरिंग वर्क्स, एस. दयाल एण्ड सन्स, सरस प्रिंसीजन टूल (प्रा.) लिमिटेड, श्री केबल्स एण्ड कंडक्टर्स (प्रा.) लिमिटेड, एसटी फातिमा इंजीनियरिंग वर्क्स, सुगो इंडस्ट्रीज, सुपर गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्रीज, सुरेन्द्र इंजीनियरिंग वर्क्स, यूनियन प्रेसडेस प्रा. लिमिटेड, वेनार्ड इंडस्ट्रीज, वेन्कोस एण्ड कंपनी, वुड एण्ड इन्सुलेशन प्रॉडक्ट्स, येशा इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लिमिटेड और योग्य इंटरप्राइजेज।

14. सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित दिनांक 31.03.2007 की यथास्थिति ब्यौरे:

(रुपये करोड़ में)

| क्र.सं. | दिनांक 31.03.2007 की यथास्थिति |
|---------|---|
| 1. | लेखाकरण वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त शेष मूल राशि 5.63 |
| 2. | लेखाकरण वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त शेष पर देय ब्याज 0.68 |
| 3. | वर्ष 2006-07 के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ अदा किए गए ब्याज की राशि 5.81 |
| 4. | वर्ष 2006-07 के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 18 के अनुसार अदा किए गए ब्याज की राशि - |
| 5. | बकाया और भुगतान में विलम्ब करने की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसे अदा किया गया परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) परंतु इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना - |
| 6. | वर्ष के दौरान प्रोदभूत और लेखाकरण वर्ष के अंत में अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि 0.35 |
| 7. | ऐसी तारीख तक, जब यथा उपर्युक्त ब्याज देयताएं धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के अनुमति के प्रयोजनार्थ लघु उद्यमों को वास्तव में अदा की जाती है यहां तक कि परवर्ती वर्षों में बकाया बची और देय और ब्याज की राशि - |

15. (क) लेखाकरण मानक एएस-7 (संशोधित) की आवश्यक-
तानुसार दिनांक 01.04.2003 को अथवा उसके बाद की गई
निर्माण संविदाओं से संबंधित ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(रुपये करोड़ में)

| | 2006-07 | 2005-06 |
|--|----------|----------|
| वर्ष के दौरान माना गया संविदा राजस्व | 14320.19 | 8921.31 |
| दिनांक 31.03.2007 को चल रही संविदाओं के संबंध में | | |
| – व्यय की गई लागत और माना गया लाभ (मानी गई हानियां घटाकर) | 26391.12 | 11979.26 |
| – प्राप्त अग्रिम की राशि | 3746.36 | 2446.68 |
| – प्रतिधारण की राशि (आस्थगित ऋण) | 2707.18 | 1165.35 |
| उपयुक्त राशि घटाने के बाद ग्राहकों से बकाए के संबंध में | | |
| – परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि | 1575.12 | 819.53 |
| – देयता के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि | 1120.23 | 614.69 |
| – आकस्मिक व्यय | — | — |

(ख) लेखाकरण मानक एएस-7 (संशो.) के अनुसार दिनांक
1 अप्रैल, 2003 को अथवा उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के
संबंध में कुल लागतों और कुल राजस्व के अनुमानों की वर्ष के
दौरान प्रबन्धन द्वारा समीक्षा की जाती है और उन्हें आवधिक रूप से
अद्यतन किया जाता है तथा चालू वर्ष के लेखे में आवश्यक
समायोजन किए जाते हैं।

16. वर्ष के दौरान भारत के बाहर से अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों की
वहन राशि में समायोजित विनिमय अंतर की राशि रु. 0.14 करोड़
(गत वर्ष रु. 0.13 करोड़) है।

17. व्युत्पन्न लिखतों से संबंधित ब्यौरे

क) व्युत्पन्न लिखतों, जिन्हें रक्षित किया गया है और दिनांक
31.03.2007 की यथास्थिति यूरो में बकाया हैं, 0.44 करोड़ (भारतीय
रु. 25.14 करोड़) [गत वर्ष यूरो “शून्य (भारतीय रु. “शून्य)] है।
उनसे होने वाले किसी भी लाभ अथवा हानि को संबंधित संविदा की
शर्तों के अनुसार निपटान के वर्ष में माना जाता है।

ख) विदेशी मुद्रा, जिन्हें व्युत्पन्न लिखतों अथवा अन्यथा रक्षित नहीं
किया जाता, निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

| | 2006-07 | | 2005-06 | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | विदेशी मुद्रा में | भारतीय रुपए में | विदेशी मुद्रा में | भारतीय रुपए में |
| क) परिसंपत्तियां/प्राप्य (अर्थात देनदार) | | | | |
| अमरीकी डॉलर में | 12.93 | 568.59 | 16.05 | 710.55 |
| यूरो में | 4.33 | 247.99 | 2.32 | 125.09 |
| एलवाईडी में | 3.25 | 109.73 | 2.23 | 74.56 |
| आरओ में | 5.60 | 627.59 | 0.18 | 21.15 |
| अन्य में | | 7.40 | | 8.18 |
| ख) देयताएं (अर्थात ग्राहकों/लेनदारों से अग्रिम) | | | | |
| अमरीकी डॉलर में | 14.04 | 598.77 | 9.49 | 426.58 |
| यूरो में | 1.59 | 93.38 | 2.30 | 124.88 |
| एलवाईडी में | 0.35 | 11.91 | 1.85 | 62.83 |
| अन्यों में | | 39.79 | | 30.50 |

18. एएस-15 (संशोधित) - कर्मचारी लाभ से संबंधित ब्यौरे

क) दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से कंपनी ने कर्मचारी लाभों पर संशोधित लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) अपनाया है। इसे अपनाए जाने के अनुसरण में कंपनी की परिवर्ती दायित्व अवकाश नकदीकरण/अवकाश लेने (पुरानी नीति के अधीन अ.वे.अ. का नकदीकरण) के लिए 191.32 करोड़ रुपए (आस्थगित कर घटाकर) और अ.या.रि./अ.या.अ. के लिए 44.01 करोड़ रुपए (कर घटाकर) है। मानक की अपेक्षानुसार इस दायित्व को सामान्य प्रारक्षित निधि में 235.33 करोड़ रुपए के समायोजन के साथ दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ में निम्नलिखित द्वारा वृद्धि हुई है:

- अवकाश देयता के मूल्यांकन की विधि में परिवर्तन के कारण 40.53 करोड़ रुपए, और
- लेखाकरण मानक-15 (संशोधित) के अनुसार अ.या.रि./अ.या.अ. का नकद से व्यापारिक में लेखाकरण की विधि में परिवर्तन के कारण 28.10 करोड़ रुपए

ख) कंपनी ने ऊर्जा वेतन अवकाश के नकदीकरण की अपनी नीति संशोधित की है। अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 240 दिनों से बढ़ाकर 480 दिन की गई है और हिसाब लगाने का आधार वेतन के 26 दिन से 30 दिन में परिवर्तित किया गया है। इस परिवर्तन के कारण कर-पूर्व लाभ पर प्रभाव 70.18 करोड़ रुपए घट जाता है।

ग) उपदान योजना

उपदान की देयता भावी भुगतानों के कारण उत्पन्न होती हैं, जिसे सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु अथवा सेवा से हटने की दशा में किया जाना अपेक्षित होता है। इस देयता का आकलन पूर्वानुमानित इकाई क्रेडिट बीमांकिक विधि के प्रयोग द्वारा किया गया है।

दिनांक 31.03.2007 को समाप्त वर्ष की यथास्थिति पारिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान निम्नलिखित है:

| | रुपए करोड़ में |
|--|----------------|
| 1. दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन | |
| क) प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 752.39 |
| ख) अधिग्रहण समायोजन | - |
| ग) ब्याज लागत | 56.43 |
| घ) पूर्व सेवा लागत | - |
| ड.) चालू सेवा लागत | 32.15 |
| च) कटौती लागत/(जमा) | - |
| छ) निपटान लागत/(जमा) | - |
| ज) अदा किए गए लाभ | (53.56) |
| झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि | 68.96 |
| ञ) अवधि की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य | 856.36 |
| 2. योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन | |
| क) प्रारंभ में योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 752.39 |
| ख) अधिग्रहण समायोजन | - |
| ग) योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल | 69.22 |
| घ) अंशदान | - |
| ड.) अदा किए गए लाभ | (53.56) |
| च) योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | (8.69) |
| छ) वर्ष के अंत में योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 759.36 |

| | | |
|----|--|---------|
| 3. | योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | |
| | क) प्रारंभ में योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 752.39 |
| | ख) अधिग्रहण समायोजन | - |
| | ग) योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल | 60.53 |
| | घ) अंशदान | - |
| | ड.) अदा किए गए लाभ | (53.56) |
| | च) वर्ष के अंत में योजनाबद्ध परिसंपत्ति का उचित मूल्य | 759.36 |
| | छ) निधीकरण की स्थिति | (97.00) |
| | ज) योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के अनुमानित प्रतिफल पर वास्तविक राशि से अधिक राशि | (8.69) |
| 4. | माना गया बीमांकिक लाभ/हानि | |
| | क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)-दायित्व | (68.96) |
| | ख) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)-योजनाबद्ध परिसंपत्तियां | 8.69 |
| | ग) अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि | 77.64 |
| | घ) अवधि में माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि | 77.64 |
| | ड.) अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि | - |
| 5. | तुलन-पत्र में मानी गई राशि तथा लाभ और हानि का विवरण | |
| | क) अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 856.36 |
| | ख) अवधि के अंत में आयोजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 759.36 |
| | ग) निधीकरण की स्थिति | (97.00) |
| | घ) अनुमानित की तुलना में अधिक वास्तविक राशि | (8.69) |
| | ड.) नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि | - |
| | च) तुलन-पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्ति/(देयता) | (97.00) |
| 6. | लाभ और हानि लेखे के विवरण में माना गया व्यय | |
| | क) चालू सेवा लागत | 32.15 |
| | ख) पूर्व सेवा लागत | - |
| | ग) ब्याज लागत | 56.43 |
| | घ) योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल | (69.22) |
| | ड.) कटौती लागत/(जमा) | - |
| | च) निपटान लागत/(जमा) | - |
| | छ) अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि | 77.64 |
| | ज) लाभ और हानि के विवरण में माना गया व्यय | 97.00 |

पूर्वानुमान-बट्टा दर-7.50%, भावी वेतन वृद्धि-5.00%, योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर-9.20%

क) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

| 1. | दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन | रुपये करोड़ में |
|----|---|-----------------|
| | क) प्रारम्भ में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 260.67 |
| | ख) अधिग्रहण समायोजन | - |
| | ग) ब्याज लागत | 10.06 |
| | घ) पूर्व सेवा लागत | - |
| | ड.) चालू सेवा लागत | 19.55 |
| | च) कटौती लागत/(जमा) | - |
| | छ) निपटान लागत/(जमा) | - |
| | ज) अदा किए गए लाभ | (19.61) |
| | झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि | 299.84 |
| | ञ) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 570.51 |
| 2. | योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन | - |
| 3. | योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | - |
| | निधीकरण स्थिति | (570.51) |
| 4. | माना गया बीमांकिक लाभ/हानि | |
| | क) अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ/(हानि)-दायित्व | (299.84) |
| | ख) अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि-आयोजना परिसंपत्तियां | - |
| | ग) वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि | 299.84 |
| | घ) अवधि के लिए माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि | 299.84 |
| | ड.) अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि | - |
| 5. | तुलन-पत्र और लाभ और हानि विवरण में मानी गई राशि | |
| | क) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 570.51 |
| | ख) वर्ष के अंत में आयोजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | - |
| | ग) निधीकरण स्थिति | (570.51) |
| | घ) तुलन-पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता) | (570.51) |
| 6. | लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय | |
| | क) चालू सेवा लागत | 10.06 |
| | ख) ब्याज लागत | 19.55 |
| | ग) वर्ष में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि | 299.84 |
| | घ) लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय | 329.45 |

19. संबद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन :

- i) संबद्ध पार्टियां, जहां नियंत्रण मौजूद है (संयुक्त उपक्रम)
पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
- ii) अन्य संबद्ध पार्टियां (मुख्य प्रबन्धन कार्मिक-कार्यात्मक निदेशक; मौजूद और सेवानिवृत्त):
सर्व/श्री ए.के.पुरी, के. रवि कुमार, एस.के. जैन, ए.के. माथुर, सी.एस. वर्मा, ओ.पी. सिंह और रामजी राय
- iii) लेन-देन का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

| विवरण | संयुक्त उद्यम | | मुख्य प्रबन्धन कार्मिक (केएमपी) | | मुख्य प्रबन्धन कार्मिक के रिश्तेदार | |
|-------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| | 2006-07 | 2005-06 | 2006-07 | 2005-06 | 2006-07 | 2005-06 |
| वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद | 2.66 | 0.33 | | | | |
| वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री | 69.70 | 26.28 | | | | |
| सेवाएं प्रदान करना | | 0.07 | | | | |
| सेवाएं प्राप्त करना | | 0.11 | | | | |
| लाभांश आय | 17.49 | 10.11 | | | | |
| रायल्टी आय | 0.44 | 0.34 | | | | |
| वर्ष के अंत में भेल को देय राशि | 22.31 | 6.84 | | 0.00* | | |
| वर्ष के अंत में भेल से प्राप्य राशि | 0.26 | 0.20 | | | | |
| संदग्धि ऋणों के लिए प्रावधान | 0.23 | 0.25 | | | | |
| पुरांकित राशि | | | | | | |
| की ओर से दी गई गारंटियां | | 10.35 | | | | |
| वेतन का भुगतान | | | 0.81 | 0.68 | | |
| किराया | | | 0.01 | 0.01 | | |

* 1 लाख रुपए से कम राशि

20. पट्टा

क. 1 अप्रैल, 2001 के पश्चात वित्त पट्टा पर ली गई परिसंपत्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(रुपये करोड़ में)

| | 31.3.07 को यथास्थिति | 31.3.2006 को यथास्थिति |
|---|----------------------|------------------------|
| क. न्यूनतम पट्टा भुगतानों का बकाया शेष | | |
| – एक वर्ष तक | 35.99 | 23.87 |
| – एक वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष तक | 67.15 | 40.69 |
| – पांच वर्ष से अधिक | - | - |
| तुलन-पत्र तिथि को कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान | 103.14 | 64.56 |
| ख. ऊपर (क) का वर्तमान मूल्य | | |
| – एक वर्ष तक | 28.64 | 19.45 |
| – एक वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष तक | 57.32 | 35.87 |
| – पांच वर्ष से अधिक | - | - |
| तुलन-पत्र तिथि को कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान | 85.96 | 55.32 |
| ग. वित्त प्रभार | 17.18 | 9.24 |
| अवशिष्ट मूल्य, अगर कोई हो, का वर्तमान मूल्य | 0.01 | 0.03 |

ख. कम्पनी में कार्यालय एवं अन्य उपस्करों, कर्मचारियों के लिए मकानों, कार्यालय भवनों और प्रचालन पट्टे पर ईडीपी उपस्करों को रद्द करने योग्य तथा रद्द न करने योग्य आधार पर लेने की परम्परा है।

ग. रद्द न करने योग्य प्रचालन पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

| | 31.3.2007 को यथास्थिति | 31.3.2006 को यथास्थिति |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - एक वर्ष तक | 13.43 | 12.21 |
| - एक वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष तक | 10.96 | 7.42 |
| - पांच वर्ष से अधिक | 0.81 | 0.26 |

घ. 01.04.2001 से पहले पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के किराए का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

| परिसंपत्तियाँ | परिसंपत्तियों की लागत | | पट्टे की शेष अवधि हेतु देय किराया | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| | 2006-2007 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2005-2006 |
| कम्प्यूटर एवं बाह्य सामग्री | 22.99 | 25.60 | 0.01 | 0.01 |
| भूमि एवं भवन | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| कार्यालय उपस्कर | - | 1.11 | - | - |
| अन्य | - | 0.04 | - | - |
| कुल | 23.05 | 26.81 | 0.04 | 0.04 |

21. प्रति शेयर अर्जन:

(रुपये करोड़ में)

| | | 2006-07 | 2005-06 |
|---------------------------------------|---------|------------------|---------|
| वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की | | | |
| भारत औसत संख्या | (क) | करोड़ में संख्या | 24.476 |
| इक्विटी शेयर का नॉमिनल मूल्य | | (रुपए) | 10.00 |
| वर्ष के लिए निवल लाभ | (ख) | (करोड़ रुपए) | 2414.70 |
| प्रति शेयर मूल और कम किया गया अर्जन | (क)/(ख) | (रुपए) | 98.66 |
| | | | 68.60 |

22. समय अंतराल के कारण निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति का आंकड़ा निम्नांकित है:

(रुपये करोड़ में)

| | 31.3.07 को यथास्थिति | 31.3.06 को यथास्थिति |
|--|----------------------|----------------------|
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ | | |
| प्रावधान | 604.42 | 580.01 |
| स्वैच्छक सेवानिवृत्ति योजनाओं का आस्थगित राजस्व व्यय | 10.36 | 20.51 |
| सांविधिक देयता | 220.01 | 119.91 |
| माडवैट समायोजन | 42.25 | 31.75 |
| एस-15 (संशो.) के परिवर्ती प्रावधानों का समायोजन | 98.51 | - |
| अन्य | 19.06 | 18.93 |
| | 994.61 | 771.11 |
| आस्थगित कर देयताएं | | |
| मूल्यहास | 59.45 | 97.39 |
| निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ | 935.16 | 673.72 |

23. संयुक्त उद्यमों से संबंधित ब्यौरे निम्नांकित हैं:

| क) संयुक्त उद्यमों का नाम | निगमन का देश | स्वामित्व का समानुपात |
|---|--------------|-----------------------|
| पावर प्लांट परफॉर्मस इम्प्रूवमेंट लि. | भारत} | 50 प्रतिशत |
| बी.एच.ई.एल.-जी.ई. गेस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लि. | भारत} | से कम एक शेयर |

ख) पीपीआईएल में निवेश को बट्टे खाते डाल दिया गया है क्योंकि पीपीआईएल परिसमापन के अधीन है।

- ग) (i) बीजीजीटीएस की आकस्मिक देयताओं में कंपनी का हिस्सा रु. 6.57 करोड़ (गत वर्ष रु. 5.83 करोड़) है।
(ii) बीजीजीटीएस की पूंजीगत प्रतिबद्धताओं में कंपनी का हिस्सा रु. 0.05 करोड़ (गत वर्ष रु. 0.15 करोड़) है।
(iii) वर्ष के समापन पर संयुक्त उद्यमों की ओर से दी गई बकाया गारंटियां रु. “शून्य” (गत वर्ष रु. 10.35 करोड़) हैं।
(iv) बीजीजीटीएस में कंपनी के हित की कुल राशि लेखे के अनुसार निम्नलिखित है:

(रुपये करोड़ में)

| | 2006-2007 | 2005-2006 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| स्थायी परिसंपत्तियां | 4.81 | 5.30 |
| निवल चालू परिसंपत्तियां | 14.04 | 8.96 |
| रक्षित ऋण | 0.32 | 0.15 |
| आस्थगित कर देयता | 0.00 | 0.16 |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 0.07 | 0.00 |
| शेयरधारक फंड | 18.60 | 13.95 |
| आय | 149.25 | 136.23 |
| व्यय | 121.15 | 114.83 |

(v) वर्ष 2006-07 से संबंधित सूचना अनंकेक्षित लेखे पर आधारित है।

24. लेखाकरण मानक-29 से संबंधित ब्यौरे

क)

(रुपये करोड़ में)

| विवरण | प्रारंभिक शेष | वृद्धियां | उपयोग/बट्टे खाते डालना | वापसी/समायोजन | अंतिम शेष |
|----------------------|---------------|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| निर्णीत हर्जाने | | | | | |
| चालू वर्ष 2006-07 | 490.75 | 158.18 | 46.78 | 15.70 | 586.45 |
| (पिछला वर्ष 2005-06) | (349.64) | (172.18) | (4.65) | (26.42) | (490.75) |
| संविदात्मक दायित्व | | | | | |
| चालू वर्ष 2006-07 | 506.50 | 236.75 | 61.48 | 144.42 | 537.35 |
| (पिछला वर्ष 2005-06) | (475.16) | (194.96) | (34.54) | (129.08) | (506.50) |

क) ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार निर्णीत हर्जाना कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुरूप प्रदान किया जाता है और भुगतान के समय अथवा अन्यथा उचित रूप से विचार किया जाता है। निर्णीत हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयता अनुसूची-19 की टिप्पणी सं. 5 में दर्शाई गई है।

ख) संविदात्मक दायित्व के लिए प्रावधान संविदा की शर्तों के अनुसार वारंटी के दायित्व पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 14 के अनुरूप संविदा मूल्य के 2.5% की दर पर संरक्षणात्मक आधार पर किया जाता है। उसे संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक प्रतिधारित किया जाता है। वास्तविक वारंटी दायित्व संबंधित-संविदा की शर्तों पर निर्भर करते हुए संविदा-दर-संविदा भिन्न हो सकती है।

ख) कर्मचारियों के साथ वेतन समझौता दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 की समाप्त हो जाने पर, पुनरीक्षित मजदूरी/वेतन संरचना के लिए इसके करार को अंतिम रूप दिए जाने तक अनुमानों के आधार पर वर्ष के दौरान 82.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

25. खण्ड सूचना

(रुपये करोड़ में)

| क. प्राथमिक खण्ड-व्यावसायिक क्षेत्र | 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | | | 31.3.2006 को समाप्त वर्ष के लिए | | |
|---|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| | विद्युत | उद्योग | योग | विद्युत | उद्योग | योग |
| I. राजस्व खण्ड | | | | | | |
| क. राजस्व खण्ड | 13857.54 | 5376.31 | 19233.85 | 10893.89 | 4067.96 | 14961.85 |
| ख. राजस्व अंतर खण्ड | 0.00 | 395.34 | 395.34 | 0.00 | 374.56 | 374.56 |
| ग. प्रचालन राजस्व-बाह्य (क)-(ख) | 13857.54 | 4980.97 | 18838.51 | 10893.89 | 3693.40 | 14587.29 |
| II. परिणाम खण्ड | | | | | | |
| क. परिणाम खण्ड | 3581.31 | 877.15 | 4458.46 | 2369.29 | 646.29 | 3015.58 |
| ख. अनाबंटित व्यय (आय को घटाकर) | | | 679.06 | | | 392.48 |
| ग. ब्याज पूर्व लाभ, डीआरई एवं आयकर (क)-(ख) | | | 3779.40 | | | 2623.10 |
| घ. ब्याज | | | 43.33 | | | 58.75 |
| ड. आय कर पूर्व निवल लाभ (ग)-(घ) | | | 3736.07 | | | 2564.35 |
| च. आय कर | | | 1321.37 | | | 885.19 |
| छ. आय कर पश्चात निवल लाभ | | | 2414.70 | | | 1679.16 |
| III परिसंपत्तियां एवं देयताएं | | | | | | |
| क. परिसंपत्तियां खण्ड | 10813.09 | 5233.62 | 16046.71 | 9144.95 | 3721.05 | 12866.00 |
| ख. अनाबंटित परिसंपत्तियां | | | 7250.99 | | | 5313.64 |
| ग. कुल परिसंपत्तियां | | | 23297.70 | | | 18179.64 |
| घ. देयताएं खण्ड | 10646.06 | 2951.45 | 13597.51 | 7612.77 | 2331.12 | 9943.89 |
| ड. अनाबंटित देयताएं | | | 911.93 | | | 934.37 |
| च. कुल देयताएं | | | 14509.44 | | | 10878.26 |
| IV अन्य सूचना | | | | | | |
| क. स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अवधि के दौरान व्यय की गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी सहित) | 276.40 | 126.91 | | 205.20 | 57.63 | |
| ख. मूल्यहास | 145.20 | 56.41 | | 123.95 | 61.28 | |
| ग. गैर-नकद व्यय (मूल्यहास के अतिरिक्त) | 95.62 | 75.48 | | 233.35 | 35.36 | |
| ख. भौगोलिक क्षेत्र - अनुपूरक खण्ड | | | | | | |
| | भारत में | भारत के बाहर | कुल | भारत में | भारत के बाहर | कुल |
| 1 निवल बिक्री/प्रचालनों से आय | 17767.48 | 1071.03 | 18838.51 | 13882.98 | 704.31 | 14587.29 |
| 2 कुल परिसंपत्तियाँ | 22397.01 | 900.69 | 23297.70 | 17795.55 | 384.09 | 18179.64 |
| 3 स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अवधि के दौरान व्यय की गई लागत | 402.97 | 0.34 | 403.31 | 289.28 | 0.01 | 289.29 |

टिप्पणियां :

- कम्पनी के उत्पाद एवं सेवाओं के क्षेत्र, जिससे वे बाजार में प्रमुखता से पहचाने जाते हैं, उनके आधार पर "विद्युत" एवं "उद्योग" खण्डों के अंतर्गत समूह बना दिए गए हैं।
- विद्युत क्षेत्र में विभिन्न विद्युत उत्पादन सेटों एवं उनके सहायक उपकरणों से सम्बद्ध उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं।
- उद्योग क्षेत्र में परिवहन, पारेषण, विद्युत मशीनें, औद्योगिक सेट एवं डीजी सेट, दूरसंचार तथा अन्य औद्योगिक उत्पाद एवं प्रणालियों के उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं।
- अंतर-खण्ड अंतरण आपसी सहमति के मूल्य पर किए गए हैं।

26. गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के प्रस्तुतिकरण के अनुरूप बनाने के लिए, जहां भी व्यवहार्य हो, पुनःसमूहबद्ध / पुनःवर्गीकृत किया गया है।

27. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएं
क. बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपये करोड़ में)

| उत्पाद | इकाई | वर्ष 2006-2007 के दौरान बिक्री | | 1.4.2006 को तैयार माल का प्रारम्भिक स्टॉक | | 31.3.2007 को तैयार माल का अन्तिम स्टॉक | |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------|---|------------------|--|------------------|
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| भोपाल | | | | | | | |
| स्विचगियर, कंट्रोलगियर, रेक्टिफायर, कैपेसिटर | | | | | | | |
| स्विचगियर-11 के.वी. से 220 के.वी. उच्च गति वाले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स | संख्या | 3217 (3761) | 107.02 (129.77) | 466 (206) | 10.32 (5.09) | 799 (466) | 8.57 (10.32) |
| कन्ट्रोल पैनल | संख्या | 324 (434) | 57.49 (26.18) | 0 (11) | 0.00 (0.07) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| औद्योगिक कंट्रोलगियर | संख्या | 0 (0) | 11.43 (11.37) | 0 (0) | 0.65 (0.14) | 0 (0) | 0.01 (0.65) |
| ए.सी., डी.सी. तथा डीजल प्रणालियों के लिए ट्रेक्शन कंट्रोलगियर | सेट | 228 (276) | 127.47 (87.93) | 0 (0) | 0.00 (0.79) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| इलेक्ट्रॉनिक्स सहित रेक्टिफायर | संख्या | 383 (625) | 89.83 (106.29) | 0 (72) | 0.20 (0.76) | 1 (0) | 0.06 (0.20) |
| कैपेसिटर | एमवीएआर | 2336 (2967) | 19.71 (23.00) | 0 (253) | 0.31 (2.30) | 0 (0) | 0.62 (0.31) |
| बुशिंग | (0) | 0 (13.12) | 14.39 (0) | 0 (0.00) | 0.00 (0) | 0 (0.00) | 0.00 (0.00) |
| ट्रांसफॉर्मर | | | | | | | |
| विद्युत ट्रांसफॉर्मर (400 के.वी. तक) | एमवीए/संख्या | 12672 84 | 325.66 0.00 | 0 11 | 5.40 0.00 | 0 11 | 8.47 0.00 |
| | एमवीए/संख्या | (10672) (106) | (250.85) (0.00) | (0) (0) | (0.07) (0.00) | (0) (11) | (5.40) (0.00) |
| इंस्ट्रूमेंट, वेल्डिंग, ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर | एमवीए/संख्या | 949 | 22.02 | 0 0 | 0.00 0.00 | 0 0 | 0.00 0.00 |
| | एमवीए/संख्या | (0) (770) | (18.59) (0.00) | (0) (0) | (0.00) (0.00) | (0) (0) | (0.00) (0.00) |
| औद्योगिक और ट्रेक्शन मशीनें | | | | | | | |
| ए.सी., डी.सी. तथा डीजल प्रणाली के लिए ट्रेक्शन मोटर्स, मुख्य/सहायक जेनरेटर | संख्या | 2404 (2476) | 502.54 (329.52) | 49 (29) | 1.27 (1.34) | 78 (49) | 4.33 (1.27) |
| औद्योगिक मशीनें, 1000 अश्व शक्ति तक की ए.सी. मोटर्स, डी.सी. मोटर्स व सभी प्रकार के जेनरेटर | संख्या | 857 (556) | 174.34 (110.59) | 47 (20) | 6.24 (4.42) | 22 (47) | 3.07 (6.24) |
| हेवी रोटेटींग प्लांट और टरबाइनें | | | | | | | |
| 1000 अश्वशक्ति से अधिक वाली बड़ी विद्युत मशीनें | संख्या | 277 (152) | 178.92 (123.58) | 14 (4) | 7.89 (1.64) | 16 (14) | 8.24 (7.89) |
| वाटर व्हील आल्टरनेट एवं वाटर टरबाइन और मिनी माइक्रो टरबाइन तथा जेनरेटर | संख्या/मेगावाट | 12/T 649 | 163.13 | | 7.82 | | 4.70 |
| | संख्या/मेगावाट | 9/G 497 | 125.57 | | 11.60 | | 1.51 |
| | संख्या/मेगावाट | (7/T) (606) | (167.67) | | (1.55) | | (7.82) |
| | संख्या/मेगावाट | (10/G) (546) | (115.94) | | (6.98) | | (11.60) |
| टर्बो आल्टरनेटर्स और हीट टरबाइन्स एवं हीट एक्सचेंजर्स | संख्या/संख्या (अन्य) | 26 (18) | 190.00 (170.24) | 0 (0) | 4.82 (0.00) | | 0.00 (4.82) |
| | | | 42.03 (48.56) | | 0.02 (0.00) | | 0.00 (0.02) |
| | | कुल | 2151.55 | | 56.54 | | 39.58 |

27. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएं (जारी)

क. बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपये करोड़ में)

| उत्पाद | इकाई | वर्ष 2006-2007 के दौरान बिक्री | | 1.4.2006 को तैयार माल का प्रारम्भिक स्टॉक | | 31.3.2007 को तैयार माल का अन्तिम स्टॉक | |
|--|---------------|--------------------------------|----------------|---|--------------|--|--------------|
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| झांसी | | | | | | | |
| विद्युत ट्रांसफॉर्मर | संख्या | 71 | 152.92 | 0 | 0.00 | 17 | 45.13 |
| तथा विशेष ट्रांसफॉर्मर | | (71) | (113.38) | (4) | (4.39) | (0) | (0.00) |
| ईएसपी ट्रांसफॉर्मर | संख्या | 710 | 63.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | (549) | (54.54) | (0) | (0.00) | (0) | (0.00) |
| एसीईएमयू ट्रांसफॉर्मर | संख्या | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | (0) | (0.00) | (4) | (0.67) | (0) | (0.00) |
| फ्रेट लोको ट्रांसफॉर्मर | संख्या | 67 | 47.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | (45) | (24.46) | (0) | (0.00) | (0) | (0.00) |
| इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर | संख्या | 796 | 21.86 | 13 | 0.29 | 105 | 1.39 |
| | | (882) | (18.06) | (45) | (0.92) | (13) | (0.29) |
| बस डक्ट | संख्या/सेट | | 77.66 | 0 | 0.00 | 0 | 2.28 |
| | | | (63.95) | (0) | (2.04) | (0) | (0.00) |
| ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर | संख्या | 139 | 24.20 | 2 | 0.07 | 2 | 0.08 |
| | | (110) | (19.16) | (0) | (0.00) | (2) | (.07) |
| डीजल शंटर | संख्या | 15 | 45.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | (12) | (24.84) | (0) | (0.00) | (0) | (0.00) |
| नया उत्पाद लोको | संख्या | 0 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | (0) | (14.98) | (0) | (0.00) | (0) | (0.00) |
| अन्य/विविध | संख्या | | 19.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | (13.32) | (0) | (0.04) | (0) | (0.00) |
| | | कुल | 454.05 | | 0.36 | | 48.88 |
| हीप, हरिद्वार | | | | | | | |
| विद्युत मशीनें | मे.वा./संख्या | 23/104 | 19.95 | 8/5 | 1.19 | 3/3 | 0.26 |
| | | (75/25) | (22.89) | (10/14) | (3.24) | (8/5) | (1.19) |
| औद्योगिक नियंत्रण पैनल | संख्या | - | 0.00 | 3 | 0.19 | 3 | 0.19 |
| | | (-) | (0.00) | (3) | (0.19) | (3) | (0.19) |
| टर्बो सेट | मे.वा./संख्या | 15/4830 | 1576.75 | 0 | 9.71 | - | 16.38 |
| | | (1880/6) | (1063.92) | (0) | (11.86) | (-) | (9.71) |
| हाइड्रो सेट | मे.वा./संख्या | - | 61.91 | 0 | 0.18 | - | 2.02 |
| | | (-) | (69.08) | (0) | 0.05 | (-) | (0.18) |
| सुपर रैपिड गन माउण्ट | संख्या | 2 | 42.48 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
| | | (2) | (41.23) | (0) | (0.00) | (-) | 0.00 |
| गैस टरबाइन | मे.वा./संख्या | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 |
| | | (-) | (0.00) | (0) | (2.21) | (-) | 0.00 |
| अन्य | | - | 278.14 | 0 | 6.43 | - | 5.69 |
| | | (-) | (234.30) | (0) | (4.27) | (-) | (6.43) |
| | | कुल | 1979.23 | | 17.70 | | 24.54 |
| सीएफएफपी, हरिद्वार | | | | | | | |
| स्टील कास्टिंग्स | एमटी | 51.4 | 1.14 | 0 | 0.00 | 5.79 | 0.27 |
| | | (50.65) | (1.07) | (0) | (0.00) | (0) | (0.00) |
| स्टील फोर्जिंग्स | एमटी | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.63 | 0.07 |
| | | (40.89) | (1.07) | (0) | (0.00) | (0) | (0.00) |
| एन.एफ. कास्टिंग्स | एमटी | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | (0) | (0.00) | (0) | (0.00) | (0) | (0.00) |
| | | कुल | 1.14 | | 0.00 | | 0.34 |
| बॉयलर प्लांट तथा एस.एस.टी.पी., त्रिची | | | | | | | |
| बॉयलर | एमटी | 251990 | 4280.71 | 5264 | 75.45 | 5092 | 84.47 |
| | | (300252) | (3246.90) | (6293) | (50.36) | (5264) | (75.45) |
| | | | | @ | | @ | |
| वाल्व | संख्या* | 48165 | 208.50 | 3072 | 7.14 | 3733 | 6.57 |
| | | (32259) | (179.57) | (2531) | (2.48) | (3072) | (7.14) |
| परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय | रुपये | 0 | 9.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | (0) | (8.06) | (0) | (0.00) | (0) | (0.00) |
| | | | | ** | ** | ** | ** |
| सीमलैस इस्पात ट्यूब | एमटी | 133 | 1.59 | | | | |
| | | (20) | (0.26) | | | | |
| | | कुल | 4500.06 | | 82.59 | | 91.04 |

27. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएं (जारी)
क. बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपये करोड़ में)

| उत्पाद | इकाई | वर्ष 2006-2007 के दौरान बिक्री | | 1.4.2006 को तैयार माल का प्रारम्भिक स्टॉक | | 31.3.2007 को तैयार माल का अन्तिम स्टॉक | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|---|------------------|--|------------------|
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| बी.ए.पी. रानीपेट | | | | | | | |
| बॉयलर आग्निजएलरी | एमटी | 80967 (9103) | 565.56 (82.72) | 3881 (2993) | 26.02 (17.77) | 6038 (3881) | 44.02 (26.02) |
| विंड मिल | एमटी | 0 (0) | 1.09 (0.27) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय | | 0 (0) | 1.61 (1.52) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| बाहरी निर्माण तथा अन्य सेवाओं से आय | | 0 (0) | 1.25 (3.53) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| | | कुल | 569.51 | | 26.02 | | 44.02 |
| हैदराबाद | | | | | | | |
| 60 मे.वा. सेट | मे.वा. | 1+P (P) | 36.18 (98.91) | 0 (1+P) | 0.00 (13.92) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| 110/120 मे.वा. सेट | मे.वा. | P (2+P) | 156.88 (97.60) | P (0) | 1.50 (0.00) | 0 (P) | 0.00 (1.50) |
| लघु एवं मध्यम सेट | मे.वा. | 16+P (17+P) | 339.29 (346.09) | P (0) | 10.79 (0.00) | 0 (P) | 0.00 (10.79) |
| पम्प तथा हीटर | संख्या | 1+P (153+P) | 340.19 (409.75) | 12+P (4) | 9.06 (0.88) | 1P (12+P) | 1.70 (9.06) |
| कम्प्रेसर | संख्या | 4+P (4+P) | 59.28 (52.10) | 7+P (2) | 41.41 (7.92) | 1 (7+P) | 7.11 (41.41) |
| ऑयल रिंग्स | | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| गैस टरबाइन | संख्या | 7+P (5+P) | 461.50 (618.03) | 1+P (1+P) | 64.29 (79.30) | 2 (1+P) | 32.19 (64.29) |
| सहायक उत्पादन ब्रेकर | संख्या | 69 (76) | 20.15 (18.07) | 6 (18) | 0.29 (1.25) | 0 (6) | 0.00 (0.29) |
| बाउल मिल | | 1+P (84+P) | 367.97 (327.62) | P | 2.46 (0.00) | 0 (P) | 0.00 (2.46) |
| हीट एक्सचेंजर | | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| इरेक्शन आय | | | 5.56 (5.65) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| कास्टिंग | | | 9.79 (10.05) | | 0.37 (2.65) | | 0.90 (0.37) |
| अन्य (सेवायें) | | | 73.22 (35.75) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| ब्रेकर्स के अतिरिक्त पुर्जे | | | 6.72 (7.17) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| ब्रेकर्स के अलावा अतिरिक्त पुर्जे | | | 406.25 (368.41) | | 0.00 (0.87) | | 0.00 (0.00) |
| | | कुल | 2282.98 | | 130.17 | | 41.90 |

27. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएं (जारी)

क. बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपये करोड़ में)

| उत्पाद | इकाई | वर्ष 2006-2007 के दौरान बिक्री | | 1.4.2006 को तैयार माल का प्रारम्भिक स्टॉक | | 31.3.2007 को तैयार माल का अन्तिम स्टॉक | |
|--|------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------|--|----------------|
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग | | | | | | | |
| ऊर्जा मीटर | | | | | | | |
| क/एक फेज | संख्या | 79500 (68500) | 5.21 (4.52) | 607 (1207) | 0.04 (0.07) | 0 (607) | 0.00 (0.04) |
| ख/बहु फेज | संख्या | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 197 (3471) | 0.03 (0.31) | 0 (197) | 0.00 (0.03) |
| कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक | संख्या | | | 7674 (7674) | 0.00 (0.00) | 7674 (7674) | 0.00 (0.00) |
| विद्युत यंत्र | संख्या | 3868 (876) | 1.74 (0.78) | 490 (0) | 0.30 (0.00) | 36 (490) | 0.01 (0.30) |
| फोटोवाल्वाइक | कि.वा. | 1095 (1045) | 24.42 (26.34) | 10 (10) | 0.18 (0.42) | 4 (10) | 0.20 (0.18) |
| सिम्युलेटर (डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स) | सेट | 0 (0) | 1.28 (0.10) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| नियंत्रण उपस्कर | क्युबिकल्स | 2569 (2036) | 852.16 (665.13) | 14 (31) | 1.35 (5.18) | 0 (14) | 1.17 (1.35) |
| अन्य | | | | | | | |
| | | कुल | 884.81 | | 1.90 | | 1.38 |
| विद्युत पोर्सिलेन प्रभाग | | | | | | | |
| इंसुलेटर तथा बुशिंग | एमटी | 7437 (8014) | 82.66 (71.85) | 598 (1089) | 4.07 (8.01) | 637 (598) | 5.37 (4.07) |
| सेरेलिन | एमटी | 1428 (1770) | 18.21 (18.79) | 154 (55) | 2.51 (0.40) | 41 (154) | 0.34 (2.51) |
| परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय | | 0 (0) | 0.57 (0.58) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| | | कुल | 101.44 | | 6.58 | | 5.71 |
| विद्युत समूह | | | | | | | |
| इरेक्शन एवं अन्य सेवाओं तथा अतिरिक्त पुर्जों से आय | | | 3796.96 (2875.60) | | 1.40 (8.48) | | 0.00 (1.40) |
| | | कुल | 3796.96 | | 1.40 | | 0.00 |
| आईओ परियोजनाएं | | | | | | | |
| आपूर्ति निर्यात | | | 858.12 (561.49) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| सेवा निर्यात | | | 220.67 (140.85) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| | | कुल | 1078.79 | | 0.00 | | 0.00 |
| जगदीशपुर | | | | | | | |
| विद्युत्सरोधी (इंसुलेटर) | सी.एम.टी | 6458.83 (6463.13) | 63.46 (58.54) | 645.90 (604.90) | 7.53 (5.56) | 506.60 (645.90) | 6.47 (7.53) |
| सेरेलिन | एम.टी | 1340.13 (1523.52) | 16.67 (16.78) | 116.58 (110.30) | 1.00 (1.40) | 158.95 (116.58) | 1.83 (1.00) |
| | | कुल | 80.13 | | 8.53 | | 8.30 |
| आई वी पी गोइंदवाल | | | | | | | |
| औद्योगिक वाल्व | संख्या | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 134 (126) | 0.32 (0.25) | 72 (134) | 0.18 (0.32) |
| | | कुल | 0.00 | | 0.32 | | 0.18 |

27.कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएं (जारी)
क. बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपये करोड़ में)

| उत्पाद | इकाई | वर्ष 2006-2007 के दौरान बिक्री | | 1.4.2007 को तैयार माल का प्रारम्भिक स्टॉक | | 31.3.2007 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक | |
|--|--------|--------------------------------------|--------------------|---|----------------|---|----------------|
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| औद्योगिक प्रणाली समूह | | | | | | | |
| कंट्रोल पैनल | संख्या | 0 (55) | 0.00 (10.66) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| मोटर एवं अतिरिक्त पुर्जे | संख्या | 0 (6) | 0.00 (0.67) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| अन्य उपस्कर | | 0 (0) | 423.39 (268.92) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | 0.00 (0.00) |
| | | कुल | 423.39 | | 0.00 | | 0.00 |
| प्रौद्योगिकी अंतरण केन्द्र हैदराबाद | | | | | | | |
| परीक्षण और सेवाओं से आय | | | 1.26 (1.36) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| सॉफ्टवेयर | लॉट | 0 (0) | 0.00 (0.03) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| कानपुर स्थित कॉड के आधुनिकीकरण के लिए एएसआरएस | लॉट | 39.23 (LOT) | 0.00 (26.77) | 0.00 | 0.00 (0.02) | 0.00 | 0.00 (0.00) |
| सोलर गीजर | संख्या | 18 (0) | 0.08 (0.00) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| माइक्रोवेव सिंटरिंग प्रणाली | संख्या | 0 (0) | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| अन्य | संख्या | 4 (1) | 0.08 (0.00) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| कुलिंग प्रणाली | संख्या | 15 (0) | 1.48 (0.00) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| | | कुल | 42.13 | | 0.00 | | 0.00 |
| सी.एफ.पी. रूद्रपुर एस.डब्ल्यू.एच.एस. | | | | | | | |
| | संख्या | 1770 (1754) | 2.04 (1.86) | 144 (27) | 0.09 (0.01) | 13 (144) | 0.01 (0.09) |
| सौर लालटेन | संख्या | 4590 (6323) | 4.56 (2.91) | 5 (172) | 0.00 (0.02) | 4 (5) | 0.00 (0.00) |
| | | कुल | 6.60 | | 0.09 | | 0.01 |
| एचईआरपी, वाराणसी | | | | | | | |
| बॉयलर/ट्रबाइन एवं सहायक उपकरणों के लिए अतिरिक्त पुर्जे एवं मरम्मत | | | 70.26 (38.95) | | 0.26 (0.16) | | 0.34 (0.26) |
| | | कुल | 70.26 | | 0.26 | | 0.34 |
| उन्नत अनुसंधान परियोजना अन्य (सेवाएं) | | | | | | | |
| | | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| | | कुल | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| टीपीजी, भोपाल | | | | | | | |
| अतिरिक्त पुर्जे, (सेवाओं सहित) | | | 343.63 (296.95) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| | | कुल | 343.63 | | 0.00 | | 0.00 |

27. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएं (जारी)

क. बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपये करोड़ में)

| उत्पाद | वर्ष 2006-2007 के दौरान बिक्री | | 1.4.2006 को तैयार माल का प्रारम्भिक स्टॉक | | 31.3.2007 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक | |
|--|--------------------------------|--------------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| ओएसबीजी एंड ईएमआरपी | | | | | | |
| मरम्मत एवं परियोजना कार्य | | 8.41 (4.21) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| | | कुल 8.41 | | 0.00 | | 0.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन | | | | | | |
| बिक्री से आय (राजस्व मान्यता समायोजन) | | -10.37 (-4.04) | | 0.00 (0.00) | | 0.00 (0.00) |
| | | कुल -10.37 | | 0.00 | | 0.00 |
| उद्योग क्षेत्र | | | | | | |
| बिक्री से आय (राजस्व मान्यता समायोजन) | | -25.76 (3.41) | | 0.00 (-0.34) | | 0.00 (0.00) |
| | | कुल -25.76 | | 0.00 | | 0.00 |
| मालसूची पर लाभ घटक हेतु समायोजन | | | | -2.88 (-0.22) | | -3.66 (-2.88) |
| | | कुल जोड़ 18738.95 | | 329.58 | | 302.56 |

1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

2. * टन भार के रूप में सही भार निर्धारित नहीं किया जा सका।

3. @ डब्ल्यूआईपी माने गए बॉयलर के अंतिम स्टॉक को छोड़कर

4. बॉयलर में प्रयोग हेतु वाल्व

5. ** इसमें डब्ल्यूआईपी माने गए बॉयलर संयंत्र का 0.33 लाख रुपए का 55 मी. टन का प्रारम्भिक स्टॉक और 0.16 करोड़ रुपए का 28 मी. टन का अंतिम स्टॉक शामिल नहीं है।

6. + इसमें फॉसिल बॉयलर हेतु बीएपी, रानीपेट के संयुक्त कारोबार के 46354 मी. टन (गत वर्ष 95719 मी. टन) शामिल हैं।

7. कैप्टिव खपत हेतु 23933 मी. टन एस.एस. ट्यूबें बॉयलर संयंत्र को स्थानांतरित कर दी गयी।

| संख्या | रु. करोड़ में |
|---------|---------------|
| 4504 | 4.03 |
| (4513) | (3.91) |
| 51511 | 58.03 |
| (15560) | (35.64) |

27. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएं (जारी)

ख. अनुज्ञप्त क्षमता, संस्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

(रुपये करोड़ में)

| क्र. सं. | उत्पाद | यूनिट | संस्थापित 2006-07 | क्षमता 2005-06 | वास्तविक 2006-07 | उत्पादन 2005-06 |
|--------------|--|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| भोपाल | | | | | | |
| 1 | टर्बो सेट | | | | | |
| | -स्टीम टरबाइन | संख्या मे.वा. | 3 360 | 3 360 | 0 0 | 0 0 |
| | -मेरिन टरबाइन | संख्या मे.वा. | 2 24 | 2 24 | 0 0 | 0 0 |
| | -न्यूक्लियर टरबाइन | संख्या मे.वा. | 1 236 | 1 236 | 0 0 | 0 0 |
| | -औद्योगिक टरबाइन | संख्या मे.वा. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | हाइड्रो सेट | | | | | |
| | -हाइड्रो टरबाइन | संख्या मे.वा. | 12 720 | 12 720 | 12 649 | 7 606 |
| | -हाइड्रो जेनरेटर | संख्या मे.वा. | 12 720 | 12 720 | 9 497 | 10 546 |
| 3 | बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीन | संख्या | 100 | 100 | 280 | 164 |
| 4 | ट्रैक्शन मशीनें (टीजी/एजी, ब्लोअर मोटर, बीपीआरवी इत्यादि सहित) | संख्या | 2850 | 2850 | 2556 | 2608 |
| 5 | पावर ट्रांसफॉर्मर | संख्या एमवीए | 65 12000 | 65 12000 | 84 12672 | 117 10672 |
| 6 | इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफॉर्मर | संख्या | 200 | 200 | 949 | 770 |
| 7 | इलेक्ट्रिकल मशीनें | संख्या | 550 | 550 | 856 | 605 |
| 8 | स्विचगियर | संख्या | 3000 | 3000 | 3721 | 4201 |
| 9 | कैपिसिटर | एमवीएआर | 3200 | 3200 | 2336 | 2714 |
| 10 | औद्योगिक कंट्रोलगियर | संख्या | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 11 | ट्रैक्शन कंट्रोलगियर | सेट | 220 | 220 | 228 | 276 |
| 12 | नियंत्रण उपस्कर | संख्या | 600 | 600 | 1006 | 1160 |
| 13 | हीट एक्सचेंजर | संख्या एमटी | 52 1100 | 52 1100 | 26 0 | 18 0 |
| 14 | नियंत्रण पैनल | संख्या | 600 | 600 | 601 | 576 |
| 15 | कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम | टन | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| झांसी | | | | | | |
| 1 | पावर ट्रांसफॉर्मर 33केवी/132केवी | संख्या/एमवीए | 105/5500 | 65/4000 | 96/6111 | 85/4175 |
| 2 | अन्य ट्रांसफॉर्मर | | | | | |
| | -विशेष कार्य ट्रांसफॉर्मर (ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर इत्यादि) | संख्या | 140 | 180 | 161 | 131 |
| | -ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर (फ्रेट लोको और एसीईएमयू) | संख्या | 140 | 140 | 138 | 131 |
| | -इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफॉर्मर | संख्या | 1000 | 1960 | 937 | 1005 |
| | -ईएसपी ट्रांसफॉर्मर | संख्या | 500 | * | 710 | 549 |
| 3 | बस डक्ट | सेट | @ | @ | | |
| 4 | डीजल शंटर्स | संख्या | 10 | 10 | 15 | 12 |
| 5 | एसी लोकोमोटिव (6500 एचपी तक) | संख्या | 30 | 30 | 0 | 0 |

संस्थापित क्षमता का पुनः मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

* ईएसपी ट्रांसफॉर्मर का विनिर्माण, इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफॉर्मरों को संस्थापित क्षमता का उपयोग करके किया जा रहा है।

@ बस डक्ट का विनिर्माण ट्रांसफॉर्मरों को वर्तमान क्षमता के अंदर किया जा रहा है।

2006-07 के वास्तविक उत्पादन में निम्नलिखित उत्पादों के लिए आंतरिक उपयोग हेतु किए गए कार्य शामिल हैं:

ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर : 4 संख्या

इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफॉर्मर : 4 संख्या

27. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएं (जारी)

ख. अनुज्ञप्त क्षमता, संस्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

(रुपये करोड़ में)

| क्र. सं. | उत्पाद | यूनिट | संस्थापित 2006-2007 | क्षमता 2005-2006 | वास्तविक 2006-2007 | उत्पादन 2005-2006 |
|---|------------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| हीप, हरिद्वार | | | | | | |
| 1 | टर्बो सेट | मे.वा. | 3500 | 3500 | 4830 | 1880 |
| 2 | हाइड्रो सेट | मे.वा. | 625 | 625 | - | - |
| 3 | इलेक्ट्रिकल मशीन | मे.वा. | 450 | 450 | 102 | 74 |
| 4 | गैस टरबाइन @@ | मे.वा. | 0 | 0 | - | 300 |
| 5 | सुपर रैपिड गन माउन्ट | संख्या | 3 | 3 | 2 | 2 |
| <p>@ @ 600 मेगावाट गैस टरबाइनों के समकक्ष रोटार जैसे गैस टरबाइनों के संघटकों के विनिर्माण के लिए संस्थापित क्षमता। मौजूदा थर्मल सेटों की सुविधाओं से गैस टरबाइन के लिए शेष संघटकों का विनिर्माण किया जाता है।</p> <p>टिप्पणी: संस्थापित क्षमता प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित हैं।</p> <p>वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन के आंकड़े संबंधित उत्पादों के लिए हैं, किन्तु अन्य उत्पादों, सहायक पुर्जों और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त क्षमता में शामिल नहीं है और कार्य प्रगति पर है।</p> | | | | | | |
| सीएफएफपी, हरिद्वार | | | | | | |
| 1 | स्टील कास्टिंग | एम.टी. | 6000 | 6000 | 4035 | 3998 |
| 2 | स्टील फोर्जिंग | | | | | |
| | (क) स्टील फोर्जिंग (हेवी) | एम.टी. | 2410 | 2410 | 717 | 740 |
| | (ख) मीडियम फोर्जिंग (मीडियम) | एम.टी. | 3000 | 3000 | 2114 | 2087 |
| 3 | बिलेट्स और ब्लूमस | एम.टी. | 4000 | 4000 | 601 | 785 |
| 4 | एन. एफ. कास्टिंग | एम.टी. | 250 | 250 | 67 | 56 |
| <p>टिप्पणी: 1. अनुज्ञप्त क्षमता नहीं दर्शाया गया है क्योंकि नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में उसकी आवश्यकता नहीं है।</p> <p>2. संस्थापित क्षमता प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित है।</p> | | | | | | |
| हैदराबाद | | | | | | |
| 1 | स्टीम टरबाइन | मे.वा. | 695 | 955 | 840 | 827 |
| 2 | जेनेरेटर | मे.वा. | 1360 | 835 | 1348 | 1206 |
| 3 | गैस टरबाइन | मे.वा. | 480 | 0 | 499 | 525 |
| 4 | कम्प्रेसर | संख्या | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 5 | पल्वराइजर्स @@ | संख्या | 63 | 63 | 95 | 85 |
| 6 | पम्प @ | संख्या | 126 | 126 | 172 | 170 |
| 7 | ब्रेकर्स ### | संख्या | 1035 | 1035 | 305 | 306 |
| 8 | हीट एक्सचेंजर # | संख्या | 137 | 137 | 135 | 135 |
| 9 | ऑयल रिग्स ## | संख्या | 0 | 0 | 6 | 6 |

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़े रिफरबिशमेंट आदेश में शामिल हैं।

@ बी.एफ.पी, बी.पी, सी.इ.पी और सी.डब्ल्यू.पी

@@ बॉल मिल्स और ट्यूब मिल्स

एचपी एवं एलपी हीटर, डीयरेटर, कंडेन्सर, गैस कुलर, एल.ओ सिस्टम और विशेष एच.इ

मड पम्प, एच एवं आर उपस्कर और ड्रा वर्क्स

क्षमता का पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है और आंकड़े 132 केवी ब्रेकर के समकक्ष हैं।

27. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएं (जारी)

ख. अनुज्ञप्त क्षमता, संस्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

(रुपये करोड़ में)

| क्र. सं. | उत्पाद | यूनिट | संस्थापित 2006-2007 | क्षमता 2005-2006 | वास्तविक 2006-2007 | उत्पादन 2005-2006 |
|---|------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| ईडीएन, बंगलौर | | | | | | |
| 1 | ऊर्जा मीटर | संख्या | 600000 | 600000 | 78696 | 68266 |
| 2 | नियंत्रण उपस्कर | क्यूबिकल | 2500 | 1200 | 2688 | 2118 |
| 3 | विद्युत युक्तियां | संख्या | 12000 | 30000 | 15016 | 11779 |
| 4 | फोटोवोल्टेइक्स | केडब्ल्यूएस | 2000 | 2000 | 2104 | 1800 |
| 5 | सिमुलेटर्स (डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स) | सेट | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तिरुची | | | | | | |
| 1 | बॉयलर | एम.टी | 108000+* | 108000+* | 255156+* | 208732+* |
| 2 | वाल्व | एम.टी | 2712*A | 2712*A | 6705 | 4414 |
| | | संख्या | | | 76081 | 61059 |
| 3 | न्यूक्लियर स्टीम जेनरेटिंग उपस्कर | मे.वा. | 382/500** | 382/500** | XX | XXX |
| 4 | सीमलैस स्टील ट्यूब | एम.टी | 40000 | 40000 | 25084 | 25136 |
| 5 | आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल | संख्या | 25 | 25 | 0 | 0 |
| + प्रक्रिया उद्योगों के लिए उपस्करों के विनिर्माण हेतु 5000 मीटर टन शामिल हैं। | | | | | | |
| * उपसर्विदा और उप सुपुर्दगी शामिल है। | | | | | | |
| A आईवीपी गोइंदवाल के 788 मी.टन को छोड़कर। | | | | | | |
| ** 235 मेगावाट के 6.5 स्टीम जेनरेटर और 6.5 रिएक्टर हैडर्स (अथवा) 500 मेगावाट के लिए 4 स्टीम जेनरेटर और 4 रिएक्टर हैडर्स के समतुल्य। 50 अदद की लाइसेंसशुदा क्षमता के समतुल्य। | | | | | | |
| XX क्षमता का उपयोग न्यूक्लियर परियोजनाओं और अन्य हीट एक्सचेंजर्स, प्रेसर वेल्स के विनिर्माण के लिए किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान दो रिटर्न कुलर, इन्टर वेसल्स और थर्मल बफ्ल का विनिर्माण किया गया। | | | | | | |
| XXX क्षमता का उपयोग न्यूक्लियर परियोजनाओं और अन्य हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स के विनिर्माण किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान एक प्रेसर वेसल्स-पी 4, 5 रिहटर ट्यूब बैंक एक एल.पी.एस.सी हीट एक्सचेंजर का विनिर्माण किया गया। | | | | | | |
| बीएपी, रानीपेट | | | | | | |
| 1 | बॉयलर के सहायक उपकरण | एमटी | 118000 | 57000 | 129903 | 106792 |
| 2 | विंड मिल * | एमटी NO | | | | |
| * अलग से संस्थापित क्षमता शामिल नहीं है। | | | | | | |
| आईवीपी, गोइंदवाल | | | | | | |
| 1 | औद्योगिक वाल्व एवं वाल्व उपकरण | एमटी संख्या | 788 | 788 | 947.42 6426 | 835 7887 |
| ईपीडी, बंगलौर | | | | | | |
| 1 | इन्सुलेटर और बुशिंग | सीएमटी | 6250 | 6250 | 6876 | 5695 |
| 2 | संयोजित उत्पादन | एमटी | | | 9960 | 9781 |
| 3 | सेरेलीन | सीएमटी | 745 | 745 | 1040 | 1000 |
| 4 | सेरेलीन (संयोजित) | एमटी | | | 2272 | 2622 |
| आईपी, जगदीशपुर | | | | | | |
| 1 | इन्सुलेटर | सीएमटी | 6000 | 6000 | 6589.70 | 6658 |
| 2 | सेरेलीन | एमटी | 330 | 330 | 655.00 | 780 |
| 3 | सेरेलीन (संयोजित) | एमटी | | | 1628.37 | 1690.28 |
| सीएफपी, रूद्रपुर | | | | | | |
| 1 | एस.डब्ल्यू.एच.एस. | संख्या | 4000 | 4000 | 1639 | 1871 |
| 2 | सौर लालटेन | संख्या | 10000 | 4000 | 4589 | 6156 |
| 3 | बस डक्ट | एमटी | 100 | | | |

27.कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएं (जारी)

(रुपये करोड़ में)

| | 31.03.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2006 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ग. आयात का मूल्य | | |
| सी आई एफ आधार पर | | |
| कच्चा माल | 1419.88 | 1281.87 |
| संघटक तथा अतिरिक्त पुर्जे | 864.74 | 1005.21 |
| पूँजीगत माल | 159.55 | 70.10 |
| घ. विदेशी मुद्रा में व्यय | | |
| रॉयल्टी | 19.06 | 18.93 |
| तकनीकी ज्ञान | 1.40 | 1.18 |
| व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क | 65.14 | 0.64 |
| ब्याज तथा अन्य (विदेशी स्थलों सहित) | 74.07 | 65.17 |
| लाभांश : @ | | |
| क) अप्रवासी शेयरधारकों की संख्या | 1563 | 691 |
| ख) धारित शेयरों की संख्या | 52808378 | 54941214 |
| ग) लाभांश की सकल राशि | 10.56 | 24.72 |
| घ) लाभांश का वर्ष | 2005-06 | 2004-2005 |
| अंतरिम लाभांश : @ | (अंतिम लाभांश) | (अंतिम लाभांश) |
| क) अप्रवासी शेयरधारकों की संख्या | 1904 | 784 |
| ख) धारित शेयरों की संख्या | 51280332 | 54165105 |
| ग) लाभांश की सकल राशि | 64.10 | 21.67 |
| घ) लाभांश का वर्ष | 2006-07 | 2005-2006 |
| | (अंतरिम लाभांश) | (अंतरिम लाभांश) |
| विशेष अंतरिम लाभांश : @ | | |
| क) अप्रवासी शेयरधारकों की संख्या | - | 1036 |
| ख) धारित शेयरों की संख्या | - | 54802130 |
| ग) लाभांश की सकल राशि | - | 46.58 |
| घ) लाभांश का वर्ष | - | 2005-2006 |
| | | (विशेष अंतरिम) |
| <p>@ कम्पनी ने लाभांश का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया। बैंकों प्रवासी शेयरधारकों के पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों को भुगतान कर दिया गया है और इसीलिए उनके द्वारा विदेशी मुद्रा में किए गए लाभांश भुगतान की निश्चित राशि का पता नहीं चल सकता है।</p> | | |
| ड. कच्चे माल, संघटक, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत का मूल्य | | |
| #आयातित (सीमा शुल्क सहित) | 2649.71 | 2038.30 |
| स्वदेशी | 5911.71 | 5061.11 |
| कुल खपत का प्रतिशत | | |
| आयातित | 31 | 29 |
| स्वदेशी | 69 | 71 |
| च. विदेशी मुद्रा में आय | | |
| माल का निर्यात (एफओबी आधार पर) ** | 860.65 | 568.71 |
| ब्याज | 0.36 | 0.02 |
| इरेक्शन एवं अन्य सेवाएं ** | 220.74 | 140.85 |
| विविध | 14.16 | 0.05 |
| <p>** इसमें मानित निर्यात के 2564.23 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1219.77 करोड़ रुपये) शामिल नहीं है। # सारणीबद्ध मर्दें, जहां कहीं भी अभिनिश्चित हैं, सम्मिलित की गई हैं।</p> | | |

27. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएं (जारी)

छ. कच्चे माल तथा संघटकों की खपत का विवरण

(रुपये करोड़ में)

| सामग्री का वर्ग | इकाई | 31.03.2007 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.03.2006 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| लौह सामग्री | | | | | |
| | एमटी | 347876 | | 400236 | |
| | मीटर | 9393927 | | 3045915 | |
| | संख्या | 2263172 | | 1781352 | |
| | वर्गमीटर | 230 | | 328 | |
| | किलोग्राम | 51228947 | | 48393513 | |
| | अन्य | 2633 | | 44 | |
| | | | 2259.25 | | 1888.94 |
| अलौह सामग्री | | | | | |
| | एमटी | 6579 | | 3204 | |
| | मीटर | 180301 | | 128334 | |
| | संख्या | 190647 | | 170941 | |
| | वर्गमीटर | 9099 | | 5 | |
| | किलोग्राम | 4722159 | | 4345905 | |
| | आरएल | 18787 | | 16522 | |
| | अन्य | 186 | | 0 | |
| | | | 334.58 | | 212.88 |
| विद्युत्स्रोधी सामग्री | | | | | |
| | मीटर | 43838617 | | 38448045 | |
| | एमटी | 19783 | | 36548 | |
| | संख्या | 623297 | | 311013 | |
| | वर्गमीटर | 1972840 | | 330933 | |
| | किलोग्राम | 1059204 | | 1181550 | |
| | एलटी | 4551637 | | 4856232 | |
| | आरएल | 195449 | | 226274 | |
| | एम 2 | 99638 | | 81443 | |
| | केएल | 647 | | 110 | |
| | एसटी | 1158 | | 56 | |
| | अन्य | 1448 | | 155 | |
| | | | 165.13 | | 138.36 |
| इंसुलेटेड केबल तथा चुम्बकीय तार | | | | | |
| | मीटर | 1712856 | | 977101 | |
| | संख्या | 5 | | 103 | |
| | किलोग्राम | 4232 | | 6869 | |
| | अन्य | 1 | | 0 | |
| | | | 23.80 | | 13.75 |
| संघटक | | | 4830.04 | | 4240.63 |
| अन्य | | | 599.15 | | 370.99 |
| कुल | | | 8211.95 | | 6865.55 |

तुलन-पत्र का सार तथा कम्पनी की सामान्य व्यावसायिक रूपरेखा

i) पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या

0 0 4 2 8 1

तुलन-पत्र

राज्य कोड

5 5

3 1 0 3 0 7
दिनांक माह वर्ष

ii) वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि करोड़ रु. में)

पब्लिक इश्यू
शून्य

राइट इश्यू
शून्य

बोनस इश्यू
शून्य

प्राइवेट प्रतिस्थापना
शून्य

iii) निधियों के संग्रहण व वितरण की स्थिति (राशि रु. करोड़ में)

कुल देयताएं

2 3 2 9 7 . 7 0

निधियों के स्रोत

चुकता पूंजी

2 4 4 . 7 6

रक्षित ऋण

शू = य

निधियों का प्रयोग

निवल स्थयी परिसंपत्तियां*

1 2 9 1 . 2 8

* इसमें डब्ल्यू आई पी पूंजी 18457.18 लाख रु. शामिल है।

निवल चालू परिसंपत्तियां

6 6 4 2 . 8 6

संचित हानि

शून्य

iv) कंपनी का कार्यनिष्पादन (राशि लाख रु. में)

कुल कारोबार*

1 8 7 3 8 . 9 5

* उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 1501.42 रु. शामिल हैं।

मालसूची में वृद्धि/कमी सहित कुल अर्जन, अन्य प्रचालनात्मक आय, अन्य राजस्व तथा वर्ष के लिए कारोबार पर उत्पाद शुल्क का समायोजन कुल व्यय के प्रति 18242.28 करोड़ रुपये है।

कर-पूर्व लाभ

3 7 3 6 . 0 7

अर्जन प्रति शेयर रु. में

9 8 . 6 6

कुल परिसंपत्तियां

2 3 2 9 7 . 7 0

प्रारक्षित एवं अधिशेष

8 5 4 3 . 5 0

अरक्षित ऋण

8 9 . 3 3

निवेश

8 . 2 9

विविध व्यय (आस्थगित राजस्व व्यय)

शू = य

आस्थगित कर परिसंपत्तियां

9 3 5 . 1 6

कुल व्यय

1 4 5 0 6 . 2 1

कर-पश्चात लाभ

2 4 1 4 . 7 0

लाभांश दर

- 244.76 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी पर 125% की दर से आंतरिक लाभांश
- 489.52 करोड़ रुपए की वर्धित प्रदत्त शेयर पूंजी परबर्ती बोनस इश्यू पर 60% की दर से प्रस्तावित अंतिम लाभांश

v) कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम (मौद्रिक रूप के अनुसार)

1. मद कोड सं. :
(आईटीसी कोड)

8 4 0 2 1 0

उत्पाद विवरण :

पुर्जों के अलावा बॉयलर

2. मद कोड सं. :
(आईटीसी कोड)

8 5 0 2 3 9 0 2

उत्पाद विवरण :

हाइड्रो टर्बाइन सहित पूर्ण जेनरेटिंग सेट

3. मद कोड सं. :
(आईटीसी कोड)

8 4 1 1 8 2 0 6

उत्पाद विवरण :

115000 कि.वा. से अधिक क्षमता की गैस टर्बाइन

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(एन.के. सिन्हा)
सचिव

(सी.एस. वर्मा)
निदेशक (वित्त)

(अशोक के. पुरी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 25.05.2007

स्थान : नई दिल्ली

शेयरधारकों के लिए अतिरिक्त सूचना

दस वर्षों का सार

(रुपये करोड़ में)

| | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I अर्जन | | | | | | | | | | |
| उत्पादों की बिक्री व ग्राहकों को सेवाएं | 18738.95 | 14525.49 | 10336.40 | 8662.47 | 7482.22 | 7286.63 | 6347.76 | 6633.97 | 6794.69 | 6471.31 |
| अन्य आय | 823.56 | 546.92 | 655.70 | 512.77 | 508.72 | 494.00 | 505.42 | 470.38 | 543.29 | 378.48 |
| स्टॉक में परिवर्तन | 181.19 | 386.01 | 539.77 | -30.63 | -45.32 | -37.29 | 250.71 | -23.70 | 82.29 | -13.30 |
| कुल अर्जन | 19743.70 | 15458.42 | 11531.87 | 9144.61 | 7945.62 | 7743.34 | 7103.89 | 7080.65 | 7420.27 | 6836.49 |
| सामग्री | 8561.41 | 7099.40 | 5097.68 | 3634.66 | 3160.37 | 3306.77 | 3049.61 | 2811.96 | 3049.49 | 2838.19 |
| कार्मिकों को भुगतान | 2368.95 | 1878.51 | 1650.38 | 1639.51 | 1504.64 | 1444.62 | 2170.21 | 1132.97 | 1241.60 | 952.50 |
| अन्य विनिर्माण, प्रशासनिक एवं बिक्री व्यय | 4760.97 | 3611.48 | 2901.91 | 2597.61 | 2237.98 | 2062.94 | 1388.40 | 2095.10 | 2020.36 | 1840.29 |
| व्याज तथा मूल्यह्रास से पहले के व्यय | 15691.33 | 12589.39 | 9649.97 | 7871.78 | 6902.99 | 6814.33 | 6608.22 | 6040.03 | 6311.45 | 5630.98 |
| व्याज और मूल्यह्रास से पहले का | 4052.37 | 2869.03 | 1881.90 | 1272.83 | 1042.63 | 929.01 | 495.67 | 1040.62 | 1108.82 | 1205.51 |
| मूल्यह्रास | 272.97 | 245.93 | 218.87 | 198.00 | 185.4 | 169.20 | 157.78 | 153.50 | 143.22 | 124.18 |
| सकल लाभ | 3779.40 | 2623.10 | 1663.03 | 1074.83 | 857.23 | 759.81 | 337.89 | 887.12 | 965.60 | 1081.33 |
| व्याज | 43.33 | 58.75 | 81.41 | 60.08 | 54.80 | 96.98 | 43.76 | 21.66 | 33.25 | 59.68 |
| कर पूर्व लाभ | 3736.07 | 2564.35 | 1581.62 | 1014.75 | 802.43 | 662.83 | 294.13 | 865.46 | 932.35 | 1021.65 |
| कर के लिए प्रावधान | 1321.37 | 885.19 | 628.23 | 356.60 | 357.90 | 194.89 | -18.42 | 265.99 | 387.71 | 302.14 |
| कर-पश्चात लाभ | 2414.70 | 1679.16 | 953.39 | 658.15 | 444.53 | 467.94 | 312.55 | 599.47 | 544.64 | 719.51 |
| लाभांश (लाभांश कर सहित) | 692.49 | 404.67 | 222.45 | 165.86 | 110.45 | 97.90 | 80.92 | 85.54 | 67.93 | 67.31 |
| प्रतिधारित लाभ | 1722.21 | 1274.49 | 730.94 | 492.29 | 334.08 | 370.04 | 231.63 | 513.93 | 476.71 | 652.20 |
| II कंपनी की निजी संपत्तियां | | | | | | | | | | |
| सकल ब्लॉक | 4135.05 | 3822.06 | 3628.94 | 3459.60 | 3349.31 | 3182.00 | 3004.05 | 2810.82 | 2657.36 | 2423.63 |
| घटाएं : संचित मूल्यह्रास और पट्टा समायोजन | 3146.31 | 2839.78 | 2584.70 | 2365.46 | 2178.81 | 2005.42 | 1861.44 | 1723.02 | 1594.83 | 1465.09 |
| निवल ब्लॉक | 988.74 | 982.28 | 1044.24 | 1094.14 | 1170.50 | 1176.58 | 1142.61 | 1087.80 | 1062.53 | 958.54 |
| पूंजीगत चालू कार्य | 302.54 | 184.57 | 95.32 | 108.56 | 58.70 | 56.67 | 61.18 | 72.44 | 73.29 | 63.49 |
| निवेश | 8.29 | 8.29 | 8.95 | 28.98 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 15.10 | 24.01 |
| चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम | 21062.97 | 16330.78 | 13342.98 | 10424.70 | 8348.40 | 8051.39 | 7576.19 | 7018.96 | 6538.51 | 6028.18 |
| कुल परिसंपत्तियां | 22362.54 | 17505.92 | 14491.49 | 11656.38 | 9587.93 | 9294.98 | 8790.32 | 8189.54 | 7689.43 | 7074.22 |
| III कंपनी की देनदारियां | | | | | | | | | | |
| उधार (पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के क्रेडिट सहित) | 89.33 | 558.24 | 536.98 | 540.03 | 531.09 | 665.80 | 1025.60 | 240.70 | 170.02 | 389.52 |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान | 14420.11 | 10320.02 | 8445.89 | 6336.85 | 4756.01 | 4713.50 | 4162.96 | 4591.10 | 4436.85 | 4089.74 |
| कुल देयताएं | 14509.44 | 10878.26 | 8982.87 | 6876.88 | 5287.10 | 5379.30 | 5188.56 | 4831.80 | 4606.87 | 4479.26 |

दस वर्षों का सार (जारी)

(रुपये करोड़ में)

| | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| IV. कंपनी का निवल मूल्य | | | | | | | | | | |
| शेयर पूंजी | 244.76 | 244.76 | 244.76 | 244.76 | 244.76 | 244.76 | 244.76 | 244.76 | 244.76 | 244.76 |
| प्रारक्षित निधि तथा अधिशेष | 8543.50 | 7056.62 | 5782.10 | 5051.18 | 4558.91 | 4224.85 | 3585.60 | 3353.92 | 2840.01 | 2363.30 |
| घटाएं : आस्थगित राजस्व व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | 95.50 | 249.28 | 228.59 | 240.93 | 2.31 | 13.03 |
| निवल मूल्य | 8788.26 | 7301.38 | 6026.86 | 5278.02 | 4708.17 | 4220.33 | 3601.77 | 3357.75 | 3082.46 | 2595.03 |
| V. नियोजित पूंजी | 5570.98 | 5517.35 | 4557.42 | 3706.30 | 3652.24 | 4048.24 | 4233.14 | 3165.49 | 2642.20 | 2505.73 |
| VI. वर्धित मूल्य | 7182.27 | 5682.80 | 4254.24 | 3680.01 | 3247.58 | 3074.48 | 2660.32 | 2831.97 | 2983.17 | 2886.61 |
| VII. अनुपात | | | | | | | | | | |
| कुल परिसम्पत्तियों पर पीबीडीआईटी (%) # | 20.3% | 17.9% | 14.4% | 12.0% | 11.0% | 10.3% | 5.8% | 13.1% | 15.0% | 17.0% |
| नियोजित पूंजी पर सकल लाभ (%) # | 68.2% | 52.1% | 40.2% | 29.2% | 22.3% | 18.3% | 9.1% | 30.5% | 37.4% | 44.0% |
| कुल कारोबार/सकल ब्लॉक | 4.53 | 3.80 | 2.85 | 2.50 | 2.23 | 2.29 | 2.11 | 2.36 | 2.56 | 2.67 |
| प्रति शेयर अर्जन (रुपए) | 98.66 | 68.60 | 38.95 | 26.89 | 18.16 | 19.12 | 12.77 | 24.49 | 22.25 | 29.39 |
| प्रति शेयर निवल मूल्य (रुपए) | 359.06 | 298.31 | 246.24 | 215.64 | 192.36 | 172.43 | 147.16 | 137.19 | 125.94 | 106.00 |
| चालू अनुपात | 1.46 | 1.58 | 1.58 | 1.65 | 1.76 | 1.71 | 1.82 | 1.53 | 1.47 | 1.47 |
| कुल ऋण / इक्विटी | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.28 | 0.07 | 0.05 | 0.15 |
| निवल मूल्य पर अभिलाभ | 27.48% | 23.00% | 15.82% | 12.47% | 9.44% | 11.09% | 8.68% | 17.85% | 17.67% | 27.73% |
| सकल लाभ मार्जिन | 20.17% | 18.06% | 16.09% | 12.41% | 11.46% | 10.43% | 5.32% | 13.37% | 14.21% | 16.71% |
| निवल लाभ मार्जिन | 12.89% | 11.56% | 9.22% | 7.60% | 5.94% | 6.42% | 4.92% | 9.04% | 8.02% | 11.12% |

औसत निवल परिसंपत्तियों एवं नियोजित पूंजी के आधार पर

वर्ष 2006-07 के लिए अमरीकी जीएएपी के अनुसार निवल आय के साथ भारतीय जीएएपी के अधीन निर्धारित लाभ के समाधान

| | टिप्पणियाँ | करोड़ रुपए | अमरीकी डॉलर (मिलियन) |
|--|------------|-----------------|------------------------|
| भारतीय जीएएपी के अधीन निर्धारित कर-पश्चात् लाभ अमरीकी जीएएपी के अनुरूप होने के लिए समायोजन | | 2,414.70 | 553.96 |
| किराया आय (पट्टा) | 1 | (39.77) | (9.12) |
| संयुक्त उद्यम में निवेश से आय | 2 | 1.00 | 0.23 |
| अनुसंधान और विकास व्यय | 3 | (13.45) | (3.09) |
| मूल्यह्रास | 4 | 53.22 | 12.21 |
| (कराधान के लिए प्रावधान पूर्व वर्ष - 14.30 करोड़ रुपए) | 5 | 13.79 | 3.16 |
| आस्थागत आय कर | 6 | (1.58) | (0.36) |
| अमरीकी जीएएपी के अनुसार निवल आय | | 2,427.91 | 556.99 |

1 अमरीकी डॉलर = 43.59 रुपए (दिनांक 31.03.2007 को यथास्थिति विनिमय दर पर)

उपरोक्त अमरीकी जीएएपी समाधान निम्नलिखित समायोजनों के अधीन है :-

1(क) राजस्व मान्यता - दिनांक 1.4.2003 से पूर्व की गई दीर्घावधिक निर्माण संविदाओं के संबंध में।

दीर्घ उत्पादन चक्र के संबंध में राजस्व की मान्यता तकनीकी अनुमानों पर की जाती है। जब पोतलदान का कुल मूल्य प्राप्तव्य मूल्य का 30% अथवा अधिक प्रदर्शित करता है, तब उनको प्राप्तव्य मूल्य का 97.5% अथवा उसके अभाव में, उद्धृत मूल्य पर माना जाता है, अन्यथा, उनको वास्तविक / अनुमानित फ़ैक्टरी लागत अथवा प्राप्तव्य मूल्य का 97.5%, इनमें से जो भी कम हो, माना जाता है। शेष 2.5% को संविदा के अधीन आपूर्तियां पूरी होने पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। इरेक्शन और परियोजना प्रबंध से आय को पूरा करने की प्रतिशतता, अथवा संविदा मूल्य के 97.5% पर माने गए अन्तर्भूत मूल्य के आधार पर किए गए कार्य पर मान्यता दी जाती है, शेष 2.5% को जब संविदा पूरी हो जाती है तब आय के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रदान की गई इंजीनियरी सेवाओं से आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर प्राप्तव्य मूल्य पर मान्यता दी जाती है। बीएचईएल से इतर उपस्कर/प्रणालियों की आपूर्ति / इरेक्शन और सिविल निर्माण कार्य से आय को ग्राहकों को प्रेषण/परियोजना कार्यस्थल पर किए गए कार्य के आधार पर मान्यता दी जाती है।

अमरीकी जीएएपी के अनुसार राजस्व को निर्माण संविदाओं के लिए पूरा होने की प्रतिशतता विधि पर मान्यता दी जाती है। अमरीकी जीएएपी के समाधान पर प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जाता है।

1.4.2003 को अथवा इसके बाद की गई दीर्घावधिक निर्माण संविदाओं के सम्बंध में राजस्व मान्यता में अन्तर होता है।

1(ख) स्थायी परिसंपत्तियों की विनिमय भिन्नता को संगत स्थायी परिसंपत्तियों में पंजीकृत किया जाता है और उस पर मूल्यह्रास को अमरीकी जीएएपी के लिए प्रभारित किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों से सम्बद्ध विनिमय भिन्नताओं को आय विवरण में वर्ष के दौरान प्रभारित किया जाता है। अमरीकी जीएएपी के समाधान पर प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जाता है।

अमरीकी जीएएपी के अनुसार निवल आय के साथ भारतीय जीएएपी के अधीन निर्धारित निवल लाभ के समाधान पर टिप्पणियाँ

निम्नलिखित टिप्पणियाँ भारतीय जीएएपी और अमरीकी जीएएपी के बीच अंतर और अमरीकी जीएएपी के अधीन निवल आय निकालने के लिए आवश्यक समायोजन दर्शाती हैं।

1. किराया आय (पट्टा)

भारतीय जीएएपी के अनुसार दिनांक 1.4.2001 को पूर्व वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को सामान्य बिक्री मूल्य / उचित मूल्य / संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है और उस पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। पट्टा किराया आय पट्टा समकरण समायोजित करने के बाद मानी जाती है। वित्त पट्टे पर दी गई अमरीकी जीएएपी परिसंपत्तियों के अधीन वित्त आय पट्टा अवधि में मानी जाती है।

2. संयुक्त उद्यमों में निवेश से आय

भारतीय जीएएपी के अनुसार संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु मूल्य में ह्रास के लिए, यदि कोई है, प्रावधान किया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन संयुक्त उद्यमों द्वारा आय / हानि के हिस्से को धारिता के समानुपात में आय विवरण में मान्यता दी जाती है।

3. अनुसंधान और विकास व्यय

भारतीय जीएएपी के अनुसार विकास के लिए अनुसंधान और विकास व्यय अनुमानित लाभकारी जीवन हेतु पूंजीकृत एवं शोधित है, और मूल्यह्रास एवं शोधन के रूप में दर्शाया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन अनुसंधान और विकास परिसंपत्तियों का शोधन, अनुसंधान और विकास व्यय के रूप में प्रभाषित किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

भारतीय जीएएपी के अनुसार दिनांक 1.4.2001 के पूर्व वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आय विवरण पर प्रभाषित किया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ, वित्त आय को मान्यता दी जाती है। भारतीय जीएएपी के अनुसार अनुसंधान और विकास परिसंपत्तियों का शोधन मूल्यह्रास / शोधन के अधीन दर्शाया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन अनुसंधान और विकास परिसम्पत्ति का शोधन, आय विवरण में अनुसंधान एवं विकास के रूप में प्रभाषित किया जाता है।

5. पूर्वावधि मदें

भारतीय जीएएपी के अनुसार पूर्वावधि मदें वर्ष के लिए आय विवरण में अलग से सूचित की जाती है। अमरीकी जीएएपी के अधीन पूर्वावधि मदों को प्रतिधारित लाभों के अंतर्गत पूर्व वर्षों के समायोजन द्वारा लेखाकृत किया जाता है।

6. आस्थगित आय कर

आस्थगित आय कर समायोजना की व्यवस्था अमरीकी जीएएपी समायोजनों पर अधिनियमित कर दरों पर परिसंपत्तियों के बही और कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर भावी कर प्रभाव के लिए की गई है।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते. एम.एल.पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता./-
(नवीन बंसल)
भागीदार

हस्ता./-
(सी.एस. वर्मा)
निदेशक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2007

अमरीकी जीएएपी समाधान पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने अमरीकी जीएएपी (समाधान) के अनुसार निम्नलिखित के अधीन निवल आय के लिए भारतीय जीएएपी के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निवल लाभ के समाधान की लेखापरीक्षा की है :

- दिनांक 01.04.2003 के पूर्व की गई दीर्घावधि निर्माण सविदाओं के संबंध में राजस्व मान्यता [टिप्पणी सं.1(क) का संदर्भ लें];
- स्थायी परिसंपत्तियों से संबद्ध विनिमय भिन्नता का लेखाकरण [टिप्पणी सं.1(ख) का संदर्भ लें]।

अमेरिकी जीएएपी के अनुसार आय पर उपरोक्त का परिणामी प्रभाव, अगर कोई हो, अनिश्चित रहता है।

समाधान कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है। हमारे मत में पूर्ण रूप से लिए गए बुनियादी वित्तीय विवरणों के संबंध में विचार करने पर ऐसा समाधान, इसमें निर्धारित सूचनाओं को सभी तरह से सही रूप से प्रस्तुत करता है।

कृते. एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता./-
(नवीन बंसल)
भागीदार
सदस्यता सं. 091922


स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2007

आर्थिक मूल्य वर्धन (ईवीए)

आर्थिक मूल्य वर्धन “आर्थिक लाभों” को मापने के लिए संगत मानदंड है। आर्थिक मूल्यवर्धन (ईवीए) पूंजी की लागत कटौती करने के बाद कंपनी का कर-पश्चात निवल प्रचालन लाभ है। कंपनियां, जो पूंजी की लागत से अधिक अभिलाभ अर्जित करती हैं, सभी धारकों के लिए धन सृजित करती हैं और दूसरी ओर पूंजी की लागत से कम अभिलाभ अर्जित करने वाली कंपनियां शेयर धारकों का धन नष्ट करती हैं।

अन्यथा वर्णित को छोड़कर करोड़ रुपए

| | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| पूंजी की लागत | | | | | |
| इक्विटी की लागत (%) | 14.6 | 11.9 | 11.8 | 12.9 | 12.9 |
| पूंजी की भारांशित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी) (%) | 14.4 | 11.5 | 11.6 | 12.3 | 12.1 |
| नियोजित औसत पूंजी | 5544 | 5037 | 4132 | 3679 | 3850 |
| आर्थिक मूल्य वर्धन | | | | | |
| एनओपीएटी | 2454 | 1660 | 986 | 819 | 575 |
| घटाएं : पूंजी की लागत | 797 | 581 | 482 | 453 | 464 |
| आर्थिक मूल्य वर्धन | 1657 | 1079 | 504 | 366 | 111 |
| उद्यम मूल्य | | | | | |
| इक्विटी का बाजार मूल्य | 55349 | 54874 | 18758 | 14792 | 5462 |
| जोड़ें : ऋण | 89 | 558 | 537 | 540 | 531 |
| घटाएं : नकद और नकद समतुल्य | 5809 | 4134 | 3178 | 2660 | 1321 |
| उद्यम मूल्य | 49629 | 51298 | 16117 | 12672 | 4672 |
| अभिलाभ अनुपात | | | | | |
| एनओपीएटी / नियोजित औसत पूंजी (%) | 44.3 | 33.0 | 23.9 | 22.3 | 14.9 |
| ईवीए / नियोजित औसत पूंजी (%) | 29.9 | 21.4 | 12.2 | 10.0 | 2.9 |
| उद्यम मूल्य / नियोजित औसत पूंजी (X) | 9.0 | 10.2 | 3.9 | 3.4 | 1.2 |



मूल्य वर्धन विवरण

(रुपये करोड़ में)

| विवरण | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| क. मूल्य वर्धन का सृजन | | | | | |
| उत्पादन का मूल्य (घटाएं : उत्पाद शुल्क) | 17324 | 13675 | 10031 | 7884 | 6856 |
| घटाएं - प्रत्यक्ष सामग्री विद्युत और ईंधन तथा संविदाकारों को भुगतान | 10142 | 7992 | 5777 | 4204 | 3608 |
| मूल्य वर्धन | 7182 | 5683 | 4254 | 3680 | 3248 |
| घटाएं - अन्य प्रचालन व्यय (आय घटाकर) | 679 | 935 | 704 | 541 | 547 |
| निवल मूल्य वर्धन | 6503 | 4748 | 3550 | 3139 | 270 |
| उत्पादन को मूल्य का % | 37.54% | 34.72% | 35.39% | 39.81% | 39.40% |
| ख. मूल्य वर्धन का प्रयोग | | | | | |
| कर्मचारियों का भुगतान | 2451 | 1879 | 1650 | 1639 | 1505 |
| निवल मूल्य वर्धन का % | 37.69% | 39.57% | 46.48% | 52.21% | 55.72% |
| मूल्सहस | 273 | 246 | 219 | 198 | 185 |
| निवल मूल्य वर्धन का % | 4.20% | 5.18% | 6.17% | 6.31% | 6.85% |
| वित्तपोषण प्रभार - उधारों पर ब्याज | 43 | 58 | 82 | 57 | 55 |
| निवल मूल्य वर्धन का % | 0.66% | 1.22% | 2.31% | 1.82% | 2.04% |
| प्रभारित वीआरएस का डीआरई | 0 | 0 | 18 | 230 | 154 |
| निवल मूल्य वर्धन का % | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.32% | 5.69% |
| आय कर (अस्थगित कर और पूर्वावधि कर सहित) | 1321 | 885 | 628 | 357 | 358 |
| निवल मूल्य वर्धन का % | 20.31% | 18.64% | 17.69% | 11.37% | 13.25% |
| लाभांश (लाभांश कर सहित) | 693 | 405 | 222 | 166 | 110 |
| निवल मूल्य वर्धन का % | 10.66% | 8.53% | 6.25% | 5.29% | 4.07% |
| प्रतिधारित लाभ | 1722 | 1275 | 731 | 492 | 334 |
| निवल मूल्य वर्धन का % | 26.48% | 26.85% | 20.59% | 15.67% | 12.37% |

वार्षिक योजना 2006-07 की तुलना में कार्यनिष्पादन

(रुपये करोड़ में)

| निवेश की श्रेणी | लक्ष्य | वास्तविक |
|-------------------------|---------------|---------------|
| योजनाएं | 327.86 | 269.21 |
| आधुनिकीकरण और युक्तिकरण | 57.17 | 46.47 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 10.21 | 7.40 |
| टाउनशिप और कल्याण | 66.8 | 1.74 |
| जोड़ | 401.92 | 324.82 |

* इसको अतिरिक्त वर्धित उत्थापन भार और अल्पावधिक चालू करने की समय-अनुसूची के लिए क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विद्युत संयंत्र कार्यस्थलों में उपस्करों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए 372.70 मिलियन रुपए का व्यय किया गया था।

राजकोष, 2006-07 में अंशदान

(रुपये करोड़ में)

| | 2005-06 | 2006-07 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| उत्पाद शुल्क और सेवा कर | 701 | 849 |
| सीमा शुल्क | 238 | 316 |
| बिक्री शुल्क | 399 | 443 |
| आय कर | 992 | 1369 |
| लाभांश | 282 | 240 |
| लाभांश कर | 58 | 50 |
| जोड़ | 2670 | 3267 |

उत्पाद रूपरेखा

थर्मल विद्युत संयंत्र

- यूटिलिटी तथा संयुक्त-चक्र प्रयोगों के लिए स्टीम टरबाइनों, बॉयलर्स एवं 500 मेगावाट तक के जेनरेटर्स, सुपरक्रिटिकल स्टीम साइकल मानदण्डों वाले बॉयलर्स एवं स्टीम टर्बाइनों तथा 1000 मेगावाट यूनिट आकार के समतुल्य जेनरेटर्स का निर्माण करने की क्षमता।
- सी.पी.पी. अनुप्रयोगों के लिए स्टीम टरबाइन्स, बॉयलर्स एवं जेनरेटर्स, संघतन, निष्कर्षण पृष्ठ दबाव, अन्तःक्षेपण अथवा इनमें से किसी भी प्रकार के स्टीम टर्बाइन्स के संयोजन के विनिर्माण की क्षमता।

न्यूक्लीय विद्युत संयंत्र

- 540 मेगावाट तक की क्षमता वाले स्टीम जेनरेटर और टरबाइन जेनरेटर

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

- 280 मेगावाट (आई.एस.ओ.) रेटिंग तक की गैस टरबाइन।
- उद्योग एवं यूटिलिटी उपयोगों के लिए गैस टरबाइन आधारित सह-उत्पादन एवं संयुक्त-चक्र प्रणालियां।

जल विद्युत संयंत्र

- समनुरूप जेनरेटर सहित कपलान, फ्रैन्सिस एवं पेल्टॉन प्रकार के कस्टम-निर्मित परम्परागत हाइड्रो टरबाइन, समनुरूप मोटर-जेनरेटर सहित पम्प टरबाइन।
- मिनी / माइक्रो हाइड्रो सेट।
- हाइड्रो स्टेशनों के लिए गोलीय, बटरफ्लाय एवं रोटरी वाल्व्स एवं आगिसलियरिज

डी. जी. विद्युत संयंत्र

- एच.एस.डी., एल.डी.ओ., एफ.ओ., एल.एस.एच.एस., प्राकृतिक गैस / बायोगैस आधारित डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्र, इमर्जेन्सी, पीकिंग के साथ ही टर्नकी आधार पर बेस लोड के लिए 20 मेगावाट तथा 11 किलोवाट वोल्टेज की रेटिंग वाले यूनिट।

औद्योगिक सेट

- 1.5 से 120 मेगावाट की रेटिंग वाले औद्योगिक टर्बो सेट।
- 3 से 280 मेगावाट (आई.एस.ओ.) रेटिंग के गैस टरबाइन्स एवं मैचिंग जेनरेटर्स।
- ड्राईव प्रयोगों तथा को-जेनरेशन अनुप्रयोगों के लिए औद्योगिक स्टीम टर्बाइन एवं गैस टर्बाइन्स।

बॉयलर्स

- यूटिलिटी के लिए कोयला, लिग्नाइट, तेल, प्राकृतिक गैस अथवा इन ईंधनों के मिलाकर उपयोग करके 30 से 500 मेगावाट तक की क्षमता वाले स्टीम जेनरेटर्स; 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक के सुपर क्रिटिकल मानदण्डों वाले बॉयलर्स का निर्माण करने की क्षमता।

- औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास, लिग्नाइट, तेल, बैगास अथवा इन ईंधनों के सम्मिश्रण का उपयोग कर 40 से 450 टन प्रति घंटे की क्षमता वाले स्टीम जेनरेटर्स।
 - पल्वराइज्ड ईंधन फायर्ड बॉयलर्स।
 - स्टोकर बॉयलर्स।
 - एटमोस्फेरिक फ्ल्युडाइज्ड बेड कम्ब्युशन बॉयलर्स।
 - सर्कुलैटिंग फ्ल्युडाइज्ड बेड कम्ब्युशन बॉयलर्स।
- हीट-रिकवरी स्टीम जेनरेटर्स।
- कागज उद्योग के लिए 100 से 1000 टन प्रति दिन की सूखे ठोसों की क्षमता वाले रासायनिक रिकवरी बॉयलर्स।
- प्रेशर वेसल्स।

बॉयलर्स आगिसलियरीज

- पंखे
 - स्वच्छ हवा अनुप्रयोगों के लिए 25 से 800 m³/s क्षमता तथा 120 से 1480 एम गैस कालम दाब वाले एक एवं दो चरण के एक्सियल रिएक्शन पंखे।
 - स्वच्छ वायु तथा चिमनी गैस अनुप्रयोगों के लिए 7 से 600 m³/s तथा 700 एम गैस कालम दाब वाले एक्सल इम्पल्स पंखे।
 - स्वच्छ हवा तथा धूल-भरे 400° से तक के ताप वाले 4 से 600 m³/s क्षमता तथा 150 से 1800 एम गैस कालम दाब वाले सिंगल एवं डबल-सक्शन रैडियल पंखे।
- एअर-प्रीहीटर्स
 - बॉयलर्स एवं प्रक्रिया फर्नेसिस के लिए जंगस्टार्म रोटरी रिजेनेरेटिव एअर-प्रीहीटर्स।
 - 1000 मेगावाट तक की यूटिलिटी के लिए वृहत रिजेनेरेटिव एअर-प्रीहीटर्स।
- ग्रैवीमीट्रिक फीडर्स।
- पल्वराइजर्स
 - 100 टन प्रति घंटा की क्षमता के मंद एवं मध्यम गति के बाउल मिल्स।
 - उच्च-राख संघटक वाले निम्न श्रेणी कोयला पल्वराइजिंग के लिए ट्यूब मिल्स।
- पल्स जेट एवं रिवर्स एअर टाइप फैब्रिक फिल्टर्स (बैग फिल्टर्स)।
- इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स
 - यूटिलिटी तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए 99.9% कुशलता वाली किसी भी क्षमता के इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स।

- मैकेनिकल सेपरेटर्स।
- सूट ब्लोअर्स
 - लम्बे रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर्स (12.2 एम. तक चलने वाले वहन), वाल डिस्लैगर्स, रोटर ब्लोअर्स एवं न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिक अथवा मैनुअल मोड में कार्य करने वाले ताप प्रोब्स एवं संबंधित नियंत्रण पैनल।
 - रिजेनेरेटिव एटर प्रीहीटर्स के लिए स्विचवेल आर्म टाइप सूट ब्लोअर्स।
- वाल्व्स
 - जनोपयोगी सेवाओं के लिए उच्च-दाब तथा निम्न-दाब बायपास वाल्व्स।
 - स्टीम, तेल तथा गैस कार्यों के लिए 600 एम.एम. व्यास, 250 किग्रा / cm^2 दाब तथा 540 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक के लिए उच्च एवं निम्न-दाब वाल्व्स, गेट, ग्लोब, नान-रिटर्न (स्विंग चेक एवं पिस्टन लिफ्ट चेक) प्रकारों के कास्ट एवं फार्ज्ड स्टील वाल्व्स।
 - 200 किग्रा / cm^2 दाब तथा 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप वाले सेट प्रेशर के लिए उच्च-क्षमता सेफ्टी वाल्व्स तथा स्वचालित विद्युत चलित प्रेशर रिलीफ वाल्व्स।
 - 175 किग्रा / cm^2 दाब तथा 565 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप के सेट प्रेशर के लिए विद्युत, प्रक्रिया एवं अन्य उद्योगों में अनुप्रयोगों के लिए सेफ्टी रिलीफ वाल्व्स।
- ताप विद्युत स्टेशनों तथा साथ ही सीमेंट, कोयला और इस्पात उद्योगों में पल्वेराइज्ड और कोयला पाइपिंग संघटकों में प्रयोग के लिए सिरामिक टूट-फूट रोधी अस्तर (लाइनिंग)।

पाइपिंग प्रणालियां

- 1000 मेगावाट तक के विद्युत स्टेशनों के लिए स्थिर लोड हैंगर्स, क्लैम्प एवं हैंगर संघटक, वैरिबल स्प्रिंग हैंगर, संयुक्त साइकिल प्लान्ट्स, औद्योगिक बॉयलर्स एवं प्रोसेस उद्योग।

हीट एक्सचेंजर्स एवं प्रेशर वेसल्स

- सी.एस./ए.एस./एस.एस./नान-फेरस शेल एवं ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स तथा प्रेशर वेसल्स।
- एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स
- सर्फेस कन्डेन्सर्स
- स्टीम जेट एअर इजेक्टर्स
- कालम्स
- रिएक्टर्स, ड्रम्स
- एल.पी.जी./प्रोपेन स्टोरेज बुलेट्स
- एल.पी.जी./प्रोपेन माउण्डेड स्टोरेज वेसल्स
- फीड वाटर हीटर्स

पम्प

- 1000 मेगावाट तक की यूटिलिटी के लिए उपयुक्त विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पम्प
- बॉयलर फीड पम्प (मोटर अथवा स्टीम टरबाइन चालित)।
- बॉयलर फीड बूस्टर पम्प
- कंडंसेट पम्प
- सर्कुलैटिंग वाटर पम्प
- इमरजेंसी ऑयल पम्प
- लुब्रिकेटिंग ऑयल पम्प
- स्टैंडबाइ ऑयल पम्प

पॉवर स्टेशन नियंत्रण उपकरण

- माइक्रोप्रोसेसर आधारित वितरित डिजिटल नियंत्रण प्रणालियां।
- डाटा अधिग्रहण प्रणालियां।
- मानव-मशीन इन्टरफेस।
- एस.सी.ए.डी.ए. के साथ उप-स्टेशन नियंत्रण।
- स्टैटिक एक्साइडेशन उपकरण/स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर
- इलैक्ट्रो हायड्रलिक गवर्नर कंट्रोल।
- टर्बाइन सुपरवाइजरी प्रणाली एवं नियंत्रण।
- बर्नर प्रबंध प्रणाली।
- इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के लिए नियंत्रण।
- एच.पी./एल.पी. बायपास वाल्व्स के लिए नियंत्रण।
- सूट ब्लोअर कंट्रोल।
- आक्सिलियरी प्रेशर रिडक्शन एवं डी-सुपरहीटिंग प्रणाली।
- संयंत्र स्टेशन नियंत्रणों का संतुलन।
- गैस टर्बाइन कंट्रोल प्रणाली।

स्विचगियर

- इनडोर एवं आउट प्रयोगों के लिए तथा 400 किलोवाट तक के वोल्टेज रेटिंग वाले विभिन्न प्रकार के स्विचगियर।
- न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर्स (66 केवी-132 केवी)।
- एस.एफ. सर्किट ब्रेकर्स (132 केवी-400 केवी)।
- वैक्युम सर्किट ब्रेकर्स (3.3 केवी-33 केवी)।
- गैस इन्सुलेटेड स्विचगियर्स (145 केवी)।

बस डक्ट्स

- 500 मेगावाट क्षमता तक की यूटिलिटी के जेनरेटर पावर उत्पादन के लिए उपयुक्त एशोसिएटेड उपकरण सहित बसडक्ट्स

ट्रांसफॉर्मर्स

- 400 केवी तक के वोल्टेज के लिए पावर ट्रांसफॉर्मर्स और 800 केवी क्षमता के लिए पावर ट्रांसफॉर्मर्स विकसित की जा रही है।
- \pm 500 केवी रेटिंग तक के एच.वी.डी.सी. ट्रांसफार्मर एवं रिएक्टर।
- 400 केवी और 800 के.वी. रेटिंग तक के सिरीज तथा शंट रिएक्टरों का विकास किया जा रहा है।

- इन्स्ट्रुमेंट ट्रांसफॉर्मर्स
 - 400 केवी तक के करंट ट्रांसफार्मर
 - 220 केवी तक के इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफार्मर।
 - 400 केवी तक के कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर।
- 10 एम.वी.ए. 33 केवी तक के कास्ट रेजिन ड्राय टाइप ट्रांसफार्मर।
- अर्थिंग; भट्टी; रेक्टिफायर; इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर; फ्रंट लोको; ए.सी.ई.एम.यू. तथा ट्रैक्शन के लिए विशेष ट्रांसफार्मर।

इन्सुलेटर्स

- हाई टेंशन सेरामिक इन्सुलेटर्स
 - स्वच्छ एवं प्रदूषित वातावरणों के ए.सी./डी.सी. अनुप्रयोगों के लिए 45 से 400 केएन इलेक्ट्रोमैकेनिकल शक्ति के लिए डिस्क/सस्पेंशन इन्सुलेटर्स।
 - रेडियो फ्री डिजाइन सहित 33 केवी तक के पिन इन्सुलेटर्स।
 - 220 केवी स्टैक्स तक के अनुप्रयोगों के लिए पोस्ट इन्सुलेटर्स।
 - ट्रांसफॉर्मरों, एस एफ सर्किट ब्रेकरों के लिए 400 केवी तक के हॉलो पोर्सिलेन्स।
 - 25 केवी रेलवे ट्रैक्शन के लिए सॉलिड कोर पोर्सिलेन इन्सुलेटर्स।
 - सब-स्टेशन में प्रयोग के लिए बस पोस्ट और आइसोलेटर्स के लिए 400 केवी तक के सॉलिड कोर इन्सुलेटर्स।
 - 25 केवी रेलवे ट्रैक्शन और 400 केवी तक की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए कम्पोजिट इन्सुलेटर।
 - 800 केवी एसी तथा +/-500 केवी एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए डिस्क इन्सुलेटर (ऐसे इन्सुलेटर की आपूर्ति करने वाला भेल भारत का पहला निर्माता है)।

औद्योगिक और विशेष सिरामिक्स

- विशेष प्रयोग के लिए उच्च निष्पादन सिरामिक्स जैसे: एल्युमिना, सबस्ट्रेट्स, क्रुसिबुल्स, पेबल्स, धातु सिरामिक जोड़ संघटक आदि।
- पेट्रोल और डीजल वाहनों सहित विभिन्न प्रयोगों के लिए भिन्न-भिन्न कॉन्टोर और लम्बाई में 80 से 400 सीपीएसआई में कोर्डेराइट हनीकॉम्ब।

कैपेसिटर्स

- 400 केवी तक के अनुप्रयोगों के लिए 250 केवी ए आर रेटिंग तक की औद्योगिक एवं विद्युत प्रणालियों के लिए पावर कैपेसिटर्स।
- 400 केवी तक के वोल्टेज के लिए कपलिंग/सीटीवी कैपेसिटर्स
- एलटी अनुप्रयोगों के लिए - कैपेसिटर बैंक्स के ऑन/ऑफ नियंत्रण हेतु सॉलिड स्टेट स्विच - कैपस्विच

ऊर्जा मीटर

- ज्वेल बेयरिंग अथवा मेग्नेटिक संस्पेंशन बॉटम-बियरिंग सहित सिंगल फेज और 3-फेज इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऊर्जा मीटर।
- स्टेपर-मोटर चालित काउंटर्स और एलसीडी के साथ सिंगल फेज और 3-फेज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर।
- उच्च-परिशुद्धता वाला ट्राइवेक्टर मीटर (0.2 क्लास और 0.5 क्लास)
- सिंगल फेज और 3-फेज प्रिपेड मीटर और रीडिंग।
- ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग के साथ संपूर्ण मीटररिंग समाधान।

विद्युत मशीनें

एसी स्क्रवरल केज, स्लिपरिंग, सिंक्रोनस मोटर्स औद्योगिक अल्टरनेटर तथा डीसी मशीनों का उत्पादन नीचे वर्णित रेंज के अनुसार किया जाता है। विशेष प्रयोजनार्थ मशीनों का निर्माण अनुरोध पर किया जाता है।

- सुरक्षित क्षेत्र प्रयोग के लिए एसी मशीन
 - इंडक्शन मोटर्स
 - स्क्रिबरेल केज
150 से 35000 कि.वा.
स्लिपरिंग
150 से 15000 कि.वा.
 - सिंक्रोनस मोटर
1000 से 17500 कि.वा.
 - वैरिएबल स्पीड ड्राइव
सिंक्रोनस मोटर
1000 से 17500 कि.वा.
इंडक्शन मोटर
200 से 35000 कि.वा.
- जोखिम पूर्ण क्षेत्र में प्रयोगों के लिए एसी मशीन
 - फ्लेम प्रूफ (एक्स 'डी')
150 से 1600 कि.वा.
 - प्रेसराइज्ड (एक्स 'पी')
150 केडब्ल्यू तथा अधिक
 - नॉन स्पार्किंग (एक्स 'एन')
विभिन्न गति वाले
 - इन्क्रिज्ड सेफ्टी (एक्स 'ई')
सिंक्रोनस एवं
स्क्रवरल केज
- डी सी मशीन
 - मिल ड्यूटी
3.5 से 186 कि.वा.

— मध्यम/बृहत्
75 से 12000 कि.वा.

● औद्योगिक अल्टरनेटर

— स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन
2000 केवीए
तथा डीजल इंजन चालित
60,000 केवीए

● वोल्टेज एवं इन्क्लोजर

— वोल्टेज
एसी-415 वो. से 13800 वी

डीसी - 1200 वी तक

— इन्क्लोजर
एसपीडीपी, सीएसीडब्ल्यू, सीएसीए, टीईटीबी

कम्प्रेसर

- विभिन्न आकार के सेंट्रीफुगल कम्प्रेसर, स्टीम टर्बाइन/गैस टर्बाइन मोटर द्वारा चालित, सभी प्रकार के गैसों की हैंडलिंग करने वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रेंज में 800 कि.ग्रा/cm² तथा 350,000 Nm³/ घंटा तक के दाब शामिल हैं।

नियंत्रण गियर

● औद्योगिक नियंत्रण गियर

— इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, कागज, रबर, खनन, चीनी तथा पेट्रोरसायन उद्योगों में प्रयोग के लिए नियंत्रण पैनल एवं क्युबिकल।
— 2500 एचपी रेटिंग तक के स्लिपरिंग इंडक्शन मोटरों के लिए लिक्विड रोटार स्टार्टर।
— वैरिएबल-स्पीड मोटर के लिए लिक्विड रेगुलेटर

● कान्ट्रैक्टर

— 660 वी तक के बोल्टेज के लिए एलटी एअरब्रेक टाइप एसी
— 600 वी तक के बोल्टेज के लिए एलटी एअर ब्रेक टाइप डीसी कान्ट्रैक्टर
— 11 केवी तक के वोल्टेज के लिए एचटी वैक्युम टाइप एसी

● ट्रेक्शन कंट्रोल गियर

— रेलवे व अन्य ट्रेक्शन प्रयोगों के लिए कंट्रोल गियर उपकरण

● कंट्रोल एवं रिले पैनल

— 400 केवी वोल्टेज के लिए कंट्रोल पैनल तथा उत्पादन स्टेशनों तथा ईएचवी उप-स्टेशनों के लिए कंट्रोल डेस्क
— कंट्रोल एवं रिले बोर्ड

— तापीय, गैस, हाइड्रो तथा न्युक्लियर सेटों के लिए टरबाइन गेज बोर्ड

— टरबाइन इलैक्ट्रिकल कंट्रोल क्युबिकल्स

— आउटडोर-टाइप कंट्रोल पैनल तथा मार्शलिंग कियोस्क, स्विंगिंग टाइप सिंक्रोनाइजिंग पैनल तथा मोबाइल सिंक्रोनाइजिंग ट्रांली

— ट्रांसफार्मर टैप चेंजर पैनल

सिलिकॉन रेक्टिफायर

- अल्युमीनियम/तांबा/जिंक स्मेल्टिंग जैसे औद्योगिक प्रयोगों के लिए रसायन उद्योग के लिए तथा एसी/डीसी ट्रेक्शन प्रयोग के लिए मैचिंग जेनरेटरों के साथ सिलिकॉन पावर रेक्टिफायर।

थाइरिस्टर जीटीओ/आईजीबीटी उपकरण

- डीसी ड्राइव तथा सिंक्रोनस मोटर के लिए थाइरिस्टर कन्वर्टर/इनवर्टर उपकरण
- थाइरिस्टर हाई करंट/हाई वोल्टेज पावर सप्लायर
- जीटीओ/आईजीबीटी का उपयोग कर स्टैरिक एसी वैरिएबल-स्पीड ड्राइव सिस्टम
- एचवीडीसी ट्रांसमिशन के लिए थाइरिस्टर वाल्वस तथा कंट्रोल
- हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग इक्विपमेंट
- रिएक्टिव पावर प्रबंध के लिए थाइरिस्टर वाल्व एवं कंट्रोल

विद्युत यंत्र

- हाई-पावर कैपेसिटी सिलिकॉन, थाइरिस्टर यंत्र तथा सोलर फोटोवोल्टिक सेल

परिवहन उपकरण

- एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
- एसी-डीसी ड्युअल वोल्टेज इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव
- डीजल-इलेक्ट्रिक शॉटिंग लोकोमोटिव
- डीजल हायड्रॉलिक शॉटिंग लोकोमोटिव
- ओएचई रिकार्डिंग-कम-टेस्ट कार
- इलैक्ट्रिक ट्रेक्शन इक्विपमेंट (पारम्परिक डीसी ड्राइव तथा साथ ही 3 फेज एसी ड्राइव, डीजल/इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, डीजल मल्टीपल यूनिट तथा शहरी परिवहन प्रणालियां)
- ट्रेक्शन मोटर
- ट्रांयफॉर्मर स्मूदिंग रिएक्टर्स
- ट्रेक्शन जेनरेटर/अल्टरनेटर
- रेक्टिफायर
- बोगी
- वैक्युम सर्किट ब्रेकर
- आक्जिलियरी मशीन

- माइक्रोप्रोसेसर आधारित इलैक्ट्रिक कंट्रोल उपकरण
- पावर कनवर्टर/इनवर्टर
- आक्जिलियरी आपूर्ति के लिए स्टैटिक इनवर्टर
- लोकोमोटिव कंट्रोल रेसिस्टेन्स अर्थात फील्ड डाइवर्टर, डायनमिक ब्रेकिंग रेसिस्टर तथा इंडक्टिव शंट
- डायनेमिक ट्रेक स्टेबिलाइजर्स
- बेलास्ट क्लिनिंग मशीन
- ट्रेक्शन कंट्रोल गियर
- वेसल ट्रेफिक मैनेजमेंट प्रणाली
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिरामिक कैपेसिटिव कन्वर्टर

ऑयल फील्ड उपस्कर

- ऑयल रिग -
मैचिंग ड्रा-वर्क्स और उत्तोलन उपस्करों के साथ पूर्ण तटीय रिग, वर्कओवर रिग, मोबाइल रिग, हेली रिग, 9000 मी. की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए डेजर्ट रिग की कई किस्में जिनमें निम्नलिखित शामिल है:
— मास्ट और उपसंरचना
— घूर्णन उपस्कर
— पम्प सहित मड प्रणाली
— पावर पैक और रिग इलैक्ट्रिक्स
— रिग इंस्ट्रुमेंटेशन
— रिग यूटिलिटी और सहायक उपकरण
- वेल हेड और क्रिस्मस ट्री/उप-समुद्री उपस्कर
— 10,000 पीएसआई तक के कार्यशील दाब के लिए वेल हेड्स और क्रिस्मस ट्री
— चोक और क्लिफ मेनीफोल्ड्स
— मड वाल्व
— फुल बोर बाल्व
— ब्लॉक वाल्व
— मडलाइन सस्पेंशन सिस्टम
— केसिंग सपोर्ट सिस्टम
— उप-समुद्री वेल हेड्स

कास्टिंग और फोर्जिंग

- सख्त अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टियों को पूरा करते हुए रवा-रोधी मिश्र धातु इस्पात के अन्य ग्रेड, स्टेनलेस स्टील की अत्याधुनिक हेवी कास्टिंग और फोर्जिंग।

सीमलेस स्टील ट्यूब

- एएसटीएम / एपीआई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टियों के उपयुक्त कार्बन स्टील और निम्न-मिश्रधातु स्टील में 19 से 133 मिमी के बाहरी व्यास और 2 से 12.5 मिमी की मोटाई तक की सीमा सहित उष्म निर्मित और कोल्ड-ड्रॉन सीमलेस स्टील ट्यूब।

- स्टडेड ट्यूब
— उच्च-निष्पादन उष्मा अंतरण अनुप्रयोगों के लिए विस्तारित सतह ट्यूब
- स्पाइरल फिन्ड ट्यूब
— रिकवरी स्टीम जेनरेटर, इकोनोमाइजर्स और हीट फर्नेस के लिए उच्च-आवृत्ति-प्रतिरोध वेल्डेड फिन्ड ट्यूब

वितरित विद्युत उत्पादन

और लघु हाइड्रोयूनिट


- 25 कि.वा. रेटिंग तक के विन्ड इलेक्ट्रिक जेनरेटर
- सौर पीवी प्रणाली और विद्युत संयंत्र
- सौर पम्प
- सौर जल उष्मन प्रणाली
- सौर लालटेन, गृह प्रकाश-व्यवस्था और सड़क प्रकाश-व्यवस्था
- 25 मेगावाट स्टेशन क्षमता तक के लघु हाइड्रो विद्युत संयंत्र

प्रणालियां और सेवाएं

- विद्युत उत्पादन प्रणालियां
— टर्नकी विद्युत स्टेशन
— संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र
— सह-उत्पादन प्रणालियां
— विद्युत स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन
- ट्रांसमिशन प्रणालियां
— सब-स्टेशन/स्विचयार्ड
— एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणालियां
— शंट और सीरीज कंपनसेशन प्रणालियां
— विद्युत प्रणाली विश्लेषण और नियंत्रण
— एफएसीटी और सीएसआर
- वितरण प्रणालियां
— सब-स्टेशन
— ऑटोमेशन
— रिमोट मीटरिंग
- परिवहन प्रणाली
— ट्रेक्शन प्रणाली
— शहरी परिवहन प्रणाली
- औद्योगिक प्रणाली
— औद्योगिक ड्राइव और नियंत्रण प्रणालियां

उपरोक्त सभी प्रणालियों के लिए इरेक्शन, कमीशनिंग, प्रचालन और अनुरक्षण सेवाएं, स्पेयर्स प्रबंध और परामर्शी सेवाएं।

भारत में बीएचईल



★ कॉर्पोरेट कार्यालय
नई दिल्ली

▲ कॉर्पोरेट आरएण्डडी
हैदराबाद

- क्षेत्रीय कार्यालय
(पावर सैक्टर)
- A नोएडा (उत्तरी क्षेत्र)
- B कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र)
- C नागपुर (पश्चिमी क्षेत्र)
- D चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र)

□ व्यवसाय कार्यालय

- | | | | |
|---|-----------|----|------------|
| 1 | बैंगलोर | 10 | लखनऊ |
| 2 | भुवनेश्वर | 11 | मुम्बई |
| 3 | चंडीगढ़ | 12 | नई दिल्ली |
| 4 | चेन्नई | 13 | रायपुर |
| 5 | गुवाहाटी | 14 | सिंकदराबाद |
| 6 | रॉची | 15 | बड़ोदरा |
| 7 | जबलपुर | | |
| 8 | जयपुर | | |
| 9 | कोलकाता | | |

○ विनिर्माण यूनिट

- 14 1 2 बैंगलोर
- 3 भोपाल
- 4 गोइंदवाल
- 5 6 हरिद्वार
- 7 हैदराबाद
- 8 जगदीशपुर
- 9 झांसी
- 10 रानीपेट
- 11 रूद्रपुर
- 12 13 त्रिरुचिरापल्ली

□ सेवा केन्द्र

- A चंडीगढ़
- B कोलकाता
- C नागपुर
- D नोएडा
- E पटना
- F सिंकदराबाद
- G बड़ोदरा
- H वाराणसी



बीएचईएल की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाऊस, सिरि फोर्ट, नई दिल्ली-110049

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि “भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 43 वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार दिनांक 17 सितम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 10.00 बजे फिक्की आडिटोरियम, बाराखंभा रोड (तानसेन मार्ग) नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य

1. दिनांक 31 मार्च, 2007 की यथास्थिति कंपनी के लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानिलेखा तथा उसके साथ उसपर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
2. लाभांश घोषित करना।
3. श्री के. रवि कुमार, जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं का पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, उनके स्थान पर निदेशक नियुक्त करना।
4. श्री सी एस. वर्मा, जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं का पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, उनके स्थान पर निदेशक नियुक्त करना।
5. श्री संजय एम. दादलिका, जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं का पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, उनके स्थान पर नियुक्त करना।
6. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना।

विशेष कार्य

7. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

संकल्प :

“संकल्प किया जाता है कि श्री एन. गोकुलराम, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 के अनुसरण में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करते हैं और जिनके संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के उपबंधों में अनुसरण में स्वयं निदेशक से लिखित सूचना प्राप्त की है कि उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।”

8. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना :

संकल्प:

“संकल्प किया जाता है कि श्री बी.पी. राव, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 के अनुसरण में दिनांक 01.09.2007 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 257 के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं उनसे लिखित सूचना प्राप्त की है कि इन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।”

9. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

संकल्प:

“संकल्प किया जाता है कि श्री अनिल सचदेव, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 के अनुसरण में दिनांक 01.09.2007 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 257 के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं उनसे लिखित सूचना प्राप्त की है कि इन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है ”

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता./-

(एन. के. सिन्हा)
कंपनी सचिव

नई दिल्ली

दिनांक : 10 अगस्त, 2007

पंजीकृत कार्यालय:

“बीएचईएल हाऊस”, सिरि फोर्ट, नई दिल्ली-110049

टिप्पणियां :

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए हकदार सदस्य स्वयं अपनी बजाय बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत पूरा किया गया प्रतिनिधि-फॉर्म वार्षिक आम बैठक में निर्धारित समय के अड़तालीस घंटों (48 घंटे) पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। खाली प्रतिनिधि फॉर्म संलग्न है।
2. ऊपर यथानिर्धारित विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 (2) के अनुसरण में संगत व्याख्यात्मक विवरण यहां इसके साथ संलग्न है।
3. नियुक्त और पुनः नियुक्त के प्रस्तावित प्रत्येक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध-2 के रूप में दिया गया है।
4. श्री के. रवि कुमार, श्री सी.एस. वर्मा और श्री संजय एम. दादलिका, निदेशक चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने पर स्वयं का पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करेंगे।
5. सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियों सदस्यों द्वारा अनुमोदित लाभांश के भुगतान, यदि कोई हो, के प्रयोजनार्थ दिनांक 3 सितम्बर, 2007 से 17 सितम्बर, 2007 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।
6. सदस्यों को कंपनी को ईसीएस के माध्यम से प्रेषण करने में समर्थ बनाने के लिए विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फार्म (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया) में अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) का अधिदेश प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जाता है।
7. निदेशक मंडल ने वर्ष 2006-07 के दौरान अदा किए जा चुके 125% के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त, वर्धित चुकता शेयर पूंजी (बोनस इशू पश्चात) पर 60% के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।
8. दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशासित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, जब कंपनी की वार्षिक आम बैठक में स्वीकृत किया जाता है, सदस्यों द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अर्थात् दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 को अथवा उसके पूर्व उन शेयरधारकों, जिनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अथवा दिनांक 3 सितम्बर, 2007 की यथास्थिति निक्षेपागार के रिकार्ड में शेयरों के लाभग्राही स्वामी के रूप दर्ज है, को देय होगा।
9. यथा संशोधित कंपनी अधिनियम की धारा 205 ग के साथ पठित धारा 205 के अनुसरण में लाभांश की राशि, जो 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त/अदावाकृत रहती है, को केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करना अपेक्षित है। इसके बाद सदस्यों का उक्त राशि पर चाहे किसी भी प्रकार का दावा नहीं रहता। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए अंतिम लाभांश जो अदावाकृत रहता है, को उक्त खाते में दिनांक 28 सितम्बर, 2007 के बाद और वर्ष 2000-01 से प्रारंभ होने वाले आगे के वर्षों के लिए उनको संबंधित तारीखों को अंतरित किया जाना है।
सदस्यों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए अभी तक अपने अंतिम लाभांश का दावा/नकदीकरण नहीं किया है, निर्दिष्ट 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।
10. सदस्य फार्म-2 ख (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया)में ऐसे किसी व्यक्ति, जिनमें उनकी मृत्यु की दशा में कंपनी में उनके शेयर विहित होंगे, नामित करके कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 109 क के अनुसार नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
11. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (8) (कक) के साथ पठित धारा 619 (2) के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त अथवा पुनः नियुक्त किए जाते हैं और उनका परिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा नियत किया जाता है। कार्य की मात्रा में वृद्धि और विद्यमान मुदास्फीति पर विचार करने के बाद आम बैठक वर्ष 2007-08 के लिए लेखापरीक्षकों का उपयुक्त परिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकती है।
12. किसी भी कॉर्पोरेट सदस्य को व्यक्तिगत रूप से केवल तभी उपस्थित समझा जाएगा अगर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 187 के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है अर्थात् केवल तभी अगर कॉर्पोरेट सदस्य वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने हुए मुख्तारनामा निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भेजता है।

13. सदस्यों से पते में किसी परिवर्तन को तत्काल अधिसूचित करने का अनुरोध किया जाता है;

- i. अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर खाते के संबंध में अपने निक्षेपागार भागीदार (डीपी) को, और
- ii. लाभांश वारंट की तत्काल और सुरक्षित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी फोलिया संख्या, बैंकर का नाम और खाता संख्या बताते हुए अपने वास्तविक शेयरो, अगर कोई हो, के संबंध में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भेजें।

14. सदस्य, जो अमूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं, वे अपनी ग्राहक और डीपी आईडी-संख्या लिखने का और जो वास्तविक रूप में शेयर धारित करते हैं, उनसे बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थिति पर्ची में अपनी फोलियो संख्या लिखने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, ऑडिटोरियम में प्रवेश स्थल पर काउन्टर में उपलब्ध और उपस्थिति पर्ची से बदली जाने वाली प्रवेश पर्ची के आधार पर सख्ती से होगा।

15. सदस्यों से निम्नलिखित अनुरोध किया जाता है :

- (i) बैठक के समय अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, सूचना और उपस्थिति पर्ची लाएं।
- (ii) सभी पत्राचार में अपनी फोलियों संख्या/आईडी संख्या बताएं।
- (iii) यह नोट कर लें कि सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के भीतर कोई बीफकेस अथवा बैग ले जाने का अनुमति नहीं होगी।
- (iv) यह नोट कर लें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार वितरित नहीं होगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता./-
(एन. के. सिन्हा)
कंपनी सचिव

नई दिल्ली

दिनांक : 10 अगस्त, 2007

पंजीकृत कार्यालय:

“बीएचईएल”, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली-1100 49

नोटिस का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 (2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ दिनांक 10 अगस्त, 2007 की सूचना के मद सं. 7 से 9 में उल्लिखित कार्य से संबद्ध वास्तविक तथ्यों का वर्णन करता है।

मद सं. 7

57 वर्षीय श्री एन. गोकुलराम, वाणिज्य और उद्योग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार, श्री एन. गोकुलराम को दिनांक 25.01.2007 से कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर श्री एन. गोकुलराम कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करेंगे और पुनः नियुक्त के पात्र है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अनुसार कंपनी ने कंपनी के निदेशक पद की उनकी उम्मीदवारी के रूप में स्वयं निदेशक से 500/- रूपए की जमा राशि के साथ प्रस्ताव करने हुए लिखित सूचना प्राप्त की है।

श्री एन. गोकुलराम को छोड़कर कंपनी के किसी भी निदेशक का संकल्प से संबंध अथवा हित नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प की शेरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद सं. 8

53 वर्षीय श्री बी.पी. राव जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, काकीनाडा, आंध्रप्रदेश से मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक और एनआईटीआईईई, मुंबई से औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकांतर है। भारत सरकार के निर्देशानुसार, श्री बी.पी. राव को 01.09.2007 से अपर निदेशक के रूप में पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 31.08.2012 अथवा अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक पद धारित करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर, श्री बी.पी. राव कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 के द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित कर रहे हैं और पुनःनियुक्ति के पात्र है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अनुसार कंपनी ने कंपनी के निदेशक पद की उनकी उम्मीदवारी के रूप में स्वयं निदेशक से 500/- रूपए की जमा राशि के साथ प्रस्ताव करने हुए लिखित सूचना प्राप्त की है।

श्री बी.पी. राव को छोड़कर कंपनी के किसी भी निदेशक का संकल्प से संबंध अथवा हित नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प की शेरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद सं. 9

55 वर्षीय श्री अनिल सचदेव जबलपुर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक और भोपाल विश्वविद्यालय से उत्पादन प्रबंधन में एमबीए है। भारत सरकार के निर्देशानुसार श्री अनिल सचदेव को दिनांक 01.09.2007 से पांच वर्षों की अवधि तक अर्थात् दिनांक 31.08.2012 अथवा अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक पद धारित करने के लिए कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर श्री अनिल सचदेव कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 के द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित कर रहे हैं और पुनःनियुक्ति के पात्र है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अनुसार कंपनी ने कंपनी के निदेशक पद पर उनकी उम्मीदवारी के रूप में स्वयं निदेशक से 500/- रूपए की जमा राशि के साथ प्रस्ताव करने हुए लिखित सूचना प्राप्त की है।

श्री अनिल सचदेव को छोड़कर कंपनी के किसी भी निदेशक का संकल्प से संबंध अथवा हित नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प की शेरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता./-
(एन. के. सिन्हा)
कंपनी सचिव

नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2007

पंजीकृत कार्यालय:

“बीएचईएल हाउस”, सिरि फोर्ट, नई दिल्ली-110049

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110 049

प्रतिनिधि फार्म

फोलियो/आईडी नं.

शेयरों की संख्या

मैं/हम.....जिला.....

.....का/के.....

.....उपर्युक्त कंपनी का/के सदस्य

हूँ / हैं और एतद्वाराजिला.....को अथवा

उनकी अनुपस्थिति में.....जिला.....को मेरे/हमारे

प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं, जो 17 सितम्बर, 2007 को आयोजित होने वाली 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी/हमारी ओर से मतदान करेंगे।

दिनांक 2007 को हस्ताक्षरित

30 पैसे
की रसीदी
टिकट
चिपकाएं

टिप्पणियां : क) फार्म पर कंपनी में दर्ज नमूना हस्ताक्षर के अनुसार टिकट के ऊपर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

ख) यह फार्म बैठक के आयोजन से अड़तालीस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110 049

उपस्थिति-पर्ची

दिनांक 17 सितम्बर, 2007 सोमवार को

पूर्वाह्न 10.00 बजे फिक्की सभागार, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

में आयोजित होने वाली 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक

उपस्थित सदस्य का नाम

फोलियो/आईडी नं.

धारित शेयरों की संख्या

प्रतिनिधि का नाम

(यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि भाग ले रहा हो)

मैं एतद्वारा 17 सितम्बर, 2007 को आयोजित 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(विधिवत् भरी गई इस पर्ची को बैठक कक्ष में प्रवेश द्वार पर सौंपा जाए।)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110 049

प्रिय शेयरधारक/शेयरधारकों,

संदर्भ : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) द्वारा लाभांश का भुगतान

यदि आपने पहले से हमारे रजिस्ट्रारों यानि मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड या निक्षेपागार सहभागी (डीमेट होल्डिंग के मामले में), को ईसीएस/बैंक लेखा विवरण प्रेषित नहीं किए हैं, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि नीचे दिए गए फॉर्म में उक्त विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि 17 सितम्बर, 2007 को आयोजित होने वाली कंपनी की 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित होने वाले लाभांश का शीघ्र, सुरक्षित एवं सही भुगतान किया जा सके।

कृपया सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रारों/निक्षेपागार सहभागी को आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही हैं, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि होने पर लाभांश की राशि गलत खाते में जमा हो जाएगी।

ईसीएस द्वारा और/अथवा नामोद्विष्ट बैंक खाते में लाभांश का भुगतान, जो कि लाभांश वारंट पर लिखा होगा, लाभांश वारंट के कपटपूर्ण नकदीकरण को रोकने में सहायक होगा।

कृपया आपकी बेहतर सेवा करने के प्रयास में हमारी सहायता करें।

भवदीय

(एन.के. सिन्हा)

कंपनी सचिव

पीएस : यदि आपके पास डीमेट रूप में शेयर हैं, तो अपने निक्षेपागार सहभागी को आपके बैंक खाता विवरणों/ईसीएस अधिदेश पर ध्यान देने का परामर्श दें।

ईसीएस अधिदेश/बैंक खाता विवरणों के लिए फार्म

मैं/हम एतद्वारा बीएचईएल/अपने निक्षेपागार सहभागी को


- मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्न विवरण छापने
 ईसीएस द्वारा बैंक खाते में मेरी लाभांश राशि जमा करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं
(जो लागू न हो, कृपया उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियो सं. डीपी आईडी सं. ग्राहक खाता सं.

बैंक खाते का विवरण :

- क. बैंक का नाम :
- ख. शाखा का नाम :
- (केवल अधिदेश के लिए पता)
- ग. एमआईसीआर चैक में दिए गए बैंक और शाखा के 9 अंकों की कोड संख्या :
- घ. खाते का प्रकार (बचत/चालू) :
- चैक बुक में दिए गए अनुसार खाता सं. :
- च. शेयरधारक का एसटीडी कोड एवं दूरभाष सं. :
- छ. पैन/जीआईआर सं. :

यदि ईसीएस कार्यान्वित न हो सकी अथवा बैंक ईसीएस को किसी कारण से समाप्त कर देता है, तो मैं/हम कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा / ठहराएंगे।



मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि.
यूनिट : बीएचईएल
कार्वी हाउस, 46, एवेन्यू-4, स्ट्रीट नं. 1,
बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034

.....
शेयरधारक के हस्ताक्षर

9 अंकों की कोड सं. की यथार्थता के सत्यापन हेतु कृपया आपके उक्त लेखा से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी चैक या खाली रद्द किए गये चैक की प्रति संलग्न करें।

फार्म 2 बी

[कृपया कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र, 1956 का नियम 4गगग और 5घ देखें]

नामांकन फार्म

(व्यक्तिगत या संयुक्त रूप में आवेदन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा भरा जाए)

मैं/हम एवं और
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के क्रमांक का/के शेयरधारक, नामांकन करना चाहता हूँ/चाहते हैं तथा निम्न व्यक्ति (व्यक्तियों), जिसमें मेरी या जिनमें हमारी मृत्यु होने पर अंतरण और/अथवा शेयरों से सम्बद्ध देय राशि के सभी अधिकार निहित हैं, को नामित करता हूँ/करते हैं।

नामिती/नामितियों के नाम एवं पता/पते

नाम :
पता :
जन्म तिथि* :

(*नामिती के नाबालिग होने के मामले में भरा जाए)

**नामिती नाबालिग है, जिसका अभिभावक है

नाम एवं पता

.....

.....

(*यदि लागू न हो, तो हटा दिए जाए)

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

तिथि :

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

तिथि :

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

तिथि :

दो गवाहों के पते, नाम एवं हस्ताक्षर

नाम एवं पता

तिथि सहित हस्ताक्षर

1.

2.

अनुदेश :

- केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही नामांकन किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी ओर से एकल या संयुक्त रूप से शेयरों के लिए आवेदन किया हो या धारक हो। सोसायटी, न्यास, कॉर्पोरेट निकाय, साझेदारी फार्म, हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा धारक सहित गैर-व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकते। यदि शेयर संयुक्त रूप से धारित किया जाता है, तो सभी संयुक्त शेयरधारक नामांकन फार्म पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के तौर पर स्थान उपलब्ध कराया गया है। यदि संयुक्त धारक अधिक हैं, तो शेयरों के धारकों तथा गवाह के हस्ताक्षर के लिए अधिक शीटें प्रयोग में लाई जा सकती हैं।
- शेयरों के धारक द्वारा नाबालिग को नामित किया जा सकता है तथा उस स्थिति में धारक द्वारा अभिभावक का नाम और पता दिया जाएगा।
- न्यास, सोसायटी, कॉर्पोरेट निकाय, साझेदारी फार्म, हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता या मुख्तारनामा धारक नामिती नहीं होगा। अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तन के आधार पर नामिती हो सकता है।
- शेयर के अंतरण पर नामांकन विखंडित हो जाता है।
- वैध उत्तराधिकारी के विरुद्ध नामिती के पक्ष में शेयर का अंतरण कंपनी द्वारा वैध रूप से डिस्चार्ज किया जाएगा।
- कंपनी / कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अधिकर्ता को नामांकन / नामांकन फार्म के संबंध में सूचना दो प्रतियों में देनी होगी, जो उसकी एक प्रति शेयरधारक को वापस करेगी/करेगा।

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एबीएन एमरो बैंक एन.बी.
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
सिटी बैंक एन.ए.
कारपोरेशन बैंक
डयूश बैंक एजी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई लिमिटेड
पंजाब नेशनल बैंक
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
सिंडिकेट बैंक
दि हांगकांग एण्ड शंघाई
बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड

वर्ष 2006-07 के लिए लेखापरीक्षक

एम.एल. पुरी एंड कंपनी, नई दिल्ली
आलोक शर्मा एंड कंपनी, वाराणसी
अरोड़ा एंड चौधरी एसोसिएट्स, नई दिल्ली
बी.के. रामध्यानी एंड कंपनी, बंगलौर
डेम्बल रमानी एंड कंपनी, नागपुर
जी.के. राव एंड कंपनी, हैदराबाद
घोष खन्ना एंड कंपनी, नई दिल्ली
घोषाल एंड घोषाल, कोलकाता
एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
कल्याणसुंदरम एंड कंपनी, रानीपेट
एम' सन एंड कं., चेन्नै
आर.एल. मेहरा एंड कं., अमृतसर
एस. डागा एंड कं., हैदराबाद
एस.पी. चोपड़ा एंड कं., नई दिल्ली
एस.के.जी. एंड कंपनी, मुंबई
श्रीधर एंड संथानम, चेन्नै
तास्की एसोसिएट्स, भोपाल

शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कम्यूटरशेयर प्रा. लि.

यूनिट : बीएचईएल

दिल्ली कार्यालय : 105-108, अरूणाचल बिल्डिंग,
19, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली-110 001

दूरभाष : 011-23324401, 23324409

फैक्स : 011-23730743

हैदराबाद कार्यालय : 17-24, विठ्ठल राव नगर, माधापुर
हैदराबाद-500 081

दूरभाष : 040-23420815-20

फैक्स : 040-23420814

ई-मेल : madhusudhan@karvy.com
mailmanager@karvy.com

पंजीकृत कार्यालय

बीएचईएल हाऊस, सीरी फोर्ट,

नई दिल्ली-110 049 (भारत)

दूरभाष : 26001010 (15 लाइनें)

फैक्स : 011-26493021

<http://www.bhel.com>



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाऊस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली-110 049, भारत
वेबसाइट : <http://www.bhel.com>